

किसान सभा

के

संस्कृतण

लेखक

स्वामी सहजानन्द सरस्वती



मूल्य

तीन रुपये बारह आने



विषय-प्रवेश

आगे के पृष्ठों में किसान-सभा के संस्मरणों का जो संकलन मिलेगा वह तैयार किया था हजारीबाग जेल की चहार दीवारी के भीतर। १९४० की लम्बी जेन-यात्रा के पहले ही मित्रों एवं साथियों ने बारबार अनुरोध किया था कि इन संस्मरणों को अवश्य लिपि-ब्रद्ध करें। किसान-सभा से मेहम सम्बन्ध गत बीस वर्षों की भारी मुद्दत में अविच्छिन्न रहने के कारण मैं इसके बारे में आधिकारिक रूप से लिखने वाला माना गया। इस सम्बन्ध में तरह-तरह के अनुभव सबसे ज्यादा मुझी को हुए हैं, यह भी बात है। यह अनुभव मजेदार भी रहे हैं और आगे की पंक्तियों से यह स्पष्ट है। फलतः इनके कलम बन्द करने में मजा भी मुझे काफी मिला है। जेल से बाहर समय न मिलने के कारण मित्रों की इच्छा वहाँ पूरी करनी पड़ी।

जर्मीनियरों के अखबारों ने कभी-कभी मुझे अकल देने की भी कोशिश की है और लम्बे उद्देश दिये हैं कि राजनीति संन्यासी का काम नहीं है। इसमें पहले से वह दुहरा पाप करता है। किसान-सभा के सिलसिले में होने वाले मेरे रोजनोज के तूफानी दौरों पर व्यंग करके उनने उन्हें 'मनोविनोद के सैर' (Pleasure Trips) नाम दिये हैं और आश्चर्य से पूछा है कि इन सैर-सगाईों का लम्बा खर्च मुझे कौन देता है। उन्हें पता ही नहीं कि जिन्हें इन सैर-सपाईों की गर्ज है, जो इसके लिये बेचैन हैं, वही यह खर्च देते हैं—वही जो इन समाचार भ्रमों के मालिकों के महल सजाते हैं। आगे की पंक्तियाँ यह भी बतायेंगी कि ये सैर-सपाई हैं या कड़ी कसौटी।

ये संस्मरण लिखे तो गये जेल के भीतर ही १६४१' में; मगर इनके प्रकाशन में परिस्थिति-वश काफी देर हो गई है। फिर भी इनका महत्व ज्यों का त्यों बना है। सोचा गया कि जिस किसान-सभा से सम्बन्ध रखने-वाले ये संस्मरण हैं, उसका इतिहास यदि इन्हीं के साथ न रहे तो एक प्रकार से ये अधूरे रह जायेंगे। पाठकों को इनके पढ़ने से पूरा संतोष भी न होगा और न वह मजा ही मिलेगा। इसीलिये भूमिका स्वरूप किसान-सभा का सर्वक्षित इतिहास और उसका कुछ विस्तृत विवेचन भी इन संस्मरणों के साथ जोड़ दिया गया है और इस प्रकार एक पूरी चीज तैयार हो गई।

“कहीं-कहीं किनारे पर जो अंक लिखे गये हैं वह इस बात के सूचक हैं कि किस दिन कितना भाग जेल के भीतर लिखा गया था।”

विहार,
पटना
१०.२.४७

—स्वामी सहजानन्द सरस्वती

भारत में किसान-आन्दोलन

[अ]

संक्षिप्त इतिहास

बहुत लोगों का खयाल है कि हमारे देश में किसानों का आन्दोलन बिल्कुल नया और कुछ खुगफाती दिमागों की उपज मात्र है। वे मानते हैं कि यह मुझे भर पढ़े-लिखे बदमाशों का पेशा और उनकी लीडरी का साधन मात्र है। उनके जानते भोलेभाले किसानों को बरगला-बहकाकर थोड़े से सफेदपोश और फटेहाल बाबू अपना उल्लू सीधा करने पर तुले बैठे हैं। इसीलिये यह किसान-सभाओं एवं किसान-आन्दोलन का तूफान बदतमीजी वरपा है, यह उनकी हरकतें बेजा जारी हैं। यह भी नहीं कि केवल स्वार्थी और नादान जमींदार-मालगुजार या उनके वृष्टि-गेषक ऐसी चातें करते हों। कांग्रेस के कुछ चोटी के नेता और देश के रहनुमा भी ऐसा ही मानते हैं। उन्हें किसान-सभा की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। वे किसान-आन्दोलन को राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य के संग्राम में रोड़ा समझते हैं। फलतः इनका विरोध भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं।

परन्तु ऐसी धारणा भ्रान्त तथा निर्मूल है। भारतीय किसानों का आन्दोलन प्राचीन है, बहुत पुराना है। दरअसल इस आन्दोलन के बारे में लिपि-बद्ध वर्णन का अभाव एक बड़ी त्रुटि है। यदि सौ-सवासौ साल से पहले की चात देखें तो हमारे यहाँ मुश्किल से इस आन्दोलन की चात कहीं लिखी-लिखाई मिलेगी। इसकी बजहें अनेक हैं, जिन पर विचार करने का मौका यहाँ नहीं है। जब यूरोपीय देशों में किसान-आन्दोलन पुराना है, तो कोई वजह नहीं है कि यहाँ भी वैसा ही न हो। किसानों की दशा सर्वत्र एक सी ही रही है आज से पचास सौ साल पहले। जमींदारों और

सूदखोरों ने उन्हें सर्वत्र बुरी तरह सताया है और सरकार भी इन उत्ती-द्विकों का ही साथ देती रही है। फलतः किसानों के विद्रोह सर्वत्र होते रहे हैं। उन्नीसवीं सदी के मध्य में—१८५० में—शोषितों के मसीहा फ्रेड्रिक एंगेल्स ने “जर्मनी में किसानों का जंग” (दी पीज़ेन्ट वार इन जर्मनी) पुस्तक लिखकर उसमें न किर्फ जर्मनी में होने वाले पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं सदियों के सन्धि-काल के किसान-विद्रोहों का वर्णन किया है, वरन् आस्ट्रिया, हंगरी, इटली तथा अन्याय देशों के भी ऐसे विद्रोहों का उल्लंघन किया है। उससे पूर्व जर्मन विद्वान् विल्हेल्म जिमरमान की भी एक पुस्तक “महान किसान-विद्रोह का इतिहास” (दों हिस्ट्री औफ दी ग्रेट पीज़ेंट वार) इसी बात का वर्णन करती है। यह १८४१ में लिखी गयी थी। फ्रांस में १२-१३ वीं सदियों में फ्रांस के दक्षिण भाग में किसानों की वगावते प्रसिद्ध हैं। इंगलैण्ड की १३८१ वाली किसानों की वगावत भी प्रसिद्ध है, जिसका नेता जौन बोल था। इसी प्रकार हंगरी में भी १६ वीं शताब्दी में किसानों ने विद्रोह किया।

इस तरह के सभी संघर्ष एवं विस्तोट सामन्तों एवं जमींदारों के तुच्छ, असह्य कर-भार तथा गुलामी के विरुद्ध होते रहे, और ये चीज़ें भाग में भी थीं। यह देश तो दूसरे मुल्कों की अपेक्षा पिछड़ा था ही। तब यहाँ भी ये उत्तीड़न क्यों न होते और उनके विरुद्ध किसान-संघर्ष क्यों न छिड़ते? यहाँ तो साधारणतः विशिष्ट भारत में और विशेषतः रजनाड़ों में आज भी ये यंत्रणायें किसान भोग ही रहे हैं।

तो क्या भारतीय किसान यों ही आंख मँद कर सारे कष्टों को गधेन्द्रीजों की तरह चुपचाप वर्दात्त कर लेते रहे हैं और उनके विरोध में उन्नेसे सर नहीं उठाया है? यह बात समझ के बाहर है। माना कि आज के जमांदार ढेढ़ सी साल से पहले न थे। मगर सरकार तो थी। सूदखोर बनिये महानन तो थे। जागीरदार तथा सामन्त तो थे। फिर तो कर-भार, गुलामी और भोयण यूदखोरी थी ही। इन्हें कोन रोकता तथा इनके विरुद्ध किसान-समाज तुर कैसे रह सकता था? भारतीय किसान संसार के अन्य किसानों

के अपवाद नहीं हो सकते। फिर भी यदि उनके आन्दोलनों एवं विद्रोहों का कोई विधिवत् लिखित इतिहास नहीं मिलता, तो इसके मानी हाँगज़ नहीं कि यह चीज़ हुई ही नहीं—हुई और जरूर हुई—हजारों वर्ष पहले से लगातार होती रही। नहीं तो एकाएक सौ डेढ़ सौ वर्ष पहिले, जिसके लेख मिलते हैं, क्यों हुई? और अगर इधर आकर वे संघर्ष करने लगे तो मानना ही होगा कि पहले भी जरूर करते थे।

यह भी बात है कि यदि लिखा-पढ़ी तथा सभा-सोसाइटियों के रूप में, प्रदर्शन और जुलूस के रूप में यह आन्दोलन न भी हो सकता था, तो भी अमली तौर पर तो होता ही था, हो सकता ही था और यही था असली आन्दोलन। क्योंकि “कह सुनाऊँ” की श्रेष्ठता “कर दिखाऊँ” हमेशा ही ठोस और कारगर माना जाता है और इधर १८३६ से १८४६ तक के दर्शन, ग्राम्भ के प्रायः सौ साल में, जबानी या लिखित आन्दोलन शायद ही हुए, किन्तु अमली तथा व्यावहारिक ही हुए। इसका संक्षिप्त विवरण आगे मिलेगा। इससे भी मानना ही होगा कि पहले भी इस तरह के अमली आन्दोलन और व्यावहारिक विरोध किसान-संसार की तरफ से सदा से होते आये हैं। किसान तो सदा ही मूक प्राणी रहा है। इसे वाणी देने का यत्न पहले कब, किसने किया? कर्म, भाग्य, भगवान, तकदीर और परलोक के नाम पर हमेशा ही से चुपचाप कठ सहन करने, संतोष करने तथा पशु-जीवन विताने के ही उपदेश इसे दिये जाते रहे हैं। यह भी कहा जाता रहा है कि राजा और शासक तो भगवान के अंशावतार हैं। अतः चुपचाप उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने में ही कल्याण है। इस ‘कल्याण’ की दूटी ने तो और भी जहर का काम किया और उन्हें गूंगा बना दिया। फलतः कभी-कभी ऊब्रकर उन्होंने अमली आन्दोलन ही किया और तत्काल वह सफलीभूत भी हुआ। उससे उनके कष्टों में कमी हुई।

इधर असहयोग युग के बाद जो भी किसान-आन्दोलन हुए हैं उन्हें संगठित रूप मिला है, यह बात सही है। संगठन का यह श्रीगणेश तभी से चला है। इसका श्रीगणेश तभी से होकर इसमें क्रमिक दृढ़ता आती गई है

और आज तो यह काफी मजबूत है, हालांकि संगठन में अभी कमी बहुत है। मगर असंगठित रूप में यह चीज पहले, असहयोग युग से पूर्व भी चलती रही है। संगठित से हमारा आशय सदस्यता के आधार पर बनी किसान-सभा और किसानों की पंचायत से है, जिसका कार्यालय नियमित रूप से काम करता रहता है और समय पर सभी समितियाँ होती रहती हैं। कागजी बुड्डौङ भी चालू रहती है। यह बात पहले न थी। इसी से पूर्व-वर्ती आन्दोलन असंगठित था। यों तो विद्रोहों को तत्काल सफल होने के लिये उनका किसी न किसी रूप में संगठित होना अनिवार्य था। 'पतिया' जारी करने का रिवाज अत्यन्त प्राचीन है। मालूम होता है, पहले दो चार अद्दरों या संकतों के द्वारा ही संगठन का महामंत्र फूँका जाता था। यद्यपि यातायात के साधनों के अभाव में उसे वर्तमान कालीन सफलता एवं विस्तार प्राप्त न होते थे। किर भी इम देखते हैं कि जिन आन्दोलनों एवं संघर्षों का उल्लेख आगे है वे बात की बात में श्राग की तरह फैले और काफी दूर तक फैले। मंथाल-विद्रोह में तो लाखों की सेना, एकत्र होने की बात पाई जाती है और वह बात अँग्रेज अफसरों ने लिखी है। ऐशी दशा में इतना तो मानना ही होगा कि वह चीज भी काफी संगठित रूप में थी, यद्यपि आज बाली दृढ़ता, आज बाली स्थापिता उसमें न थी। होती भी कैसे ! उसके सामान होते तब न !

जैसा कि पहले कह चुके हैं, आज से, प्रायः सौ-सवासौ साल पहले बाले किसान-संघर्षों एवं आन्दोलनों का वर्णन मिलता है। अतः हम उन्हीं से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पुण्यना मालावार के मोपला किसानों का विद्रोह है, जो १८३६ में शुरू हुआ था। कहने वाले कहते हैं कि ये मोपले कट्टर मुसलमान होने के नाते अपना आन्दोलन धार्मिक कारणों से ही करते रहे हैं। असहयोग-युग के उनके विद्रोह के बारे में तो स्पष्ट ही यही बात कही गयी है। मगर ऐसा कहने-मानने वाले अधिकारियों एवं जर्मीदार-मालदारों के लेखों तथा बयानों से ही यह बात सिद्ध हो जाती है कि द्रव्यसल बात वह न होकर आर्थिक

एवं सामाजिक उत्पीड़न ही इस विद्रोह के असली कारण रहे हैं और धार्मिक रंग अगर उन पर चढ़ा है तो कार्य-कारणवश ही, प्रसंगवंश ही। १९२० और १९२१ वाले विद्रोह को तो सबों ने, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी, धार्मिक ही माना है। भगवान् उसी के सम्बन्ध में मालाबार के ब्राह्मणों के पत्र 'योगचेमम्' ने १९२२ की ६ जनवरी के अग्लेख में लिखा था कि "केवल धनियों तथा जमीदारों को ही ये विद्रोही सताते हैं, न कि गरीब किसानों को—"

"only the rich and the landlords are suffering in the hands of the rebels, not the poor peasants."

अगर धार्मिक बात होती तो यह धनी-गरीब का भेद क्यों होता ? इसी तरह ता० प्रा० १९२१ में दक्षिण मालाबार के कलकट्टर ने जो १४४ धारा की नोटिस जारी की थी उसके कारणों में लिखा गया था कि "भोले-भाले मोपलों को न सिर्फ सरकार के विश्वद, वरन् हिन्दू जन्मियों (जमीदारों—मालाबार में जमीदार को 'जन्मी' कहते हैं) के भी विश्वद उभाड़ा जायगा"—

"The feeling of the ignorant Moplahs will be inflamed against not only the Government but also against the Hindu Jemmis (landlords) of the district."

इससे भी स्पष्ट है कि विद्रोह का कारण आर्थिक था। नहीं तो सिर्फ जमीदारों तथा सरकार के विश्वद यह बात क्यों होती ?

बात असल यह है कि मालाबार के जमीदार ब्राह्मण ही हैं। उत्तरी मालाबार में शायद ही दो एक मोपले भी जमीदार हैं। और ये मोपले गरीब किसान हैं। इनमें खाते-पीते लोग शायद ही हैं। इन किसानों को जमीन पर पहले कोई हक था ही नहीं और झगड़े की असली बुनियाद यही थी, यही है। यह पुरानी चीज है और शोषक जमीदारों के हिन्दू (ब्राह्मण) खोने के नाते ही इन संघर्षों पर धार्मिक रंग चढ़ता है। नहीं, नहीं,

जानन्वृक्षकर चढ़ाया जाता है। १८८० वाले विद्रोह में मोपलों ने दो जमीदारों पर धावा किया था। उनने तत्कालीन गवर्नर लार्ड बकिघम को गुतनाम पत्र लिखकर जमीदारों के जुल्मों को बताया था और प्रार्थना की थी कि उन्हें रोका जाय, नहीं तो ज्वालामुखी फूटेगा। गवर्नर ने मालाभार के कलकट्टा और जज की एक कमेटी द्वारा जब जाँच करवाई तो रिपोर्ट आई कि इन तूफानों के मूल में वही किसानों की समस्यायें हैं। पीछे यह भी बात व्योरेवार मालूम हुई कि जमीदार किसानों को कैसे लूटते और जमीनों से वेदखल करते रहते हैं। इसालिये तो १८८७ वाला काश्तकारी कानून बना।

१९२१ तथा उसके बाद मौलाना याकूब हसन मालाभार के कांग्रेसी एवं गांधीवादी नेता थे। मगर उनने भी जो पत्र गांधी जी को लिखा था उसमें कहते हैं कि “अधिकांश मोपले छोटे-छोटे जमीन्दारों की जमीनें लेकर जोतते हैं और जमीन्दार प्रायः सभी हिन्दू ही हैं। मोरलों की यह पुरानी शिकायत है कि ये मनचले जमीन्दार उन्हें लूटते-सताते हैं और यह शिकायत दूर नहीं की गई है”—

“Most of the Moplahs were cultivating lands under the petty landlords who are almost all Hindus. The oppression of the Jenmies (landlords) is a matter of notoriety and a long-standing grievance of the Moplahs that has never been redressed.”

इससे तो जरा भी सन्देह नहीं रह जाता कि मोपला-विद्रोह सचमुच किलानविद्रोह था।

१८३६ से १८५३ तक मोपलों ने २२ विद्रोह किये। वे सभी जमीन्दारों के बिरद्द थे। कहीं-कहीं धर्म की बात प्रसंगतः आई थी जल्लर। मगर असलियत वही थी। १८४१ वाला विद्रोह तो श्री रैषम पहच्ची नामुद्री नामक जालिम जमीन्दार के खिलाफ था, जिसने किसानों को पट्टे पर

दी गई जमीन बलात् छींती थी। १८४३ में भी दो संघर्ष हुए—एक गाँव के मुखिया के विरुद्ध और दूसरा ब्राह्मण जमीदार के खिलाफ़। १८५१ में उत्तर मालावार में भी एक जमीदार का वंश ही खत्म कर दिया गया। १८८० की बात कही चुके हैं। १८८८ में भी उसी तरह एक जमीदार मारा गया। १८९६ में मनकट्टा पहाड़ी पुरम् में एक ब्राह्मण जमीदार और उसके आदमियों को चेकाजी नामक मोपला किसान के दल ने खत्म कर दिया और लूट-पाट की। क्योंकि उसने चेकाजी के विरुद्ध बाकी लगान की छिपी से सन्तोष न करके उसके पुत्र की शादी भी न होने दी।

१८२० के अवतूर में कालीकट में जो काश्तकारी कानून के सुधार का आन्दोलन शुरू हुआ, १८२१ वाली लगावत इसी का परिणाम थी। जमीदार मनमाने ढंग से लगान बढ़ाते और वेतहाशा वेदखलियाँ किया करते थे। इसीलिये सैकड़ों सभायें हुईं। स्थान-स्थान पर किसान-सभायें बनीं, कालीकट के राजा की जमीदारी में एक “टेनेन्ट रिलीफ असोसियेशन” कायम हुआ और मंजेरी की बड़ी कांफ़े स में किसानों की माँगों का जोखार समर्थन हुआ। इसी के साथ खिलाफ़त आन्दोलन भी आ मिला। मगर असलियत तो दूसरी ही थी। इस तरह देखते हैं कि आज से सैकड़ों साल पूर्व विशुद्ध किसान-आन्दोलन किसान हकों के लिये चला और १८२० में आकर उसने कहीं-कहीं संगठन का जामा पहनने की भी कोशिश की।

अच्छा, अब मालावार के दक्षिणी किसान-आन्दोलन से हटकर उत्तर में बम्बई प्रेसिडेंसी के महाराष्ट्र, खानदेश और गुजरात को देखें। वहाँ भी १८४५ और १८७५ के मध्य किसानों में रह-रह के उभाइ होते रहे। कीली, कुर्मा, भील, ब्राह्मण और दूसरी जाति के लोग—सभी—इस विद्रोह में शरीक थे। १८४५ में भालों के नेता रघुभंगरिन के दल ने साहुकारों को लूटा-गाटा। पूना और थाना जिलों के कोलियों ने भी समय-समय पर ऐसी लूट-पाट और सार-काट की। इस सम्बन्ध में १८५२ में सर जी॰ विंगेट (Sir G. Wingate) बम्बई सरकार को लिखा

था कि “बम्बई प्रेसीडेन्सी के परस्पर सुदूरवर्ती दो कोने में जो कर्जदारों ने दो साहूकारों को मार डाला है यह कोई योही नहीं हुआ है, जो कहीं-कहीं महाजनों के जुल्मों के फलस्वरूप है। किन्तु मुझे भय है कि ये एक और किसानों और दूसरी ओर सूदखोर बनियों के बीच सर्वत्र होने वाले आम तनाव के दो उग्रहरण मात्र हैं। और अगर ऐसा है, तो ये बताते हैं कि कि एक ओर कितना भयंकर शोषण-उत्पीड़न और दूसरी ओर कितना अधिक कष्ट-सहन मौजूद है” —

“These two cases of village-money-lenders murdered by their debtors almost at the opposite extremities of our presidency must, I apprehend, be viewed not as the results of isolated instances of oppression on the part of creditors, but as examples in an aggravated form of the general relations subsisting between the class of money-lenders and our agricultural population. And if so, what an amount of dire oppression on the one hand, and of suffering on the other, do they reveal to us”?

इसी प्रकार १८७१ और १८७५ के मध्य खेड़ा (गुजरात), अहमदनगर, पूना, रत्नागिरी, सितारा, शोलापुर और अहमदाबाद (गुजरात) जिलों में भी गूजरों, सूदखोरों, मारवाड़ीयों, दूसरे बनियों तथा जालिमों के विरुद्ध जेहाद बोले गये, जिनका विवरण “दक्षिणी किसान दंगा-जाँच कमिशन” की रिपोर्ट में दिया गया है। १८७१ और १८५५ के बीच का समय भी वेचैनी का था। १८६५ वाले अमेरिका के गृहयुद्ध के चलते भारतीय रई का दाम तेज हुआ। फलतः किसानों ने काफी कर्ज लिये। मगर १८७० में उस युद्ध के अन्त होते ही एकाएक सस्ती आई, जिससे १८२६ की ही तरट किसान तबाह हो गये। यह भी था कि १८६५ से

पूर्व सरकार ने समय-समय पर सर्वे कराकर लगान भी बढ़ा दिया था। जब उसे न दे सकने के कारण किसानों की जमीन-जायदाद साहुकारों के हाथों में धड़ाधड़ जाने लगीं तो उनने विद्रोह शुरू किये। फलतः सरकारी जाँच कमिशन कायम हुआ और उसी की रिपोर्ट पर दक्षिणी किसानों को सुविधाएँ देने का कानून बनाया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार और महाजनों से किसान इसीलिये बिगड़ पड़े कि उनकी जमीनें छिनी जा रही थीं।

कहा जाता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में जमीदारी प्रथा है नहीं, वहाँ जमीदार हैं नहीं। ऐयतवारी प्रथा के फलस्वरूप वहाँ किसान ही जमीन के मालिक हैं। मगर दरअसल अब यह चात है नहीं। वहाँ भी साहुकार-जमीदार कायम हो गये हैं और असली किसान उनके गुलाम बन चुके हैं। यह साहुकार-जमीदारी शुरू हुई थी १८४५ में ही, जब किसानों की जमीनें महाजन कर्ज में छीनने लगे। किसानों के विद्रोह भी इसी छीना-फपटी को रोकने के लिये होते रहे। आज तो ऐयतवारी इलाके का किसान इसी के चक्कते जमीदारी प्रान्तों के किसानों से भी ज्यादा दुखिया है। क्योंकि उसे कोई हक हासिल नहीं है, जब कि जमीदारी इलाके वालों ने लड़ते-लड़ते बहुत कुछ हक हासिल किया है। इसीलिये दक्षिणी विद्रोह के जाँच कमिशन की रिपोर्ट में मिस्टर आकलैरेड कौलचिन ने लिखा है कि “तथा कथित ऐयतवारी प्रथा में घीरे-घीरे ऐसा हो रहा है कि ऐयत टेनेन्ट हो गये हैं और मारवाड़ी (साहुकार) जमीदार (मालिक)। यह तो जमीदारी प्रथा ही है। फर्क इतना ही है कि उत्तरी भारत की जमीदारी प्रथा में किसानों की रक्षा के लिये जो बातें कानूमेन में रखी गयी हैं वे एक भी यहाँ नहीं हैं। मालिक गैर जंवाबदेह हैं और किसान का कोई बचाव है नहीं। फलतः ऐयतवारी न होकर यह तो मारवाड़ी (साहुकारी) प्रथा होने जा रही है”—

“Under so-called ryotwari system it is gradually coming to this, that the ryot is the tenant and

the Marwari is the proprietor. It is a zamindari settlement; but it is a zamindari settlement stripped of all the safeguards which under such a settlement in Upper India are thought indispensable to the tenant. The proprietor is irresponsible, the tenant unprotected. It promises to become not a ryotwari but a Marwarisettlement."

उत्तर भारत के विहार-वंगाल की सम्मिलित सीमा का सथाल आन्दोलन भी, जो १८५४ की ७ जुलाई से शुरू हुआ, किसान-आन्दोलन ही था। भील नेताओं के अग संरक्षक ही तीस हजार थे। बाकियों का क्या कहना ! संथालों के घी, दूध और अन्नादि को बनिये मिट्टी के मोल लेकर नमक, वस्त्र खूब महँगे देते थे। इस प्रकार उनकी सारी जमीन, वर्तन और औरतों के लोहे के जेवर तक ये बनिये लूट लेते थे, ठग लेते थे। मिस्टर हन्टर ने "देहाती वंगाल का इतिहास" में लूट का विशद, पर हृदय-द्रावक, वर्णन किया है। और जब पुलिस वालों ने भी इन बनियों से घूस लेकर उन्हीं का साथ देना शुरू किया, तो फिर इन पीड़ित संथालों के लिये विद्रोह ही एक मात्र अस्त्र रह गया था। उनने उसी की शरण ली। इस तरह हम १८३६ से चलकर १८५५ तक आते हैं और इसीं के बीच में वह संथालों का किसान-आन्दोलन भी आ जाता है। ब्रिटिश मालावार वाले १८२० के विद्राह को लेकर तो हम असहयोग-युग के पूर्व तक पहुँच जाते हैं।

हमें एक चीज इसमें यह भी मिलती है कि धीरे-धीरे यह आन्दोलन एक संगठित रूप की ओर अग्रसर होता है। मोगलों के १८२० वाले संगठन का उल्लेख हो चुका है। दक्षिणी विद्रोह में भी १८३६-४३ वाले मोपला विद्रोह की अपेक्षा एक तरह का सगठन पाया जाता है जिसके कलत्वरूप वे आग की तरह बम्बई प्रेसीडेंसी के एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत तेजी से पहुँच जाते हैं, ऐसा सर बिनोट ने तथा औरों ने भी

लिखा है। मगर १८७५ के बाद यह संगठन धीरे-धीरे सभा का रूप लेता है १८२० में मालाबार में; हालांकि वह भी इक नहीं पाता।

उत्तर और पूर्व बंगाल में नील बोने वाले किसानों का विद्रोह भी इसी सुदूर में आता है। विहार के छोटा नागपुर का टाना भगत आन्दोलन भी असहयोग युग के ठीक पहले जारी हुआ था। १८१० में चम्पारन में निज हो गोरों के विरुद्ध गांधी जी का किसान-आन्दोलन चला और सफल हुआ अपने तात्कालिक लक्ष्य में। गुजरात के खेड़ा जिले में भी उनने किसान-आन्दोलन इससे पूर्व उभी साल चलाया था। मगर वह आधिकांश विफल रहा। अबध में असहयोग से पहले १८२० में बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में चालू किसान-आन्दोलन वहाँ के ताल्लुकेदारों के विरुद्ध था, जिसमें लूट-पाट भी हुई। इस प्रकार के आन्दोलन मुल्कों में जहाँ-तहाँ और भी चले। मगर उन पर विशेष रोशनी डालने का अवसर यहाँ नहीं है।

इनका निष्कर्ष, इनकी विशेषता

असहयोग युग के पूर्ववर्ती आन्दोलनों की विशेषता यह थी कि एक तो चै-आधिकांश असंगठित थे। दूसरे उनको पढ़े-लिखे लोगों का नेतृत्व ग्रास न था। अबध वाले में भी यही बात थी। तीसरे उनने मार-काट का आश्रय लिया। तब तक जनान्दोलन का रहस्य किसे बिदित था! यह भी बात थी कि ये विद्रोह और आन्दोलन पहले से तैयारी करके किये न गये थे। जब किसानों पर होने वाले जुल्म असह्य हो जाते थे और उन्हें अपने ब्राण का कोई दूसरा रास्ता दीखता न था तो वे एकाएक उबल पड़ते थे। फिर तो मार-काट अनिवार्य थी। परिस्थिति उन्हें एतदर्थ विवश करती थी या यो कहिये कि जर्मीदार और शोषक अपने घोर जुल्मों के द्वारा उन्हें इस हिंसा के लिये विवश करते थे। यही उनकी कमज़ोरी थी। इसी से वे दबा दिये गये और विफल से रहे; हालांकि उनका मुन्दर परिणाम किसानों के लिये होकर रहा, यह सभी मानते हैं। कितने ही कानून किसान-हितनेत्री के लिये बने उन्हीं के चलते।

यह ठीक है कि उनमें कुछ को पढ़े-खिलों का नेतृत्व प्राप्त था। इष्टप्रान्त के लिये १६२० बालं मोरला-आन्दोलन को ले सकते हैं। मगर वहाँ भी छिपुट हिंसा की शरण लेने से भयंकर हास हुआ। खिलाफत और पंजाब-कांड के बाद ही होने तथा इनके साथ मिल जाने से भी उसका निदय दमन किया गया। फलतः वह वेकार-सा गया। अहिंसा की प्रचण्ड लहर का युग होने से वह उसी में झुब्रा, यह भी कह सकते हैं।

मगर खेड़ा, चम्पारन और युक्तप्रान्त का प० नेहरू के द्वारा संचालित आन्दोलन शान्तिपूर्ण होने के साथ ही उदात्त नेताओं के हाथों में रहा; यद्यपि संगठित रूप उसे भी नहीं दिया जा सका। फिर भी जनान्दोलन का शान्तिपूर्ण रूप मिल जाने से ही और पांठत नेतृत्व के कारण ही उन सबों को कम-वेश प्रत्यक्ष सफलता मिली। उनके चेत्र और उद्देश्य जितने ही सकुचित या व्यापक थे, और उनमें जैसी शक्ति या तदनुकूल ही उन्हें कम या अधिक सफलता मिली। खेड़ा का आन्दोलन तो जिले भर का था, ठेठ सरकार के विरुद्ध। फलतः उसे उतनी कामयाबी न मिल सकी। चम्पारन वाला या कुछ खास इलाके का, सिर्फ निलहों की नृशंसता एवं मनमानी घरजानी के विरुद्ध। फलतः वह पूर्ण सफल रहा। अवधवाला या लम्बे इलाके के विरुद्ध, जिसमें बहुत जिले आ जाते हैं। युक्तप्रान्त का भी प्रश्न उसने साधारणतः उठाया। इसी से उसकी सफलता बहुत धीमी चाल से आनी शुरू हुई और अब तक भी पूर्णरूप से पहुँच न सकी।

असहयोग के पूर्व किसान-आन्दोलन में जो दृढ़ता न आ सकी और उसे जो पूर्ण संगठित रूप मिल न सका उसके दो बड़े कारण थे, जिसका उत्तेज अब तक किया न जा सका है। एक तो किसान जनता में आत्म-विश्वास न था। सदियों से कुचले, पिसे किसान आत्म-विश्वास खो चुके थे। अतः विश्वासपूर्वक सामूहिक रूप से खम टोक कर अपने उत्तीर्णकों से लह न सकते थे। फलतः एक बार फिसले तो हिम्मत हार गये और चुप्पी मार बैठे। फिर संगठन कैसा ? दूसरे, आन्दोलन चलाने के लिये बहु-संख्यक पठित कार्यकर्ता और नेता भी नहीं प्राप्त दे—ऐसे नेता और कार्य-

कर्त्ता जिन्हें आत्म-विश्वास हो और जो धुन के पक्के हों कि लक्ष्य तक पहुँच कर ही दम लें ।

ये दो मौलिक कमियाँ थीं, जिन्हें असहयोग आन्दोलन ने पूरा कर दिया । १९२१ में बड़ी से बड़ी, शक्तिशाली और शक्त्राक्ष सुसज्जित सरकार को एक बार निहथे किसानों ने कॅपा दिया, हिला दिया । फल-स्वरूप उन्हें अपनी अपार अन्तनिहित शक्ति का सहसा भान होने से उनमें आत्म-विश्वास हो गया कि जब इतनी बड़ी सरकार को हिला दिया, तो जमीदार, ताल्लुकेदार और साहुकार की क्या बिसात ! उन्हें चौं बुलाना तो बायें हाथ का खेल है । असहयोग ने हजारों धनी कार्यकर्त्ता भी दिये जो ऊपर आ गये—मैदान में आ गये । असहयोग की सफलता के मुख्य आधार किसान ही थे, जो पहली बार सामूहिक रूप से कांग्रेस में आये थे । इसीलिये वे तथा उनके लिये कार्यकर्त्ता—दोनों ही—आत्म-विश्वास प्राप्त करके आगे बढ़े ।

यद्यपि ये बातें कुछ देर में हुईं । क्योंकि आत्म-विश्वास और दृढ़ निश्चय के लिये समर और मनन की आवश्यकता होती है । तथापि ये हुईं अवश्य । इसीलिये, और राजनीतिक उलझनों के चलते भी, संगठित किसान-आन्दोलन किसान-सभा के रूप में १९२६-२७ में बिहार में तथा अन्यत्र शुरू हुआ । इतनी देर कोई बड़ी चीज़ न थी । १९२८ बाला बारदोली का आन्दोलन भी इसी का परिणाम था । वह सफल भी रहा ।

इस प्रकार हम आधुनिक संगठित किसान-आन्दोलन के युग में प्रवेश करते हैं । असहयोग आन्दोलन ने हमें—सारे देश को—जो जनान्दोलन का अमली सबक सिखाया और अपार शक्ति हृदयंगम करायी, उसके फलस्वरूप आगे चलकर किसान-आन्दोलन को भी जनान्दोलन का रूप मिला, यह सबसे बड़ी बात थी ।

असहयोग के कारण कांग्रेसी लोग प्रान्तीय कौंसिलों से बाहर रहे । फलतः मद्रास, बम्बई आदि में अब्राहमण दल के मंत्री बने और उनने

अपना प्रभुत्व जमाया। उसे कायम रखने के लिये उन्हें लोगों ने आन्ध्र में आन्ध्रप्रान्तीय रैथन असोसियेशन के नाम से एक किसान-सभा उस समय, १९२३-२४ में बनाई, ऐसा कहा जाता है। मगर उसकी कोई विशेष कार्यशीलता पाई न गई। अलवत्ता विहार में इस लेखक ने अपने कांग्रेसी साथियों के सहयोग से १९२७ में नियमित रूप से, सदस्यता के आधार पर, किसान-सभा की स्थापना पटना जिले में करके धीरे-धीरे १९२८ में उसे विहार प्रान्तीय किसान-सभा का रूप दिया। उस समय विहार की कौंसिल में किसान-हित-विरोधी एक बिल सरकार की ओर से पेश था और जल्दत इस बात की थी कि किसान उसका संगठित विरोध करें। इसीलिये कांग्रेसी नेताओं ने विहार प्रान्तीय किसान-सभा की जरूरत महसूस की और इसीलिये उसका जन्म हुआ। उसमें कांग्रेस के सभी लीडर शामिल थे, सिवाय स्वर्गीय व्रजकिशोर गवृ के। उस सभा का काम लेखक की अध्यक्षता में खूब जोरे से चला और अन्त में सरकार को वह बिल लौटा लेना पड़ा। इस तरह जन्म लेते ही सभा को अभूतपूर्व सफलता मिली। वर्तमान प्रधान मंत्री वा० श्रीकृष्ण सिंह उस समय किसान-सभा के मंत्री थे। आगे चलकर सभा को आरंभ भी संवर्ध करने पड़े। इस प्रकार संवर्गों के बीच वह फूली, फली और सयानी हुई।

सन् १९२८-२९ में ही इलाहाबाद में श्री पुरुषेत्तमदास जी टण्डन की देख-रेख में किसान-आन्दोलन शुरू हुआ था और उसने कुछ काम मो किया। उसके बाद, असहयोग के उपरांत, कांग्रेसजन इस काम में और भी लगे, यहाँ तक कि १९३२ के सत्याग्रह से पूर्व वहाँ की प्रातीय कांग्रेस कमिटी ही एक किसान समिति के द्वाया किसानों में आन्दोलन चलाती रही, तथा जरूरत होने पर उन्हें करवन्दी के लिये भी तैयार करती रही, जिसके फलस्वरूप वहाँ किसानों ने १९३२ के कांग्रेस संवर्ध में करवन्दी को तेजी से चलाया। श्री टण्डन जी ने ही उसी के बाद प्रयाग में “केन्द्रीय किसान संघ” की स्थापना की, जो भावों अंतिम भागतीय किसान-सभा के सूत्रलेख में ही था। पा० नेहल, टण्डन जी प्रभृति

कांग्रेस नेता सदा से महसूस करते थे कि किसान-संगठन कांग्रेस से जुड़ा ही रहना ठीक है। इसीलिये यू० पी० में पहले किसान समिति बनी और पीछे केन्द्रीय किसान संघ का जन्म हुआ।

फिर लखनऊ कांग्रेस के अवसर पर १६३६ में अखिल भारतीय किसान-सभा की नियमित रूप से स्थापना हुई। पहला अधिवेशन वहीं पर लेखक को ही अध्यक्षता में हुआ। यह बात अब महसूस की जाने लगी थी कि संगठित किसान-आन्दोलन को अखिल भारतीय रूप दिये जिन काम चलने का नहीं। इसीलिये यह बात हुई। १६३६ से लेकर १६४३ तक इसका काम चलता रहा और कई गडवड़ी न हुई। १६३६, १६३८ और १६४३ में लेखक इसका अध्यक्ष और शेर वर्षों में प्रधान मंत्री रहा। १६३७ में प्रोफेटर रंगा, १६३६ में आचार्य नरेन्द्रदेव, १६४० में बाबा सोहन सिंह भखना, १६४२ में श्री इन्दुलाल यात्रिक अध्यक्ष थे।

उसके बाद काम्यनिष्ठों की नीति ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि वे अकेले रह गये और शेर सभी प्रगतिशील विचार वाले वामपक्षी उनसे जुड़ा हो गये। कुछ दिन यों हा गुजरे। इसी दर्मान १६४२ के राजबन्दी जेतों से बाहर आने लगे और १६४५ के मध्य से ही आज इंडिया किसान-सभा के पुनः संगठन का काम लेखक तथा टरड़न जी के अधक उद्योग से शुरू होकर गत ६ जुलाई १६४६ को बम्हई में “हिन्द किसान-सभा” के नाम से गुनरायि उसका संगठन हो गया है। उसके समाप्ति श्री पुरश्वेत्तम दास जी टरड़न और संगठन मंत्री यह लेखक हैं। अन्यान्य मंत्रियों तथा मेम्बरों को मिजाकर २५ सज्जनों की कमिटी भी बनी है, जिनमें चार सदस्य अभी तक चुने नहीं गये हैं।

संक्षेप में भारतीय किसान-आन्दोलन का यही क्रमबद्ध विकास है, यही उसकी रूप-रेखा है। भारत के विभिन्न प्रान्तों में उसकी शाखाएँ हैं, जिनमें कुछ तो सक्रिय हैं और कुछ शिथिल। परन्तु सभी को पूर्ण सक्रिय बनाने का भार संगठन-मंत्री पर दिया गया है। वह हर महान्

कार्य में पूर्णतः संलग्न भी है। आज भारत के कोने-कोने में किसान संगठन की पुकार है, तेज आवाज है और यह शुभ लक्षण है।

[ब]

किसान-सभा किसानों की वर्ग संस्था है। वर्ग से अभिप्राय है आर्थिक वर्ग से, न कि धार्मिक या जातीय वर्ग से। किसान वर्ग के शत्रुओं, जमींदार-मालदारों से किसानों की रक्षा करना और उनके संगठित प्रयत्न के द्वारा उनके दृकों को हासिल करना इस सभा का ध्येय है। जब तक सभी प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक शोषणों का अन्त होकर वर्ग-विहीन समाज नहीं बन जाता तब तक यह लक्ष्य हासिल नहीं होगा। फलतः इस ध्येय का, इस लक्ष्य और मक्सद का पर्यवसान इस वर्ग-विहीन समाज में ही होता है जिसमें मनुष्य का शोषण मनुष्य न कर सके, सबों को अपने सर्वांगीण विकास की पूरी सुविधा हो और इस प्रकार मनुष्य मात्र की सारी बलरत्नों की पूर्ति निरावध और वेष्टके होती रहे।

इसीलिये सभी जाति, धर्म और सम्प्रदाय के उन लोगों की यह संस्था है जिन्हें खेती करनी पड़ती है, जो खेतिहार हैं और प्रधानतया खेती करे चिना जिनकी जीविका नहीं चल सकती है। इस प्रकार खेत-मजदूरों की भी संस्था यह किसान-सभा है। खेत-मजदूर किसानों के भीतर आ जाते हैं। वेद्यरथ्रसंलग्न किसान हैं, जमीन जोतने-बोने वाले हैं, (tillers of the Soil) हैं। फिर वे किसान वर्ग से पृथक् कैसे रह सकते हैं? यह भी नहीं कि खेत-मजदूर, हरिंजन, अचून या किसी धार्मिक सम्प्रदाय विशेष के भीतर श्राते हैं। आज परिस्थिति ऐसी है कि हर साल पूरे नौ लाख से भी ज्यादा किसान अपनी जोत-जमीन गँवा कर, चिना खेत के या यों कहिये कि खेत-मजदूर बनते जा रहे हैं और वे सभी जातियों और धर्मों के हैं। उनमें कुछी लोग दूसरी जीविका कर पाते हैं। अधिकांश खेत-मजदूर ही बनते हैं—अधिकांश को मजबूर खेत-मजदूर ही बनना पड़ता है।

धार्मिक और जातीय आधार पर किया मर्यादा मनुष्यों का वर्गीकरण धोका देता है और भूठा है, गलत है। कानून की नजरों में टेनेन्ट या किसान मात्र के हक समान ही है, फिर चाहे वह किसान, मुसलमान, हिन्दू आदि कुछ भी क्यों न हो; ब्राह्मण, शूद्र, शेष, पठान वगैरह क्यों न हों। जर्मांदारों के हक की भी यही हालत है। अपने-अपने हकों की लड़ाई भी इसी दृष्टि से होती है। न तो कोई हिन्दू जर्मांदार हिन्दू किसान के साथ रिआयत करता है और न मुसलमान मुसलमान के साथ। चाहे किसी भी धर्म का किसान वयों न हो, उसके विश्व सभी हिन्दू-मुसलमान जर्मांदार एक हो जाते हैं, एक ही आवाज उठाते हैं। जर्मांदारों के खिलाफ सभी धर्म, जाति और सम्प्रदाय के किसानों को भी ऐसा ही करना चाहिये, ऐसा ही करना होगा। इसी तरह एक और संगठित होकर अपनी आवाज बुलन्द करनी होगी और हक के लिये मिलकर लड़ना होगा। यही वर्ग संस्था के मानी हैं और यही संगठन किसान-सभा है। जब तक किसान एक सूत्र में बँधे नहीं हैं, संगठित नहीं हैं, तब तक अपने वर्ग के शत्रुओं के विरुद्ध वे जो कुछ भी चीख-पुकार करते हैं वह निरा आन्दोलन कहा जाता है। मगर ज्योही वे एक सूत्र में बँध कर यदी काम करते हैं त्योही उसका नाम किसान-सभा हो जाता है। जितना ही जर्ददत्त उनका यह एक सूत्र में बँधना होता है उतनी ही मजबूत यह किसान-सभा होती है। इसमें उनके भी वर्ग शत्रुओं और उन शत्रुओं के मददगार साथियों के लिये कोई भी गुंजायश नहीं है। क्योंकि तब यह वर्ग संस्था रहेगी कैसे? संस्था तो गढ़ है न। फिर उसमें शत्रु या उनके संगी-साथी कैसे घुसने पायेंगे? घुसने पर तो वह गढ़ ही शत्रुओं का हो जायगा और जिस कार्य के लिये वह बनाया गया था वही न हो सकेगा।

जिस प्रकार चूहे और चिल्डी के दो परत्पर विरोधी वर्ग हैं और एक वर्ग दूसरे को देखना नहीं चाहता, चूहे चिल्डी को और वह चूहों को खत्म कर देना चाहती है, ठीक वही बात जर्मांदारों और किसानों की भी है। वे एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं। चाहे किसान परिवार भूखों मर-

जाय, द्वा के चिना और कपड़े के अभाव में कराहता फिरे; फिर भी उसी की कमाई पर गुलछर्एं उड़ाने वाले जमीदार उसके साथ जरा सी भी रिआयत करने को खादार नहीं होते, एक कौड़ी भी लगान या अपने पात्रने में छोड़ना नहीं चाहते। सैलाब या श्रावावृष्टि से फसल खत्म हो गई और महाजनों से कर्ज लेकर किया हुआ किसान का सारा खर्च मिट्टी में मिल गया। फिर भी जमीदार अपना लगान बाई पाई बसूल करता ही है। और न्यायालय भी उसी की मदद करते हैं। किसान की फर्ज ग्रनथुनी कर दी जाती है। विपरीत इसके यदि किसान के पास रुपये-पैसे हों तो भी वह जमीदार को एक कौड़ी भी देना नहीं चाहता, अगर उसके बस की बात हो। यदि देता है तो विवश होकर ही, कानून और लाठों के डर से ही। वह दिल से चाहता है कि जमीदार नाम का जीव पृथ्वी से मिट जाय। जमीदार भी किसान से न सिर्फ लगान चाहता है, बरन् उसकी सारी समीन किसी भी तरह छोन कर खुदकाशन-ब्रकाशन बनाना और अपने कब्जे में रखना चाहता है। इससे बढ़कर पत्तर चर्ग-शत्रुता और दशा हो सकती है। फलतः जैसे जमीदारों ने अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए जमीदार सभायें अनेक नामों से मुद्रत से बना रखी हैं और उन्हीं के द्वारा अपने हक्कों के लिये त्रै लड़ते हैं; ठोक उसी तरह किसानों के वर्ग-हित की रक्षा के लिये किसान-सभा है, की जल्लत है, किसान-सभा चाहिये। तभी उनका निस्तार होगा। जमीदार तो मालदार और काइर्याँ होने से चिना अपनी सभा के भी अपनी दित्तरक्षा कर सकते हैं। वह चालाकी से दूसरी समाजों में घुसकर या उन पर अपना असर ढाल कर उनके जरिये भी अपना काम बना सकते हैं। रुपया-पैसा, अङ्क और प्रभाव क्या नहीं कर सकते! मगर किसान के पास तो इनमें एक चीज भी नहीं है। इसीलिये किसान-सभा जल्ली है।

कहा जाता है कि जब श्रीग्रंजी से लड़ने और उन्हें पछाड़ने के लिये काग्रेस मीटू ही है और उसके ६० फीसदी मेम्बर किसान ही हैं, तो पित उससे जुड़ी किसान-सभा बयों बने। वह भी नहीं कि काप्रेस किसानों के

लिये लड़ती न हो । फैजपुर वाला उसका किसान-कार्य-क्रम (Agrarian programme) और हाल में जर्मींदारी मिटाने का उसका निश्चय इस भारत के ज्वलन्त प्रमाण हैं कि वह किसानों की अपनी संस्था है । यदि उसमें जर्मींदार या उनके मददगार भी हैं तो इससे क्या ? वह फिक्क तो रखती है किसानों के लिये । यदि कहा जाय कि कांग्रेस कमिटियों पर ज्यादातर कब्जा और प्रभुत्व मालदारों का ही रहता है, तो यह भी कोई बात नहीं है । यह तो किसानों की भूल है, उनकी नादानी है कि चुनावों में चूकते हैं । जब अधिकांश कांग्रेस-सदस्य वही हैं तो फिर सजग हो के चुनाव लड़े और सभी कमिटियों पर कब्जा करें । जब देश के लिये कांग्रेस के द्वारा लड़ने-मरने वाले अधिकांश किसान ही हैं तो फिर कांग्रेस उनकी नहीं तो और किसकी है, किसकी हो सकती है । इसीलिये मानना ही होगा कि कांग्रेस ही सबसे बढ़कर किसानों की संस्था है, किसान-समा है—
Congress is the Kisan organisation par excellence.

ऊर से देखने से बात तो कुछ ऐसी ही मालूम पड़ती है । यह सही है कि कांग्रेस ने जर्मींदारी मिटाने का निश्चय किया है । इससे पहले किसान-हित के प्रोग्राम भी उसने बनाये हैं । आगे भी वह ऐसा करेगी, इसमें भी विवाद नहीं । वह प्रगतिशील संस्था है, यह भी मानते हैं । तभी तो प्रतिदिन बदलती दुनिया में वह टिक सकती और आजादी का सफल संग्राम चला सकते हैं । इसीलिये किसान उस कांग्रेस से चिपकते हैं, उन्हें उससे चिपके रहना चाहिये जब तक जंगे आजादी जारी है और हम स्वतंत्र नहीं होते । कांग्रेस कमज़ोर हुई कि आजादी की आशा गई । गुनामी के विरुद्ध समस्त राष्ट्र के विद्रोह की प्रतीक और प्रतिमूर्ति ही कांग्रेस है । आजादी के लिये सारे देश की छढ़ प्रतिज्ञा और वेचैनी का बाहरी या मूर्च्छ रूप ही कांग्रेस है । राष्ट्रीयता ने हममें हरेक की रगों में प्रवेश किया है, हमारे खून में वह ओत-प्रेत है । वह हमारी रग-रग में व्याप्त है । यह राष्ट्रीयता (जितनी ही व्यापक और संश्वर्ष के लिये बाकुल-लालायित (militant) होगी, आजादी,

हमें उतनी ही शीघ्रता से मिजेगो। इसीलिये हर किसान को इस राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत होना हा और कांग्रेसी बनना ही चाहिये ताकि हमारा मुल्क ज़ज्ज़द से ज़ज्ज़र पूर्ण स्वतंत्र हो। गुलाम भारत में किसान-राष्ट्र या समाज-चाद की आरा महज नादानी है।

इस प्रकार जब किसान कांग्रेस को शक्तिशाली बनायेंगे सीधी लड़ाई के द्वारा और चुनावों में मत देकर भी, तो इसके बदले में कांग्रेस को भी उनका खयाल करना ही होगा। और उनके हक्कों के लिये समय-समय पर लड़ना ही होगा। इन कार्यकर्ताओं और जमींदारों मिटाने की बात मान कर कांग्रेस यही करती भी है। कांग्रेसी नेता खुब समझते हैं कि यदि वे ऐसा न करेंगे और जमींदारी न मिटायेंगे, तो उन्हें खुर मिट जाना होगा, उनकी लीडरी जाती रहेगी और कांग्रेस भी खत्म हो जायेगी। वह ठोस सत्य है। राष्ट्रीयता सर्वथा उगादेय और सुन्दर चीज होने पर भी वह भावुकता की वस्तु है, भावना और दिमाग की चोज है, महज खयाली पदार्थ है। वह कोई ठोस भौतिक पदार्थ नहीं है, ठीक जिस प्रकार धर्म, ईश्वर और स्वर्ग-नर्क आदि हैं। ये भी महज खयाली हैं। इसीलिये समय-समय पर भौतिक पदार्थों—जर, जोरु, जमीन के सामने ये टिक नहीं सकते, इनकी अवहेलना होती है और लोग जमीन-जायदाद के लिये गंगा-तुलसी, कुरान-पुरान आदि उठाकर झूटी कसमें खाते हैं। इसी प्रकार भौतिक हितों के निरन्तर विरोध में यह राष्ट्रीयता टिक नहीं सकती, इसे मिट जाना होगा। यही बजह है कि कांग्रेसी लीडर किसानों के भौतिक हितों की बातें समयानुसार करते रहते हैं। भावनामय कोरी राष्ट्रीयता भौतिक स्वार्थों को साथ लेकर ही टिक सकती है, लक्ष्य-सिद्धि में कामयाव हो सकती है। यदि इन भौतिक स्वार्थों को वह छोड़ दे या उनसे टकरा जाय, तो उनके लिये भारी खतरा वेश क पैदा हो जायगा।

मौत बुरी है, बड़ी खतरनाक है। उसके मुकाबिले मैं जूने की काँटी का चुभना कोई चीज नहीं है। फिर भी मौत से बचने के लिये कोई शायद ही किकमन्द दीखता है। मगर काँटी के कष्ट से बचने का यत्न सभी करते

है। यही ठोस सत्य है और हम इसे भुलाकर भारी घोका खायँगे। ठीक राष्ट्रीयता को भी इसी तरह भारी घक्का लगे, अगर वह किसानों की तात्कालिक माँगों और तकलीफों का ख्याल करके उनके सम्बन्ध में अपना प्रोग्राम स्थिर न करे। राष्ट्रीयता को अमली और व्यवहारिक जामा पहनना ही होगा और भौतिक दुनिया को देखकर ही चलना होगा। तभी वह पूर्ण स्वतंत्रता के युद्ध में सफल होगी। यही बजह है कि राष्ट्रीय नेता जर्मींदारी मिटाने की बातें करते और जर्मींदारों के गुस्से का सामना करते हैं। इसमें उनकी चालाकी और व्यवहार-कुशलता की माँकी मिलती है।

यह भी न भूलना होगा कि फ्रांस में जर्मींदारी का खात्मा नेपोलियन जैसे साम्राज्यवादी के हाथ से हुई। उसे कोई नहीं कह सकता कि किसान मनोवृत्ति का था, या उसकी संस्था किसान-संभा जैसी थी। उसकी सरकार ओर अनुदार, पर दूरदेश थी। उसने देखा कि फ्रांस के प्राचीन राजधाने के लोग दो दलों में विभक्त होकर एक जर्मींदार घर्ग का समर्थक हैं तो दूसरा मध्यमवर्ग, बूर्जुवा या कल-कारखाने वालों का। किसानों का 'पुर्सा' किसी को न पा उसने जर्मींदारी मिटाकर उन्हें अपने साथ किया और फौज में किसान युवकों को भर्ती करके महान् विजयों के द्वारा साम्राज्य-विस्तार किया। इसमें उसकी व्यवहार-कुशलता एवं दूरदेशी के सिवाय और कुछ न था। वह न तो किसान था और न किसान-मनोवृत्ति का, और इसका पता एक मुद्रत गुजरने पर किसानों को तथा दुनिया को भी लंग गया जब उसी के बनाये "नेपोलियन वाले कानूनों" के द्वारा उन्हीं किसानों की जमीनें घड़ाघड़ बैंकों एवं महाजनों के पास चली गईं। संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की सरकार ने तो वहाँ जर्मींदारी प्रथा होने ही न दी और अधिकांश किसानों को, विशेषतः पश्चिमी भाग में, मुक्त जमीनें दी। यह बात लेनिन की चुनी लेन्माझा के अँगेजी संस्करण के बाहर भाग के १६४ पृष्ठ में स्पष्ट लिखी गई है। अन्यान्य देशों में भी अनुदार या दकियानूस दल वालों ने ही जर्मींदारी मिटाई है।

दरअेसल देशों में उद्योग-धन्धों की अवाधि प्रगति के लिये जिस

कच्चे माल की प्रचुर परिमाण में जरूरत होती है उसके उत्पादन में यह जमींदारी प्रथा वाधक होती है। यह प्रथा भूमि की उत्पादन शक्ति को बेड़ी की तरह जकड़ने वाली मानी जाती है। फलतः मध्यमवर्गीय मालदार ही इसका उन्मूलन करते हैं और भारत में भी “बम्बई-पट्टिं” (Bombay Plan) के प्रचारक एवं निर्माण-कर्ता, ताता, बिहारा आदि करोड़पतियों ने ही जमींदारी मिटाने की आवाज गत महायुद्ध के जमाने में ही बुलन्द की थी। पीछे चलकर कांग्रेस नेताओं ने उसे ही माना है। और ताता-बिहारा का सगठन कोई किसान-सभा नहीं है, यह सभी जानते हैं। अतः जमींदारी मिटाने की बात इसका प्रमाण नहीं है कि कांग्रेस किसान-सभा बन गई। हाँ, यदि क्रान्तिकारी ढंग से जमींदारी मिटाने की बात वह बोलती और बैसा ही करती, जैसा सोवियत रूस में हुआ, तो एक बात थी। तब ऐसा सोचा जा सकता था; हालांकि फ्रांस में क्रान्तिकारी ढंग से ही ऐसा होने पर भी उसके कराने वाले किसान-विरोधी ही सिद्ध हुए। क्रान्तिकारी तरीके के मानी ही हैं जवर्दस्ती जमीनें और जमींदारों का सारी सम्पत्तियाँ छीन लेना और उन्हें राद का भिखारी या महाप्रत्यान का यात्री बना देना।

यह भी सोचना चाहिये कि कांग्रेस तो १९३६-३७ ताले चुनावों में भी पड़ी थी। उसी समय उसने फैजपुर का एक अत्यन्त लचर कार्यक्रम भी इसी सिलसिले में स्वीकार किया था, पर वह भी कांग्रेसी-मंत्रि-मंडलों के बनने पर सर्वत्र खटाई में ही पड़ा रह गया। प्रत्युत युक्तप्रान्त में ऐसा काश्तकारी कानून बनाया उन्हीं मंत्रियों ने जिसके चलते गत महायुद्ध के जमाने में, सरकारी वयान के अनुसार ही, पूरे दस लाख एकड़ जमीनें किसानों से जमींदारों ने छीन ली और किसानों में हादाकार मच गया। उसी का प्रायश्चित्त इस बार वहाँ कांग्रेसी मंत्रियों को करना पड़ा रहा है। बिहार में भी ऐसी ही बातें होने वाली थीं। मगर यहाँ किसान-सभा की जागरूकता और उसके प्रबल शान्दोलन ने बहुत कुछ रोका। किर भी बहुत कुछ अनर्थ हो गये। यदि कांग्रेस ही किसान-सभा होती, तो क्या ऐसा होता? उलटे बिहार की किसान-सभा को कांग्रेसी-मंत्रियों और लीदरों

ने इसीलिये कोसा कि वह कांग्रेस विरोधी है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि इस निर्जीव और लचर किसान-कार्यक्रम को जगह उसी समय कांग्रेस ने जमींदारी मिटाने का प्रोग्राम क्यों न कबूल किया था? क्या पहले वह दूसरी थी और आज बदल गई?

दरअसल उस समय किसान-सभा ऐसी जोरदार न थी और उसने भी जमींदारी मिटाने का प्रश्न अभी तेज बना न पाया था, जिससे कांग्रेस पर उसका दबाव पड़ता और वह उसे मानने को मजबूर होती। तब समय का रख ऐसा बेढ़ंगा न था इस जमींदारी के बारे में। तब कांग्रेस का आधार-स्तम्भ किसान-समाज में जमींदारी के मिया देने के बारे में ऐसी भी प्रश्न मनोवृत्ति न थी जैसी आज है। उनमें इसके प्रति ऐसा रोष-ज्ञाम न था जो आज है। फलतः उसके मिटाने का प्रश्न न उठाकर भा कांग्रेस उस समय किसानों को अपने साथ ले सकती थी। इसी से उसने न करके कांग्रेस का ठिकना या किसानों का अपने साथ ले सकना असंभव है। इसीलिये पूरे दस साल बाद उसने जमींदारी मिटाने की बात अपनाई है। सो भी मुश्वाविजा या कीमत देकर।

इससे कई बातें सिद्ध होती हैं। एक यह कि कांग्रेस ने खुद ऐसा न करके किसान-सभा, किसान-आन्दोलन और किसानों के दबाव से ही ऐसा किया है या यो कहिये कि उसने समय का रख पहचाना है। इससे उसकी और उसके नेताओं की अवसरवादिता सिद्ध होती है, जो वेशक किसान-सभा या किसान नेता होने का लक्षण कदापि नहीं। किसानों का हित तो १६-३६-३७ में ही पुकारता था कि जमींदारी मिटाओ।

इससे किसान-सभा और कांग्रेस का मौलिक एवं बुनियादी भेद भी सिद्ध हो जाता है। जहाँ किसान-सभा अर्थनीति और आर्थिक कार्यक्रम को राजनीति के द्वारा देखती हुई उसे साधन और आर्थिक बातों को, अर्थनीति को साध्य मानती है, और इसीलिये राजनीतिक हार-जीत की वैसी पर्यान करके सदा किसानों की आर्थिक बातों को ही देखती रहती है और वैसा ही कार्यक्रम चाहती है, तहाँ कांग्रेस राजनीति को ही अर्थनीति के

द्वाग, इसी आहने में देखती है। फलतः उसके लिये ये आर्थिक बातें तथा प्रोग्राम साधन हैं और राजनीति साध्य या लक्ष्य। यही वजह है कि जनव्र १९३६-३७ में मामूली आर्थिक प्रोग्राम से ही उस राजनीतिक चुनावों में जीत संभव थी तो उसने वैसा ही प्रोग्राम बनाया। लेकिन इस बार वैसा संभव न देख जर्मीदारी मिटाने की बात उठाई।

सारांश, हर हालत में किसानों को साथ लेकर उसे राजनीति में सफल होना है। फलतः उनका हित कांग्रेस लीडरों का लक्ष्य न होकर साधन मात्र है। किसान-हित की बातों और वैसे कामों के द्वारा वे अपना मतलब निकालना चाहते हैं। यह बात किसान नेताओं एवं किसान-सभा में नहीं हो सकती। उनका तो काम ही है किसानों के हित को ही अपना अन्तिम लक्ष्य बनाना और आगे बढ़ाना और इस प्रकार एक न एक दिन उसी रास्ते राजनीति में भी विजयी होना।

दूसरी बात यह है कि यदि कांग्रेस से जुटा स्वतंत्र रूप से कोई किसान-आन्दोलन और किसान-सभा न हो तो फिर कांग्रेस पर दबाव किसका पड़ेगा। आज जो कांग्रेस प्रगतिशील मानी जाती है वह इसीलिये न, कि वह समय की गति पहचान कर तड़नुमार ही कदम बढ़ाती है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है, उसमें यह गुणायश है, यही उसकी जान और शान के लिये बड़ी चीज है। मगर, अगर दबाव न हो तब? तब तो वह टकियानूम ही बन जाय, उसकी प्रगति जाती रहे और वह निर्जीव हो जाय, जैसी नरम दलियों की संस्थायें हैं। ऐसी दशा में आजादी के संग्राम में पूर्ण सफलता की आशा ही जाती रहे। इसीलिये कांग्रेस की प्रगतिशीलता एवं लक्ष्य की सफलता के लिये भी जिस किसान दबाव की संख्त जल्दत है, उसके लिये स्वतंत्र किसान-सभा का होना नितान्त आवश्यक है। क्योंकि तभी किसान-हित की दृष्टि से स्वतंत्र आन्दोलन करके ऐसा वायुमंडन बनाया जा सकता है जिसका दबाव कांग्रेस पर यह और वह प्रगतिशील कार्यक्रम बनाकर किसान समूह को अपनी ओर खीचे। इसके अभाव में वह नरम दलियों एवं लिवरलों की तरह

निर्जीव प्रोग्राम बनाकर किसानों को अपने साथ अन्ततोर्गत्वा ले चलने में समर्थ नहीं हो सकती, यह ध्रुव सत्य है।

यदि किसान-सभा स्वतंत्र न होकर कांग्रेस का ढंग या उसका एक विभाग मात्र हो तो वह न तो स्वतंत्र आन्दोलन ही कर सकती और न वैसा प्रचंड वायुमंडल ही बना सकती, जो कांग्रेस पर दबाव डाल कर उसे आगे बढ़ाये और प्रगतिशील बनाये। वयोंकि ऐसी किसान-सभा कांग्रेस के निश्चय का ही मुँह देखेगी और तदनुसार ही चलेगी अनुरागन के ख्याल से। वह स्वतंत्र रूप से कोई भी काम या आन्दोलन कर नहीं सकती।

और आखिर यह मुआविजा क्या बला है? क्या इससे किसानों का लाभ है? क्या यह किसान-हित की दृष्टि से दिया जाने को है? साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि यह तो किसानों के भविष्य को पहले से ही मुस्तगर्क करना या जकड़ देना है। उनके भविष्य को पहले से ही वाधक रख देना है। आगे चलकर उनके लिये यह बड़ा रेहड़ा सिद्ध होगा। आखिर ये रूपये किसानों से ही तो बसूल होंगे। आज जो भी कर्ज इस मुआविजे को चुकाने के लिये तरकार लेगी उसका भार किसानों पर ही तो पड़ेगा, वह उन्हीं से तो सद्द के साथ बसूल होगा। जो भी रूपया कर्ज लेकर या सरकारी खजाने से दिया जायगा वही अगर किसान-हित के कामों में खर्च होता तो वे कितने आगे बढ़ते? यही रूपये यदि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य-मुधार, ग्रामीण सड़कों, सिंचाई, खेती की तरकी, मार्केटिंग के प्रबन्ध आदि में खर्च हों तो सचमुच किसान प्रगति की छलांगें मारने लगे। यही बजह है कि किसान-सभा इस मुआविजे की सख्त मुखालिफत करती है।

कहा जावा है कि किसान-सभा ने १९३७ में बने कांग्रेसी-मंत्रि-मंडलों को काफी परेशान और बदनाम किया। मगर यही तो कहने का भहा तरीका है। विरोध का सदा स्वागत किया जाता है। जब तक विरोध न हो ठीक रास्ते पर कोई नहीं चलता। विरोधी ही अधिकारारूढ़ दल की कमज़ोरियों को बताकर उन्हें सँभलने का हमौका देते हैं। यदि मोटर और इंजिन में ब्रेक न हो तो पता नहीं मोटर और रेल कहाँ जा गिरें? और आखिर यह

ब्रेक है क्या चीज़, यदि विरोध, रुकावट या 'अपोजीशन' नहीं है ? उन दिनों किसान-सभा ने कांग्रेसी मंत्रियों को क्या गिराना या पदच्युत करना चाहता था ? क्या इसका कोई प्रमाण है ? उसने तो सिर्फ़ खतरे और खासियाँ सुझाकर मंत्रियों को समय समय पर सजग किया कि सँभल कर काम करें, जमींदारों के माया-जाल और चकमे में पड़कर पथ-भ्रष्ट न हों। फलतः मंत्री लोग सँभले जरूर और इस तरह किसानों को अपने साथ रख सके। आखिर तेली के बैल की तरह किसानों की आँखें मँद कर हमेशा के लिये रखी नहीं जा सकती थीं। वे छुलती कभी न कभी जरूर और कांग्रेस के लिये बुग होता। यदि अपने आप खुन्तां या यदि कहीं वांग्रेस के शत्रु खेलते तो तब तो भारी खतरा होता। किसान-सभा ने इन दोनों से कांग्रेस को बचाया। फलतः इसके लिये उसका कुनज्ज होने के बजाय यह उलाहना और गुस्सा है। उसने मित्र का काम किया। फिर भी यह नाराजी है।

यह भी बात है कि राष्ट्रीय संस्था होने के नाते कांग्रेस सभी वर्गों की संस्था है। उसमें सभी वर्ग शारीक हैं, वह सभी दलों और धेरेण्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यही उसका दावा है। यही चाहिये भी। तभी सभी वर्ग के लोग उससे चिन्हेंगे, उसे अपनी संस्था मानेंगे और फलस्वरूप उसे मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसी दशा में वह किसानों की संस्थाया सभा कैसे हो सकती है ? वह केवल एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती है ? यह तो उसकी कमज़ोरी का सबसे बड़ा कारण होगा; कारण, तब जमींदार, मालदार आदि दूसरे वर्ग उसका न सिर्फ़ साथ न देंगे, प्रत्युत उसके बांहे शत्रु हो जायेंगे। जमींदारी मिटाने का प्रश्न जो मुआविज़ा देकर उठाया गया है, उसका भी यही तार्त्त्व है। जमाना बदल रहा है और अपार धन-सम्पत्ति लेकर जमींदार उसे उद्योग-धन्वों में लगायेंगे और मालामाल होंगे। जमीन से होने वाली एक बँधी-बँधाई आमदनी की जगह कल-कारखानों से होने वाली उत्तरोत्तर वृद्धिशील आमदनी होंगी। इन जमींदारों को, फिर चाहिये क्या ? उस दशा में जमींदार कांग्रेस के शत्रु क्यों नहें ? यदि वे विरोध करते हैं तो या तो नादानी से या यह उनकी

चालचाजी हैं। ऐसा न करते तो शायद किसानों के दबाव से कांग्रेस उन्हें मुआविजा भी न देती। आखिर कांग्रेस दल में अधिकांश जमीदार-मालदार और उनके संगी-साथी ही तो हैं। किसान-मनोवृत्ति के हैं किन्तु एम० एल० ए० ? और यही लोग जमीदारी मिटाने की बात इस रूप में समर्थन करते हैं। तो क्या वे सनक गये हैं !

ऐसी दशा में न तो वह किसान जैसे एक वर्ग की संस्था बन सकती और किसान-सभा कांग्रेस के अधीन या उसकी मातृत्वी में ही रह सकती है, रखी जा सकती है। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। जब कभी किसान-सभा किसान-हितों के लिये जमीदारों से भिड़ना चाहेगी, तभी कांग्रेस के अनुशासन की नंगी तलबार उस पर आ गिरेगी। उसे कांग्रेस का रुख देखकर ही प्रातगल चलना होगा। कांग्रेस का मुख्य काम है विभिन्न वर्गों के स्वार्थों का सामज्ज्ञस्य रखना और ऐसा करते हुए ही आगे बढ़ना। वह तो एक वर्ग को दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करने देना नहीं चाहता, नहीं चाहेगी। वह होगा वर्ग-युद्ध या श्रेणी-संघर्ष और वैसा होने पर वांग्रेस को किसी एक वर्ग का साथ उसमें देना ही पड़ेगा। फलतः उसका राष्ट्रीयता जाती रहेगी। जिस वर्ग के विपरीत दूसरे का साथ देगो वह उसे हट जायगा। यह हटना समय-समय पर होता ही रहेगा, कारण, वर्ग-संघर्ष एक ही बार न होकर बार-बार होंगा। तब उसकी राष्ट्रीयता कैसे निभेगी और सभी वर्गों को संस्था होने का सफल दावा वह कर सकेगी कैसे। इसी से उसे वर्ग-सामज्ज्ञस्य का गत्ता पकड़ना ही है। वह यही करती भी है। अतएव उसकी मातृत्व किसान-सभा का या उसके किसान-विभाग को भी यही करना होगा। उसे भी वर्ग-सामज्ज्ञस्य की माला जपना होगी। फिर भी उसे किसान-सभा का नाम देना उसका उपहास करना है, जब तक कि स्वतंत्रपूर्वक यह किसान-हितों के लिये संघर्ष न कर सके, ऐसा करने की पूरा अज्ञानी न हो।

कहा जा सकता है कि इस वर्ग-सामज्ज्ञस्य की नीति के फलत्वरूप जमीदार वर्ग की भी हित-हानि हो सकती है। क्योंकि उनके लिये भी तो,

कांग्रेस कभी संघर्ष न करेगी। तब घबराहट वयो ! बात ऊपर से ठीक दीखती है। मगर असलियत कुछ और ही है। कभी किसी ने देखा-सुना ही नहीं कि कांग्रेस जर्मीदार सभा को भी अपनी मातहती में रखे या अपका एक जर्मीदार-डिपार्टमेन्ट खोले। उसका यत्न तो केवल किसान-सभा को ही न होने देने तथा अपने मातहत रखने में है। मजदूर-सभा की भी स्वतंत्र सत्ता वह स्वीकार करती है और जर्मीदार-सभा की भी। पूँजीपतियों की सभा का तो कुछ कहना ही नहीं। बल्कि यो कहिये की पूँजीपतियों एवं जर्मीदारों की सभाएँ कांग्रेस की पर्वा भी नहीं करती हैं। वह अपना स्वतंत्र कार्य किये जाती हैं। इसीलिये कांग्रेस के वर्ग-सामजिक्य वाले सिद्धान्त से उनकी हानि नहीं होती, नहीं हो सकती। उनकी संस्थायें निरन्तर लड़ती जो रहती हैं। बस, सारी बला किसानों पर ही आती है, आने वाली है। क्योंकि उनकी स्वतंत्र संस्था रहने न पाये इसी के लिये कांग्रेसी नेता परीशान रहते हैं और इस तरह किसान-सभा को पनपने नहीं देते। तब किसानों के हित चौपट न हों तो होगा क्या ? वे सभी वर्ग संस्थाओं को समान रूप से पनपने न देते तो एक बात थी। मगर सो तो होता नहीं। ऐसी दशा में कांग्रेस के अधीन किसान-सभा का ढाँचा खड़ा करना निरी प्रवंचना है। दरअउल कांग्रेस में जर्मीदारों का प्रभुत्व ठहरा और वह इसी ढंग से किसानों को उठने देना नहीं चाहते। यह उनकी चाल है कि अनेक वर्गाय संस्था के अधीन किसानों की वर्ग संस्था को बनाने का ढोग रचकर उन्हें सदा पंगु ही रखें। पहले तो किसान-सभा के नाम से ही नाक-भौं सिकोड़ते थे। मगर उससे कुछ होता जाता न देख अब यह दूसरा प्रपञ्च खड़ा किया जा रहा है।

कहा जा सकता है कि कांग्रेस में दूसरे वर्ग—जर्मीदार, पूँजीपति और मजदूर—नगएय से हैं; फलतः वे अपनी अलग सभायें बनाकर भी कांग्रेस का कुछ विगाड़ नहीं सकते जब तक किसान कांग्रेस के साथ हैं। हीं, यदि किसान भी अलग हों तो मारी खतरा होगा और उनकी स्वतंत्र संस्था—किसान-सभा—बन जाने में इसकी पूरी संभावना है। किसानों ने

यदि कॉम्प्रेस को छोड़ा तो उसकी जड़ ही कट जायगी।

लेकिन यह कोई दलील नहीं है, यदि किसान-सभा का संचालन कांग्रेस-जन ही करें तो क्या इर्ज़ है ? तब किसानों को उसके विषद जाने का मार्ग कौन सिखायेगा ? क्या वही कांग्रेसी ही ? यह तो विचित्र बात है। और अगर यह बात हो तो आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनायेगी ? किसानों को सदां कांग्रेस की दुम में बाँध रखना असंभव है। संसार में और भारत में भी वर्ग संस्थायें हैं, यह ठोस सत्य है। फिर किसान इससे अछूते रहें, उन्हें यह वर्ग संस्था की इवा न लगे, यह गैर-मुमकिन है। परिणाम यह होगा कि अभी तो कांग्रेस-जन ही वह वर्ग संस्था बना सकते हैं, बनाते हैं। मगर पीछे कांग्रेस के विरोधी बना के ही दम लैंगे और ये कांग्रेसी लीडर उनका कुछ करने सकेंगे। फलतः कांग्रेस-विरोधियों का प्रभुत्व किसान-सभाओं पर न हो,।।। सर्क यही देख-भाल कांग्रेस की दृष्टि से अवश्य की जानी चाहिये जब तक श्राजादी की लड़ाई जारी है और मूल्क स्वतंत्र नहीं हो जाता। इसके आगे जाना अनुचित काम एवं अनधिकार चेष्टा है। जमीदार हजार उपायों से किसानों को तबाह करते रहें और आप से कुछ नहीं होता मगर ज्यों ही किसान अपनी संघ-शक्ति के द्वारा उनका संगठित रूप से सामना करने की तैयारी करता और एतदर्थ किसान-सभा बनता है कि आप लोग हाथ-तोबा मचाने लगते हैं। यह बात अब किसान भी समझने लगा है और कांग्रेस के लिये यह अच्छा नहीं है।

यदि किसान-सभा कांग्रेस का पुछल्हा नहीं बनती, यदि इसमें किसानों के लिये खतरा है और इसांलिये स्वतंत्र किसान-सभा का बनना अनिवार्य है, तो वह अनेक राजनीतिक दलों तथा पार्टियों की भी दुस न बनेगी। यदि उस पर कांग्रेसी लीडरों की हुक्मसत श्रस्त्वा है, तो फिर पार्टी लीडरों की मुहर भी वर्षों लगे। उसकी स्वतंत्रता तो दोनों ही तरह से चौपट होती है और वह मजबूत हो पाती नहीं। हम उसे बलवती वर्ग संस्था बनाना चाहते हैं और ऐसा करने में यदि कांग्रेस बाधक है तो वे पार्टियाँ कम

-बाधक नहीं है। 'गत पन्द्रह साल' के अनुभव से हम यह बात कहने को निवाश हैं। पार्टीयों की पहली कोशिश यही होती है कि किसान-सभा या भज्जदूर-सभा उनका पुछला बनें, उनका प्रभुत्व और उनकी छाप इन सभाओं पर लगे। यदि ऐसा हो गया, तो ये सभाएँ बनें; नहीं तो जहाज़ुम में जायँ। यदि कई पार्टीयाँ हुईं—और हमारे देश में दुर्भाग्य से सोशलिस्टों, कम्यूनिस्टों, फारवर्ड व्हाकिस्टों, कान्तिकारी सोशलिस्टों, बोल्शेविकों आदि को अलग-अलग पार्टीयाँ हैं—तो किसान-सभा उनके आपसी महाभारत का अखाड़ा बन जाती है। उनकी आपसी खोंच-तान से यह ठीक-ठीक पनप पाती नहीं, तगड़ी और जर्वर्दस्त बन पाती नहीं। हरेक पार्टी का अपना-अपना मन्तव्य होता है। वह भला होता है या बुरा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मगर वह परस्पर विरोधी तो होता ही है। यह बात चाहे ऊपर से देखने कहने के लिये न भी हो, फिर भी भीतर से होती ही है। यह ठोस सत्य है। यदि मन्तव्य का परस्पर विरोध न हो तो मिर्कलाह कैसी! फिर ये पार्टीयाँ आपस में मिल जाती हैं क्यों नहीं! कम से कम लीडरी का विरोध तो रहता ही। हरेक पार्टी अपनी लीडरी चाहती है और यह और भी बुरी बात है। ऐसी दशा में वेचारी किसान-सभा इनके आपसी झगड़े का अखाड़ा क्यों बने, क्यों बनने दी जाय? और अगर किसी कल, बल, छल से एक पार्टी ने सभा में अपना बहुमत बनाना चाहा, तो ऐसा क्यों होने दिया जाय? इन्हें तो आपनी लीडरी का मर्ज है। किसान और उनकी सभा जार्य जहाज़ुम में। किसानों और उनकी सभा का नाम यदि इनने कभी लिया है तो केवल अपनी लीडरी साधने के लिये। नाम चाहिये, काम जाय चून्हे में। एकान्त में वैठकर ये पार्टी लीडर कोई चात तथ करें, कोई मन्तव्य ठहरायें, और किसान-सभा में आकर 'उस पर उसे ही लादें यह बुरी बात है; अप्पा चाँज है। सभा में ही वैठकर वह मन्तव्य ठीक कंयों नहीं करते। शायद तब उनकी लीडरी न रहे। मगर किसान-सभा तो रहेगी और जर्वर्दस्त रहेगी। यदि ये पार्टी लीडर ईमानदार हों तो उन्हें यही करना चाहिये। नहीं तो सभा को बख्त देना चाहिये।'

एक चात और भी है। इन सभी पार्टीयों का दावा है कि ये मजदूरों की पार्टी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का तो यही दावा है। लेनिन का कम्युनिस्ट पार्टी का नामकरण या जन्म बोल्शविक पार्टी से ही हुआ रूप की अब्दूर १९१७ की कान्ति की सफलता के बाद। और यह बोल्शविक पार्टी बनी थी रूस की सोशल डेमोक्रेटिक लेवर पार्टी के ही बहुमत से। उस लेवर या मजदूर पार्टी के बहुमत ने जो निर्णय किया उसे अल्पमत ने न माना और वह अज्ञग हो गया। इस तरह सर्ष्ट है कि आज की कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों की ही पार्टी है। लेनिन के लेखों में सर्वत्र यही चात पाई जानी है। मार्क्स और एंगेल्स ने भी शुल्क-शुल्क में दूपरे-दूसरे नामों से इसे मजदूर पार्टी के रूप में ही बनाया। ऐसी दशा में किसानों की वर्ग संस्था उस मजदूर पार्टी को छत्रछापा या लीडरी में कैसे बन सकती और सचल हो सकती है? मजदूर पार्टी को अरीनस्थ किसान-सभा किसानों की स्वतंत्र वर्ग संस्था वास्तविक रूप से बन गयेगी कैसे? और अगर कम्युनिस्ट पार्टी इस ठोस सत्य को मियकर यह दावा करे कि वह किसानों तथा मजदूरों को— दोनों की—पार्टी है, तो प्रश्न हांता है कि वह अनेक वर्गों की संस्था होकर किसानों की वर्ग संस्था को अपने अधीन कैसे रख सकेगी और उसके साथ न्याय कर सकेगी? किसान-सभा की नकज़ वह भले ही खड़ी करे। मगर असज्जी और बलवत्ती किसान-सभा वह हर्गिज़ न बनने देगी। बहुवर्गीय संस्था होने के नाते यदि कांग्रेस के मातहत किसान-सभा नहीं बन सकतो तो कम्युनिस्ट पार्टी का पुछला क्यों बनेगी?

कहा जा सकता है कि कांग्रेस के भीतर इने बाले वर्ग परस्तर विरोधी हैं। दृष्टान्त के लिये जर्मनीदारों का विरोध किसानों से है। फलतः उसकी मातहती में किसान-सभा नहीं बन सकती है। मगर किसानों तथा मजदूरों के स्वार्थों का तो परस्तर विरोध है नहीं, किसान और मजदूर भी परस्तर विरोधी वर्ग इमीलिये नहीं हैं। तब इन दोनों को संस्था स्वरूप इस कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन किसान-सभा क्यों न होगी?

मगर यह दलोल लंचर है। अन्ततोगत्वा इन दोनों के स्वार्थ जल्द

मिल जाते हैं ; समाजवाद या साम्यवाद की दशा में इनका परस्पर विरोध नहीं होता, यह बात सही है । मगर प्रश्न तो वर्तमान दशा और समय का है और आज इनके स्वार्थों का विरोध स्पष्ट है । यदि गल्ले, साग-भाजी और फल-फूल आदि महँगे चिकें तो किसान सुखी हों और खुश रहें, मगर कारखाने के मजदूर नाखुश और तबाह हों । विपरीत इसके यदि कारखाने के बने माल—कपड़े आदि—महँगे चिकें और कारखानेदारों को ज्यादा लाभ हो तो मजदूरों के बेतन बढ़े, उन्हें बोनस मिले और दूसरी सुविधायें मिले । लेकिन इसमें किसान की तबाही है । उसकी पैदा की गई सारी चीजों की कीमत कपड़े आदि में ही लग जाती है और वह तबाह रहता है । यदि मजदूर अपनी माँगें मनवाने के लिये महीनों हड़ताल करें तो मिल-मालिक उनके सामने भुकें । मगर ऐसा होने पर मिल के बने कपड़े आदि महँगे होते और किसानों के ज्यादा पैसे इनमें लग जाते हैं । फलतः वह ये हड़तालें नहीं चाहते । ऐसी ही सैकड़ों बारें हो सकती हैं, जिनसे दोनों के तात्कालिक स्वार्थों का परस्पर विरोध स्पष्ट है और ये तात्कालिक स्वार्थ ही उनकी दृष्टि को किसी रास्ते पर लाते हैं । ये भौतिक स्वार्थ हैं, प्रत्यक्ष हैं, आँखों के सामने हैं । इनके मुकाबिले में समाजवाद और साम्यवाद वैसे ही परोक्ष और केवल भावनामय हैं, दिमाणी हैं, जैसी आजादी और स्वतंत्रता । जिस प्रकार तात्कालिक स्वार्थों को भूल कर हम इन्हें स्वराज्य संग्राम में सामूहिक रूप से आकृष्ट नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही इन परस्पर विरोधी तात्कालिक स्वार्थों को अलग करके, इनको पर्वान करके हम किसानों या मजदूरों को सामूहिक रूप से अपनी सभा में आकृष्ट नहीं कर सकते । फिर समाजवाद के लिये ये तैयार कैसे किये जायेंगे ? फलतः न्याय, ईमानदारी, दूरंदेशी और व्यावहारिकता का तकाजा यही है कि इन दोनों की सभायें एक दूसरे से त्वरित हों और किसी भी पार्टी का उन पर नियंत्रण न हो । तभी उनमें बल आयेगा । कम से कम किसान-सभा तो तभी सघल और सजीव बन सकेगी और पीछे मजदूर-सभा के सहयोग से साम्यवाद स्थापित करेगी ।

एक बात और। मार्क्सवादियों ने किसानों को मध्यम या वूर्जु वर्ग में माना है और प्रतिक्रियावादी कहा है। यह ठीक है कि परिस्थिति विशेष में वह वूर्जुवा वर्ग भी कान्तिकारी तथा आमूल परिवर्तनवादी (Revolutionary and Radical) होता है। यही बात किसान पर भी लागू है। यही बात लेनिन ने अपनी छुनी लेखमाला के अँगेजी संस्करण के १२ वें भाग के अन्त में लिखी है कि “In Russia we have a “radical bourgeoisie”. That radical bourgeoisie is the Russian Peasant.” मगर मजदूरों को तो सबों ने क्रान्तिकारी माना है। ऐसी दशा में ये दो वर्ग परस्पर विरोधी स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। फिर इन दोनों की एक पार्टी कैसी? इन दोनों का एक संगठन कैसा? वर्तमान सामाजिक परिस्थिति में ये स्पष्ट ही दो परस्पर विरोधी दिशाओं में चलने वाले हैं। फलतः इनके स्वतंत्र संगठन बनाकर ही धीरे-धीरे इन्हें रास्ते पर लाना होगा।

कम्युनिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में जो बातें अभी-अभी कही गई हैं वही अक्षरशः सोशलिस्ट पार्टी, फारवर्ड ब्लाक आदि पार्टियों के बारे में भी लागू हैं। क्योंकि उनका भी दावा वैसा ही है जैसा कम्युनिस्ट पार्टी का। यदि इनमें कोई यह भी दावा करती है कि उनके भीतर फटे हाल बाहुओं का वर्ग भी आ जाता है, या मध्यमवर्ग भी समाविष्ट हो जाता है, तो इसमें हालत जरा और भी बदतर हो जाती है। फलतः सच्ची और स्वतंत्र किसान-सभा बनाने का उनका भी दावा वैसे ही गलत है जैसे कम्युनिस्टों का। कम्युनिस्टों और राष्ट्रियों में इतनी विशेषता और भी है कि वह भारत की व्यापक, दहकती और सर्वत्र श्रोत-प्रोत होकर “युद्धं देहि” करने वाली राष्ट्रीयता का अपमान करते और उसकी अवहेलना करके भी कायम रहना चाहते हैं। वे अपनी अन्तर्राष्ट्रीयता के सांचे में इस राष्ट्रीयता को ढालने की भाँती भूल करते हैं। यह बात इन पार्टियों में नहीं है। वे न तो ऐसी भूल करती हैं और न राष्ट्रीयता की अवहेलना ही करती है। वे राष्ट्रीयता को उसका उचित स्थान देती हैं। फिर भी किसान-सभा की स्वतंत्रता ब्रलवत्ता

और वास्तविकता की दृष्टि से सबों का स्थान समा नहीं है। समा तो पार्टियों की किसान-सभा के बज बसहा वैल है पुजवाने के लिये, मगर किसानों को तो हल चलाने वाला वैल चाहिये।

एक महत्त्वपूर्ण बात और भी कहनी है। आखिर क्रान्ति करते हैं किसान और मजदूर ही। एतदर्थ उनकी वर्ग संस्थायें अत्यावश्यक हैं; कारण, वही उन्हें इसके लिये संगठित और तैयार करती हैं। बिना इन संस्थाओं के किसान और मजदूर सामूहिक रूप से तैयार किये जा सकते नहीं। यह बात सभी क्रान्तिकारियों को मान्य है, तो फिर राजनीतिक दलों और पार्टियों की जरूरत क्या है। इन दोनों सभाओं की कार्यकारिणी समितियाँ आपस में सहयोग करके क्रान्ति का संचालन एवं उसका नेतृत्व खेलूंची कर सकती हैं। केवल दोनों के सहयोग की व्यवस्था होना जरूरी है और यह बात बिना पार्टियों के भी बे दाना खुर ही कर सकती है। एक समय था जब राजनीतिक विचारों का पूर्ण विकास न होने के कारण पार्टियों की आवश्यकता मानी जाती थी ताकि वर्ग संस्थायें पथ-भ्रष्ट न हो जायें और उन्हें गलत नेतृत्व न मिले। लेकिन इसी के साथ यह भी जरूरी माना जाता था कि सभी देशों की इन पार्टियों की भी एक अन्तर्राष्ट्रीय (International) पार्टी हो, जो सबों को सूचनाद रखकर उन्हें भी उचित नेतृत्व दे, ठीक रास्ते पर ले चले। यातायात और समाचार के साधनों के पूर्ण विकास के अभाव के चलते भी पथ-भ्रष्टता का खतरा था। एक दूसरे से सीधा समर्क रखना असंभवप्राय जो था। मगर आज तो इनमें एक भी बात नहीं है। राजनीति का विकास पराकाष्ठा को पहुँच चुका है, यातायात के साधन अत्यन्त तेज और सुन्नभ हैं, फोन, तार और रेडियो ने समाचार के साधन में क्रान्ति कर दी है और छारई की कला ऐसी प्रगति कर गई है कि कुछ न पूछ्ये। इसीलिये राजनीति का अन्तर्राष्ट्रियत्व भी ऐसा हो चुका है कि अब उसमें भ्रम की गुंजायश नहीं, किसी पार्टी के नेतृत्व की जरूरत नहीं। मौजूदा साधनों के सहारे किसानों तथा मजदूरों की संस्थायें अपने कर्तव्य का निर्यामित निर्धारण अच्छी तरह कर सकती हैं।

इसीलिये अन्तर्राष्ट्रीय के सबसे बड़े पोषक एवं सूत्रधार मो० स्तालीन ने कई साल पूर्व एलान कर दिया कि ऐसी संस्था या पार्टी की अब जरूरत नहीं है। जिस तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय की देखा-देखी दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय बने, जब वही वेकार है, तो इनकी क्या जरूरत ? सोशलिस्ट पार्टी, फारवर्ड ब्लाक और क्रान्तिकारी सोशलिस्ट पार्टी का तो अन्तर्राष्ट्रीय से कोई सम्बन्ध है भी नहीं। ऐसी दशा में एक कदम और नीचे उत्तर कर इन सभी पार्टियों को भी खत्म क्यों न कर दिया जाय ? इनकी क्या जरूरत रह गई ? और जब कम्युनिस्ट पार्टी का सूत्रधार तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय न रहा, तो फिर यह पार्टी भी नाहक क्यों रहे ? अगर सिर्फ बाल की खाल खींचने, वामपाञ्जीयों को टुकड़े-टुकड़े करने, नेतागिरी का हौसला पूरा करने और सभी वर्ग संस्थाओं में कलह और जूनापैजार ही इनका उद्देश्य हो तो बात दूसरी है। अब तो पार्टियों के भीतर भी आपस में ही लीडरी के मगड़े प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से चलने लगे हैं।

क्रान्तिकारी राजनीति और मार्वर्सवाद के यथार्थ ज्ञान और तदनुसार अमल करने की ठेकेदारी इन पार्टियों को ही मिली है, ऐसा दावा दूर की कौड़ी लाना है और बीसवीं सदी के बीच में भी दुनिया को उल्लू समझने को अनधिकार चेष्टा करना है। और अगर यही बात हो तो फिर वह ठेका किस एक पार्टी को मिला है और कैसे, कहाँ से, यह भी सबाल उठता है। क्योंकि इसी ठेकेदारी की लड़ाई तो आखिर ये आपस में भी करती ही हैं। तब फैला कैसे हो कि फलाँ पार्टी ही के पास वह ठेका है ?

किसान-सभा और मजदूर-सभा आपस में मिलकर यदि आवश्यकता समझे कि दोनों के सहयोग के लिये एक समिलित समिति चाहिये तो उसका भी चुनाव दोनों की राय से हो सकता है। जैसे इन सभाओं को समितियाँ नीचे से ऊपर तक चुनाव से बनती हैं तैसे दोनों की या ऐसी ही और सभा को भी मिलाकर अनेकों की एक समिति से चुनाव से बन सकती है। उसी को पार्टी भी कहना चाहें तो भले ही कहें, मगर यह बाहर से

इन पर लड़ने वाली,.. लादे जाने वाली पार्टी कौन-सी बला है ? हम इसी से पनाह माँगते हैं ।

कहा जाता है कि जब कांग्रेस के ६० प्रतिशत सदस्य और लड़ने वाले किसान ही हैं तो चुनाव के जरिये उसकी सभी कमिटियों पर वे आमानी से अधिकार जमा सकते हैं, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी भूल है । हर हालत में किसान-सभा का स्वतंत्र सगठन फिजूल है । मगर अनुभव कुछ और ही है । इतिहास भी ऐसा ही बताता है । कांग्रेस मध्यमवर्गीयों की संस्था इस मानी में है कि इस पर उन्हीं का अधिकार है, प्रभुत्व है और यह उन्हीं की राय से चलती है, इसमें उन्हीं का नेतृत्व है । संसार में आजादी के लिये लड़ने वाली संस्थायें ऐसी ही होती हैं, अभी तक यही पाया गया है । यहाँ तक कि सबसे ताजा जो रूप का दृष्टान्त है वहाँ भी जारशाही के विरुद्ध जनतंत्र, शासन के लिये लड़ने वाली सावियत नाम की संस्था मालदारों और मध्यमवर्गीयों के ही अधिकार में थी; हालांकि उसके सदस्य केवल किसान, मजदूर और सिपाही थे और तीनों ही पूरे शोषित थे । यही बजह है कि १९१७ की मार्च वाजी क्रान्ति के फलस्वरूप जारशाही का अन्त हो के रूप में जनतंत्र के नाम पर धनियों का ही शासन कायम हुआ, जिसके विरुद्ध लड़ते रहके लेनिन को अकट्टवर वाली क्रान्ति करनी पड़ी और उसके फलस्वरूप किसान-मजदूरों का शासन वहाँ स्थापित हुआ । लेनिन जैसे महापुरुष और क्रान्तिकारी के रहते भी जब सावियत पर किसान-मजदूरों का अधिकार और नेतृत्व न हो सका, हालांकि उसके सदस्य धनी लोग न थे, तो हम जैसों कि या विसात कि कांग्रेस पर अधिकार जमा सकें, जब कि उसमें धनी और उनके पोषक काफी सदस्य हैं । सावियत का विधान चवनिया मेम्बरी वाला या इस तरह का न था, जिसमें जाल-फरेव हो और फर्जी मेम्बर बनाकर कमिटियों पर अधिकार किया जा सके । उसके सदस्य तो बालिग किसान, मजदूर और सिपाही मात्र थे । फलतः बनावटी मेम्बर बनने-बनाने की गुंजायश बढ़ी न थी, मगर कांग्रेस में खूब है और यह रोज की देखी बात

है। लेकिन जब लेनिन विफल रहा तो यहाँ कौन सफलता की आशा करे ? इन चुनावों में हजार प्रलोभनों, जाल-फरेबों और दबावों से काम लेकर धनी लोग ही आम तौर से विजयी हो सकते हैं, होते हैं। यही कड़ और ठोस सत्य है और यह कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पर किसानों के नेतृत्व और अधिकार की बात, ऐसी हालत में, निरापदपन है और धोका है। फलतः किसान-सभा का स्वतंत्र संगठन होना ही चाहिये।

जब कराची तथा फैजपुर में कांग्रेस ने स्वतंत्र किसान सगठन के सिद्धान्त को मान लिया है तो उसका विरोध क्यों ? यदि किसान-सभा को कांग्रेस कमिटियों की मातहत या उनके अंग की ही तरह बनाने की बात न होती तो फिर कांग्रेस के द्वारा उनके स्वीकृत होने की बात क्यों कही जाती ? विभिन्न मातहत कमिटियों के स्वीकृत होने का प्रश्न तो उठता ही नहीं। लेकिन फैजपुर के किसान प्रोग्राम की आखिरी, १३ वीं, चीज यही है कि कांग्रेस किसान-सभाओं को स्वीकार करे—“Peasant unions should be recognised.”

कहा जाता है कि अभी किसान-सभा की क्या जरूरत है ? अभी तो अँग्रेजी सरकार ही नहीं और स्वराज्य आया नहीं, बीच में ही यह बेसुरा राग कैसा ! विदेशी सरकार के हटने पर ही प्रश्न उठेगा कि किसका राज्य हो ? किसानों का हो ? मजदूरों का हो ? या कि औरों का ? उससे पहले ही यह तूफाने ब्रदत्तमीजी कैसा ! यह तो मुसलिम लीग की जैसी ही बात हो गई कि पहले ही बँटवारा कर दो, अँग्रेजी शासन के रहते ही हमारा हिस्सा दे दो। इस आपसी सगड़े में तो वह स्वराज्य मिलने का नहीं। फिर अभी वह हमारा हो, हमारा हो, ऐसा हो, वैसा हो, की तैयारी कैसी ? यह वर्ग-संघर्ष और श्रेणी-युद्ध तो उसमें बाधक होगा न ? तब तदर्थ किसान-सभा का यह हो-हल्ला एवं महान् प्रयास क्यों ?

लेकिन यदि इन प्रश्नों की तह में युस के देखा जाय तो किसान-सभा की असलियत, अहमियत और आवश्यकता माफ हो जाती है। दरअसल स्वराज्य के दो पहलू हैं—विदेशी शासन का अन्त और अपने शासन,

अपने राज्य, 'स्वराज्य' की स्थापना। इनमें पहला निषेधात्मक और दूसरा विधानात्मक या निर्माण स्वरूप है। 'स्वराज्य' कहने से उसके निर्माणात्मक पहलू पर ही सर्वप्रथम दृष्टि जाती है और वही प्रधान है, मुख्य है, असल है। निर्माण के बिना कुछ हो नहीं सकता। लेकिन निर्माण के पूर्व ध्वंस आवश्यक है, क्रूडे-करकट और रास्ते के रोड़ों को हटाना जरूरी है। नींव खोदने पर ही मजबूत महल खड़ा होता है। नींव के स्थान पर पढ़ी हुई मिट्टी बाधक होती है उस महल के निर्माण में। इसीलिये खोदकर उसे हटाना पड़ता है। विदेशी शासन भी अपने शासन के निर्माण में बाधक है। इसीलिये उसका हटाना जरूरी हो जाता है और स्वराज्य के भीतर वह अर्थात् आ जाता है। इसीलिये वह गौण है, अप्रधान है।

मगर हमारे कांग्रेसी नेता उसी पर ज्यादा जोर देते हैं, हालांकि चाहिये जोर देना निर्माणात्मक पहलू पर। यही उनकी भारी भूल है। आखिर विदेशी शासन के हटने पर कोई शासन बनेगा, या कि अराजकता ही उसका स्थान लेगी? "अपनी-अपनी डफली, अपनी-अपनी गीत" होगी क्या? यह तो कोई नहीं चाहता। प्रत्युत विदेशी शासन हटाने-मिटाने के सिलसिले में ही कोई न कोई शासन बनाना ही पड़ेगा, कोई सरकार खड़ी होगी ही। तभी आसानी से सफलतापूर्वक विदेशी हुक्मत को हम मिटा सकते हैं। वही सरकार समानान्तर सरकार कही जाती है राजनीति की भाषा में। पीछे चलकर उसी सरकार को मजबूत बनाते हैं, यह बुनियादी बात है।

अब प्रश्न होता है कि वह सरकार किसकी होगी? कैसी होगी, कौन-सी होगी? यह बड़े प्रश्न हैं और महत्व रखते हैं। यह कहने से तो काम चलता नहीं कि वह सरकार हिन्दुस्तानियों की होगी। हिन्दुस्तानी तो चालीस करोड़ हैं न? तब इनमें किनकी होगी? ये चालीस करोड़ भी जर्मीदार, किसान, पूँजीपति, मजदूर आदि परस्पर विरोधी बगों में बंटे हैं, तो फिर इनमें किन बगों की होगी? जर्मीदारों की? पूँजीपतियों की? तब किसान या मजदूर उस स्वराज्य की सरकार की स्थापना के लिये,

उस स्वराज्य के लिये क्यों लड़ें ? उस सरकार और विदेशी सरकार में नाम मात्र का ही फर्क होगा । असलियत प्रायः एक सी ही होगी । किसान-मजदूरों की कमाई की लूट तो उसमें भी जारी ही रहेगी । अन्तर सिर्फ यही होगा कि इस समय जो लूट का माल लंकाशायर, मैच्चेस्टर या इंगलैण्ड-जाता है, वही तब बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, छतारी, दरभंगा जायगा । कमाने वाले किसान-मजदूरों को क्या मिलेगा ? ये प्रश्न स्वाभाविक हैं और सारी दुनिया में किये जा चुके हैं । किसान-मजदूरों को सारी शक्ति के साथ प्राण-पण से स्वराज्य के युद्ध में आकृष्ट करने के लिये इनका उनके लिये संतोषजनक उत्तर मिलना आज जरूरी है । किसान-सभा-इन्हीं प्रश्नों का मूर्त्त उत्तर है ।

मुसलिम लीग की बात दूसरी है । उसे लड़ना नहीं है या तो उसे यथाशक्ति बाधा डाज्जना है, या अन्त में बिना कुछ किये ही आधा हिस्सा लेना है, इसीलिये वह अभी से बैंटवारा चाहती है । मगर किसानों को लड़ना है और जम के लड़ना है । उसी लड़ाई को प्राण-पण से चलाने के लिये वह अभी से तय कर लेना चाहते हैं कि लड़ाई का नतीजा उनके लिये क्या होगा । इस प्रकार दोनों में बड़ा फर्क है, यह स्पष्ट है । दोनों के दो रास्ते हैं । एक को लड़ना है और दूसरे को बाधा देना ।

यदि उत्तर दें कि कांग्रेस का राज्य होगा तो ख्याल होगा कि कांग्रेस में मालदारों का प्रभुत्व होने के कारण उसका राज्य तो नामान्तर से उन्हीं मालदारों का होगा । यदि कहा जाय कि किसानों और मजदूरों का राज्य होगा तो प्रश्न होगा कि क्या कहीं भी यह बात अब तक हो पाई है ? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस, इटली आदि सभी देशों में आजादी की लड़ाई के लीडर यही कहते थे कि किसान-मजदूरों के हाथ में शासन होगा । अमेरिका में अँग्रेजी शासन को हटाने के समय ऐसा ही कहा जाता था जैसा यहाँ कहते हैं । मगर वहाँ मालदारों का ही राज्य हुआ और किसान-मजदूर दुखिया के दुखिया ही रह गये, सर्वत्र यही हुआ । यहाँ तक कि रूस में भी यही हुआ और पीछे किसान-मजदूरों को पुनरपि लड़ा

कर ही शासन-सत्ता उनके हाथ से छीननी पड़ी। शेष देशों में वे विफल ही रहे। क्यों? कारण इमें: दुँहना होगा और लूस के हृष्यान्त में वह मिलेगा। अन्य देशों में आजादी के युद्ध के समय किसानों ने राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके अपनी अलग तैयारी न की, अपना स्वतंत्र संगठन न किया। फलतः अन्त में घोखे में रहे, मँह ताकते रह गये। विपरीत इसके लूस में लेनिन ने मजदूरों का स्वतंत्र संगठन किया और किसानों का भी। अमेरिका आदि से उसने यही सीखा था। वहाँ इस संगठन का अभाव होने से ही धोका हुआ था, अतः लूस में उसने इसी अभाव को मिटाया। यहाँ तक कि किसानों के संगठन में तब तक उसे सफलता न मिल सकने के कारण उसने बामपन्ही सोशल रेवोल्यूशनरी टल को जो किसान-सभावादी था, अपने साथ मिलाया और अकटूबर की क्रांति के बाद अपनी सरकार बनाकर दस दल को भी उस सरकार में स्थान दिया। उसकी सफलता की यही कुंजी थी।

सोशल रेवोल्यूशनरी टल को साथ लेने से यह भी मिल हो जाता है कि बोल्शेविक और कम्युनिस्ट पार्टी किसानों की पार्टी नहीं थी, नहीं हो सकती है। जब लेनिन सफल किसान-सभा न बना सका तो आज के कम्युनिस्ट किस खेत की मूँजी है? हाँ, अधिकार मिलने पर भले ही बना सकते हैं, मगर उससे पहले नहीं, यह त्रु ब सत्य है।

भारत में भी हमें वही करना है, हम वही करते हैं। किसानों का स्वतंत्र संगठन वही तैयारी है जो लेनिन ने की थी। यदि वह सोवियत के नेताओं की प्रतिज्ञाओं, प्रस्तावों और धोपणाओं पर विश्वास करके मान बैठता कि जारशाही के अन्त के बाद किसान-मजदूर-राज्य या किसान-मजदूर प्रजा-राज्य अवश्यमेव स्थापित हो जायगा, जैसा कि हमारे यहाँ भी कुछ तथाकथित किसान नेता कहते फिरते हैं, तो वह धोका खाता और पछता के मरता। राजनीति में किसी भी संस्था की और विशेषतः आजादी के लिये लड़ने वाली राष्ट्रीय संस्था की महज प्रतिज्ञा, उसके प्रस्ताव या उसकी चोषणा एवं उसके कुछ प्रगतिशील नेताओं के उदात्त विचारों तथा

उद्गारों पर विश्वास करके बैठे रह जाना सबसे बड़ी नादानी है। ऐन मौके पर या तो ये सारी प्रतिज्ञायें, घोषणायें और प्रस्ताव-उद्गार उनके करने वाले ही स्वयं भूल जाते हैं या उनके न भूलने पर भी उन्हें विवश और असमर्थ बना दिया जाता है कि वे तदनुसार कुछ भी कर न सकें। परिस्थिति और माजदारों के घड़ीयंत्र उन्हें वेकार और पंगु बना देते हैं। अमेरिका प्रभृति देशों के स्वातंत्र्य-संग्राम ने हमें यही पाठ पढ़ाया है। हमें आजादी लेने के बाद पुनरपि अपने ही मालदार भाइयों और उनके संगी-साथियों से जमकर प्राण-पण से युद्ध करना ही होगा, खून का दरिया तैर कर पार करना ही होगा। तभी किसानों का राज्य होगा, उनके हाथ में शासन-सत्ता आयेगी; न कि महात्मा गांधी या पंडित नेहरू के कहने या कांग्रेस के प्रस्ताव मात्र से ठीक समय पर उस कथन या प्रस्ताव पर अमल कराने के लिये हमारी अपनी शक्ति चाहिये, तैयारी चाहिये, और यह स्वतंत्र किसान-सभा वही तैयारी है, उसी शक्ति का अभी से संचय है। क्योंकि मौके पर एकाएक शक्ति नहीं आ सकती। जो पहलवान अखाड़े में लड़ने का अभ्यास पहले से नहीं करता, वह एकाएक दूसरे पहलवान को पछाड़ नहीं सकता। स्वतंत्र किसान-सभा किसानों के मल्ल युद्ध, अभ्यास और तैयारी का अखाड़ा है।

कांग्रेस की मजबूती भी इसी प्रकार होगी। किसान-सभा के द्वारा किसानों के हकों के लिये सामूहिक रूप से लड़कर हम किसानों का पूर्ण विश्वास प्राप्त कर सकेंगे और इस प्रकार उन्हें किसान-सभा में सामूहिक रूप से आकृष्ट करेंगे। जो वर्ग-संघर्ष कांग्रेस कर नहीं सकती, जिसके करने में उसे दिक्कत है, जैसा कि कहा जा चुका है, उसे ही हम कांग्रेसजन किसान-सभा के जरिये करके किसानों के दिल-दिमागों को जीत लेंगे। क्योंकि भौतिक स्वार्थ की सिद्धि उन्हें हमारे साथ खिंच आने को विवश करेगी। यही मानव स्वभाव है। फिर विदेशी सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संघर्ष के समय देश के राजनीतिक मामले में हम आसानी से इसी किसान-सभा के जरिये किसानों को सामूहिक रूप से कांग्रेस के साथी, भक्त और अनुयायी बना डालेंगे। फलतः संगठित एवं शक्तिशाली किसान-सभा

शक्तिशाली कांग्रेस का मूलाधार है, उसके लिये अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

जो लोग किसान-सभा के विरुद्ध कमर बाँधे खड़े रहकर भी कांग्रेस-कांग्रेस चिन्हाते हैं, उन्हें एक बुनियादी बात याद रखनी होगी। इस ओर हमने पहले इशारा किया भी है। यहाँ जग उसका विस्तार करना जल्दी है। किसान-सभाओं को हम असहयोग युग के बाद ही पाते हैं। किसान-आनंदोलन का संगठित रूप उसके बाद ही मिलता है। वर्षों १ यह प्रश्न विचारणीय है। उसके पहले न तो मुल्क में और न किसानों में ही यह आत्म-विश्वास था कि अपने शत्रुओं के विरुद्ध कोई संघर्ष सफलतापूर्वक चला सकते हैं, और न संगठित जनानंदोलन का महत्व ही उन्हें विदित था। १८५७ के विफल विद्रोह के बाद लोगों में जो भयंकर पस्ती और निगशा आई थी वह दिनां-दिन गहरी होती जाती थी। देश की सबसे बड़ी संख्या थी कांग्रेस, परन्तु वह भी केवल 'मित्रां देहि' का मन्त्र जपती थी। उसकी माँगों के फँछे कोई शक्ति न थी। विदेशी शासन जेठ के मध्याह्न सूर्य की तरह तपता था। लाल पगड़ और गोरे चमड़े को देख लोगों के देवता कूच कर जाते थे। चारों ओर अंधकार ही था। रौलट कानून और पंजाब के मार्शल्ला के बाद शासकों की शक्ति और भी तेज हो चुकी थी। तुक्कों के अंग-भंग को मुसलमान संसार रोकने में मैं असमर्थ था। हमारी न्यायतम माँगों पर भी हमारे आका वृणा एवं अपमान की हँसी हँस देते थे और बस। तब तक हमने यही सीखा था कि अखबारों और सभाओं के द्वारा पढ़े-लिखे शहरी लोग ही कुछ भी कर सकते हैं। मगर उनसे भी कुछ होता जाता दीखता न था। जलियानवाला बाग के बाद हन्दर कमिटी की लीग-पोती ने जले पर नमक छिड़क दिया था। साढ़ा देश किंकर्त्तव्य-चिमूढ़ था।

ठीक उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागपुर में १९२० के दिसम्बर में गाँवों की ओर मुँह मोड़ा और शान्ति-पूर्ण सीधी लहारी का राता पकड़ा। नेताओं ने कहा कि हम निहत्ये

भारतीय चाहें तो एक साल के भीतर अँग्रेजों सहतनत को भगाकर अपनी सरकार कायम कर लें। यह अजीब दावा था, अफीमनी की पिनक जैसी बात थी। मगर बार-बार कहने पर देश ने इसे सुना और सचमुच ही सरकार का आसन डिगा दिया। बृद्धि सरकार जैसे काँप उठी। सम्राट के पतिनिधि लार्ड रिंडिग ने १८२१ के दिसम्बर में कलकत्ते में कहा कि “मेरी अँगू हैरान है कि यह क्या हो गया”—“I am puzzled and perplexed” जो देश पस्त था, सदियों से अंगचित पड़ा था वह एकाएक अँगड़ाई ले के अपने पाँवों पर खड़ा हो गया। उसे अपनी अन्तनिहित अगर शक्ति का एक बार प्रत्यक्ष भान हो उठा। यह कांग्रेस की बड़ी जीत थी कि निहत्थी जनता ने जेलों, जुर्मानों और फाँसी का भय छोड़ दिया। मुर्क की सुस आत्मा जग उठी। जो पहलवान साधारण मर्दों से भी भयभीत हो उठता था वही सबसे बड़े मल्ल को पछाड़ कर अपने अगर बन का अनुभव करने लगा।

इसका अनिवार्य परिणाम ऐसा हुआ जिसका किसी को सपने में भी ख्याल था नहीं। जब भारतीय किसानों ने बृद्धि मिंह को एक बार घर दबोचा, तो उनने स्वभावतः सोचा कि ये राजे-महाराजे, जर्मीदार और साहुकार उसी के बनाये तथा उसी की छत्रछाया में पलने-पनपने वाले हैं; ये उसके सामने बिल्जा और चुहिया से भी गये गुजरे हैं। फिर भी इनकी हिमत कि हमें लूटते रहें। “अबलौं नसानी तो अब ना नसैहौं” के अनुसार उनने सोचा कि अब तक हम साये थे और अपनी प्रसुस शक्ति को समझते थे नहीं, जिससे इनने हमें लूटा सताया। मगर अब ऐसा हर्गिज होने न देंगे। जब इनके आकार को हम निहत्थों ने पछाड़ा तो इनको क्या हस्ती! बस, उस प्रसहयाग आनंदजन के मदान् विजय की यही प्रतिक्रिया फिरन जनता में हुई जो क्रमराः दद्ध होती गई। उसी का फल और व्यावहारिक रूप यह किसान-समा है। और अगर इमारे लीडर आज इससे घबराते हैं तो वह वेकार है। यह बात उन्हें पहले ही सोचनी थी जब किसानों को अँग्रेजी सहतनत के साथ बूझने को

उभाड़ा था । व्यभिचारिणी स्त्री पेट में गर्भ होने पर पछताती हैं सही; लेकिन यह उसकी मूर्खता है । उसे तो व्यभिचार के ही समय यह परिणाम सोचना था ।

बात दरअसल यह होता है कि स्थिर स्वार्थ वाले सम्पत्तिजीवी तक तक जनान्देलन से नहीं ध्वनाते जब तक उनके स्वार्थों पर आधात की आशंका न हो, प्रत्युत स्वार्थ-सिद्धि के लिये जनान्देलन और क्रान्तिकारी संघर्षों तक को प्रोत्साहित करके अपना काम निकालते हैं । फ्रांस, रूस आदि क्रान्तियाँ इसका ज्वलन्त प्रमाण हैं । बिना जनता की सीधी लड़ाई के मालदारों को पूरे हक नहीं मिलते, ताक उद्योग-धनधों का वेतहाशा प्रसार कर माल बटोरे । इसी से उसको प्रोत्साहन देते हैं । उस समय तो उन्हें लाभ ही नजर आता है । यही बात १९२१ वाले और बाद के कांग्रेसी संघर्षों में भी हुई । नेताओं ने खुश होके जनता को ललकारा-उभाड़ा । उन्हें कोई खतरा तो तब दीखा नहीं, मगर अब जब जनता अपनी शक्ति का अनुभव करके उनसे भी दो-दो हाथ करने को आमादा हो गई तो लगे बगले काँकने और बहानेबाजियाँ करने । अब उन्हें अपने लिये खतरा नजर आ रहा है । इसीलिये किसान-सभा को कोसते हैं । उन्हें अपने ही बनाये जनान्देलन से भय होने लगा है । मगर अब तो उनकी भी लाचारी है । अब तो तीर छूट चुका । फिर पछताने से क्या । चीख-पुकार मचाने से क्या । प्रत्युत वे जितना ही इसका विरोध करेंगे किसान-सभा उतनी ही तेज होगी, यह अटल बात है । हमें दर्द के साथ वह भी कहना पड़ता है कि लोगों को कांग्रेस से चिपकाये रखने के लिये वस्तुस्थिति और व्यावहारिकता का आश्रय न लेकर अनुशासन की तलबार का सहारा लिया जाना ही अच्छा समझ जाने लगा है । यदि कांग्रेस की भीतरी खूबियाँ, उसके अन्तर्निहित गुण तथा उसकी ऐतिहासिक आवश्यकता हमें उसकी ओर आकृष्ट नहीं कर सकती है, एतन्मूलक उसमें होने वाली यदि हमारी भक्ति पूरे पचीस साल की उसकी लगातार की कसमकश के बाद भी नाकामी है तो अनुशासन की नंगी

तेलवार उसकी पूर्ति कभी कर नहीं सकती। तब तो कहना ही होगा कि कांग्रेस के नेता अपना हृदय-मन्थन करें और पता लगायें कि उनकी तपस्था एवं कांग्रेस के कार्य-क्रम में कौन सी बड़ी खामी है, जिससे यह खतरा बना है कि लोग उससे भड़क जायें, विचल जायें। असली शक्ति किसी संस्था की भीतरी खूबी और ऐतिहासिक आवश्यकता ही है। उसी के करते वह शक्तिशाली होती है और यह बात कांग्रेस में मौजूद है। फिर बात-बात में अन्देशा क्यों? कांग्रेस कोई छुई-मुई नहीं है। वह तो इस्पात की बनी है। किसान-सभा की भी ऐतिहासिक आवश्यकता है, जैसा कह चुके हैं।

कहा जा सकता है कि कांग्रेस के सफल असहयोग आनंदोलन तथा संघर्ष का परिणाम ही यदि किसान-सभा है तो १९२२-२३ के बाद ही उसकी स्थापना न होकर १९२७-२८ या २९ क्यों हुई? इतनी देर क्यों? बात यह है कि विचारों के परिपक्व एवं स्थायी बनने में विलम्ब होने के नियमानुसार ही यहाँ भी देर हुई। प्रतिक्रिया तो हुई, मगर उसे कार्यरूप में परिणत करने के पूर्व उसमें स्थिरता और परस्पर विचार-विमर्श आवश्यक था, उसे परिपक्व होना जरूरी था। यह भी बात है कि इन बातों के लिये समय आवश्यक है। ये एकाएक नहीं होते। इसके अलावा किसान-सभाओं के चलाने के लिये जो किसानों के हजारों युवक और पढ़े-लिखे लोग जरूरी थे वे भी असहयोग के करते बाहर आये सही, ऊपर आ गये जरूर। मगर उनका भी पारंपरिक विचार-विनिमय जरूरी था इस काम को चालू करने के लिये। राजनीतिक परिस्थिति का ढावाँडोल होना, परिवर्त्तन-अपरिवर्त्तनबाद बाली उस समय की कलह और सत्याग्रह जैच समिति की कार्यवाही आदि बातों के चलते भी काफी गड़बड़ रही और इस काम में देर हुई। फलतः यदि दो-चार साल इसी उच्चेड़-बुन में लग गये तो यह कोई बड़ी बात न थी। इससे प्रत्युत इस काम में दृढ़ता आई। कम से कम विहार में कांग्रेस के सभी नेता प्रारम्भ में इसमें खिच आये और उनसे पर्याप्त प्रेरणा भी मिली, यह

भी इसका सबूत है कि किसान-सभा न्कां अविभिन्न सम्बन्ध कार्य-कारण के रूप में कांग्रेस के साथ है, यह कांग्रेस-संघर्ष का स्वामाविक परिणाम है। अतएव अब उसका विराध करना केवल चट्टान से सर टकराना है। अब इसमें बहुत देर हो चुको है। और जब गत वर्ष श्री पुरुषोत्तमदास जो टरड़न की अध्यक्षता में हिन्द-किसान-सभा ने यह स्पष्ट घोषित कर दिया कि स्वातंत्र्य संग्राम से सम्बन्ध रखने वाली राजनीतिक बातों में साधारणतः किसान-सभा का प्रत्येक सदस्य कांग्रेस से ही प्रेरणा और नेतृत्व प्राप्त करेगा, तो फिर हाय-तोंचा मचाने की धजह वया रही।

एक ही बात जो निहायत जरूरी है, रह जाती है। बड़े-बड़े नेता तक कह डालते हैं कि जभी कांग्रेस-मंत्री-मडल बनते हैं तभी वकाश्त के संघर्ष छेड़ कर ये किसान-सभावादी सिर्फ उन्हें परीशान करते हैं। ये संघर्ष इन मंत्रि-मंडलों के अभाव में नहीं होते। इससे इस सभा को बदनीयता सिद्ध होती है। इसीलिये इसे रहने देना कांग्रेस के गत्ते के रोड़े को कायम रखना है।

मगर यह बात गलत है। बिहार में ही ये वकाश्त संघर्ष ज्यादातर होते हैं और हुए हैं और वहाँ इनका श्रीगणेश मुँगेर जिले के बड़हिया ठाल में १६३६ में ही हुआ था जब इन मंत्रियों का पता भी न था, जब असेम्बली के चुनाव हुए भा न हुए थे। चुनाव के बाद कांग्रेसी मंत्री न होकर जब दूसरे ही लोग मंत्री के रूप में कुछ महीने गढ़ी पर थे, उस समय यह संघर्ष काफी तेज था। किसान-स्त्री-पुरुषों और सेवकों पर धुइसवारों ने धोड़े दंडाये थे उसी समय। यह एक ठांस ऐतिहासिक बात है, जिससे इन्कार किया जा नहीं सकता। इसी प्रकार १६४१ में और १६४२ के शुरू में हुपराव में जो वियाइं का संघर्ष किसान-सभा के नेतृत्व में चला और जंगल सत्याग्रह चलता रहा, वह भी कांग्रेसी मंत्रियों के अभाव में ही था। फिर सरासर भूठी बात क्यों कही जाती है।

यह ठीक है कि कांग्रेसी मंत्रियों के समय में ये संघर्ष अधिक होते हैं और यह उचित भी है। जब इन मंत्रियों को चुनकर किसान ही

गद्दी पर बिठाते हैं तो इन्हें अपना समझ किसानों का हौसला कहना स्वभाविक है और इसी के फलस्वरूप ये संघर्ष होते हैं। किसान समझते हैं कि हमारे बनाये मंत्री इन मामलों में हमारी सहायता करेंगे। नौकरशाही सरकार से उन्हें यह आशा तो होती नहीं, इसी से उस समय ये संघर्ष कठिन हो जाते हैं और कम होते हैं। और जब जनप्रिय सरकार बनी तो जनता को स्वभावतः आजादी ज्यादा होती ही है। वह अपने हाथ-पाँव जरा फैला पाती है, फैलाने की कोशिश करती है। उसकी छाती की चट्टान जरा हटी सी मालूम पड़ती है, उसकी हथकड़ी-वेड़ियाँ जरा ढीली और ढूटी सी लगती हैं। फिर हाथ-पाँव फैलाये क्यों न ! और ये संघर्ष उसी फैलाने के मूर्त्त-रूप हैं, फिर इन्हें देख गुस्सा क्यों ? इनके लिये उलाहना और इलजाम क्यों ? ये कांग्रेसी मंत्रियों को परीशान करने के सुबूत न होकर उलटे कांग्रेस में और उसके मंत्रियों में जनता के अपार विश्वास के ही सुबूत हैं।

अन्त में हमें कहना है कि कांग्रेस की असली ताकत न तो उसके अनुशासन की तलबार है, न उसकी कमिटियाँ और न उसके चवनियाँ मेम्बर, प्रतिनिधि आदि। उसकी असली शक्ति अपार जमूइन-स की उसमें अदृश भक्ति है—उस भारतीय जन-समूह की भक्ति, जो चवनियाँ मेम्बर तक नहीं है, मगर जो उसे चुनाव में जिताता और संवर्ष में विजय दाता है। अच्छा हो कि कांग्रेस के कर्णधार यह न हो, वह न हो, किसान-समा न बने, मजदूर यूनियन न बने और अगर बने तो कांग्रेस की मातहती में, आदि फिजूल बातें छोड़ उस अपार जनता के कष्टों को समझें और उन्हें दूर करने में कोर-कसर न रखें। फिर देखेंगे कि कांग्रेस अजेय है और ऐसा न होने पर वह दुर्यो ढह जायगा, यह कहु सत्य है।



स्वामी जी का स्वागत, दोहाद-माल.द किसान
कान्प्रेस, लिमड़ी

जब पहले-पहले किसान सभा और किसान-संगठन का ख्याल हमारे और हमारे कुछ साथियों के दिमाग में आया तो वह धुँधला सा ही था। उसकी रूप-रेखा भी कुछ साफ नजर न आ रही थी। यह हमारा आकस्मिक प्रयास था, ऐसे अथाह समुद्र में जहाज चलाने का जिसमें न तो दिशाओं का ज्ञान था और न किनारे का पता। पास में दिग्दर्शक यंत्र (कुतुबनुमा) भी न था कि ठीक-ठीक जहाज को चलाते। इतने दिनों बाद याद भी नहीं आता कि किस प्रेरणा ने हमें उस और अग्रसर किया। चेशक, कुछ उद्देश्य लेकर तो हमने श्रीगणेश किया ही था। मगर वह था निरा गोलन्मोल। फिर भी उस और हमारी प्रेरणा एकाएक कैसे हुई यह एक पहली ही है और रहेगी। ऐसा मालूम होता है कि अकस्मात् हम उस और वह गये! मगर जरा इस बात की सफाई कर लें तो अच्छा हो।

किसान सभा के स्थापन का पहला विचार सन् १९२७ ई० के अन्तिम दिनों में हुआ था। उस समय मैं कांग्रेस की स्थानीय नीति से, या यों कहिये कि विहार के कुछ बड़े नेताओं के कारनामों से झङ्गाया-सा था, जो उन्होंने सन् १९२६ ई० के कौसिल चुनाव के सिलसिले में दिखलाये थे। इसीलिए तो स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन न कर लाला लाजपतराय और पं० मदनमोहन मालवीय की इन्डिपेन्डेंट पार्टी का ही समर्थक रहा। जो उम्मीदवार विहार में थे उन्हें लाला जी तथा मालवीय जी के आशीर्वाद प्राप्त थे। साथ ही गांधीवादी भी मैं खांडी था। इसलिये कांग्रेस से एक प्रकार की विरक्ति के साथ ही गांधी-बाद में अनुरक्ति भी पूरी थी। यह भी नहीं कि मैं गांधीवादी ढंग की किसान-सभा बनाते का ख्याल न रखता था। उस समय तो यह चलाल कर्तव्य था ही नहीं। जब किसान सभा की ही बात उससे पहले न थी तो

फिर गांधीवादी सभा की कौन कहे ? फिर भी किसान-सभा का सूत्र-पात हुआ ।

ठीक कुछ ऐसी ही बात सन् १९३२-३३ में भी हुई । उस समय भी मैं, सन् १९३० ई० की लड्डाई के बाद, कांग्रेस से विरागी था, राजनीति से अलग था, किसान-सभा से सम्बन्ध रखता न था । इस बार के विराग का कारण भी कुछ अंजीव था । मैंने सन् १९२२ ई० और १९३० में भी जैलों में जाने पर देखा था कि जो लोग गांधी जी के नाम पर ही जेल में गये हैं, वही उनकी सभी बातें एक-एक करके ढुकराते हैं और किसी की भी सुनते नहीं । इससे मुझे बेहद तकलीफ हुई, मैंने सोचा कि जहाँ कोई व्यवस्था और नियम-पालन नहीं, अनुशासन नहीं, 'डिसिशन' नहीं, वह संस्था बहुत ही खतरनाक है । इसीलिये विरागी बन गया और १९३२ की लड्डाई से अलग ही रहा । मगर ठीक उसी समय, हजार अनिच्छा के होते हुए भी, जबर्दस्ती किसान-सभा में खिंच ही तो गया । जहाँ सन् १९२७ ई० किसान-सभा के जन्म का समय था, तहाँ सन् १९३३ ई० उसके पुनर्जन्म का । क्योंकि दर्यान के दोनों ओर में वह मरी पड़ी थी ।

इस प्रकार जब देखता हूँ तो राजनीति के विराग के ही समय में किसान-सभा में खिंच गया नजर आता हूँ । यह भी एक अंजीव-सी बात है कि राजनीति का वैराग्य किसान-सभा से विरागी न बना सका । दोनों बार के वैराग्य के भीतर प्रायः एक ही बात थी भी, और वह यह कि जो लोग कांग्रेस और गांधी जी को धोखा दे सकते हैं, भुलावे में डाल सकते हैं, वह जनता के साथ क्या न करेंगे ! फलतः उनसे मेरा साथ, मेरा सहयोग नहीं हो सकता है । फिर भी किसान-सभा में वही आये और रहे । लेकिन इसकी कोशिश मैंने उस समय की ही नहीं कि वे लोग उसमें आने न पायें । मुझे आज यह पहली सी मालूम हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों न किया । इसीसे तो कहता हूँ कि किस प्रेरणा ने मुझे उसमें वसीदा यद स्पष्ट दीखता नहीं । यह कहा जा सकता है कि यह वैराग्य शायद अशात

सूचना थी भविष्य के लिये और इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि ऐसे लोगों से किसानों का हित नहीं हो सकता—फलतः उनसे एक न एक दिन किनारांकशी करनी ही होगी । यह बात कुछ जँचती-सी है ।

उस समय एक और बात भी थी, जो ऊपर से ऐसी ही वेढ़ंगी लगती है । आखिर किसान-सभा भी तो राजनीतिक बत्तु ही है आज तो यह स्पष्ट हो गया है । यह तो सभी मानते हैं, फिर राजनीति का निचोड़ है रोटी, और उसी सवाल को किसान-सभा के द्वारा हल करना है । फिर राजनीति से होने वाला वैराग्य, जिसके भीतर कम से कम १६३२-३३ में किसान-सभा के प्रति अरुचि भी शामिल है । मुझे उस सभा में पुनरपि कूदने से क्यों न रोक सका जो कि कांग्रेस से रोके रहा, यह समझ में नहीं आता । किसान-सभा की राजनीति निरीली ही होगी, वह अर्थ नीति (रोटी) मूलक ही होगी, शायद वह इस बात की सूचना रही हो । राजनीति हमारा साधन भले ही, मगर साध्य तो रोटी ही है, यही दृष्टि संभवतः भीतर ही भीतर, अप्रकट रूप से काम करती थी, जो पीछे साफ़ हुई । लेकिन इतने से उस समय की परिस्थिति की बाहरी पेचीदगी खत्म तो हो जाती नहीं । वह तो साफ़ ही नजर आती है । मेरी आन्तरिक भावना किसानों के रंग में रँगी थी, इतना तो फिर भी स्पष्ट होई जाता है ।

लेकिन गांधीवाद के वर्ग सामज्जस्य (Class-collaboration) का किसान-सभा से क्या ताल्लुक, यह प्रश्न तो बना ही है । मैं तो उन दिनों पूरा-पूरा गांधीवादी था । राजनीति को धर्म के रूप में ही देखता था । यद्यपि इधर कई साल के अनुभवों ने बार-बार बताया है कि राजनीति पर धर्म का रंग चढ़ाना असंभव है, वेकार है, खतरनाक है इसीलिये विराग भी हुआ । फिर भी धून वही थी और धर्म में तो वर्ग सामज्जस्य हई । वहाँ वर्ग संघर्ष (Class-struggle) की गुंजाइश कहाँ । फलतः किसान-सभा भी उसी दृष्टिकोण को लेकर बनी । लेकिन उसमें भी एक विचिन्ता थी जो भविष्य की सूचना देती थी । गोया उस ओर कोई इशारा था ।

असल में सन् १९२७ ई० के आखिरी दिनों में पहले पहल किसान-सभा का आयोजन और श्रीगणेश होने पर और तत्सम्बन्धी कितनी ही मीटिंगें करने पर भी जब सन् १९२८ ई० के ४ मार्च को नियमित रूप से किसान-सभा बनाई गई तो उसकी नियमावली में एक यह भी धारा जुटी कि “जिन लोगों ने अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कामों से अपने को किसान-हित का शत्रु सिद्ध कर दिया है वे इस सभा के सदस्य नहीं हो सकते।” एक और तो मेल-मिलान और सामझस्य का खयाल और दूसरी ओर किसान-सभा की ऐसी गढ़वन्दी कि किसानों में भी वही उसके मेम्बर हों जो असली तौर पर किसान-हित के शत्रु संबंधित न हों। यह एक अजीब बात थी। आखिर ऐसे लोग किसान-सभा में आके क्या करते? जब जमीदारों से कोई युद्ध करना न था तब इतनी चौकसी का मतलब क्या? जमीदारों के खुफिया और ‘फिपथकौलम’ उसमें रहके भी क्या बिगाड़ डालते? खूबी तो यह कि शुरू वाली सभा में जो यह बात तय पाई वह ठेठ विहार प्रान्तीय किसान-सभा तथा आल-इंडिया किसान-सभा की नियमावली में भी जा दुसी। मेरे दिमाग में वह बात जमी तो थी ही। फलतः सर्वत्र मैं उसकी जरूरत सुमाता गया। इस प्रकार हम अनजान में ही हजार न चाहने पर भी, या तो वर्ग संवर्प की तैयारी शुरू से ही करते थे या उस ओर कम से कम अन्तर्दृष्टि से देख तो रहे थे ही, ऐसा जान पड़ता है।

जो पहली सभा बनी वह प्रान्त भर की नहीं ही थी। पटना जिले भर की भी न थी। उसका सूत्रगत विहार-आश्रम में ही हुआ था और यह विहार पटना जिले के पश्चिमी हिस्से के प्रायः किनारे पर ही है। वहाँ से तोन मीज पञ्चछम के बाद ही शाहबाद जिला शुरू हो जाता है। उस समय प्रान्तीय कौंसिल के लिये दो मेम्बर चुने तो जा थे—एक पूर्वी भाग से और दूसरा पश्चिमी से। इसी चुनाव के खयाल से पटना जिला दो हिस्सों में बँटा था और यह सभा पश्चिमी भाग की ही थी। इसी जिले उसे पश्चिम पटना किसान-सभा नाम दिया गया था। कोई कांतिकारी भावना

तो काम कर रही थी ही नहीं। वैधानिक ढंग से जार डालकर किसानों का कुछ भला करवाने और उनकी तकलीफें मिटवाने का खयाल ही इसके पीछे था। अन्यथा वर्ग सामज्ज्ञस्य नहीं रह जाता। सोचा गया था कि जो ही बोट माँगने आयेगा उसे ही विवश किया जायगा कि किसानों के लिये कुछ करने का स्थष्ट चब्बन दे।

पश्चिम पटना में भरतपुरा, धरहरा आदि की पुरानी जर्मीदारियाँ हैं। उस समय उनका किसानों पर होने वाला जुल्म बिहार प्रान्त में अपना सानी शायद ही रखता हो। किसान पशु से भी बदतर बना दिये गये थे और छोटी-बड़ी कही जाने वाली जातियों के किसान एक ही लाठी से हाँके जाते थे। इस दृष्टि से वहाँ पूरा साम्यवाद था। यद्यपि उनके जुल्मों की पूरी जानकारी हमें उस समय न थी; वह तो पीछे चलकर हुई। उस समय विशेष जानने की मनोवृत्ति थी भी नहीं। फिर भी वे इतने ज्यादा, ब्वलंत और साफ थे कि छन-छन के कुछ न कुछ हमारे पास भी पहुँच ही जाते थे। हमें यह भी मालूम हुआ था कि सन् १९२१ ई० के असेहयोग युग में पटने के नामधारी नेता उन जर्मीदारियों में सफल मीटिंग एक भी न कर सके थे। जर्मीदारों के इशारे से उन पर गोवर आदि गन्दी चीजें तक फेंकी गईं। सभा में लाठी के बल से किसान आने से रोक दिये गये। वे इतने पस्त थे कि जर्मीदार का नाम सुनते ही सपक जाते थे। हमने सांचा, एक न एक दिन यह जुल्म दोनों में मिहन्त करायेगा और इस प्रकार के घट-कलह से आजादी की लड़ाई कमज़ोर हो जायगी। फलतः आनंदोलन के दबाव से जुल्म कम करवाने और इस तरह घट-कलह रोकने की बात हमें सूझी। धरहरा के ही एक जर्मीदार हाल में ही कौंसिल में चुने गये थे। उनका काफी दबदबा था। हमने सोचा कि संगठित रूप से काम करने पर बोट के खयाल से वे दृঁगे और काम हो जायगा। बात कुछ थी भी ऐसी ही। वे जर्मीदार साहब इस सभा से बैहद चौंके और इसके खिलाफ उनने प्रचार-कोशिश भी की। शोपक तो खगमल की तरह काफी काह्यों होते हैं। इसी से वे सजग थे। हमें भी

यह बात बुरी लगी कि वे इतने सख्त दुश्मन क्यों बनें । मगर बात तो ठीक ही थीं । हम उस समय असल में जमीदारी को ऐसा समझते न थे जैसा पीछे समझने लगे । फिर भी यह भज्जाहट बनी ही रही और वे सन् १६३० ई० में हजारीबाग जेल में इसी की सफाई देने हमारे पास आये थे । बहुत डरे से मालूम होते थे । मगर उनका डर अन्ततोगत्वा सच्चा निकला, गो देर से । वयोंकि किसान-सभा ने ही उन्हें सन् १६३६-३७ के चुनाव में बुरी तरह पहले असेम्बली में पछाड़ा और पीछे डिस्ट्रिक्टवोर्ड में भी । मालदार लोग दूरंदेश होते हैं । फलतः इस खतरे को वे पहले से ही ताङ रहे थे कि हो न हो एक दिन भिन्नत होगी ।

सभा जो जिले भर की भी नहीं बनी उसका कारण था हमारा फूँक-फूँक के पाव देना ही । जितनी शक्ति हो उतनी ही जवाबदेही लो, ताकि उसे वर्खुनी सँभाल सको, इसी वसूल ने हमें हमेशा जल्दवाज़ी से रोका है । इसी खयाल से हम आल-इंडिया किसान-सभा बनाने में बहुत आगांपीछा करते रहे । इसी बजह से ही हमने प्रान्तीय किसान-सभा में पड़ने से भी—उसकी जवाबदेही लेने से भी—बहुत ज्यादा हिचक दिखाई थी । यही कारण था कि जिले भर की जवाबदेही लेने को हम उस समय तैयार न थे । मगर पता किसे था कि दो वर्ष बीतते-बीतते विहार प्रान्तीय किसान-सभा बन के ही रहेगी और न सिर्फ उसके स्थापनार्थ हमें आगे बढ़ना होगा, बल्कि उसकी पूरी जवाबदेही भी लेनी होगी । आखिरकार सन् १६२६ ई० के नवम्बर महीने में यही हुआ और सोनपुर मेले में प्रान्तीय किसान-सभा बनी ।

सन् १६२६ ई० के दिसम्बर का महीना था। लाहौर कांग्रेस के पूर्व और हमारी विहार प्रान्तीय किसान-सभा बन जाने के बाद ही सरदार चल्लभभाई का दौरा विहार में हुआ। दौरा प्रान्त के सभी मुख्य-मुख्य स्थानों में हुआ। राय हुई कि नवजात किसान-सभा इससे लाभ क्यों न उठाये। श्री चल्लभभाई हाल में ही किसान आन्दोलन और लड़ाई के नाम पर ही सरदार बने थे। बारदौली के किसानों की लड़ाई के संचालक की हैसियत से ही उन्हें सरदार की पदवी मिली थी। हमने सोचा कि हमारा किसान आन्दोलन उनसे प्रोत्साहन प्राप्त करे। हुआ भी ऐसा ही। जहाँ-जहाँ उनके दौरे का प्रोग्राम था तहाँ-तहाँ ठीक उनके पहले हम किसान-सभा कर लेते और पीछे उसी सभा में वह बोलते जाते थे। कहीं-कहीं उनने हमारा और हमारी किसान-सभा का नाम भी लिया था और उसे सहायता देने को कहा था। मगर हम तो सभा की तैयारी और लोगों की उपस्थिति से लाभ उठा के किसान का पैगाम लोगों को सुना देना ही बहुत बड़ा फायदा मानते थे।

मुजफ्फरपुर जिले के सीतामढ़ी कसबे में भी एक बड़ी सभा हुई। हमने अपना काम कर लिया था। वह बोलने उठे तो दूसरी-दूसरी बातों के साथ जमींदारी प्रथा पर उनने बहुत कुछ कहा और उसकी कोई जरूरत नहीं है, यह साफ-साफ सुना दिया। उनका कहना था कि सुना है, ये जमींदार बहुत जुल्म करते हैं। ये लोग गर्व किसानों को खब छोड़ते हैं, ये भलेमानस अपने को जर्दत्त माने चैठे हैं। लोग भी इन्हें ऐसा ही मानते हैं। इसीलिये डरते भी इनसे हैं। मगर ये तो निश्चय ही कमज़ोर हैं। यदि एक बार कबके इनका माधा दबा दिया जाय तो मैंजा (दिमाग की गृदी) बाहर निकल आये। फिर इनसे क्या डरना?

इनकी ज़रूरत भी क्या है ? ये तो कुछ करते नहीं ! हाँ, रास्ते में अड़िगे ज़रूर लगाते हैं, पता नहीं, आज वही बदल गये, दुनिया हीं बदल गई या जर्मांदार ही दूसरे हो गये । क्योंकि अब वह ये बातें बोलते नहीं, बल्कि जर्मांदारों के समर्थक बन गये हैं, ऐसा कहा जाता है । समय-समय पर परिवर्त्तन होते ही रहते हैं और नेता इस परिवर्त्तन के अपवाद नहीं हैं । शायद वे अब संजीदा और दूरदेश बन गये हैं, जब कि पहले सिर्फ़ आनंदोलनकारी agitator थे । मगर, गुस्ताखी माफ़ हो । हमें तो संजीदा के बदले 'एजीटेटर' ही चाहिये । अपनी-अपनी समझ और ज़रूरत ही तो ठहरी ।

हाँ, तो उसी सभा से हम लोग रात में लौरी के जरिये मुजफ्फ़रपुर रवाना हुए । हमें आधी रात की गाढ़ी पकड़ के छपरा जाना था । बां रामदयालु सिंह, पं० यमुना कार्पा और मैं, ये तीनों ही उस लौरी में थे । मैं था प्रान्तीय किसान-सभा का सभापति और कार्पा जी उसके संयुक्त मंत्री (डिविजनल सेक्रेटरी) थे । बां रामदयालु सिंह ने प्रान्तीय किसान-सभा की स्थापना में बहुत बड़ा भाग लिया था । वे उसकी प्रगति में लगे थे । इस तरह हम तीनों ही सभा के कर्ता-धर्ता थे—सब कुछ थे । हमीं तीनों ने उसे बनाया था और अगर हम तीनों खत्म होते तो सभा का खात्मा ही हो जाता यह पक्की बात थी ।

लौरी रवाना हो गई । रात के दस बजे होंगे । बां रामदयालु सिंह ड्राइवर की बगल में आगे वाली सीट पर थे और हम लोग भीतर थे । लौरी चलते-चलते एक तिहाई रास्ता पार करके रुनीसैदपुर में लगी । ड्राइवर उसे छोड़ कर्ही गया और थोड़ी देर बाद वापिस आया । हम चल पड़े । कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर को ऊँघ सी आने लगी । नतीजा यह हुआ कि लौरी डगमग करती जाती थी । कभी इधर फिसल पड़ती तो कभी उधर । ड्राइवर उसे ठीक सँभाल न सकता था । वह सड़क भी ऐसी खतरनाक है कि कितनी ही घटनायें (accidents) हो चुकी

हैं, कितनी ही मोटरें उलट चुकी हैं और कई मर चुके हैं। था भी रात का वक्त। खतरे की संभावना पद पद-पर थी।

बाबू रामदयालु सिंह बात ताड़ गये। उनने ड्राइवर को ऊँचता देख पहले दो-चार बार उसे सँभाला था सही। मगर वह नींद में थोड़े ही था। उस पर नींद की सवारी न होकर नशा की सवारी थी। रुनीसैदपुर में उसने शराब पी ली थी। अब तो वे घबराये। मारे डर के वे पसीने पसीने थे। हालाँकि दिसम्बर की कड़ाके की सदी थी। सो भी उस इलाके में तो और भी तेज होती है। वे बार-बार ड्राइवर को सजग करते थे। मगर वह नशा ही कथा कि सर पर न चढ़ जाय और बेकार न बना दे ! आखिर उनसे रहा न गया और उनने लौरी जबर्दस्ती रुकवाई। तब कहीं हमें पता चला कि कुछ बेंगा मामला है। अब तक हम भी वे खबर थे।

हम सभी उत्तर पड़े और उनने कहा कि रास्ते में शराब पीके हम सबों को यह मारना चाहता है। देखिये न, मैं पसीने-पसीने हो रहा हूँ हालाँकि इस कड़ाके के जाड़े में लौरी पर हवा भी लगती है। फलतः काँपना चाहिये। हम सबों की जान पद-पद पर खतरे में देखके मैं धर्म रहा था। मगर जब देखा कि अब कोई उपाय नहीं है तो रोका है। यदि कोई बद्धना हो जाती और लौरी उलट जाती या नीचे जा गिरती तो सारी की सारी विहार प्रान्तीय किसान-सभा ही खत्म हो जाती। हम सभी इसी पर बैठे जो हैं। कल हमारे शत्रुओं के घर धी के चिराग जलते। इसलिये मैं तो इसका नाम-धाम नोट करके जिला मणिस्ट्रेट को इस बात की रिपोर्ट करूँगा। ताकि आइन्दा इस प्रकार की शैतानियत ये ड्राइवर न करें और नाहक लोगों की जानें जोखिम में न डालें।

उनने उसका नाम बाम लिखा सही और वह डर भी गया। इससे हम सभी सकुशल मुजफ्फरपुर व्टेशन पर पहुँच गये। हमने द्वेन भी पकड़ ली। न जानें मणिस्ट्रेट के वहाँ रिपोर्ट हुई या नहीं। मगर “समूची किसान-सभा ही खत्म हो जाती” यह बात मुझे भूलती नहीं। इसकी स्मृति कितनी मधुर है।

कुछ लोगों की धारणा है कि उनने कभी भूल की ही नहीं और न उनके विचारों में विकास हुआ। उनके विचार तो पक्काये शुरू से ही थे। इसीलिये जिनके विचारों का क्रम विकास हुआ है उनकी वे लोग मौके-भौके पर, अपनी जरूरत के मुताबिक, हँसी भी उडाया करते हैं। इधर उन्हीं दोस्तों ने यह भी तरीका अखिलयार किया है कि जिस प्रगति-शील कार्य पर उनकी मुहर न हो वह नाकारा और रद्दी है। वह यह भी कहने की हिम्मत करते हैं कि विहार प्रान्तीय किसान-सभा को बनाया कांग्रेस ने ही। या यों कहिये कि उसके स्थापक कट्टर (Orthodox) कांग्रेसी ही हैं। उनका मतलब उन कांग्रेसियों से है जो गान्धीवादी कहे जाते हैं। यह आवाज अभी-अभी निकलने लगी है। इसके पीछे क्या रहस्य है कौन जाने ?

मगर असल बात तो यही है कि मैं, परिडत यमुना कार्णी और ब्राह्मणदयालु सिंह, यही तीन उसकी जड़ में थे—इन्हीं तीन ने उसका विचार किया, कैसे वह शुरू की जाय यह सोचा, सोनपुर के मेले में ही सुन्दर किया है ऐसा तथ किया, लोगों के पास दौड़-घूप की, नोटिंग छपवाईं और बैटवाईं और मेले में इसका पूरा आयोजन किया। कोई बता नहीं सकता कि इसमें चौथा आदमी भी था। यह तो कठोर सत्य है, अदिग बात है। और इन तीनों में रामदयालु ब्राह्मण ही एक गान्धीवादी कहे जा सकते हैं। ऐसी हालत में वे दुनियाद बातों की गुंजाइश ही कहाँ है ?

यह ठीक है कि नाम भाव के लिये प्रमुख कांग्रेसी सभा के साथ ये, या यों कहिये कि उसके मेम्बर थे। मगर यह मेम्बरी तो कोई बाकायदा यी नहीं। किसान-सभा के लक्ष्य पर दस्तखत करके और सदस्य शुल्क देके कितने लोग मेम्बर रहे क्या यह बात कोई बतायेगा ! ऐसे मेम्बर बनने के

लिये उनमें एक भी तैयार न था । ब्रह्मिक वनने के बहुत पहले ही उनमें असुख लोगों ने विरोध शुरू कर दिया । यहाँ तक कि इसमें शामिल होने के विरुद्ध सूचना बाँटी गई प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की ओर से । इतना ही नहीं । सोनपुर के बाद ही जब उन लोगों की सम्मति चाही गई तो बाजू ब्रजकिशोर प्रसाद ने, जो उस समय कांग्रेस के दिमाग माने जाते थे, इसका सख्त विरोध किया और साफ कह दिया कि यह खतरनाक चीज वनने जा रही है । अतः मैं इसके साथ नहीं हूँ । यह ठीक है कि और लोगों ने उस समय इनकार नहीं किया । सच तो यह है कि ऐसा करने का मौका ही उन्हें नहीं मिला । वे समझी न सके कि किसान-सभा ऐसी चीज बन जायगी । क्योंकि पीछे वह बात समझते ही कुइबुड़ाहट और विरोधी प्रोपैगैन्डा शुरू हो गया । यह भी ठीक है कि औरों का नाम देख एकाध ने उलाइना भी दिया कि हमारा नाम क्यों नहीं दिया गया । इसीलिये उनका नाम पीछे जोड़ा गया भी । मगर इससे वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं आता । नाम दे देने से कोई भी सभा का स्थापक नहीं कहा जा सकता । सौ बात की एक बात तो यह है कि यदि सभा की स्थापना का अध्य कोई चौथा भी लेना चाहता है तो उसका नाम क्यों बताया नहीं जाता ? क्योंकि तब तो स्पष्ट पूछा जा सकता है कि उसने इस सम्बन्ध में कव क्या किया ? यह तो उसे बताना ही होगा । इसलिये केवल गोल-गोल बातों से काम नहीं चलेगा । नाम और काम बताना होगा ।

मगर हमें तो इसमें भी झगड़ा नहीं है कि किसने यह काम किया । इतना तो असलियत के लिहाज से ही हमने कहा है । फिर भी यदि किंसी को वैसा दावा हो-तो हम उसकी खुशी में गड़बड़ी क्यों डालें ? हमें क्या ? सभा चाहे किसी ने बनाई । मगर वह जिस सूरत में या जिस प्रकट विचार से पहले वनी अब वह बात नहीं रही । धोरे-धोरे अनुभव के आधार पर वह आगे बढ़ी है और अब उसमें सोलहों आने लगान्तर आगया है । यह ठीक है कि वह किताबी ज्ञान के आधार पर न तो बनी ही थी और न वर्तमान रूप में आई ही है । इसीलिये इसका आधार बहुत ही टोल है ।

संघर्ष के मध्य में वह जन्मी और संवर्प ही में पलते-पलते सयानी हुई है। इसीलिये वह काफी मजबूत है भी। शोषित जनता की वर्ग संस्थाओं को इसी प्रकार बनना और बढ़ना चाहिये, यही कांतिकारी मार्ग है। लेनिन ने कहा भी है कि हमें जनता से और अपने अनुभवों से सीखकर ही जनता का पथ-प्रदर्शन करना चाहिये। जनता अपने ही अनुभव से सीख-कर जब नेताओं की बातों पर विश्वास करती है और उन्हें मानने लगती है तभी वह हमारा साथ देती है, ऐसा स्तालिन ने चीन के सम्बन्ध के विवरण में कहा है :—

“The masses themselves should become convinced from their own experience of the correctness of the instructions, policy and slogans of the vanguard.”

इसीलिये बजाय शर्म के खुशी की बात है कि अनुभव के बल पर ही हम आगे बढ़े हैं और इसमें किसानों को भी साथ ले सके हैं।

मगर हमारे कांतिकारी नामधारी दोस्तों की एक बात तो हमारे लिये पहली ही रहेगी। जब हम उसे याद करते हैं तो एक अजीब घण्टे में पड़ जाते हैं। हमारे दोस्तों का दावा है कि किसान-सभा को वही कांतिकारी मार्ग पर ला सके हैं; उन्होंने ही उसे कांतिकारी प्रोग्राम दिया है आदि आदि। जब हम पहली और ठेठ आज की उनकी ही कार्यवाहियों का ख्याल करते हैं तो उनका यह दावा समझ में नहीं आता। उनमें एक भाई का दावा है—और वाक़ी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं—कि उन्होंने ही जर्मीदारी मिटाने का प्रस्ताव पहले पहल किसान सभा में पेश किया था। शायद उन्हें यह बात याद नहीं है कि उनकी पार्टी के जन्म के बहुत पहले युक्त प्रान्त में श्री पुरुषोत्तमदास टिण्डन ने एक केन्द्रीय किसान सघ बनाया था और दूसरी-दूसरी अनेक बातों के साथ ही जर्मीदारी मिटाने की बात उस संघ ने मान ली थी। जब सन् १९३४ ई० की गर्मियों में वे द्वितीय प्रान्तीय किसान सम्मेलन का सभापतित्व कैसे गया में आये थे

तो वहाँ भी उनने वह प्रस्ताव पास कराना चाहा था । मगर हमें सबने—जिनमें सोशलिस्ट नेता भी शामिल थे—उसको विरोध किया था । फलतः वह गिर गया । उनके प्रस्ताव की खूबी यह थी कि मुआविजा (मूल्य) देकर ही जर्मीदारी मिटाने की बात उसमें थी ।

टरडन जो भी इस बात के साक्षी हैं कि मैंने दूसरे दिन सम्मेलन में जो भाषण दिया था उसमें स्पष्ट कंह दिया था कि जहाँ तक विहार प्रान्तीय किसान सभा का ताल्जुक है, उसने जर्मीदारी मिटाने का प्रस्ताव अभी तक नहीं माना है; क्योंकि इसमें अभी उसे हानि नजर आती है । मगर जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सबाल है, मैं उसके मिटाने का पूर्ण पक्ष-पाती हूँ । लेकिन मूल्य देकर नहीं किन्तु योंही छीन कर । यही हमारे सामने संबंध से दिक्षित है इसके सम्बन्ध में । टरडन जो को इस बात से आश्र्य भी हुआ था कि छीनने के पक्ष में तो है । मगर मुआविजा देके खत्म करने के पक्ष में नहीं ।

एक बात और । सन् १९३४ ई० के आखिर में सिलौत (मनियारी-मुजफ्फरपुर) में जो किसान कान्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा जाता है, जर्मीदारी मिटाने का प्रस्ताव एक किसान लीडर ने, जो अपने को इस बात के लिये मसीहा घोषित करते हैं, पेश किया था । मैं भी वहाँ मौजूद था । प्रस्ताव का वह अंश यों था कि किसान और सरकार के बीच में कोई शोषक वर्ग न रहे इस सिद्धान्त को प्रान्तीय किसान-सभा स्वीकार करे । यहाँ विचारना है कि टरडन जी वाले प्रस्ताव से इसमें विलक्षणता क्या है ? मुआविजा की बात पर यह चुनूर है । इसलिये ज्यादे से ज्यादा यही कहा जाता है कि गोल-मोल बात ही इसमें कही गई है, जब कि टरडन जी ने स्पष्ट कह दिया था । मगर असल बात तो यह है कि जर्मीदारी का नाम इसमें है नहीं । यह भी खूबी ही है । शोषक कहने से जर्मीदार भी आ जाते हैं, मगर स्पष्ट नहीं । यहाँ भी गोल बात ही है । फलतः गान्धी जी के—द्रस्त्री वाले सिद्धान्त की भी इसमें गुंजाइश है । क्योंकि द्रस्त्री होने पर तो जर्मीदार शोषक रहेगा नहीं । फिर जर्मीदारी मिटाने का क्या सबाल ? यही

कारण है कि खासमहाल में, जहाँ सरकार ही जर्मीदार है, जर्मीदारी मिटाने की बात इस प्रस्ताव के पास होने पर भी भहों उठती। अतएव जो लोग जर्मीदारी को सर्वत्र ही खासमहाल बना देना चाहते हैं उनके लिये यह प्रस्ताव स्वागतम् है। फिर भी इसी पर दोस्तों की इतनी उछल-कूद है।

उस सभा में जर्मीदारों के दोस्त काफी थे। वहाँ पर एक चलते-पुर्जे जर्मीदार हैं जो एक मठ के महन्त हैं। उनके इष्ट-मित्रों की संख्या काफी थी और जी हुजूरों की भी। उनने उसका खूब ही विरोध किया। मगर सफलता की आशा न देख यह प्रश्न किया और करवाया कि स्वामी जी भी यहाँ हैं। अतः उनसे भी इस प्रस्ताव के बारे में राय पूछी जाय कि वे इसके पक्ष में हैं या नहीं और यह प्रस्ताव प्रान्तीय किसान-सभा के सिद्धान्त के विपरीत है या नहीं। उन लोगों का ख्याल था कि मैं तो इसका विरोध करूँगा ही और प्रान्तीय सभा के मन्तव्य का विरोधी भी इसे जरूर ही बताऊँगा। मगर मैं नहीं चाहता था कि बीच में पड़ूँ। मैं चाहता था कि मेरे या किसी दूसरे के प्रभाव के बिना ही लोग खुद स्वतंत्र रूप से राय कायम करें। मुझे तो किसानों की और जनता की भी मनोवृत्ति का ठीक-ठीक पता लगाना था, जो मेरे कुछ भी कहने से नहीं लग सकता था। कारण, लोग पक्ष या विपक्ष में प्रभावित हो जाते।

परन्तु विरोधियों ने इस पर जोर दिया हालाँकि प्रस्ताव वाले शायद ढरते थे कि मेरा बोलना ठीक नहीं। जब मैंने देखा कि बड़ा जोर दिया जा रहा है और न बोलने पर अदि कहीं प्रस्ताव गिर गया तो बुरा होगा, तो अन्त में मैंने कह दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप में इस प्रस्ताव का विरोधी तो नहीं ही हूँ। साथ ही, प्रान्तीय किसान सभा के सिद्धान्त के प्रतिकूल भी यह है नहीं। क्योंकि यह तो सभा से सिफारिश ही करता है कि यह बात मान ले। वस, फिर क्या था, बिजली सी दौड़ गई और बहुत बड़े बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ। मैंने यह भी साफ़ ही कह दिया कि यह प्रस्ताव तो लोकमत तैयार करता है और उसे जाहिर भी करता है, जहाँ तक जर्मीदारी या शोग्य मिटाने का सवाल है। ऐसी हालत में हमारी सभा इसका स्वागत ही करेगी।

क्योंकि हमें लोकमत को जानना तो चाहते ही हैं । साथ ही, उसे तैयार करना भी प्रसन्न करते हैं । हमें खुद लोगों पर किसी सिद्धान्त को लादने के बैजाय लोकमत के अनुसार ही सिद्धान्त तय करना प्रसन्न है । यही कारण है, कि अब तक हमारी प्रान्तीय किसान सभा इस बारे में मौन है । वह अभी तक अनुकूल लोकमत जो नहीं पा रही है ।

इस प्रसंग से एक और भी बात याद आती है । हमारे कुछ दोस्त जर्मीदारी मिटाने के अग्रदूत अपने को मानते हैं—कम से कम यह दावा आज वे और उनके साथी करते हैं । भगव इस सम्बन्ध में कुछ बातें स्मरणीय हैं । जब सन् १९२६ ई० के नवम्बर में सोनपुर के मेले में विहार प्रान्तीय किसान सभा की स्थापना हो रही थी, और उन लोगों के मत से आज के गांधीवादी ही उसे कर रहे थे तो उनने खुली सभा में उसका विरोध किया था । उनकी दलील थी कि किसान सभा की जरूरत ही नहीं । कांग्रेस से ही वह सभी काम हो जायेगे जिनके लिये यह सभा बनाई जाने को है । उनने यह भी कहा कि किसान सभा बनने पर किसान उसी ओर वहक जायेगे और इस प्रकार कांग्रेस कमज़ोर हो जायगी । मैं ही उस समय सभापति था और मैंने ही उनका उचित उत्तर भी दिया था । इसीलिये ये बातें मुझे याद हैं । इन दलीलों को पढ़ के कोई भी कह दैठेगा कि कोई गांधीवादी आज (सन् १९४१ ई० में) किसान सभा का विरोध कर रहा था । वह यह समझी नहीं सकता कि भावी क्रांतिकारी (क्योंकि पता नहीं कि वे उस समय क्रांतिकारी थे या नहीं) यह दलीलें पेश कर रहा है जो आगे चलकर जर्मीदारी मिटाने का अग्रदूत बनने का दावा करेगा ।

शायद कहा जाय कि उस समय उन्हें इतना ज्ञान न था और क्रांतिकारी पार्टी भी पीछे बनी । खैर ऐसा कहने वाले यह तो मानी लेते हैं कि ये मरीहा लोग भी एक दिन कष्ट दक्षिणात्यस थे । क्योंकि उनकी नजरों में आज जो एकाएक दक्षिणात्य दीखने लगे हैं वही जब किसान सभा के विरोध के बजाय उसके समर्थक थे तब मरीहा लोग विरोधी थे । वह निराली बात है ।

लेकिन लखनऊ का 'सर्वर्ष' नामक सांसाहिक हिन्दी-पत्र तो क्रांति-कारी ही है। उसने जब सन् १९३८ में अपने अग्र लेख में यहाँ तक गलिख मारा कि हमें किसान सभा का भी उपयोग करना चाहिये, तो मुझे विवश होके सम्पादक महोदय को पटना में ही उलाहना देना पड़ा और इसके लिये सख्त रंजिश जाहिर करनी पड़ी। यह अंजीव वात है कि क्रांति के अग्रदूत बनने के दावेदार कांग्रेस के मुकाबिले में किसान सभा जैसी वर्ग संस्थाओं को गौण मानें। उनने हजार सफाई दी। मगर मैं मान न सका।

(६८-४१)

आगे चलिये। कुछ महीने पूर्व एक सर्कर्यूलर देखने को मिला था। उसमें और और वातों के साथ लिखा गया है कि "आज तक किसान सभाओं का संगठन स्वतंत्र होते हुए भी राजनीतिक क्षेत्र में वह कांग्रेस की मददगार मात्र और उसके नीचे रही है! यहाँ 'मददगार मात्र' में 'मात्र' शब्द घड़े काम का है। जो लोग किसान सभाओं को सन् १९४१ ई० के शुरू होने तक राजनीतिक वातों में कांग्रेस की सिर्फ मददगार और उसके नीचे मानते रहे हैं वही जब दावा करते हैं कि किसान सभा में जमींदारी मिटाने का प्रत्याव पहले पहल लाने वाले वही हैं तो हम हैरत में पड़ जाते हैं। जमींदारी मिटाने की वात तो जवर्दस्त राजनीति है। कांग्रेस ने आज तक खुल के इस वात का नाम नहीं लिया है। प्रत्युत उसका नीति-निर्धारण जिस पुश्प के हाथ में है वह तथा कांग्रेस के द्विगज नेता एवं कर्णधार—सब के सब—जमींदारी का समर्थन ही करते हैं। गान्धी जी ने तो यहाँ तक किया कि सन् १९३४ ई० में युक्त प्रान्त के जमींदारों के प्रतिनिधि मंडल (deputation) को खुले शब्दों में कह दिया था कि "Better relations between the landlords and tenants could be brought about by a change of heart on both sides. He was never in favour of abolition of the Taluqdar or zamindari system." ("Maharatta", 12. 8. 1934)

“किसानों और जमींदारों के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे हो जायेगे दोनों के हृदय परिवर्त्तन से ही । मैं नहीं चाहता कि जमींदारी या तेलिलुके-दारी मिटा दी जाय ।” ऐसी दशा में एक श्रोतों के किसान-सभा को कांग्रेस के नीचे और उसकी मददगार मात्र मानना और दूसरी ओर सभा के जरिये ही जमींदारी मिटाने का दावा करना ये दोनों बहिं पहेली सी हैं । इनका रहस्य समझना साधारण बुद्धि का काम नहीं है ! कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि शुरू में ही किसान-सभा की स्थापना के विरोध से लेकर आज तक जो नीति हमारे ये क्रांतिकारी दोस्त अपने लिये निश्चित करते आरहे हैं । उसमें मेल है—कोई विरोध नहीं है । और अगर जमींदारी मिटाने जैसी बात की चर्चा देख के विरोध मालूम भी पढ़ता है, तो वह सिर्फ़ ऊपरी या दिखावायी है । क्योंकि राजनीति तो पेचीदा चीज़ है और हमारे दोस्त लोंग इस पेचीदगी में पूरे प्रवीण हैं ! यह तो एक कला है और विना कलावाजी के सबको खुश करना या सर्वत्र बाहवाही लूटना गैर-मुमकिन है ।

लेकिन जब मैं खुद आज तक की बातों का ख्याल करता हूँ तो मेरे दिमाग में यह बात आती ही नहीं कि कैसे किसान-सभा कांग्रेस के नीचे और उसकी मददगार मात्र रही है । हमने तो कभी ऐसा सोचा तक नहीं । हमारे इन दोस्तों ने भी आज तक किसी भी मौके पर यह बात नहीं कही है । मुझे तो हाल के उनके इस सर्वरूलर से ही पहले पहल पता चला कि वे ऐसा मानते रहे हैं । यह जान कर तो मैं हैरत में पड़ गया । आखिर कभी भी तो वे इस बात का जिक्र हमारी मीठिंगों में करते । इतनी महत्त्व-पूर्ण बात यों ही क्यों गुपचुप रखी गई यह कौन कहे ? कांग्रेस मिनिस्ट्री के जमाने में हमने बकाशत संघर्ष सैकड़ों चलाये और दो हजार से कम किसानों या किसान सेवकों को इस तरह जें जाना नहीं पड़ा । मिनिस्ट्री इसके चलते वेहद्वं परीशान भी हुई । इसीलिये तो सन् १९३८ ई० के जून में घमर्डे में ऐसी लहाइयाँ रोकी गईं और न मानने वालों को कांग्रेस से निकालने की धमकी दी गई । फिर भी हमने न माना । जिसके फल-

स्वरूप हम कितनों को ही कांग्रेस से अलग होना पड़ा । इतने पर भी किसान-सभा को कांग्रेस के नीचे और उसकी मददगार मात्र बना देने की समझ और हिम्मत की तारीफ है ।

चाहें पहले किसी को ऐसा ख्याल करने की गुंजाइश रही भी हो; क्योंकि शुरू में जान-बूझकर किसान सभा इसी प्रकार चलाई गई थी कि किसी को शक न हो कि यह सोलहों आने स्वतंत्र चीज है, संस्था है; इससे इसके प्रति बाल्यावस्था में ही भयंकर विरोध जो हो जाता इसीलिये एक प्रस्ताव के द्वारा यह कहा गया था कि राजनीतिक मामलों में सभा कांग्रेस का विरोध न करेगी । मगर फिर भी यह कभी न कहा गया कि उसकी मातहत है यों उसकी मदद करेगी । मगर जब हमने सन् १९३५ ई० के बीतते न बीतते हाजीपुर वाले सम्मेलन में जमींदारी मिटाने का निश्चय कर लिया तब भी इसे ऐसा समझना कि यह कांग्रेस की मातहत है, निराली सी बात है । जमींदारी मिटा देने की बात एक ऐसी चीज है जो बता देती है साफ-जाफ कि किसान-सभा और कांग्रेस दो जुड़ी संस्थाएँ हैं जिनके लंक्ष्य और रास्ते भी जुड़े हैं, भले ही मौके व मौके मतलब-पश दोनों का मेल हो जाय । हम तो जमींदारी बगैर के बारे में साफ जानते हैं कि ता० १२-२-२२ ई० को बारदौली में कांग्रेस की वार्यकारिणी ने असहयोग आन्दोलन को स्थगित करते हुए इस सम्बन्ध में जो कहा था वही आज तक कांग्रेस की निश्चित नीति है । उस कमिटी के प्रस्ताव की छठठां और सातवीं धाराओं में यह बात साफ लिखी है । वह यों है :—

“The working committee advises Congress workers and organisations to inform the ryots (peasants) that withholding of rent-payment to the zamindars (land-lords) is contrary to the Congress resolution and injurious to the best interest of the country.

The Working Committee assures the zamin-dars that the Congress movement is in no way intended to attack their legal rights, and that, even when the ryots have grievances, the committee desires that redress be sought by mutual consultation and arbitration."

इसका अर्थ यह है, "वर्किंग कमिटी (कार्य-कारिणी कमिटी) कांग्रेस कार्य-कर्त्ताओं और संस्थाओं को यह सलाह देती है कि वे किसानों (रैयतों) से कह दें कि जमींदारों को लगान न देना कांग्रेस के प्रस्ताव के विरुद्ध तथा देश-हित का वातक है।

"कमिटी जमींदारों को विश्वास दिलाती है कि कांग्रेस आन्दोलन का मंशा यह हर्गिंज नहीं है कि उनके कानूनी अधिकारों पर वार किया जाय। कमिटी की यह भी इच्छा है कि यदि कहीं किसानों की शिकायतें जमींदारों के खिलाफ हों तो वे भी दोनों की राश, सज्जाह और पंचायत की सहायता से ही दूर की जाय।"

हम समझ नहीं सकते कि जमींदारी और जमींदारों के अन्यान्य कानूनी हक्कों की इससे ज्यादा और कौन सी ताईद कांग्रेस कर सकती है। (०-८-४१)

सन् १६३२ ई० के आखिरी और सन् १६३३ ई० के आरंभ के दिन थे। कांग्रेस का सत्याग्रह आन्दोलन धुआँधार चल रहा था। सरकार ने इस बार जम के पूरी तैयारी के साथ छापा मारा था। इसलिये दमन का दावानल धाँय-धाँय जल रहा था। सरकार ने कांग्रेस को कुचल डालने का कोई दक्षिणा उठा रखा न था। लार्ड विलिंगटन भारत के वायसराय के पद पर आसीन थे। उनने पक्का हिसाब लगा के काम शुरू किया था। ऊपर से, बाहरी तौर पर, तो मालूम होता था सरकार ज्येष्ठ के मध्याह के सूर्य की तरह तप रही है। इसलिये प्रत्यक्ष देखने में आन्दोलन लापता सा हो रहा था। मीटिंगों का कोई नाम भी नहीं लेता था। यहाँ तक कि गुंगेर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव जब सन् १६३३ में होने लगा और सभी नेताओं के जेल में बन्द रहने के कारण उस जिले में मेरे दौरे की जरूरत पड़ी तो लोगों को भय था कि मीटिंग होई न सकेंगी। बड़हिया में पहली और लवलीसराय में दूसरी मीटिंग की तैयारी थी। उस समय बड़हिया में अतिरिक्त पुलिस डेरा डाले पड़ी थी। जब मैं मीटिंग करने गया तो अफसरों के कान खड़े हो गये। वे सदल-बल मीटिंग में जा जमे। मेरे भाषण के अक्षर-अक्षर नोट किये जा रहे थे। जब मेरा बोलना खत्म हुआ और सब ने देखा कि यह तो केवल चुनाव की ही बातें बोल गया जो निर्दोष हैं तब कहीं जाकर उनमें ठंडक आई। यही बात कम-वेश लखीसराय में भी पाई गई।

देश के और विहार के भी सभी प्रमुख नेता और कार्य-कर्त्ता जेलों में बन्द थे। बाहर का मैदान साफ था। रिफ्ट मैं बाहर था। कहीं चुका हूँ कि सन् १६३० ई० में जेल मैं जैने जो कुछ कांग्रेसी नेताओं के बारे में देखा था—ठेठ उनके बारे में जो फर्ट और सेकंड डिविलन में रखे गये थे—उससे मेरा मन जल गया था और मैं कांग्रेसी राजनीति से विरागी बन

लया था । क्योंकि कहने के लिये कुछ और व्यवहार में कुछ दूसरा ही पाया । यही सन् १६२२ ई० में भी देख चुका था । मैं सोचता कि १६२२ की बात तो पहले पहल की थी । अतः भूँ संभव थीं । मगर जब द-१० साल के बाद ब्रजाय उन्नति के उसमें बुरी अवनति देखी । तो विराग होना खामोशिक था । सोचता था, ऐसी संस्था में क्यों रहूँ जिसकी बातें केवल दिखावटी हों और सख्ती के साथ हर हालत में जिसके सदस्यों की नियम-पावन्दी का कोई इन्तजाम न हो । ऐसी संस्था तो धोखे की चीज होगी और टिक न सकेगी । हम अपने ईमान को धोखा देते-देते जनता को भी जिसकी सेवा का दम हम भरते हैं, धोखा देने लग जाएंगे । इसीलिये सन् १६३२ ई० में पुराने दोस्तों और सांथयों के हजार कहने-मुनने पर भी मैं संघर्ष में न पड़ा । फलतः बाहर ही पड़ा तमाशा देखता था ।

चिहार ही ऐसा प्रान्त उस समय था जहाँ कांग्रेस के सिवाय कोई भी सार्वजनिक संस्था जमने पाती न थी । मुसलिम लीग, हिन्दू सभा वा लिवरल फिडरेशन तक का यहाँ पता न था । किसान-सभा तो यों बन सकी कि उसमें दूसरे लोग थे ही न । यह भी बात थी कि लोग समझते थे कि यह तो खुद ही खत्म हो जायगी । क्योंकि किसी खास मतलब से ही बनी मानी जाती थी और वह मतलब शीघ्र ही पूरा हो जाने वाला माना जाता था । हर हालत में इसे कांग्रेस के विरुद्ध न जाने देने का इरादा लोगों ने कर लिया था ; यही कारण है कि शुरू के पाँच-छे वर्षों में हमें भी फँक-फूक के पाँव देने पड़े थे । और यह सभा भी सन् १६३० के शुरू में ही स्थगित कर दी गई थी तथा तब तक इसे पुनर्जीवित करने की चेष्टा भी न की गई थी ।

इसलिये सरकार ने, जर्मांटारों ने, मालदारों ने और उनके दोत्त जी-हुजरों ने सोचा कि यही सुनहला मौका है । इससे फायदा उठा के एक ऐसी संस्था बना दी जाय जो कांग्रेस का सुकान्तिला कर सके । तभी प्रमुख नेता और कार्य-कर्ता एक तो जेल में थे । दूसरे जो बाहर थे भी उन्हें कांग्रेस की लहाइ के प्रबन्ध से फुर्सत कहाँ थी कि और कुछ करते या इस

नई संस्था का विरोध करते ? जैसा कि जन आन्दोलन की सनातन रीति है कि दम न होने पर भीतर चला जाता है और ऊपर से नजर नहीं आता, ठीक वही बात कांग्रेस की लड़ाई की थी । वह भी भीतर ही भीतर आग की तरह धक्क-धक्क जल रही थी । इसीलिये उसे चलाने में ज्यादा दिक्कतें थीं । पुलिस परछाई की तरह सर्वत्र धूमती जो थी पंता पाने के लिये, ताकि छपक पड़े । वह इस तरह अनजान में ही अपनी मर्जी के खिलाफ जनता को गुस्सा रीति से आन्दोलन चलाने को न सिर्फ प्रोत्साहित कर रही थी, वरन् उसे इस काम में शिक्षित और ढूढ़ बना रही थी । आखिर जरूरत पड़ने पर ही तो आदमी सब कुछ कर डालता है । इसे तरह देश का आन्दोलन असली क्रांतिकारी मार्ग पकड़ के जा रहा था । गान्धी जी ने जो इसे सन् १९३४ ई० के शुरू में ही बन्द कर दिया उसका भी यही कारण था । वे इस बात को ताड़ गये थे । वे समझते थे कि यदि न रोका गया तो उनके और मध्यम वर्ग के हाथों से यह निकल जायगा । और सचमुच जन-आन्दोलन बन जायगा, और ऐसा होने में स्थिर स्वार्थों (Vested interests) की सरासर हानि थी ।

हाँ, तो यारों की दौड़ धूप शुरू हो गई । कभी पटना और कभी रांची में, जहाँ पर गवर्नर साहब के चरण विराजते वहाँ महाराजा दरभंगा वंगैरह बड़े-बड़े जमींदार बार-बार तशरीफ ले जाते, बाँतें होतीं और सरकार का आशीर्वाद इस मामले में प्राप्त करने की कोशिश होती थी । आशीर्वाद तो सुलभ था ही । मगर सरकार भी देखना चाहती थी कि ये लोग उसके पात्र हैं या नहीं । उसे भी गर्ज तो थी ही कि कांग्रेस की प्रतिद्वंद्वी कोई भी संस्था खड़ी की जाय । इसलिये बड़ी दौड़ धूप के बाद और महीनों सलाह मशविरा के फलस्वरूप जहाँ तक याद है, रांची में यह बात तय पा गई कि बूनाटेंड पार्टी (संयुक्त दल) के नाम से ऐसी संस्था बनाई जाय । वेशक जमींदारों के भीतर भी इस बारे में दो दल थे जिनके बीच सिर्फ नेतृत्व का कागड़ा था कि कौन इसका नेता बने । मगर नेतृत्व तो सबसे बड़े जमींदार और पूँजीपति महाराजा दरभंगा को ही मिलना था ।

असल में उनके सद्व्यक्त और निकट सलाहकार कौन हों यही तथा नहीं हो सकता था। आखिरश राजा सूर्यपुरा (शाहावाद) उनके निकट सलाहकार (मंत्री) बने। भीतरी मतभेद के रहते हुए भा आपस की दलवन्दी जमींदारों के इस महान कार्य में—इस महाजाल में—वाधक कैसे हो सकती थी? इस प्रकार यूनाइटेड पार्टी का जन्म हो गया।

इस सम्बन्ध की एक और बात है। जब हमारी प्रान्तीय किसान-सभा पहले पहल बनी तो पठने के बच्चिल बा० गुरुसहाय लाल भी उसके एक संयुक्त मंत्री बनाये गये, हालाँकि काम-बाम तो उनने कुछ किया नहीं। असल में तब तक की हालत यह थी कि पुरानी कौंसिल में किसानों के नाम पर जोई दो-चार आँखू बहा देता, दो एक गर्म बातें बोल देता या ज्यादे से ज्यादा किसान-हित की दृष्टि से काश्तकारी कानून में सुधार के लिये एकाध मामूली बिल पेश कर देता, वही किसानों का नेता माना जाता था। गोया किसान लावारिस माल थे, उनका पुर्सांहाल कोई न था। इसलिये 'दे खुदा की राह पर' के मुताबिक जिरने उनकी ओर अपने स्वार्थ साधन के लिये भी जरा नजर उठाइ कि वही उनका मुखिया (spokes man) माने जाने लगा। प्रायः सब के सब ऐसे मुखिया जमींदारों से मिले-जुले ही रहते थे और दो एक गर्म बातें बोल के और भी अपना उल्लू सीधा कर लिया करते थे। ऐसे ही लोगों ने सन् १९२६ ई० में भी एक बिल पेश किया था किसानों के नाम पर टेनेन्सी कानून की तरमीम के लिये, जिसके करते जमींदारों ने एक उल्टा बिल ठांक दिया था। फलतः दोनों को ताक पर रखके सरकार ने अपनी ओर से एक तीसरा बिल पेश किया था और उसीके विरोध को ताक्तालिक कारण बनाके प्रान्तीय किसान को जन्म दिया गया था।

सरकार का हमेशा यही कहना था कि काश्तकारी कानून का संशोधन दोई तरह से हो सकता है—या तो किसान और जमींदार यो इन दोनों के प्रतिनिधि मिल-जुल के कोई मसविदा (बिल) पेश करें और उसे पास कर लें, या यदि ऐसा न हो सके तो सरकार ही पेश करे और उसे दोनों

मानें । ठीक दो विलियों के भगड़े में बन्दर की पंचायत वाली वात थी । सन् १६२६ ई० में भी ऐसा ही हुआ था और दोनों की राय न मिलने के कारण ही सरकार बीच में कूदी थी । मगर जब किसानों के नाम पर किसान-सभा ने उसका जोरदार विरोध किया तो उसने यह कह के उसे वापस ले लिया कि जब किसान-सभा भी इसकी मुख्यालिक है तो सरकार को वया गर्ज है कि इस पर जोर दे ! इस तरह किसान-सभा ने जनमते ही दो काम किये । एक तो उस विल को चौपट करवाके किसानों का गला बचाया । दूसरे सरकार को विवश किया कि न चाहते हुए भी किसान-सभा को किसानों की संस्था मान ले ।

इसी के मुनाविक सरकार और जमीदारों को भी फिक पढ़ी कि यूनाइटेड पार्टी को मजबूत बनाने के लिये सबसे पहले उसकी ओर से काश्तकारी कानून का संशोधन कराके किसानों को कुछ नाम मात्र के हक दे दिये जाँय । साथ ही, जमीदारों का भी मतलब साधा जाय । मगर अब तक जो तरीका था उसके अनुसार तो जो विल किसान और जमीदार दोनों की रजामन्दी से पेश न हो उसे सरकार मान नहीं सकती थी । इसीलिये जल्दत इस वात की हुई कि जिस यूनाइटेड पार्टी को बनाया जा रहा है उसमें किसानों के नाम पर बोलने वाले भी रखे जाँय । नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जायगा । यूनाइटेड पार्टी का तो अर्थ ही यही था कि जिसमें सभी दल और फिर्के के लोग शामिल हों । उसके जिन खास-खास मेम्बरों की लिट्ट उस समय निकली थी उससे भी मालूम पड़ता था कि सभी धर्म, दल और स्वार्थ के लोग उसमें शरीक हैं । फलतः उसे ही ब्रिहार प्रान्त के नाम में बोलने का हक है ।

अब उसके सूत्रधारों को इस वात की फिक पढ़ी कि किसानों के प्रति-निषि कौन-कौन से मद्दाशय इसमें लाये जाँय । उनके सौभाग्य से श्री शिव-शंकर आवकील मिल ही तो गये । वे उसी प्रकार के किसान नेता हैं जिनका जिक्र पहले हो चुका है । यह ठीक है कि बादू गुरुसदाय लाल भी उक्त पार्टी के साथ थे । मगर चालाकी यह सोची गई कि अगर खुली तौर

पर उनका नाम शुरू में एलान किया जायगा तो बड़ा हो-इल्ला मचेगा और मजा किरकिरा हो जायगा । वे भी शायद डरते थे । इसलिये तथ यह पाया कि वह पहले एक विहार प्रान्तीय किसान-सभा खड़ी कर दें । पीछे विल में जो बातें काश्तकारी के संशोधन के लिये दी जाने वाली हो उन्हें यह कहके अपनी सभा से स्वीकार करायें कि इन्हीं शर्तों पर जमीदारों के साथ किसानों का समझौता हुआ है । इसके बाद तो कानून बना के यह दमाम बजाया ही जायगा कि उनने और भा जी ने किसानों को बड़े-बड़े खूक दिलाये । इस तरह यूनाइटेड पार्टी की धाक भी किसानों में जम जायगी । क्योंकि पार्टी की ही तरफ से कानून का संशोधन कराया जायगा । साथ ही चुरुसहाय बाबू भी इसका सेहरा पहने पहनाये उस पार्टी में खुल्लमखुल्ला आजाँयगे ।

उनने किया भी ऐसा ही । जिस सभा के एक मंत्री वह भी थे उसके रहते ही एक दूसरी सभा खड़ी कर देने की हिम्मत उनने कर डाली ! पीछे तो गुलाब बाग (पटना) की मीटिंग में यह भी बात खुली कि इस नकली सभा के बनाने में न सिर्फ जमीदारों का इशारा था, प्रत्युत उनके पैसे भी लगे थे । उस समय इस किसान-द्रोह में उनके साथ एकाध और भी सोशलिस्ट नामधारी जमीदारों के साथ पह्यंत्र कर रहे थे । खूबी तो यह कि यह सारा काम इस खूबी से चुरके-चुपके किया जा रहा था कि चाहरी दुनिया इसे समझ न सके । यहाँ तक कि पटने से १५-२० मील पर ही विहार में मैजूद था । मगर सारी चीज मुझसे भरपूर छिपाई गई, मुझे खबर देना या मुझसे राश लेना तो दूर रहा । उन्हें असली किसान-सभा का भूत बुरी तरह परीशान जो कर रहा था । वे समझते थे खूब ही, कि यदि इस स्वामी को खबर लग गई तो विरागी होते हुए भी कहीं ऐसा न हो कि उस पुरानी सभा को ही जाग्रत कर दे जिसने जनमते ही सरकार और जमीदारों से भिड़ के एक पछाइ उन्हें फौरन ही दी थी । तब तो तारी उम्मीदों पर पानी ही किर जायगा । इसे ही कहते हैं गरीबों की सेवा और किसान-हितैषिता ! खुदा किसानों की हिफाजत ऐसे दोस्तों के करे ।

लेकिन आखिर भंडा फूट के ही रहा और वे बैचारे “दुक-दुक दीरम्, दीरम् न कर्त्तव्यम्” के अनुचार हाय मार के रह गये। इनकी किसान-सभा में विपत्ति का भार न जाने मैं क्यों पहुँच गया जिससे इन पर पाला पढ़ गया। वहाँ जब मैंने जमीदारों और जमीदार सभा के लीडरों को देखा तो चौंक पड़ा कि यह कैसी किसान-सभा। मगर जब किसानों के नामधारी नेता उन जमीदार लीडरों को इसीलिये सभा में घन्घाद देना चाहते थे कि उनने पैसे से सहायता की थी, तो विस्तीर्ण थैले से बाहर आगई। आखिर पार छिप न सका और मैंने मन ही नन कहा कि यह तो भयंकर किसान-सभा है। खुशी है कि वहाँ उसका श्राद्ध हो गया और पुरानी सभा जारी रखी हुई। इस तरह जो मैं अब तक सभा से उदासीन सा या कही अब फिर सारी शक्ति से उसमें पढ़ गया। वे किसान नेता उसके बाद कुछी दिनों में अपने असली रूप में आगये और जमीदारों से साफ-साफ जा मिले। फिर भी किसी की एक न चली और दोई साल के भीतर ऐसा तूफान मचा कि उसमें न तिर्क यूनाइटेड पार्टी उड़ गई, वहिं जमीदारों के मनोरथों पर पानी फिर गया। जो बिल उनने पेश किया उसमें किसान-हित की अनेक बातों को देके और जहरीली बातें उससे निकालके उसे कानून का जामा पहनाने के लिये उन्हें मजबूर होना पड़ा। उसी समय से जमीदारों ने अपनी जिरात जमीन के बढ़ाने का पुण्य दावा उदा के लिये छोड़ दिया।

इस प्रकार अब तक जो अपने को किसानों के नेता कहते थे ऐसे नवे पुराने जमीलोगों का पर्वाना हो गया और वे मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रह गये। लोग इस झमेले में भयभीत थे कि कहीं मैं दबा तो अनर्थ होगा। क्योंकि अब तक के किसान नेताओं तथा जमीदारों की एक गुटकन्दी किसान-सभा के खिलाफ थी। मगर मुझे तो पूरा विश्वास था कि विजय होगी और वह होके ही रही। साय ही, चौंकना होने की जल्दत भी पढ़ो। यह किसान नेताओं का पहला भंडाफोड़ था। अमीन जाने ऐसे कितने ही भंडाफोड़ भविष्य के गर्भ में छिपे थे। (= ८-४९)

सन् १९३३ ई० मा किसान-सभा के पुनर्जीवन के बाद का समय था—
और मैं दिन-रात वेचैन था कि कैसे यूनाइटेड पार्टी, उसके छिपे रूप में दोस्तों और जमींदारों के नाकों चने चंबवाऊँ और उनके द्वारा पेश किये गये काश्तकारी कानून के संशोधन को जहन्नुम पहुँचाऊँ। इसीलिये रात-दिन प्रान्त व्यापी दौरे में लगा था। इसी सिलसिले में दरभंगा जिले के मधुबनी इलाके में भी पहुँचां। खास मधुबनी में हाई इंग्लिश स्कूल के मैदान में एक सभा का आयोजन था। किसानों की और शहर वालों की भी अपार भीड़ थी। मैंने खुब ही जम के व्याख्यान दिया जिसमें किसानों के गजे पर फिरने वाली महराजों दरभंगा तथा अन्य जमींदारों की तीखी तलवार का हाल कह सुनाया। देखा कि किसानों का चेहरा खिल उठा, मानो उन्हीं के दिल की बात कोई कह रहा हो।

लेकिन किसानों के नेता बन जाने पर भी अभी सुके उनकी विपदाओं की असलियत का पता था कहाँ? मैं तो यो ही सुनी सुनाई बातों पर ही जमीन और आसमान एक कर रहा था। बात दर असत्त यह है कि किसानों और मजदूरों का नेता इतना जल्द कोई बन नहीं सकता। जिते उनके लिये सचमुच लड़ना और संघर्ष करना है उसे तो सबसे पहले उनमें घूम-घूम के उन्हीं की जवानी उनके दुःख ददों की कहानी सुनना चाहिये। यह बही चीज़ है। यदा चाव से उनकी दात्तानं सुनिये और देखिये कि आप उनके दिलों में घुस जाते हैं या नहीं, उनके साथ आपका गंहरा नाता फौरन जुट जाता है या नहीं यही इसका रहस्य है।

हाँ, तो मेरे आश्वर्य का ठिकाना न रहा जब किसानों के मध्य से ही एक चन्दन टीका वाले ने उठके सभा के बाद ही अपनी रामकहानी सुनाई—अपनी यानी किसानों की। तब तक मोटा-मोटी समझा जाता था कि ज्यादा-

तर मजल्लूम किसान तथा कथित मिछड़ी जातियों के ही होते हैं । कम से कम यह ख्याल तो था ही कि मैथिल ब्राह्मणों का एकन्धुन नेता माने जाने वाला महाराजा दरभंगा उन ब्राह्मण किसानों के साथ रिआयत तो करता ही होगा—दूसरे किसानों को हाँकने के लिये बनी लाठी से उन्हें भी हाँकता न होगा । नहीं तो सभी मैथिल उसे नेता क्यों मानते ? क्या अपने शोषक और शत्रु को कोई अपना मुखिया मानता है ?

मगर उस किसान ने कहा कि मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ और महाराजा का सताया हूँ । मेरे गाँव या देहात में या यों कहिये कि इस मधुवनी के इलाके में बरसात के दिनों में हमारे नाकों दम हो जाती है, हम अशरण हो जाते हैं । यही हालत महाराजा की सारी जर्मीदारी की है । हमारे यहाँ पानी बहुत बरसता है, नदी-नाले भी बहुत हैं । फलतः सैलान (बाढ़) का पदार्पण रह-रह के होता रहता है जिससे हमारी फसलें तो चौपट होती ही हैं, हमारे झोपड़े और मकान भी झूब जाते हैं, पानी के करते गिर जाते हैं । पानी रोकने के लिये जगह-जगह बाँध बने हैं । यदि वे फौरन जगह-जगह काट दिये जाँय तो चटपट पानी निकल जाय और हम, हमारे घर, हमारे पशु, हमारी खेती सभी बच जाँय । मगर हम ऐसा नहीं कर सकते । महाराजा की सख्त मर्नाही है ।

मैंने पूछा, क्यों ? उसने उत्तर दिया कि यदि पानी वह जाय तो मछ-मंडियाँ कैसे पैदा होंगी ? वह जमा हो तो पैदा हों । जितना ही ज्यादा दूर तक पानी रहेगा, सो भी देर तक जमा रहेगा, उतनी ही अधिक मछलियाँ होंगी और उतनी ही ज्यादा आमदनी महाराजा को जल-कर से होंगी । सिंघाड़े वगैरह से भी आय होगी ही । यह जल-कर उनका कानूनी हक है । यदि हम लोग न मानें और जान बचाने के लिये पानी काट दें तो हम पर आफत आ जाय । हम सैकड़ों तरह के मुकदमों में फँसा के तबाह कर दिये जाँय । उनके अमलों और नौकरों की गालियों की तो कुछ कहिये मत । उनकी लाल आँखें तो मानो हमें खाई जाँयगी ।

उसने और भी कहा कि जब यहाँ सर्वे सेट्लमेन्ट हुआ तो हम किसानों

को कुछ ज्ञान था नहीं । हम उसका ठीक-ठीक मतलब समझ सकते न थे । वह, हमारी नादानी से फायदा उठाके अपने पैसे और प्रभाव के बल पर महाराजा ने सर्वे के कागजों में यह दर्ज करवा दिया कि जमीनों पर तो किसानों का रैयती हक है । मगर उनमें लगे पेड़ों में जर्मीदार का हक आधा या नौ आने और हमारा बाकी । नतीजा यह होता है कि अपने ही वाप-दादों के लगाये पेड़ों से न तो एक दत्तवन और न एक पत्ता तोड़ने का हमें कानूनी हक । है । यदि कानून की चले तो हर दत्तवन और हर पत्ते के तोड़ने की जब-जब जरूरत हो तब-तब हमें उनसे मंजूरी लेनी होगी, जो आसान नहीं । इसमें उनके नौकरों को धूस देने और उनकी पूजा-प्रतिष्ठा करने की बड़ी गुंजाइश है । इसीलिये जब तक वे खुश हैं तब तक तो ठीक । मगर ज्योंही किसी भी वजह से वे जरा भी नाखुश हुए कि हम पर मुकदमों की झड़ लग गई और हम उजड़े । नहीं तो काफी स्पष्ट-पैसे दे के सुलह करने को विवश हुए । मगर इस तरह भी हमारी जमीनें बिक जाती हैं । क्योंकि हमारे पास पैसे कहाँ ? पीछे चलके तो हमें इस बात के हजारों प्रत्यक्ष उदाहरण मिले जिनमें किसान-सभा के कार्य-कर्त्ता इसी कारण परीक्षा न किये गये कि उनने क्यों महाराजा की जर्मीदारी में सभा करने की हिमत की ।

उसने यह भी कहा, और पीछे तो दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर के किसानों ने खून के आँसुओं से यही बात बताई, कि चाहे हमारे घर में पड़े मुद्दे सड़ जाय, मगर उन्हें जलाने के लिये लकड़ी तोड़ने या काटने की इजाजत उन पेड़ों से नहीं है जो सर्वे के समय थे । यही नहीं । सर्वे के वक्त के पेड़ चाहे कभी के खत्म क्यों न हों और उनकी जगह नये ही क्यों न लगे हों । फिर भी हम उन्हें काट नहीं सकते बिना महाराजा के हुक्म के । क्योंकि इसका सबूत क्या है कि पुराने पेड़ खत्म हो गये और नये लगे हैं । इसका हिसाब तो सरकार या जर्मीदार के घर लिखा जाता नहीं और किसानों की बातें कौन माने ? वे तो भूठे ठहरे ही । ईमानदारी और सच्चाई तो रूपयों के पास कैद है न ? इसीलिये आज कानून के सुधार

काम ही खत्म हो जाता । इसीलिये हम अपने साथियों के साथ सभा स्थान में डूँटे रहे । इस बात की इन्तजार भी हम कर रहे थे कि किसान आजाँय तो मीटिंग हो । बांचतुरानन दास भी न आये थे । उनकी भी प्रतीक्षा थी ।

मगर हमें पता लगा कि जर्मींदार ने पूरी वन्दिश की है कि कोई भी मीटिंग में न आये । चारों ओर धमकी के सिवाय तरह-तरह की झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं कि सभा में गोली चलेगी, मार-पीट होगी, गिरफ्तारी होगी । यह भी कहा गया है कि जाने वालों का नाम दज़ कर लिया जायगा और पीछे उनकी खबर ली जायगी । इसके सिवाय सभा स्थान के चारों ओर कुछ दूर से ही पिकेटिंग हो रही है कि कोई आये तो लौटा दिया जाय । रास्ते में और जगह-जगह पर उनके दलाल बैठे हुए हैं जो लोगों को रोक रहे हैं । सारांश, मीटिंग रोकने का एक भी उपाय छोड़ा नहीं गया है ।

हम इन सब बातों के लिये तैयार थे ही ; आखिर जर्मींदारों के न सिर्फ स्वार्थ का सवाल था, बल्कि उनकी शान भी मिट्टी में मिल रही थी । आइन्दा उनकी हस्ती भी खतरे में थी ऐसा सोचा जा रहा था । मगर सबसे बड़ी बात वह थी कि हिन्दुस्थान में सबसे बड़े जर्मींदार महाराजा दरभंगा की ही जर्मींदारी में हम जा डटे थे । महाराजा लाठी मारे काले नाग की तरह फूँफू कर रहे थे । उनकी नाक जो कट रही थी । वे डर रहे थे कि मजलूम इलाका सभा में ऐसा दूँट पड़ेगा, जैसा कि पहले की मीटिंगों में उनने देखा था । नतीजा यह होगा कि दुखिया किसानों की आँखें खुल जायगी । इसलिये अगर जान पर खेल के उनके नौकर-चाकरों और टुकड़खोरों ने हमारी मीटिंग गेकना चाहा तो इसमें आश्चर्य की बात क्या थी ।

उन लोगों ने यह किया सो तो किया ही । मगर खास चतुरानन जी के मकान पर भी चढ़ गये और उन्हें तरह-तरह से धमकाया । आखिर वह भी तो महाराजा की ही जर्मींदारी में बसते थे । उनके घर घेरा ढाले वे सब पड़े रहे । नतीजा यह हुआ कि चतुरानन जी मीटिंग का प्रदन्धन-

और उसकी सफलता की कोशिश तो क्या करेंगे, खुद मीटिंग में आने की हिम्मत न कर सकते थे। इस प्रकार ज्यादा देर होने पर हम घबराये। जब बार-बार खबर - भेजी तो बड़ी मुश्किल से आये। मगर चेहरा फक्क था। सारी आई-आई हजार थी। जब नेताओं की यह हालत थी तो किसानों का क्या कहना ? बड़ी दिक्कत से कुछी लोग आसके थे।

मगर जमींदार के दलाल और गुंडे हमारी मीटिंग में भी आ गये और शोखुल मचाना शुरू कर दिया। कभी 'महाराजा बहादुर की जय' चिल्लाते, तो कभी मुँह बनाते थे। उनकी खुशकिसमती से हमारी इस मीटिंग के आठ-दस साल पूर्व उस इलाके में और बीहुपुर (भागलपुर) में भी तथा और भी एकाधंजगह एक हजरत किसान लीडर बन के किसानों को धोखा दे चुके थे। उनका नाम था असल में मुंशी घरभरनप्रसाद। वे निवासी थे सारन जिले के। मगर अपने को प्रसिद्ध किया था उनने स्वामी विद्यानन्द के नाम से। उनने एक तो किसानों को धोखा दे के कौंसिल चुनाव में वोट लिया था। दूसरे उनसे वैसे भी खूब ठगे थे। पीछे तो जमींदारों से भी जगह-जगह उनने काफी शपथे ले के अपना प्रेस मुजफ्फरपुर में चला लिया। फिर लापता हो गये। पीछे छुना, बम्बई चले गये। एक बार जब पट्टना शहर (गुलाब वाग) की सभा में उनका दर्शन अकस्मात् मिला था तो सिर पर गुजरातियों की ऊँची टोपी नजर आई थी।

हाँ, तो महाराजा के आदमियों ने चारों ओर और उस मीटिंग में भी हजला किया कि एक स्वामी पहले आये तो हमें महाराजा से लड़ाके खुद उनने रमये ले लिये। अब ये दूसरे स्वामी वैसे ही आये हैं। यह भी हमारी लड़ाई महाराजा से कराके अपना उत्तर सीधा करेंगे और पीछे हम पिस जाँयगे आदि-आदि। मुझसे भी वे लोग कुछ इसी तरह के सवाल करते थे। कहते थे कि हम किसान-सभा नहीं चाहते। आप जाह्ये, हमें यों ही रहने दीजिये। मीटिंग में जितने श्रोता होंगे उतने ये गुलगणाड़ा मचाने वाले थे। जब हम चौलने उठते तो वे बहुत ज्यादा शोर भाते। यह पहला

नजारा था जो हमें देखने को मिला । मगर हम भी तो वैसे ही हठी निकले । वहाँ से भागने के बजाय जैसे-जैसे मीटिंग करके ही हठना हमने तय किया और यही किया भी । आखिर वे कब तक बोलते रहते ।

इस प्रकार हमने सभा तो कर ली । लेकिन हमें बड़ा कदु अनुभव उन नेताओं के बारे में हुआ जो दिल से किसानों के लिये काम न करते हैं, जो उन्हीं के लिये मरने-जीनेवाले न हों । ऐसे लोग भौंके पर एक नहीं संकरते और फिरुल जाते हैं । इस बात का तो जा नमूना हमें भच्छी में मिल गया । यह ठीक है कि इस मीटिंग के बाद हमने बाबू चतुरानन दास की आशा छोड़ दी । ऐसे लोग तो बीच में ही नाव को डुबा देते हैं । यह भी ठीक है कि नर्मदार के आदमी भी दंग रह गये हमारी मुत्तैदी देख के । उनके भी जोश में कुछ ठंडक आई । हालाँ कि उसके बाद मधुजनी इलाके की एक मीटिंग में और भी उनकी कोशिश हुई कि वह न हो सके । मगर पहली बात न रही । बहरा, मधेपुर के इलाकों में भी कई मीटिंगों में उन लोगों ने बाधायें ढालीं । मगर हम तो आगे बढ़ते ही गये और वे दबते गये । यह सही है कि भच्छी-जैसी हालत हमारी मीटिंगों की और कहीं न हुई ।

सन् १९३६ ई० की वरसात थी। दरभंगा जिले के मधुबन्नी इलाके में ही सकरी टटेशन से दो मील के फासलेपर सागरपुर मौजे में किसानों का संघर्ष जारी था। दरभंगा महाराज की ही जमीदारी है। सागरपुर के पास में ही पंडौल में उनका औफिस है। वहाँ पर हजारों बीघे में टैक्टर की सहायता से उनकी खेती भी होती है। वहाँ चीनी की कई मिले हैं जिनमें महाराजा का भी बड़ा शेयर कुछेक में है। सकरी में ही एक मिल है। इसलिये हजारों-बीघे में ऊँच की खेती करने से जमीदार को सबूत ही लाभ होता है। दूसरी चीजों की भी खेती होती है। इसीलिये जमीदार की अच्छी होती है कि अच्छी-अच्छी जमीनें किसानों के हाथों से निकल जाय तो ठीक। लगान दे सकना तो हमेशा सुमिकिन नहीं होता। इसीलिये जमीनें नीलाम होई जाती हैं। मगर पहले जमीदार लोग खुद खेती में चसके न थे। इसीलिये बुमा-फिर के जमीनें फिर किसानों को ही दी जाती थीं। हाँ, चालाकी यह की जाती थी कि जो लगान गल्ले के रूप में या नगद उनसे इन जमीनों की ली जाय उसकी साफ़-साफ़ रसीदें उन्हें न दी जाकर गोल-मोल ही दी जाय, ताकि मौके पर जमीनों पर किनान दावा करने पर भी सबूत पेश न कर सकें कि वही जोतते हैं। कारण, सबूत होने पर कानून के अनुसार उन पर उनका कायमी रैयती हक (occupancy right) हो जाता है। यही बात सागरपुर की जमीनों के बारे में भी थी।

वहाँ की बकाश्त जमीनों को जोतते तो ये किसान ही। इसीलिये उनपर उनका दावा त्वाभाविक था। कोई भी आदमी जरा सी भी अक्षु रखने पर बता सकता था कि बात यही थी भी। गाँव के तीन लक्फ करीब-करीब ओलती के पास तक की जमीनें नीलाम हुई बताई जाती थीं। किसानों के बाहर निकलने का भी गलता न था। यदि जमीनें उनकी न

होती तो ओलती कहाँ गिरती ? जर्मीदार अपनी जमीन में ऐसा होने देता थोड़े ही । उनके पशु मवेशी भी आखिर कहाँ जाते ? क्या खाते थे । जो खाले लोग पास के टोले में बसे थे उनकी तो झोंपड़ियाँ उन्हीं जमीनों में थीं । भला इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिये ।

एक बात और थी । महाराजा की खेती ट्रैक्टर से होती है और उसके लिये बड़े-बड़े खेत चाहिये । छोटे-छोटे खेतों में उसका चलना असंभव है । मगर कोई भी देखने वाला बता सकता था कि अभी तक छोटे-छोटे खेत साफ नजर आरहे थे । खेतों के बीच की सीमाएँ (मेंड़े) 'साफ-साफ नजर आती थीं । वेशक, उन सीमाओं के मिटाने की कोशिश जर्मीदार ने जबर्दस्ती की थी और सभी खेतों पर ट्रैक्टर चलवाके उन्हें एक करना चाहा था । मगर हमने खुद जाके देखा कि खेत अलग-अलग साफ ही नजर आरहे थे । असल में एकाध बार के जोतने से ही वे सीमाएँ मिट सकती नहीं हैं । कम से कम दस पाँच बार जोतिये तो मिटेंगी । मगर यहाँ तो कहने के लिये एक बार ट्रैक्टर घुमा दिया गया था । फिर भी इतने से आँख में धूल झोकी जा सकती न थी ।

हाँ, तो सागरपुर में बकाश्त संघर्ष के इस सिलसिले में मुझे दो बार जाना पड़ा था । दोनों बार ऐसी जबर्दस्त मीटिंगें हुईं कि जर्मीदार के दाँत खट्टे हो गये । एक बार तो भरी सभा में ही जर्मीदार के आदमी कुछ गड़बड़ी करना चाहते थे । उनने कुछ गुल-गपाड़ा करने या सवाल-जवाब करने की कोशिश की भी । हिम्मत तो भला देखिये कि दस-बीस हजार किसानों के बीच में - खड़े होकर कुछ आदमी शोर-गुल करें । जोश इतना था कि किसान उन्हें चटनी बना डालते । मगर इसमें तो हमारी ही हानि थी । शत्रु लोग तो मार-पीट चाहते ही थे । उससे उनने दो लाभ सोचा था । एक तो मीटिंग खत्म हो जाती । दूसरे भूठ चच मुकद्दमों में फँसा के सभी प्रमुख लोगों को परीशान करते । इसलिये हमने यह बात होने न दी और किसानों को शान्त रखा । अन्त में हार के बे लोग चलते बने जब समूइ का रुख बुरा देखा । मीटिंग में मौजूद पुलिस तथा दूसरे सरकारी

अफसरों से भी हमने कहा कि आखिर दस-बीस ही लोग जंधम करें और आप लोग चुप्प रहें यह क्या बात है ? इस पर उन लोगों ने भी उन्हें डाँटा । अब वे लोग करते क्या ? मजबूर थे ।

मगर दूसरी बार तो उन लोगों ने दूसरा ही रस्ता अखिलयार किया । इस बार पहले ही से सजग थे । ज्योही हम स्टेशन से उतरे और हमारी सवारी आगे बढ़ी कि एक बड़ा सा दल दुकड़खोरों का बाहर आया । सकरी में ही पुलिस का एक दल पड़ा था । बकाश्त की लड्डाई में धर-पंकड़ करने के लिये उसकी तैनाती थी । हम जब सकरी से बाहर डाक बैंगले से आगे बढ़े कि शोर-गुल मचाने वाले बाहर आगये । जानें क्या-क्या बकने लगे । ‘महाराजा बहादुर की जय’, ‘किसान-संभा की जय’, ‘स्वामी जी लौट जाइये, हम आपके धोखे में न पहेंगे’, ‘झगड़ा लगाने वालों से सावधान’ आदि पुकारें वे लोग मचाते थे । मजा तो तब आया, जब हम आगे बढ़े और हमारे पीछे वे लोग दौड़ते जाते और चिल्लाते भी रहते । अजीब सभा थी । वह तमाशा देखने ही लायक था । वैसी बात हमें और कहीं देखने को न मिली । उनने लगातार हमारा पीछा किया । यद्युं तक कि गाँव के किनारे तक आगये । मगर जब हम गाँव के भीतर चले तो वे लोग दूसरी ओर मुँह गये । पता चला कि पास में ही जो महाराजा की कनहरी है वहीं चले गये इस बात का प्रमाण देने कि उनने खूब ही पोछा किया, गाँव तक न छोड़ा । इसलिये उन्हें पूरा मिहनताना मिल जाना चाहिये । जमींदार की खैरखाही तो जरूरी थी ही । हमने यह भी देखा कि कुत्तों को तरह भोकने और हमारा पीछा करने वालों में टीका चन्दन-धारी ब्राह्मण काफी थे ।

हमें हँसी आती थी और उनकी इस नाशनी पर तर्स भी होता था । मधुबनी बाने उस ब्राह्मण किसान के शब्द हमारे कानों में रङ्गरङ्ग के गैंजते थे । हम सोचते कि आखिर यह भी उसी तरह के गरीब और मजलूम हैं । मगर फर्क यही है कि चाहे उसकी जमीन बर्गरह भले ही किकी हो, मगर आत्मा और इज्जत न बिकी थी । उसने अपना आत्म-संमान बता रखा

या । मगर इनने तो अपना सब कुछ जर्मांदार के टुकड़ों पर ही बैठ दिया है । इसीलिये जहाँ इनसे कोई आशा नहीं, तहाँ उससे और उसके जैसों से हमें किसानों के उद्धार की आशा है ।

— हम यह कहना भूली गये कि सागरपुर में उस समय दरभंगा जिला-किसान कान्फ्रेंस थी । इसीलिये किसानों के सिवाय जिले भर के कार्य-कर्त्ताओं का भी काफी जमाव था । प्रस्ताव तो अनेक पास हुए । दीचें भी गर्मागर्म हुईं । यों तो मैं खुद काफी गर्म माना जाता हूँ और मेरी सीचें बहुत ही सख्त समझी जाती हैं । मगर जब वहाँ मैंने दो एक जवाबदेह किसान-सभावादियों की तकरीरें सुनीं तो दंग रह गया । मालूम होता था, उनके हाथ में सभी किसान और सारी शक्तियाँ मौजूद हैं । फलतः वे जोई चाहेंगे कर डालेंगे । इसीलिये महाराजा दरभंगा को रह-नहके ललकारते जाते थे । मानों वह कच्चे धागा हों कि एक झक्कोरे में ही खत्म हो जायेंगे । दस बारह साल तक काम कर चुकने के बाद जब कि किसान आन्दोलन किसान संघर्ष में जुग्य हो, ठीक उसी समय ऐसी गैर जवाबदेही की बातें सुनने को मैं तैयार न था । फलतः अपने भाषण में मैंने इसके लिये फट-कार सुना दी और साफ कह दिया कि दरभंगा महाराज ऐसे कमज़ोर नहीं हैं जैसा आपने समझ लिया है ।

मेरे इस कथन पर जब जर्मांदारों के अखबार 'इंडियन नेशन' में दीकान्टिप्पणी निकली तो मुझे और भी हैरत हुई और हँसी आई, जिस्ता गया कि त्वामी जी डर गये हैं । मध्यी ढात तो यह है कि जर्मांदार इन्हें नादान हैं कि मेरी ढात का मतलब न समझ सकेंगे, इसके लिये मैं तैयार न था । किस आधार पर मुझे डरा हुआ माना गया मैं आज तक समझ न सका ।

सन् १६३६ ई० की गर्मियों की बात थी। लखनऊ कांग्रेस से लौटकर मैं मुंबेर जिले के सिमरी वखतियारपुर में मीटिंग करने गया। उसके पहले एक बार भूकम्प के बाद वहाँ गया था। सैलाब्र बड़े जोरों का था। वहाँ तो बाढ़ आती है कोशी की कृपा से और यह नदी ऐसी भयंकर है कि जून में ही टूफान मचाती है। उसने उस इलाके को ऊजाइ बना दिया है। पहली यात्रा में बाढ़ का प्रकोप और लोगों की भयंकर दृष्टिता देख के मैं दंग था। मेरा दिल रोया। मेरे कलेजे में वह बात धूँस गई। वहाँ के लोगों और कार्य-कर्त्ताओं से जो कुछ मैंने सुना उससे तय कर लिया कि दूसरी बार इस इलाके में घूमना होगा। तभी अपनी श्राविंखों असली हालत देख सकूँगा।

इसीलिये वरसात आने के बहुत पहले सन् १६३६ ई० की मई में ही, जहाँ तक याद है, मैं वहाँ गया। इस बार खास वखतियारपुर के अलावे धेनुपुरा, केवरा आदि में भी मीटिंगों का प्रवन्ध था। मगर आसानी से उन जगहों में पहुँच न सकते थे। कड़ाके की गर्मी पहुँच रही थी और सभी जगह पानी की पुकार थी। मगर उस इलाके में बिना नाव के घूमना असंभव था। वोसी मई वी कृपा से सारी जमीनें पानी के भीतर चली गई हैं। जिधर देखिये उधर ही सिर्फ जल नजर आता था। समुद्र में इन द्यापुओं की ही तरह गाँव नजर आते थे। गाँव के किनारे योही बहुत जमीन नजर आती थी, जहाँ योही सी खेती हो सकती थी। बाकी तो निरा जल ही था। लोग मछुलियों और जल-जन्तुओं को त्वा के द्वी ज्वादातर गुजर करते हैं। अन्न तो उन्हें नाम माव को ही कभी कभी मिल जाता है, सो भी केवल कदर्न, जिसे जमीनों के कुत्ते लूँधना भी पहन्च न करेंगे, खाना तो दूर रहा। उस इलाके में कुछी दूर वैलगाही पर चल के बाकी

सर्वत्र केवल नाव पर या पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। जहाँ पानी न था वहाँ धुटने तक कीचड़ होने के कारण बैलगाड़ी का चलना भी तो असंभव था।

हाँ, यह कहना तो भूली गये कि उस इलाके के सबसे बड़े और चलते पुर्जे जमींदार हैं बखतियारपुर के चौधरी साहब। उनका पूरा नाम है चौधरी मुहम्मद नजीरलहसन मुतवली। वहाँ एक दरगाह है वहुत ही प्रसिद्ध और उसी के मुतालिक एक खासी जमींदारी है जिसकी आमदनी कुल मिला के उस समय सत्तर अस्सी हजार बताई जाती थी। चौधरी साहब उसी के मुतवली या अधिकारी हैं। इस प्रकार मुसलमानों की धार्मिक सम्पत्ति के ही वह मालिक हैं और उसी का उपभोग करते हैं। बड़े ठाट्टाट वाले शानदार महल बने हैं। हाथी, घोड़े, मोटर-वरैरह सभी सवारियाँ हैं। शिकार खेलने में आप बड़े ही कामिल हैं, यहाँ तक कि गरीब किसानों की इज्जत जान और माल का भी शिकार खेलने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं, वशतें कि उसका मौका मिले। और जालिम जमींदारों को तो ऐसे मौके मिलते ही रहते हैं। उन जैसे जालिम जमींदार मैंने वहुत ही कम पाये हैं, वो तो बिना जल्म ज्यादती के जमींदारी टिकी नहीं सकती। मेरी तो धारणा है कि किसानों और किसान-हितैषियों को, किसान-सेवकों को मिट्टी के बने जमींदार के पुतले से भी सजग रहना चाहिये। वह भी कम खतरनाक नहीं होता। और नहीं, तो यदि कहीं देह पर गिर जाय तो हाथ पाँव तोड़ ही देगा।

चौधरी की जमींदारी में मैं वहुत धूमा हूँ। किसानों के झोपड़े झोपड़े में जाके मैंने उनकी विपदा आँखों देखी है और एकान्त में उनके भी पण दुख दर्द की कहानियाँ सुनी हैं। दिल दहलाने वाली घटनाओं को सुनते सुनते मेरा खून खौल उठा है। जमींदार ने किसानों को दबाने के लिये सेकड़ों तरीके निकाल रखे हैं। कूटनीति के तो वे हजरत गोया अवतार ही छहरे। मेदनीति से खूब ही काम लेते हैं। सेकड़ों क्या हजारों तो उनके दलाल हैं जो खुफिया का भी काम करते हैं। किसान उनके मारे तो हूँ।

वे चुपके से क्या बातें करते हैं इसका भी पता वेरावर लगाया जाता है ॥ हमारे पीछे भी उनके गुप्तचर काफी लगे थे । इसलिये हमें सतर्क होके बहुत ही एकान्त में बातें करने और उनकी हालत जानने की जरूरत हुई । फिर भी गरीब और मजलूम किसान इतने भयभीत थे कि गोवा हवा से भी डरते थे । किसी में भी हिम्मत रही नहीं गई है । जरा भी शिकायत की कि न जानें कौन सी भारी बला कब सिर पर आ धमकेगी और चौधरी की जाल में फँस के मरना होगा, सो भी धुल धुल के ।

जिन किसानों के सौपड़े भी उजड़े हैं और जिनसे वृष्टि तथा धूप छन छन के भीतर आती है, जिनके तन पर वस्त्र तक नदारद, जिनने अपनी लज्जा बचाने का काम हजार टुकड़ों से बने चिठ्ठियों से ले रखा है, जिन्हें अब शाश्वत ही छठे छमास मुयस्सर होता हो प्रायः उन्हीं से साल में पूरे अस्सी हजार रुपये की बस्ती मामूली बात नहीं है । बालू से तेल और पत्थर से दूध निकालना भी इसकी अपेक्षा आसान बात है । किन किन उपायों और तरीकों से ये रुपये बसूल होते हैं यदि इसका व्योरा लिखा जाय तो पोथा तैयार हो जायगा । इसलिये नमूने के तौर पर ही कुछ बातें लिखी जाती हैं ।

उसी इलाके में सुझे पहले पहल पता चला कि पहले चौधरी की जर्मांदारी में चार चीजों की 'मोनोपली' (monopoly) थी । यानी चार चीजों पर उनका सर्वाधिकार था और उनकी मर्जों के खिलाफ ये चीजें निक न सकती थीं । नमक, किरातन तेल, नया चमड़ा और सुँगढ़ी मछली यही हैं वे चार चीजें । इनमें सिर्फ नमक की मोनोपली मेरे जाने के समय उठ चुकी थी । वाकी तीन तो थी ही, जो मेरे आन्दोलन के करते रहम हुई । अपनी लग्जी जर्मांदारी के भीतर उनने सबंहों को यह कह रखा था कि बिना उनकी मर्जों के कोई आदमी नमक, किरातन इन दो चीजों की बिक्री कर नहीं सकता । फलतः किसी को हिम्मत न थी । और जर्मांदार लाहौर किन्हीं एक दो मोटे अलामियों से दो चार हजार रुपये ले के उन्हीं को बेचने का हक देते थे । नतीजा यह होता था कि वे ठेकेदार ये दोनों चीजें

— और जगहों की अपेक्षा महँगी बैंचते थे । क्योंकि ठेके वाला पैसा तो बस्तुल कर लेते ही थे एकाधिकार होने से दाम और भी चढ़ा देते थे । मैंने पूछा तो पता चला कि जो किसान तेल श्रृंगार और जगह पाँच पैसे में मिलता है वही उस जमीदारी में सात आठ पैसे में । उक्स, यह लूट !

अगर कोई आदमी बाहर से यह तेल लाये तो उसकी सख्त सजा होती और जाने उसे क्या-क्या दंड देने पड़ते थे । इसीलिये तो इस बात का पहरा दिया जाता था कि कोई बाहर से ला न सके । दो चार को सख्त दण्ड देने पड़े तो उसका भी नतीजा कुछ ऐसा होता है कि दूसरों की भी हिम्मत जाती रहती है । यह गैरकानूनी काम सरेआम चलता था । यह भी नहीं कि पुलिस दूर हो । वहाँ थाना भी तो है । किर भी इस सीनाजोरी का पता चलता न था । चले भी क्यों १ आखिर किसी को गर्ज भी तो हो । किसानों को या गरीबों को गर्ज जल्लर थी । मगर उनकी कौन सुने ? धनी लोग तो बाहर से ही टिन मँगा लेते थे । और वहाँ धनी हैं भी तो इने गिने ही । बनिये बगैरह तो ढर के मारे चूँ भी नहीं करते थे । चौधरी के रैयत चाहे धनी हों या गरीब उनकी आज्ञा के विशद्ध जाते तो कैसे ? मगर सरकार को इस धांधली का पता क्यों न चला जब तक मैं वहाँ न गया, यह ताज्जुब की बात जल्लर है ।

नमक की बिक्री पर भी पहले चौधरी का एकाधिकार जल्लर था । लेकिन सन् १९३० ई० वाले नमक सत्याग्रह के चलते वह जाता रहा । जब लोग सरकार की भी बात सुनने को तैयार न थे और कानून की धजियाँ उड़ा रहे थे तो किर एक जमीदार की पर्वा कौन करता १ और अगर कहीं जमीदार साहब इस मामले में टाँग अड़ाते तो उस समय का बायुन-मंडल ही ऐसा था कि उन्हें लेने के देने पड़ते । क्योंकि गैरकानूनी हरकत का भंडाफोड़ जो हो जाता । फलतः न सिर्फ नमक वाला उनका एकाधिकार चला जाता, बल्कि किसान बगैरह के भी मिट जाते । इसीलिये उनने चालाकी की और चुप्पी मार ली । लोग भी नमक की खरीद बिक्री की स्वतंत्रता से ही संतुष्ट होके आगे न बढ़े । इसीलिये उनको काली करवूतों

का पता बाहरी दुनिया को न चल सका और आकी चीजों पर उनका एकाधिकार बना ही रह गया ।

झुँगठी मछली की भी कुछ ऐसी ही बात है । मैं तो उसके बारे में खुद कुछ जानता नहीं कि वह कैसी चीज है । मंगर लोगों ने बताया कि वह कोई उमदा मछली है जिसे खाने वाले बहुत चाव से खाते हैं । इसीलिये बाजार में उसकी बिक्री बहुत होती है । वह तो पानी बाला इलाका है । इसीलिये वहाँ मछलियाँ बहुत होती हैं । सुखा कर दूर-दूर जगहों में उनकी चालान भी जाती है । इसीलिये पकड़ने वालों को तो फायदा होता ही है, जर्मीदार को भी खूब नफा मिलता है । उसकी आमदनी बढ़ती है । मछली बगैरह की आय को ही जल-कर कहते हैं । अब सभी लोग या जोई चाहे वही उन मछलियों को पकड़ नहीं सकता तो खामखाइ ठीका लेने वालों में आपस में चढ़ाबढ़ी होगी ही । इसीसे जर्मीदार फायदा उठाता है और इनें-गिने लोगों को ही मछलियों का ठेका देके साल में न जाने कितने हजार रुपये बना लेता है । दूसरी मछलियों की उतनी पूछ न होने से उन पर रोक-ट्रेक नहीं है । फलतः जोई पकड़ेगा वही जल-कर देगा ।

जल-कर का भी एक बँधावँधाया नियम होता है । उस जर्मीदारी में और उसी प्रकार महाराजा दरभंगा से लेकर दूसरे जर्मीदारों को जर्मीदारियों में इस जल-कर के बारे में ऐसा अन्वेषकता है कि कुछ कहिये मत । खासकर कोशी नदी जहाँ जहाँ बहती है वहाँ यह बात ज्यादातर पाई जाती है । वह यह कि, जमीन में तो नदी बह रही है और फरल होती ही नहीं । फिर भी लगान तो किसान को देना ही पड़ता है । कानून लो टहरा । भगर पानी में मछली बगैरह के लिये जल-कर अलग ही देना पड़ता है । एक ही जमीन पर दो टैक्स, दो लगान । जल-कर तो उस जमीन में जमा पानी पर होना चाहिये जिसमें कभी सेती नहीं होती । भगर यहाँ तो उलटी गंगा बहती है । इसीलिये चौधरी श्रगनी जर्मीदारी में यही करते हैं ।

अब रही आखिरी बात जो नये चमड़े के एकाधिकार की है । यह यों

होती है कि देहातों में जब पशु मरते हैं तो आमतौर से मुर्दार मांस खाने वाले लोग उन्हें उंठा ले जाते और उनका चमड़ा निकाल के बैच देते हैं। पशु वालों को ज्यादे से ज्यादा एकाध जोड़े जूते दे दिया करते हैं यां कहीं-कहीं बैधे-बैधाये दो चार आने पैसे। यही तरीका सर्वत्र चालू है। बचपन से ही मेरा ऐसा अनुभव है। मगर उत्तरी विहार के पूर्वी जिलों में कुछ उलटी बात पाई जाती है। चौधरी के सिवाय महाराजा दरभंगा की जमीदारी में पूर्णियाँ आदि में भी मुझे पता चला है कि बड़े जमीदार इन चमड़ों का एक खासतौर का बन्दोबस्त करते हैं जिसे 'चरसा महाल' कहा जाता है। उससे होने वाली आमदनी को चरसा महाल की आमदनी कहते हैं। तरीका यह होता है कि पशुओं से चमड़े निकालने के बाद निकालने वाला चाहे जिसी के हाथ बैच नहीं सकता। किन्तु जमीदार को साल में हजारों रुपये देके इन चमड़ों की खरीद के ठेकेदार हर इलाके में एक, दो, चार मुकर्रर होते हैं और वही ये चमड़े खरीद सकते हैं। अगर दूसरे लोग खरीदे या दूसरों के यहाँ चमड़े वाले बैच दें तो दण्ड के भागी बन जाते हैं। इस प्रकार खरीदार लोग रुपये दो रुपये के चमड़े को भी दोई चार आने में पा जाते हैं। बैचने वाले को तो गर्ज होती ही है और दूसरा खरीदार न होने पर गर्ज का आवला जोई मिले उसी दाम पर बैचता है। इस प्रकार हजारों गरीबों को लूट कर चन्द ठेकेदार और जमीदार अपनी जेवें गर्म करते हैं। यही तरीका चौधरी की जमीदारी में भी था।

इस चरसा महाल के खिलाफ हमारा आन्दोलन सभी जमीदारियों में हुआ। मगर चौधरी की जमीदारी में हमारे तीन-चार दौरे हुए और बहुत ज्यादे मीटिंगें हुईं। वहाँ किरासन तेल और मुँगठी मछली वाला सवाल भी था। इसलिये वहाँ का आन्दोलन बहुत ही जोखदार हुआ। लोग दबे भी थे सबसे ज्यादा। हमने वैसा या उससे भी दबा इलाका विहार में एक ही और पाया है। वह है महाराजा दरभंगा की ही जमीदारी में दरभंगा जिले के ही पंडी परगने का इलाका। वह भी इसी प्रकार बाह महीने पानी में झूँडा रहता है और प्रायः तथा कथित छोटी जाति के ही लोग वहाँ बसते

है । इसीलिये चौधरी की जमींदारी की ही तरह हमारे आन्दोलन की गति वहाँ भी खूब तेज थी । दो तीन बार हम खुद गये । नतीजा हुआ कि वहाँ के गरीब भी उठ खड़े हुए । यही हालत बखतियारपुर की जमींदारी में भी हुई और हमें पता लगा कि किरासन तेल आदि सभी चीजों का एकाधिकार खत्म हो गया ।

चौधरी की तेज़ी ऐसी थी कि वह हमारा वहाँ जाना बर्शीत कर नहीं सकता था । सभा के लिये कोई जगह हमें न मिले 'और न ठहरने ही के लिये यह भी उसने किया । कार्य-कर्त्ताओं ने जो आश्रम बनाया था उसे भी तोड़ डालने की भरपूर कोशिश उसने की । मगर इन कोशिशों में वह सदा विफल रहा । हमें भी वहाँ जाने की एक प्रकार सी जिद हो गई । एक बार तो सलखुआ गाँव में हमारी मीटिंग होने को थी । मगर उसने कोशिश करके नाहक हम पर १४४ की नोटिश ऐन मौके पर करवा दी । फिर भी मीटिंग तो हुई ही । उसके पेट में हमारे नाम से गोवा ऊँट कूदने लगता था । हिन्दू-मुसलिम प्रश्न को भी अपने फायदे के लिये उठाता था, मगर मुसलमानों का दबाने के ही समय । वह चाहता था कि हिन्दू उनको मदद न करें । पर हमने हिन्दुओं को सजग कर दिया कि ऐसी भूज वे लोग न करें ।

सन् १९३६ ई० की बरसात के, जहाँ तक याद है, भादों का महीना था। मगर वृष्टि अच्छी नहीं हुई थी और दिन में धूपछाई होती थी—बादल के टुकड़े आसमान में पड़े रहते थे। फिर भी धूप ऐसी तेज होती थी कि शरीर का चमड़ा जलने सा लगता था। यों तो बरसात की धूप खुद काफ़ी तेज होती है। मगर भादों में उसकी तेजी और भी बढ़ जाती है। खासकर वर्षा की कमी के समय वह देह को झुलसाने लगती है। ठीक उसी समय सारन (छपरा) जिले के अर्कपुर मौजे में किसानों की एक जवर्दस्त मीटिंग की आयोजना हुई थी। तारीख तो याद नहीं। मगर दैवसंयोग से वह ऐसी पड़ी कि उसी दिन मीटिंग करके रात में सबा दस बजे की ट्रेन पकड़ कर बिहार के लिये खाना हो जाना जरूरी था। असल में अगले दिन बिहार आश्रम में एक सज्जन किसानों के सवाल को लेकर ही आने और बातें करने वाले थे। यह बात पहले से ही तय थी। खास उनकी ही जर्मीदारी का सवाल था। जर्मीदारी तो कोई बड़ी न थी। मगर ये वह सज्जन हमारे पुराने परिचित। डेहरी के नजदीक दरिहट मौजा उनका ही है। वहीं किसानों का आन्दोलन तेज हो गया था। उसमें मुझे भी कई बार जाना पड़ा था। किसानों के प्रश्न के सामने परिचित या अपरिचित जर्मीदार की बात ही मेरे मन में उठ सकती न थी। उन्हें शायद विश्वास रहा हो। इसीलिये उनने दूसरों के द्वारा मुझे उलाहना भी दिया था। पर मुझे उसकी पर्वा क्यों होने लगी? मैं तो अपना काम कर रहा था। ताहम जब उनने उसी के बारे में मेरे पास खुद आके बातें करनी चाही तो मैंने खुशी-खुशी उसकी तारीख तय कर दी।

यह अर्कपुर गाँव बंगालनार्थ वेस्टर्न रेलवे (ओ० य० रेलवे) के भाग्योखर द्वेशन से ६ मील दक्षिण पड़ता है। बाजू राजेन्द्र प्रसाद की

जन्मभूमि जीरादेह के पास से ही एक सङ्क श्रक्षपुर चली जाती है । वहाँ जाने के लिये सवेरे की ही ट्रेन से मैं पहुँचा था । मेरे साथ एक आदमी और था । छपरे से श्री लक्ष्मीनारायण सिंह कांग्रेस कर्मी के सिवाय दो और बकील सज्जन ये जिनका घर उसी इलाके में पड़ता है । भाटापोखर स्टेशन से करीब एक मील दक्षिण-पश्चिम बाजार में ही हमारे ठहरने और खाने-पीने का प्रबन्ध था । हम लोग वहाँ गये, स्नान भी किया, भोजन किया और दोपहर के पहले ही श्रक्षपुर के लिये चल पड़े । हाथी की सवारी थी । मैं तो इसे पसन्द नहीं करता । मगर किसानों की सभा ही तो थी । श्रागर उसमें जाने के लिये सवारी मिली तो यही क्या कम गनीमत की बात थी । न जानें कितनी सभाओं में मुझे दूर दूर तक पैदल ही जाना पड़ा है, ताकि मीटिंग टीक बक्क पर हो—उसमें गड़वड़ी न हो । यदि किसी धनी महाशय की मिहर्वानी से हाथी ही मिला तो नापसन्दी का सबाल ही कहाँ था ? इस-लिये सबों के साथ मैं भी उसी पर बैठ के चल पड़ा । मगर रास्ते की धूप ने हमें जला दिया । बड़ी दिक्षकृत से दोपहर के लगभग श्रक्षपुर पहुँच सके । मैंने रास्ते, मैं ही तय कर लिया था कि लौटने के समय पैदल ही आऊँगा । सवेरे ही खाना हो जाऊँगा । रास्ते में तो कोई गड़वड़ी होगी नहीं । वह तो देखा ठहरा ही । लालटेन साथ रहेगी । ताकि अँधेरे हो जाने पर भी दिक्षकृत न हो । हसीलिये सभी लोग अपना कपड़ा-लक्षा बगैर सामान स्टेशन के पास उसी बाजार में ही रख आये थे, ताकि लौटने में शासानी हो ।

सभा तो वहाँ हुई और अच्छी हुई । लोग पीढ़ित लो बहुत हैं । सर्व-माई निकट में ही दर्शन देती है । बरसात में उनकी लाड़ से जाता इलाका जलमय होता है, फसल मरी जाती है, घरबार चौपट हो जाते हैं और किसानों में हाहाकार मच जाता है । फिर भी जर्मांदार लोग अपनी वर्द्धलियाँ सख्ती के साथ करते ही जाते हैं । नेरे जाने से शानद कियानों दो कुछ राहत मिले और उनकी आह बाहरी दुनिया को मुनाई पड़े इसीलिये मैं खुलासा गया था । ऐसी दशा में सभा को सफ़लता तो होनी थी थी । उन-

रोक कौन सकता था ? वहाँ के जर्मीदार महाराजा दरभंगा या चौधरी बखति-चारपुर जैसे शानियल और हिम्मतवर भी न थे कि कोई खास बाधा चलते ।

सभा के समय खास जिले के उस इलाके के कई कांग्रेस कर्मी और भी आगये थे और उन्हीं में थे चैनपुर के एक युवक जर्मीदार साहब भी, वह थे तो मेरे परिचित । उनके चचा बगैरह से मेरी पुणी मुलाकात थी । सगर में तो चिंहुका कि यह क्या ? किसानों को सभा में बड़े-बड़े जर्मीदारों के पदार्पण का क्या अर्थ है ? लोगों ने कहा कि ये तो कांग्रेसी हैं । कांग्रेस में तो सबों की गुंजाइश हुई । उसी नाते वहाँ भी आगये हैं । मैंने बात तो छुन ली । मगर मेरे दिल, दिमाग में किसान-सभा का कांग्रेस से यह नाता कुछ समा न सका । मेरी आँखों के सामने उस समय भारतीय भावी स्वराज्य की एक भलक सी आगई । मुझे मालूम पड़ा कि इन जर्मीदारों का भी तो आखिर वही स्वराज्य होगा । इनके लिये वह कोई और तो होगा नहीं । फिर वही स्वराज्य किसानों का भी कैसे होगा यह अजीब बात है । बाघ और बकरी का एक ही स्वराज्य हो तो यह नायाब बात और अधित्त घटना होगी । लेकिन मेरे भीतर के इस उथल-पुथल और महाभारत को बे लोग क्या समझें ? फिर मैं अपने काम में लग गया और यह बात तो भूली गया । उस युवक जर्मीदार के पास एक बहुत अच्छी और नई मोटर भी थी जिस पर चढ़ के बे आये थे ।

सभा का काम पूरा होने पर जब हमने दो घंटा दिन रहते ही रवाना होने की बात कही तो वहाँ के कांग्रेसी दोस्त पहले तो अब चलते हैं, तब चलते हैं करते रहे । पीछे उनने कहा कि अभी काफी समय है । जरा ठहर के चलेंगे । असल में बे लोग पैदल नौ मील चलने को तैयार न थे । ठीक ही था । मेरी और उनकी किसान-सभा एक तो थी नहीं । उन्हें तो स्वराज्य की फिक्र ज्यादा थी—गोल-मौल स्वराज्य की, जिसमें किसानों का स्थान क्या होगा । इस बात का अब तक पता ही नहीं । उसी स्वराज्य की खाड़ी में किसानों को साध लेने के ही लिये बे लोग आये थे । साथ ही,

उन लोगों का स्वराज्य तो फौरन ही असेम्बली, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि की सेम्बरी बगोरह के रूप में आने वाला था जिसमें किसानों की मदद निहायत जबरी थी। उसके बिना उन्हें यह स्वराज्य मिल सकता था नहीं। यही तो ठोस बात थी जिसे वे लोग खूब समझते थे। मोटर वाले बाबू साहब की भी कांग्रेस भक्ति का पता मुझे पूरा पूरा तब लगा जब मैंने उन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये कांग्रेसी उम्मीदवार एक मुसलमान सज्जन के खिलाफ महाबीरी झंडा वाली मोटर में बैठ के बुरी तरह परीशान देखा!

अन्त में जब ज्यादा देर हो गई और मैं घबराया तो उन लोगों ने कहा कि बाबू साहब की मोटर हमने मंगनी करली है, आपको उसीसे पहुँचा देंगे। इस पर मैं चौंक के बोला कि मैं एक जर्मीदार की मोटर में चलूँ और फिर भी किसान सभा करने वाला बनूँ! यह नहीं होने का। इस पर वे लोग थोड़ी देर चुप रहे। मैं भी परीशान था। आखिर इन्तजाम उन्हें ही करना था। अब देर भी हो चुकी थी। लालटेन बिना चलना गैरसुमकिन था और मेरे पास खुद लालटेन थी नहीं। नहीं तो भाग निकलता। जब फिर मैंने सवाल उठाया तो उनने बही मोटर वाली बात पुनरपि उठाई और बोले कि यह तो हमारा इन्तजाम है। इसमें आपका क्या है? आपने तो मोटर माँगी है नहीं। मैंने उन्हें इसका उत्तर दिया सही। मगर वे तो तुले थे और मैं अब लाचार था। कुछ दिन रहते यदि यह बात उठती तो, मैं अकेला ही भाग जाता। पर, अब तो शाम हो रही थी। वे लोग भी मेरे त्वभाव से परिचित थे। इसीलिये पहले तो मोटर का सवाल उनने उठाया नहीं, और पीछे जब देखा कि अब मैं अकेला भाग नहीं सकता, तो उस सवाल गर डट गये। मैंने भी अन्त में कमज़ोरी दिखाई और मोटर से ही जाने की बात ठहरी!

रात के आठ बजे हम उड़ों को लेके मोटर चली। बाबू साहब ही उसे चला रहे थे। मालूम हुआ, नब्बीक में ही उनकी ननुराल है। उन्हें बहीं उतार के मोटर हमें स्टेशन ले जागनी। मोटर में चलने के लाल्य ही हमने

लालटेन साथ में ली ही नहीं। खैर, मोटर उनकी लतुराल में पहुँची। के उपर गये। ड्राइवर आगे बैठा। उनने ताकीद कर दी कि खूब आगम ते ले जाना। रात्से में गहड़ी न हो। उस, वह ट्वेशन की ओर चल पड़ी। मगर रात्सा वह न था जिससे हम दिन ने आये थे। किन्तु दोलहों आने नई चड़क थी। रात के साढ़े आठ बज रहे थे। हमें पता नहीं किसर जा रहे थे। एकएक कीचड़ में मोटर फूँसी। वर्षा के दिन तो ये ही। चड़क भी कम्ची थी। ड्राइवर ने जोर मारा। मगर नतीजा कुछ नहीं। बहुत देर तक मोटर की कुश्ती उत्त कीचड़ से होती रही। हम घबरा रहे थे। धीरे-धीरे निराशा चढ़ रही थी। हने शक भी हो रहा था कि ड्राइवर रात ने जाना नहीं चाहता है। इच्छिये ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। मगर करते क्या! बोलते तो बात और भी बिगड़ती। वह इनकार कर देता तो ट्वेशन पहुँचना असंभव था। आखिर जब बही ने हमने साढ़े आठ देखा तो मोटर से निराश हो के पैदल चलने की सोचने लगे।

परन्तु एक तो भावों की अन्वेषी रात, दूररे रात्सा किलकुल ही श्रनजान, तीसरे साथ में लालटेन भी नहीं। मोटर के खयाल से हमने लालटेन की जल्लत न समझी और अब “खौब गये छुब्बे बनने, दूबे बन के लौटे” वाली बात होगई! किर भी मुक्के तो चाहे जैसे ही ट्वेशन पहुँचना ही था। अगले दिन का प्रोग्राम जो था। आज तक मैंने ऐसा कमी होने न दिया कि मेरा निश्चित प्रोग्राम फेल हो जाये। मैंने हमेशा अपने कार्ड-कर्त्ताओं से कहा है कि दक्षिण तर्फ़े, मेरा प्रोग्राम फेल हो नहीं सकता। या तो मैं पहले ही खबर दे दूँगा कि किसी भारण से आ नहीं सकता; ताकि उमय रहते लोग सजग हो जायें। नहीं तो मैं खुद ही पहुँच जाऊँगा। और अगर ये दोनों बातें न हो सकीं तो मेरी लाश ही वही जल्ल पहुँचेगी। इच्छा नतीजा यह हुआ है कि मेरे प्रोग्राम के बारे में किसानों को पूरा विश्वास हो गया है कि वह कमी गहड़ी होने का नहीं।

इसी के मुतादिक मुक्के तो चबादछ बजे यत की ट्रेन पकड़नी ही थी। मगर रात्सा नोटे अन्दाज से दात मील से कम न था। क्योंकि हम उत्तर

ओर मोटर से चल रहे थे और दो मील से ज्यादा चले न थे जब वह खराब होगाँई । हमें इतना मालूम था कि जिस सड़क से हम दिन में गये थे वह इस मोटर वाली सड़क से पञ्चछम है और कुछ दूर जाने पर शायद यह उसी में मिल जाय । क्योंकि आखिर स्टेशन और पास की जमीन का नकशा तो आँखों के सामने नाचता ही था । और अब समय था कुल डेढ़ घंटे । इतने ही में उस बाजार में पहुँचना था जहाँ सामान रखा था । फिर वहाँ से एक मील स्टेशन चलना था सामान लेकर । यदि दस बजे बाजार में पहुँच जाते तो आशा थी कि पन्द्रह मिनट में वहाँ से स्टेशन पहुँच के ट्रेन पड़क लेते ।

जब मैंने साथियों से पूछा तो दो ने तो साफ हिम्मत हारी, हालाँकि उन्हें भी छपरा पहुँचना जरूरी था । वे लोग बकील थे और कचहरी में उनका काम था । अब तो मैं और भी घबराया । मगर जब लक्ष्म बाबू से पूछा तो उनने कहा कि ज़रूर चलेंगे । फिर बश था । मेरा कलेजा वाँसों उछल पड़ा । मैं तो अकेले भी चल पड़ने का निश्चय करी चुका था और अब लक्ष्मी बाबू ने भी साथ देने को कह दिया । इसके बाद तो उन दोनों सज्जनों को भी हिम्मत आई और हम सबने मोटर महारानी को सलाम कर उत्तर का रस्ता पकड़ा ।

रस्ता अनजान था । तिसपर तुर्रा यह कि मिट्टी सफेद थी । राते में जहाँ तर्हाँ कीचड़ और पानी भी था । हमने कमरू में धोती लपेटी । नहै द्याय में लिये । मेरे एक हाथ में मेरा दण्ड भी था । फिर हमारी “क़िक्क मार्च” शुरू हुई । यदि दौड़ते नहीं, तो समूची परेशानी के बाद भी ट्रेन पकड़ न पाते । इसज़िये दौड़ते चलते थे । रात्ते में कहाँ दवा है इसकी पर्चा हमें कहाँ थी । सर्प बिच्छू का तो ख्याल ही जाता रहा । यिक्क रात्ते में समय समय पर पड़ते दाले झोरझो में आदभी की आदट लेने की किक्क हमें इसलिये थी कि रात्ते का पता पूछें कि टीक तो जा रहे हैं । कहीं दूसरी ओर बहक तो नहीं रहे हैं ? भाद्रोल्लर भी कितनी दूर है यह जानने की भी तीव्र उत्कंठा थी । मगर भोंग्हों और गाँवों में तमाम नज़ार दृग्ग

मिलता था । बहुत दूर जाने पर एक गाँव में एकाघ आदमी मिले जिनने फासला दूर बताया । बहुतेरे लोग तो रास्ते में हमें दौड़ते देख या पैरों की आहट सुन सटक जाते थे । उन्हें भय हो जाता था कि इस धोर अँधियाली में चौर डाकुओं के सिवाय और कौन ऐसी दौड़ धूप करेगा । हम भी ताढ़ जाते और हँसते हँसते आगे बढ़ जाते थे ।

रास्ते में एक बड़ी मजेदार बात हुई । हमने महाभारत में पढ़ा था कि मयदानव ने ऐसा सभा भवन बनाया कि दुर्योधन को सूखी जमीन में पानी का और पानी में सूखी जमीन का भ्रम हो जाता था । इससे पांडवों के कुछ आदमी उस पर हँस पड़े थे । इसी का बदला उसने पंछे लडाई के मौके पर लिया था । मगर हमें खुद इस भ्रम का शिकार होना पड़ा । अन्वेरी रात में आखमान साफ होने के कारण तारे खिले थे । फलतः रास्ता चमकता था । नतीजा यह हुआ कि हम लोगों को सैकड़ों बार सूखी जमीन में पानी का भ्रम हो गया और हमने धोती उठाली । पर, पाँच सूखी जमीन पर ही पड़ता गया । इसके उलटा पानी को सूखी जमीन समझ हम वेधइक बढ़े तो बुद्धने तक छूट गये । जल्द बाजी और दौड़ की दूलत में यह गौर करने का तो मौका ही नहीं मिलता था कि पानी है या सूखी जमीन । मगर इसमें हमें खूब मजा आता था । मजा तो अगरे दिल में होता है । वह बाहर थे डे ही होता है । हम लथपथ थे । कीचड़ से सारा बदन लिपटा था । मगर धून यी ठीक समय पर पहुँच जाने की । इसीलिये सारी तकलीफ भूल गई और हम हँसते हँसते बढ़ते थे ।

कुछ दूर जाकर जब पहली सड़क मिली तब कहाँ हमें यकीन हुआ कि ठीक रास्ते जा रहे हैं । मगर अभी प्रायः चार मील चलना था । अतः हमें लांस लेने की फुर्सत भी कहाँ थी । सैर, दौड़ते दौड़ते दंस बजे से पहले ही बाजार में पहुँच ही तो गये । पूछने पर पता चला कि जहाँ सामान है उसे बन्द करके हमारे परिचित सज्जन घर सोने चले गये । क्योंकि गाड़ी का समय नजदीक देख उनने मान लिया कि हम अब न आयेंगे । उनका घर भी कुछ फासले पर था । यह दूसरी दिक्षत पेश आई । सैर, हमें एक

दैड़ के बहाँ गया और जैसे तैसे उन्हें जगा लाया । उनके आते ही हमने अपने अपने सामान निकाले । मेरा समान कुछ ज्यादा था । मगर उस समय स्टेशन तक सामानों को पहुँचाने वाला कहाँ मिलता । फलतः हमने गधे की तरह अपने अपने सामान सर पर लादे । मेरी सहायता साधियों ने और साथ के आदमी ने भी की । इस तरह लइफन के हमने फिर वही “किंक मार्च” शुरू किया । क्योंकि ट्रेन आ जाने का खतरा था । हमें अपनी घड़ी पर विश्वास होता न था । संकट के समय ऐसा ही होता है । अत्यन्त विश्वासों पर से भी विश्वास उठ जाता है ।

मगर जब स्टेशन पहुँचे और वहाँ की घड़ी में देखा कि पूरे दस बजे हैं तब हमारी जान में जान आई । फिर तो हमारी खुराक का ठिकाना न रहा । निश्चित हो के हमने हाथ पाँव बगैर धोये, कपड़े बदले और देह साफ़ की । इतने खतरे का काम हमने किया, ऐसी लम्बी राह, जो आठ मील से कम न थी, हमने डेढ़ घंटे में तय की और बाजार में पन्द्रह मिनट रहरे भी, यह याद करके हमारा आनन्द बेहद बढ़ गया । खूबी यह कि हमें न तो कोई थकावट मालूम होती थी और न परीशानी । सख्त से सख्त काम और मिहनत के बाद भी यदि सफलता मिल जाय तो सारी हँरानी हवा में मिल जाती है । लेकिन यदि घोड़ी भी परीशानी के बाद निकल होना पड़े तो ऐसी थकावट होती है कि कुछ पूछिये मत । और हम तो इस साइर्ट (adventure) के बाद सफल हो चुके थे । तब थकावट क्यों होती । कम से कम हमें उसका अनुभव क्यों होता ।

सन् १९३५ ई० की मई का महीना था। उसी समय पूर्णियां जिले में वरसांत शुरू हो जाया करती है। कांग्रेस के पुराने कार्यकर्त्ता पं० पुण्यानन्द का पूर्णियां जिले के अररिया सब डिविजन के जद्दानपुर में रहते हैं। उनके ही आग्रह और प्रबन्ध से उस जिले का पहले पहल दौरा करने का मौका मिला। कटिहार स्टेशन से ही पहले किशनगंज जाने का प्रोग्राम था। कटिहार में डा० किशोरीलाल कुंडू के यहाँ ठहर के किशनगंज की ट्रेन पकड़नी थी। किशनगंज पूर्णियां जिले का सब डिविजन और विहार ग्रान्त का सबसे आखिरी पूर्वोत्तर इलाका है। यों तो उस जिले में ७५ फीसदी मुसलमान ही बाशिन्दे माने जाते हैं। मगर किशनगंज में उनकी संख्या ६५ प्रतिशत कही जाती है। किसानों के आन्दोलन के सिलसिले में ऐसे इलाके में जाने का यह पहला ही अवसर था। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी।

का जो कटिहार में ही साथ हो लिये और बरसोई होते हम किशनगंज पहुँचे। वहाँ के प्रसिद्ध कांग्रेस कर्मी श्री अनाथकांत बसु के यहाँ हम लोग ठहरे। पहली सभा वहाँ शहर में ही होने वाली थी। सभा हुई भी। मगर बृष्टि के चलते जैसी हम चाहते थे हो न सकी। इसका पश्चात्ताप सबों को था। मगर मजबूरी थी किशनगंज में दोई दिन ठहरने का हमारा प्रोग्राम था। तो भी अनाथ बाबू ने भीतर ही भीतर तय कर लिया कि मुझे एक दिन और ठहरा के शहर में फिर सभा की जाय जो सफल हो। उनने देहात में भी खबर भेज दी और इसका खासा प्रचार किया। जब मैं तीसरे दिन चलने के लिये तैयार था तभी कुछ लोगों के डेप्युटेशन ने हठ करके मुझे रोक लिया और खासी अच्छी सभा कराई। मुझे भी का जो के साथ देहात में होके ही उनके घर (जद्दानपुर) जाना था।

इसलिये कोई खास प्रोग्राम न होने के कारण एक दिन रुकने में विशेष चाधा नहीं हुई । यदि कहाँ का निश्चित प्रोग्राम होता, तब तो तीसरे दिन रुकना गैर सुमिक्षन था ।

हाँ, किशनगंज से ६-७ मील उत्तर देहात में दूसरे दिन जाना था । पांजीपाड़ा नामक एक हाट में मीटिंग करनी थी । किशनगंज से जो सड़क उत्तर ओर जाती है उसी के किनारे पांजीपाड़ा बस्ती है । किशनगंज से एक लाइट रेलवे दार्जिलिंग जाती है । मगर वह तो अजीव सी है । मालूम होता है बैलगाड़ी चलती है । हम लोग, जहाँ तक आद है, घोड़ागाड़ी से ही पांजीपाड़ा गये । चाजार का दिन था । जिस जगह बैठके लोग चीजें बेचते और खरीदते थे उसके पास ही एक फूस का कोपड़ा था । हम तो कहीं चुके हैं कि वह इलाका प्रायः मुसलमानों का ही है । हाट में भी हमें चंही नजर आ रहे थे । यह भी देखा कि उस कोपड़े में उनका एक खाली मजमा है, यों तो उसमें भी आना जाना लगा ही था । हमें पता लगा कि वह कोपड़ा ही मस्जिद थी जिसमें दोगहर के बाद की नमाज पढ़ी जा रही थी । घोर देहात में इस प्रकार धार्मिक भावना देखके में प्रभावित हुआ । ऐसा देखना पहली ही बार था । मैंने सोचा कि इन्हीं के सामने किसान-समस्याओं पर सीध देनी है । कहाँ ऐसा न हो कि सारा परिभ्रम बेकार जाय ।

मगर बात उलटी ही हुई । मेरे आर्चर्च का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि वे उभी बहुत ही गौर से मेरी चातें छुनते थे । मैं जैसे जैसे बोलता जाता था वैसे वैसे उनके चेहरे खिलते जाते थे । मेरी चातों की पसन्दगी जानने के लिये कितनों के सर हिलते थे । बहुतेरे तो मल दो रहे थे और झूमते थे । एक तो मुझे ढरायह था कि मुख्जनान किजानों में बोलना है । कहीं ऐसा न हो कि गेहवा बख देखते ही वे भट्टक उड़े कि यह कोई हिन्दू फकीर अपने धर्म वर्ण की बात बोलने आया है । उनात वर्धि के नमाज पढ़ते देख मेरा यह ढूँढ़ भी ढूँढ़ नया था । दूसरा अन्देशा यह था कि दंगाल की चरहद पर बहने वाले लोगों में दंगाल

बोलते हैं और जिनकी रहन सहन बिलकुल ही वंगालियों की है, मेरी हिन्दुस्तानी भाषा कछु ठीक न होगी। और वंगाली बोलना तो मैं जानता नहीं, गो पढ़ या समझ लेता हूँ। तीसरा खयाल यह था कि उनके खास सवालों को तो मैं जानता नहीं कि उन्हीं के बारे में बोल के उनके खयाल अपनी और खींच सकूँ। इसीलिये सिर्फ उन्हीं वातों पर बोलता रहा जो सभी किसानों को आमतौर से खलती हैं और जिनसे अपना छुटकारा सभी चाहते हैं। जैसे जमीदारों के जुल्म, लगान की सखती, बख्ली में ज्यादतियाँ, कर्ज की तकलीफें, बकाश्त जमीन की दिक्कतें बगैरह बगैरह।

मगर मेरा डर और अन्देशा बेबुनियाद साधित हुआ। उनने मेरी बातें दिल से सुनीं, गोया मैं वही बोलता था जो वह चाहते थे। बोलने में मेरी जबान और भाषा ऐसी होती ही है कि सभी आसानी से समझ लें। गुजरात से लेके पूर्व वंगाल और आसाम तक मैं यही भाषा बोलता रहा हूँ और किसान समझते रहे हैं। असल में उनके दिल की बात सीधी सादी और चुभती भाषा में अपने दिल से बोलिये तो वे खामखाह आधी या तीन चौथाई समझते ही हैं और इतने से ही काम चल जाता है। किशनगंज वाले तो सोलह आना समझते। खासकर मुसलमान कहीं भी रहें, तो भी हिन्दुस्तानी जबान वे समझते ही हैं। यह एक खास बात है।

इसलिये जब मैंने मीटिंग खत्म की तो उनने मुझे घेर लिया और कहने लगे कि आरने तो बड़ी अच्छी बातें कही हैं। ये तो हमें खूब ही पसन्द हैं। ये हमारे काम की ही हैं। हमने बहुत से लेकचर मौलियियों के आज तक सुने हैं। मगर मौलियी लोग तो ऐसी बातें बोलते नहीं। आप तो रोटी का सवाल ही उठाते हैं और उसी की बातें बोलते हैं। आप हमारे पेट भरने और आराम की बातें ही बोलते हैं जिन्हें हम खूब समझते हैं। ये बातें हमें रुचती हैं। सो आप हमारे गाँवों में चलिये। कई चलते पुजे लोगों ने हठ किया कि मैं उनके गाँवों में चल के ये बातें त्यों को सुनाऊँ। क्योंकि वे लोग दूर दूर से आये थे और हर गाँव के एक दो चाल

हीं वहाँ थे । वाकी तो खेती गिरस्ती में ही लगे थे । मगर मैंने उनसे उस समय तो यह कहके छुट्टी ली कि कभी पांछे आऊँगा । इस समय मेरा प्रोग्राम दूसरी जगह तय हो गया है । द्वार्लांकि मैं वह बादा अभी तक पूरा कर न सका, इसका सख्त अफसोस मुझे है ।

इस प्रकार उस मीटिंग और मुसलिम किसानों की मनोवृत्ति का बहुत ही अच्छा असर लेके हम लोग शाम तक किशनगंज वापिस आये । किसानों और मजदूरों के आये दिन के जो आर्थिक प्रश्न हैं और जो उनकी रोजमर्रा की मुसीबतें हैं यह ऐसी चीजें हैं कि इन्हीं की दुनियाद पर सभी किसान मजदूर, चाहे उनका धर्म और मजहब कुछ भी क्यों न हो, एक हो सकते हैं । आसानी से एक सूत्र में बेलटे के बैंध सकते हैं, उनकी जत्येवन्दी हो सकती है, यह बात हमारे दिमाग में उस दिन से अच्छी तरह बैठ गई । हमें वहाँ इसका नमूना ही मिल गया । वह हमारी जिन्दगी और उनके जीवन में शायद पहला ही मौका था जब मुसलमान किसानों ने हमारे जैसे हिन्दू कहे जाने वाले फकीर को अपना आदमी समझा और हमें अपने घर गाँव में मुहब्बत से ले जाना चाहा । द्वार्लांकि हमारी और उनकी मुजाकात पहले पहल सिर्फ उसी दिन एक दो ही घंटे के लिये हुई थी । आखिर आर्थिक प्रश्नों के सिवाय दूसरा कौन जादू था जिसने उन पर ऐसा असर किया ? हमारी बातों के सामने मौलिकियों की बातों को जो उनने उतना पसन्द नहीं किया इसकी बजह आखिर दूसरी और वया थी ।

कहते हैं कि सारंगी और सितार के तारों की झनकार जब कहीं दूर से भी आती है तो सभी इनसान, फिर चाहे वह किसी भी धर्म मजहब के क्यों न हों, मुग्ध होके जग्दर्दस्ती लिच आते हैं । सारी बातें, सारे काम भूल के एकटक तुमते रहते हैं । लेकिन अगर खुद उन्हीं को घर के—दिलों के—तार झनक उठें तो । तब तो और भी मजा आयेगा और वे लहू होके ही रहेंगे । अबल में दुनियादी विषयाएँ सभी गरीबों की एक ही हैं । वे सभी हिन्दू मुसलिम को बराबर रहताती हैं । इसीलिये एक तरह सभी ऐसे दिलों में चुम्हती हैं । ऐसी द्वालत में जोशी उनकी चर्चा हमने उठाई छिप-

सभी के दिलों के तार साथ ही मनक उठे । फलतः सभी एक ही हाँ में चाँह मिलाते, सुर में सुर मिलाते और एक ही राग गा उठते हैं कि “कमाने वाला खायगा, इसके चलते जो कुछ हो” । इस राग में हिन्दू मुसलिम भैद खामखाह मिट जाता है । इस पवित्र धारा में हिन्दू मुसलिम कलह की बैल त्रिना धुले रही नहीं सकती यह पक्की बात है । इसका ताजा ताजा नमूना हमारी आँखों के सामने उस दिन पांजीपाड़े में नजर आया और हमें भविष्य के लिये पूरी उम्मीद हो गई कि गरीबों के दुख जरूर कटेंगे और उनके अच्छे दिन जरूर आयेंगे, सो भी जल्द से जल्द, अगर हमने अपना यही रास्ता, यही काम जारी रखा ।

खैर, तो किशनगंज लौटने के बाद, जैसा कि पहले कहा है, एक दिन चाँह ठहर के उस सब डिविजन की देहात का अनुभव करते और मजा लूटते पं० पुरशानन्द जी के गाँव पर पहुँचने की बात तय पाई । उनका गाँव जहानपुर अन्दाजन २५-३० मील के फारले पर है । वरसात का समय था । देहात की सड़कें तो योही चौपट होती हैं । तिसपर खूबी यह कि वह इलाका सबसे पिछड़ा हुआ है । इसलिये रास्ते का भी ठिकाना न था, सवारी का तो पूछना ही नहीं । वही दिक्षत से बैलगाड़ी मिल सकती थी । मगर रास्ता खराब होने से बैल कैसे गाड़ी खीचेंगे यह पेचीदा सवाल था । एक तो ऐसी दशा में उन्हें गाड़ी में जोतना कसाईपन होगा । दूसरे चै चल सकते नहीं चाहे हम कितने भी निर्दय क्यों न बनें । अगल में गाड़ी या हल में जोतने के समय हम लोग बैलों के साथ ठीक वही सलूक करते हैं जो जर्मीदार हम किसानों के साथ वर्तते हैं । अगर जर्मीदार उन्हें श्राद्धमी न समझ लावारिस पशु मानते हैं, और हसीलिये वे खायें पियेंगे या नहीं इसकी जरा भी फिक न कर उनकी सारी कमाई जैसे तैसे बदल लेने की फिक करते ही रहते हैं, तो किसान अपने बैलों के साथ भी कुछ बैसा ही सलूक करते हैं, हालाँकि किसानों के लिये जर्मीदारों जैसी निर्दयता नहीं मुसकिन है । वे बैलों के खाने पीने की कोशिश तो करते हैं । वेशक उनमें कमाई का अन्न पास रखके उन्हें भूसा, पुआल बगैर वही चीजें

खिलाते हैं जो किसानों के लिये प्रायः वेकार सी हैं। बदले में जमींदार भी किसानों की कमाई के गेहूँ, वासमती, धी, मलाई आदि खुद लेके उनके लिये मंडुवा, खेसरी, मठा आदि ही छोड़ते हैं। मगर जहाँ तक जोतने का सवाज़ है किसान वैलों के साथ वड़ी निर्दयता से पेश आते हैं।

नतीजा यह हुआ कि मेरी ये बातें कुछ काम न कर सकीं और एक बैतगाढ़ी तैयार की गई। अनाथ बाबू को भी साथ ही चलना था। जहानपुर और किशनगंज के बीच में ही कांग्रेस के पुराने सेवक श्री शराफत-श्रीली मस्तान का गाँव कटहल बाड़ी चैनपुर पड़ता है। बीच में वहीं एक रात ठहरने और मीटिंग करने की बात तय पाई थी पहले से ही। मस्तान को भी यह बात मालूम थी। मगर ठीक दिन और वक्त का पता न था। हमें भी खुशी थी कि सन् १९२१ ई० से ही जिसने मुल्क की खिदमत में अपने को वर्वाद कर दिया और जमीन जायदाद बगैरह सब कुछ तहम नहस और नीलाम तिलाम होने दिया उस शख्स से मिलना होगा, सो भी खांटी किसान से। वर्वादी की पर्वा न करने के कारण ही तो उस शख्स का नाम सचमुच मस्तान पड़ा है। ‘शराफत श्रीली’ तो शायद ही कोई जानता हो। सिर्फ मस्तान के ही नाम से वह पुराना देश सेवक प्रसिद्ध है। कांग्रेस का आनंदोलन शुरू होते ही उन्हें धुन सबार हुई कि किसान किसी को लगान यांवी देने, और खुद यांवी भूखों मरेंगे। लोगों को उसने वही कहना शुरू किया। खुद भी वही किया। फिर जमीन जायदाद बचती तो कैसे? जमीन थी काफी। मगर उभी यांवी खत्म हो गई और वह बहादुर दर-दर का भिजारी बन गया। उसके परिवार को भूखों मरते रहने की नीवत आई! फिर भी यह धुन दरादर मुद्रत तक चनी रही। आज भी आग वही है, जो भीतरी-भीतर दर्ढी पहो है। अगर किसान सिर्फ इतना ही समझते कि उन्हें भी खाने का एक है। वे भूखे मर नहीं सकते। और अगर इसी के अनुलार यदि वे अपनी कमाई को खाने पीने लग जाय तो ऐसा कियों की दर्दा किये ही, तो उनकी सारी तकलीफें एवा में मिल जाय।

जो कुछ हो, हम सबेरे ही खा पी के बैलगाड़ी पर बैठे और मस्तान के गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में चारों ओर सिर्फ मुसलमान किसानों के ही गांव पढ़ते थे। हिन्दूओं की बस्ती तो हमें शायद ही मिली। ऐसी यात्रा मेरी जिन्दगी में पहली ही थी। सच बात तो यह है कि हजार जानने कुनने और समझने वूमने पर भी मेरे दिल में यह खयाल बना था कि हिन्दूओं की अपेक्षा मुसलमान जनता खामखाह सख्त मिजाज मगड़ालू और धमंडी होती है। इसीलिये रास्ते में पड़ने वाले गांवों में बराबर इस बात की तलाश में था की ऐसी बातें मिलेंगी। उनके मकान बगैरह में भी कुछ खास बातें देखना चाहता था। इसीलिये जब मुसलमान मिलते थे तो उनकी ओर मैं निहायत गौर से देखता था। गांव के बाद गांव आते गये और एक के बाद दीगरे न जानें कितने व्यक्ति और कितने गिरोह रास्ते में मिले। हमने बाबर उनसे मस्तान के गांव की राह पूछी। उनने बताई भी। मगर हमें कोई खास बात उनमें मालूम न हुई। वही साझा, वही सीधापन, वही मुलायम बातें और वही रहन सहन ! जरा भी फर्क नहीं ! दाढ़ी भी तो सबों को न था कि फर्क मालूम पड़ता। कपड़े भी बैसे ही थे। मकानों की बनावट में तो कोई अन्तर था ही नहीं। मुर्गे मुर्गियां नजर न आयें तो और कोई फर्क गावों में न था। यदि किसी और मुल्क का आदमी ये चीजें देखता तो वह यह समझी नहीं सकता कि ये हिन्दू हैं या मुसलिम ! ठीक ही है किसान तो किसान ही है। वह हिन्दू या मुसलिम वयों बनने लगा। बीमारी, भूख, गरीबी, तबाही बगैरह भी तो न कलमा और न माज ही पढ़ती है और न गायत्री संध्या ही जानती है और इन्हीं सबों के शिकार सभी किसान हैं—इन्हीं की छाप सभी किसानों पर लगी हुई है। फिर उन्हें चाहे आप हिन्दू कहें या मुसलिम ! हैं तो दर-असल वे भूखे, गरीब, मजलूम, तबाह, बर्बाद।

यह देख के मेरे दिल पर इस यात्रा में जो अमिट छाप पढ़ी वह हमेशा ताजा रही है। पांजीयड़े के बाद यह दूसरा अनुभव फौरन ही हुआ जिसने मेरी आंखें सदा के लिये खोल दीं। इससे मेरी आंखें के

सामने असलियत नाचने लगी। “जनता, अवाम (masses) एक हैं, इनमें कोई भी धर्म मजहब का फर्क नहीं। वे भीतर से दुर्घट्ट हैं।” यह दृश्य मैंने देखा। इसने किसान-सभा के काम में मुझे बहुत बड़ी हिम्मत दी और आज जब कि बड़े से बड़े और कान्तिकारी से भी कान्तिकारी कहे जाने वाले हिन्दू मुसलमान तनातनी से दुरी तरह धन्वण रहे हैं, भविष्य के लिये निराश हो रहे हैं, मैं निश्चन्त हूँ। मैं इनकी चाँत सुन के हँसता हूँ। इन्हें इन कंगड़ों की दवा मालूम नहीं है। उसे तो मैंने न उिंक कितांवों में पाया है, बल्कि किशनगंज के इस दौरे में देखा है।

इस प्रकार कुछ दूर जाने के बाद वैलगाड़ी छोड़ देने की नीत्रत आई। असल में वैल थे तो कमजोर और रस्ता ऐसा बेढ़ंगा था कि न सिर्फ वैलगाड़ी के पहिये कीचड़ में हूँव जाते थे, बल्कि वैलों की टाँगें भी। जब वे चल न पाते तो गाड़ीवान उन्हें पीछता था। यह दृश्य चर्दारश के चाहर था। मगर इतने पर भी वैल आगे बढ़ पाते न थे। बढ़ते भी आखिर कैसे ! रस्ता वैक्षा हो तब न ! इसलिये तय हुआ कि गाड़ी छोड़ के पैदल चलें। नहीं तो रस्ते में ही रह जाँयगे और मस्तान के गाँव तक भी आज पहुँच न सकेंगे। फलतः कपड़ा लक्षा एक आदमी के सर पर गढ़र चाँध के रख दिया गया और जूते हाथ में लेके हम सभी उत्तर पञ्चाम रुत पैदल ही बढ़े। कीचड़ में फँसते, पानी पार करते, गिरते पहुँते हम लोग चराचर बढ़ते जाते थे। यह भी मजेदार यात्रा थी। हमने जरा भी मनहूँडी न जर न आई। हँसते हुए चल रहे थे। यह कितना सुन्दर ‘ट्रेन ट्रिप’ था, सैर सगाया था। आखिर कीचड़ पानी से लथरण और बृष्टि से भी भीगते भागते शाम होते न होते हम लोग मस्तान के गाँव पर पहुँचनी तो गये।

मस्तान साहब खबर पाते ही दौड़े दीड़ाये हाजिर आये और हम सभी गते गते भिजे। शाम का तो बक्क था ही। हम लोग यके नादे भी थे। मैं तो रात में कुछ खाता पीता न था, नियार गार के दूध के और वैः अनन्दक भिज उकता न था। अगर रहते से खबर होती तो उनमा इन्तजाम घारद

हुआ रहता । मस्तान् और उनके साथी कोशिश करके थक गये । मगर दूध न मिला । वाकी लोगों ने खाना-बाना खाया । रात में थकावट के चलते हम सभी सो रहे । तथा पाया कि बहुत तड़के लोग जमा हों और हमारी मीठिंग हो । उसी दिन जल्द से जल्द सभा करके और खा पी के हमें जहानपुर पहुँचने के लिये आगे चल पड़ना भी था । हाँ, मस्तान साहब इधर उधर खबरें मेजते रहे उस दिन शाम से ही, कि कल तड़के लोग जुट जाय । पता लगा कि उनने हमारे घारे में पहले से ही लोगों में प्रचार भी कर रखा था ।

दूसरे दिन नित्यकिया स्नानादि के बाद हमारी सभा की तैयारी हुई । लोग जमा हुए । हमने उन्हें धंटों समझाया । हम तो सिर्फ उनकी भूख और गरीबी की बातें ही करना जानते थे और वे बातें उन्हें रुचती भी थीं । मस्तान साहब शेर (कविता) के प्रेमी हैं । बहुत से पद मौके-मौके के बे जानते भी हैं । हमारे घारे में भी उनका यही ख्याल था । उनने हमें भी कहा कि बीच बीच में कुछ चुभते हुए पद सुनाते चलेंगे तो अच्छा असर होगा । जहाँ तक ही सका हमने उनकी मर्जी को पूरा किया । मगर हमें खुशी थी कि एक सच्चे जन-सेवक के घर पर ठेठ देहात में मरते जीते जा पहुँचे थे, जैसे लोग तीर्थ और हज की यात्रा में पैदल ही जाते हैं । जहाँ सच्चे और मस्ताने जन-सेवक हों असल तीर्थ तो वही है । पुराने लोगों ने तो कहा भी है कि सत्पुरुष और जन सेवक तीर्थों तक को पवित्र कर देते हैं अपने पांवों की धूलों से—“स्वयं हि तीर्थनि पुनन्ति सन्तः ।” तीर्थ बने भी तो हैं आखिर सत्पुरुषों के रहने के ही कारण । इस युग में किसानों के तीर्थ कुछ और ही ढंग के होंगे ।

जहानपुर चलने के लिये भी एक बैलगाड़ी का इन्तजाम हुआ, हालाँकि पहले दिन के अनुभव से हम डरते थे कि फिर वही हालत होगी । कुछ तो पहले दिन की थकावट और कुछ लोगों के हठ के करते बैलगाड़ी फिर भी ठीक होई गई और उसी पर लद-फन के हम लोग दोपहर के पहले ही चल पड़े । शाम तक जैसे तैसे ज्ञा जी के घर पर पहुँचना जो था ।

लेकिन हमारा ढर सही निकला । आगे का रास्ता और भी विकट था । नदी नाले भी काफी थे । आखिरकार जहाँ तक जाते बना हम लोग गये । मगर जब गाड़ी का आगे जाना गैर मुमकिन हो गया तो उसे लौटा के हम आगे चढ़े । नदियों में गाड़ी पार करने में दिक्कत भी काफी थी । इसलिये हमने पैदल ही चलना ठीक समझा । नहीं तो शाम तक रास्ते में ही पढ़े रह जाते और जहानपुर पहुँची न पाते । आज की यात्रा गुजरे दिन की यात्रा से भी मजेदार थी । हमें इन धोर देहातों का अनुभव करना जरूरी था । यह भी जांच करनी थी कि हम खुद कहाँ तक पार पा सकते हैं । क्योंकि बिना ऐसा किये और ऐसी तकलीफ वर्दाशत किये किसान-आन्दोलन चलाया जा सकता नहीं । यह मजदूर सभा थोड़े ही है कि शहरों में ही मोटर दौड़ा के और रेलगाड़ियों से ही चल के कह लैंगे । इसलिये सैकड़ों बार हमने छोटी मोटी ऐसी यात्राएँ जान चूम के की हैं ।

आखिर दूसरे दिन की हमारी यात्रा भी पूरी हुई और जहानपुर पहुँच गये । प० पुण्यानन्द ज्ञा एक लगन के आदमी है । हमने देखा कि गवि बीच में सबसे ऊँची जमीन पर बने कोपड़े को उनने आधम बना रखा है । चरखे बगैर ह का काम बहाँ बराबर होता था । कुछ लड़के पढ़ते भी थे । परिषद जी के एक ही लड़का है । मगर उसे उनने कही और जगह जा के पढ़ने न दिया । सरकारी स्कूलों का बायकाट जो किया था ! इसलिये उसे अन्त तक निभाया । हमने प्रायः सभी लीडरों को देखा है कि सन् १९२१ ई० के बायकाट के बाद फिर उनके लड़के बगैर ह उन्हीं सरकारी स्कूलों में भत्ता हुए हैं । मगर ज्ञा जी ने ऐसा करना पाप समझ अपने लड़के को घर पर ही रखा और पढ़ने के दूले लोगों की जो भी सेवा वह अपने ढंग से उत्तर देहात में फर सके उसे ही पछन्द किया । उनका आधम बहुत ही साफ सुथरा और रमणीय था । तबीचत खूब ही रम्मी, गोद अपने घर पहुँच आये । साक्षर में उन्हाँ बहुत ही पठन्द करता है । जरा भी गन्दगी हो तो सुन्हे नींद ही नहीं आती । बैचैन ही जाना है ।

न्सनानादि के बाद दूध पीके रात में सो गये । अगले दिन सभा होगी यही निश्चय हुआ था ।

किसानों की सभा भी अगले दिन बहुत ही अच्छी हुई । हमने अपने दिल का खुखार निकाल लिया । उन्हें उनके मसले बहुत ही अच्छी तरह समझा ये । उनकी आँखों के समझ न सिर्फ उनकी हालत की नंगी तसवीर खींची, वर्णिक उसके कारण भी साफ साफ बता दिये । उन्हें यह कलका दिया कि उनकी नासमझी और कमज़ोरी से ही उनकी यह अबतर हालत है और दूसरे तरीके से यह दूर भी नहीं हो सकती जब तक वे खुद तैयार न होंगे, अपने में हिम्मत न लायेंगे और अपने हक्कों को न समर्झेंगे । उनका सबसे पहला हक है कि भर पेट खायें पियें, दबादाल का पूरा इन्तजाम करें, जल्हत भर कपड़े पहनें ओढ़ें और स्नासथ्य के लिये जल्ही सामान तथा मकान बगैरह बनायें । दुनियाँ की काई सरकार और कोई ताकत इस बात से इनकार कर नहीं सकती अगर हँट के वे हस्तक्षण का अमली तौर से दावा करने लगें । जब वे खुद कमाके अपने आप खाना और अपनों को खिजाना चाहते हैं, और वाकी दुनियाँ को भी, तो फिर किसे हिम्मत है कि वे खुद भूखे रहें और दुनियाँ को खिलायें ऐसा दावा पेरा करे । आखिर जिस गाय से दूध चाहते हैं उसे पहले खूब खिलाते मिलाते और आराम से रखते ही हैं । नहीं तो दूध के बजाय लात ही देती है ।

अब किसी प्रकार अररिया चलके रेलगाड़ी पकड़ना और कठिनार पहुँचना था । वरसात के दिन और रस्ते में छोटी बड़ी नदियाँ थीं । फिर वही बैलगाड़ी हमारी मददगार बनी । मगर इस बार दो गाड़ियाँ लाई गईं । ऊपर वे छाई भी गई थीं । पहले की गाड़ियाँ तो मामूजी ही थीं । मगर इस बार जरा देख भाल के गाड़ी और बैल लाये गये । एक में मैं खुद अपने सामान के साथ बैठा और दूसरी में म्फा जी और अनाथ चाचू । रात में ही रवाना हुए । नहीं तो अगले दिन कहीं राह में ही रह जाना पड़ता । किस हैरानी और परीशानी के साथ यह बाकी यात्रा पूरी हुई वह वही समझ सकता है जिसे उधर ऐसे समय में जाने का मौका मिला हो । इसका यह

मतलब नहीं कि हममें मनहूसी थी, या हमने इस दिक्षत को अपने दिल में जरा भी स्थान दिया । देते भी क्यों ? हमने खुद जान-वृक्ष के ही यह यात्रा की थी । उन विकट देहातों का अनुभव जो लेना था । हमें खुद इस सख्त इमतहान में पास जो होना था । और हमें खुशी है कि अच्छी तरह उत्तीर्ण हुए ।

अररिया में पहुँच के सीधे स्टेशन चले गये । स्टेशन शहर से दूर पड़ता है । वहीं ठहरे, स्नानादि किया, कुछ खाया-पिया । किरद्रेन आई और हमें लेके उसने कठिहार पहुँचाया ।

बन् १६३५ ई० की किशनगंज वाली यात्रा के ही सिलसिले में हमें कटिहार के बाद कुरसैला स्टेशन जाना और वहाँ से उत्तर के नजदीक के ही उमेशपुर या भद्रेशपुर में होने वाली विराट् किसान-सभा में भाषण देना था। वहाँ से फिर टीकापट्टी आश्रम में जाने का प्रोग्राम था। वहीं रात को ठहरना भी था। हम लोग सदल-बल ट्रेन से रवाना हो गये। स्टेशन पर बाजे गाजे, मंडे और जुलूस की श्रापार भीड़ थी। लोगों में उमंग लहरें भार रही थीं। किसान-सभा और किसानों के नारों और आजादी की पुकार से आसमान फटा जा रहा था। स्टेशन के नजदीक ही एक बड़े जर्मीदार साहब का महल है और सभा-स्थान में जाने का रास्ता भी महल की बगल से ही था। पता नहीं वे वहाँ उस समय थे, या कहीं चले गये थे। यदि थे भी तो उन पर क्या गुजरती थी यह कौन बताये। वे बड़े सख्त जर्मीदार हैं जो जेठ की दुपहरी के सूर्य की तरह तपते हैं। उनकी जर्मीदारी में रहने वाले किसानों का तो खुदा ही हाफिज़ !

मगर माने जाते हैं वे भी कांग्रेसी। कांग्रेसीजनों में उनकी पूछ है। शायद टीकापट्टी आश्रम तथा कांग्रेस की और संस्थाओं को साल में काफी अच्छा और पैसे उनसे मिलते हैं। जिले के कांग्रेसी लीडरों का सत्कार भी उनके यहाँ होता है। लीडरों को तो आखिर स्वराज्य लेना है पहले, और जब तक जर्मीदारों को साथ न लेंगे तब तक स्वराज्य मिलने में वाधा जो खङ्गी होगी। अगर उनके बिना वह भी मिल गया तो शायद लैंगढ़ा होगा। लेकिन यदि किसानों की तकलीफों का ख्याल करें तो ये जर्मीदार कांग्रेस में आ नहीं सकते। इसीलिये बद्रहाल उस और ध्यान नहीं दिया जाता। सभी को ले के चलना जो ठहरा। यह भी सुना है कि वे जर्मीदार साहब और उन जैसे दो एक और भी साल में कांग्रेस के बहुत में बहर इधर

बनाने लगे हैं। वात तो आसान है। जोई किसान लगान देने आये उससे ही लगान के सिवाय चार आना और ले लेना कोई बड़ी वात नहीं है। चार आना दिये बिना वाक़ी रुपयों की भी रसीद न मिले तो १ तब तो सभी गायब हो जाते हैं। इसीलिये मजदूरन वे गरीब चार आना देते ही हैं। नजराना, शुकराना, रसीदाना, फारख या फरखती बरीख के नाम पर जब बहुत कुछ गैर कानूनी वस्तुलियाँ उनसे की जाती हैं, तो इस चार आने की क्या गिनती ! खतरा यही है कि जब चबनी की वसूली जारी हो जायगी तो कुछ दिनों के बाद कांग्रेस के नाम की भी जरूरत न रहेगी और ये पैसे जमीदार हमेशा लेते रहेंगे। आखिर नये नये अववाह इसी तरह तो बने हैं अववाहों का इतिहास हमें यही सिखाता है। मगर इससे क्या ! इसकी पर्वा है किसे ! सुरुण्ड (मुजफ्फरपुर) के एक जमीदार यो ही अच्छी के नाम पर न जानें कितने दिनों से गैर कानूनी वसूली किसानों से करते था रहे हैं। हालाँकि उनके भाई कांग्रेसी हैं और अब तो जेल भी हो आये हैं। यह अच्छी भी इसी तरह बनी होगी।

हाँ, तो दृम स्टेशन पर उतरे और सीधे सभा-स्थान की ओर चल पड़े। हमें ठीक याद नहीं कि बैलगाड़ी पर गये या हाथी पर। शायद बैलगाड़ी ही थी। हाथी पर चलना हमें कई कारणों से पसन्द नहीं। वह एक तो धनियों के ही यहाँ देता है। दूसरे वह रोबटाच और शानदान की चीज और सवारी है और किसानों की सभा में वह चीज मुझे बुरी तरह खलकती है। इसीलिये बिना किती मजदूरी के मैं उसे कभी कहूँ नहीं करता। किसानों की उपनी चीज देने के कारण मुझे बैलगाड़ी दिल से पसन्द है। कभी कभी पालकी में भी, आदमियों के कन्धों पर, चलना ही पहता है। मगर जब कोई चारा नहीं देता और कहाँसे के नानेनाने हाथ उनकी पूरी मजदूरी का पक्का इन्तजाम हो लेता है तभी मैं उस पर चढ़ता हूँ। मैं कहाँसे से खामखाह पूछ लेता हूँ कि उन्हें जो कुछ मिला उनके ये पूरे सन्तुष्ट हैं या नहीं। यदि जरा भी कसर मालूम हुई तो उसे पूछ दरवाजा है। सभी जगह मैंने देखा है कि कहाँसे के साथ वहाँ ही लादवाड़ी और बंगलाड़ी

से व्यवहार किया जाता है । इसीलिये मैं उनसे खुद पूछता हूँ । कई जगह तो मारे प्रेम के उनने मुझे अपने कन्धों पर खामखाह चढ़ा लिया है ।

इस प्रकार जोश-खरोश और उछलते उत्साह के साथ हम लोग सभास्थान में पहुँचे । बरसात की कड़ी धूप ने हमें रास्ते में काफी तपाया था और दुपहरी का समय भी था । मेव न होने के कारण सूर्य अपना तेज वैसे ही दिखा रहा था और लोगों को झुकासा रहा जैसे जर्मीदार किसानों के सम्बन्ध में करता है । पेड़ों की छाया में हमें शान्ति मिली । ठंडे होके और पानी-वानी पी-पा के हम लोग मीटिंग में पहुँचे । जहाँ मीटिंग थी उसे धर्मपुर का परगना कहते हैं । इसमें पूर्णियाँ जिले का बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता है । यहाँ के जर्मीदार महाराज दरभंगा हैं । कुरसैला के जर्मीदार और विशुनपुर के जर्मीदार बगौरह दो एक ही और हैं । मगर महाराजा के सामने इनकी हस्ती नहीं के बराबर है । ये लोग महाराजा की हजारों बीघे रैयती जमीनें रखते हैं । खासकर विशुनपुर वाले तो बीसियों हजार बीघे रैयती जमीनें रखते हैं, जो दर रैयतों (*undertenants*) या शिकमी किसानों को बैंशाई पर जोतने को देते हैं । कहीं कहीं नगद लगान भी लेते हैं । मगर जब चाहें जमीन छोन लें इसकी पूरी वन्दिश कर रखते हैं । इसलिये इस मामले में जर्मीदारों से भी ये मालदार लोग जो अपने को मौका पहने पर किसान भी कह डाजते हैं, उत्तरादा जालिम और खतरनाक हैं ।

महाराजा की जर्मीशरी के और जुल्म तो हैर्दैं, जो आमतौर से सभी जर्मीदारियों में पाये जाते हैं । उनके सिवाय एक खास जुल्म चरसा महाल वाला पहले ही बताया जा चुका है । लेकिन धर्मपुर में ही पता चला कि सर्वे खतियान में जमीन तो किसान की कायमी रैयती लिखी है । किर भी उस पर जो पेड़ हैं वह सोलहों आने जर्मीदार के लिखे हैं । असल में पूर्णियाँ जिले में उधाँ उधों उत्तर जाइये नैपाल की तराई की ओर त्यों त्यों मधुमक्खियाँ पेड़ों पर शहद के बड़े बड़े छत्ते लगानी दिखेंगी । वहाँ शहद का खामा बाजार होता है । इसोंजिये जर्मीदार ने चाहताज्ञी से पेड़ों पर अपना अविकार सर्वे के समय लिखा लिगा । किसानों को तो उस

समय इसका ज्ञान था ही नहीं । वे सर्वे का महत्व भी ठीक समझ न सके थे, और वही लिखा-पढ़ा आज उनका गला कतररहा है । वहीं अक्ष और दलील की गुंजाइश हर्दि नहीं कि किसान की जमीन पर जर्मींदार के पेड़ कैसे हो गये ? और अगर आज भी शहद उतारने वालों को किसान कह दे कि खचरदार, मेरी जमीन पर पाँव न देना, नहींतो दफ्तुर्मां दृटेंगी । हवाई जदाज से जैसे हो ऊपर ही ऊपर उड़के पेड़ पर चढ़ जाओ और शहद ले जाओ, तो क्या हो ? श्राविर कुछ तो करना ही होगा । नहीं तो जाम कैसे चलेगा । जब वे लोग चांते नहीं सुनते तो जैसे को तैसा जवाब देना ही होगा ।

दूसरा जुल्म यह मालूम हुआ कि बद्दों घाट के नाम से एक टैक्स लगता है । यह टैक्स दूसरी जमीदारियों में भी पाया जाता है । एक बार तो ऐसा मौका लगा कि हम अपने साधिशों के साथ फाविंसगंज के इलाके में बैलगाड़ी से देहात में जा रहे थे । गत्ते में एकाएक कोई आया और गाड़ी रोक के घाट माँगने लगा । पीछे जब उने पता चला कि गाड़ी में कौन बैठा है तब सरक गया और हम आगे बढ़े । बात यह है कि कुछ दिन पहले जहाँ-तहाँ पानो की धारायें उस जिले में बहुत थीं । नीजा नह यह होता था कि लोगों को हाट-बाजार जाने या दूसरे मौकों पर बही दिक्कतें होती थीं । पार करना मुश्किल था । जान पर खतरा था । इन्हींने जर्मींदार लोग अपनी अपनी जमीदारियों में ऐसी धाराओं के शाटी पर नावों का इन्तजाम करते थे, ताकि लोगों को आगम मिले । शुल्क शुल्क में नह काम सुन्त ही होता था । किर उनने धीरे धीरे नाव खींच का खर्च पार थोने वालों से बदलना शुल्क किया । उसके घाट टैक्सिदार मुर्कर कर दिये गये जो अपनी नावें रखते और आर-पार जाने वालों से खिला ले लेते थे । अन्ततोंगता जमीदारों ने धाटों को नीजाम दख्ला शुल्क किया और जोई ज्यादा पैसे देता वही पट्टवार या घाट के टैक्सिदार बनता था । वह अपना खर्च मुनाफ़े के साथ खेता के रूप में लोगों से बदलता था । यही तरीका बराबर चलता रहा । धीरे धीरे पट्टवार मौलिंही दून गये । उसके घाट के साथायें दूल गईं और नाव की जलरक्त ही न रही । लगत चटवार

तो रहे गये । वे जर्मीदारों को पैसे देते और लोगों से बदून लेते । भजा यह लूट और अन्वेषणात्म नहीं है तो और हई क्या ? हमें इसके खिलाफ भी तूफान खड़ा करना पड़ा ।

दरभंगा महाराज की जर्मीदारी में ही हमें सबसे पहले वहीं पर पता चला कि 'ट्रेस' के नाम पर गरीबों पर एक बला आई है और जर्मीदार सबों को परीशान कर रहा है । पहले तो हम समझी न सके कि यह 'ट्रेस' कौन सी बला है । मगर बातचीत से पता लगा कि असल में "ट्रेस पास" या दूसरे की जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा से ही मतलब है । 'पास' शब्द को तो हटा दिया और 'ट्रेस' का 'ट्रेस' कर दिया है । आखिर अनाड़ी देहाती क्या जानें कि असल शब्द क्या है । बात यों होती है कि इधर कुछ दिनों से, खासकर किसान-सभा के आनंदोलन के शुरू होने पर, जर्मीदार के आटमियों ने किसानों को तंग करने के नये नये तरीके सोचने शुरू कर दिये हैं । इस प्रकार एक तो महाराजा की आमदनी बढ़ रही है । दूसरे किसान लोग पत्त हो जाते हैं और सिर उठा नहीं सकते । इसी सिलसिले में वह ट्रेस पास वाला हथियार भी टूँड़ निकाला गया है ।

असल में सबों के समय किसानों के मकानों की जमीन खतियान में लिखी गई है । मगर मकान या कोपड़े दूर दूर रहने से बीच बीच में खाली जमीनें भी रह गई हैं जिन्हें कहीं कहीं गैर मजरुम्या आम और कहीं कहीं खास लिखा गया है । सुमिकिन है कि समय पा के कुछ ज्यादा जमीन पर किसानों के पशु वसौरह बाँधे जाते हों । यह बात तो सबों के समय भी होती होगी । आखिर कलकत्ता जैसे शहर में तो किसान बसते ही नहीं कि इंच इंच जमीन की खोज हो । मगर सबों में इसका जिक्र नहीं हुआ । घौवीसों धंटे पशु घर में ही तो रहते नहीं । बाहर भी बँधते ही हैं । यह भी हो सकता है कि खामखाह कहीं किसान ने कुछ जमीन हथिया ली हो । आखिर इफरात जो ठद्दी । मगर जर्मीदार को तो मौका चाहिये तंग करने का । उसके अमले तो घूस और सिफारिश चाहते हैं जो अब किसानों से आमतौर से होना असंभव है । इसलिये रंज होके खतियान के मुताबिक जमीन नापी

जाती है । नापने वाला वही अमला होता है । कोई सरकारी क्रोचरसिफर या अमीन नहीं आता । और अगर नाप में ज्यादा जमीन कुछ भी निकली तो किसान पर आफत आई । अमले नाप-जोख में गडवडी करके भी ज्यादा जमीन सावित कर देते हैं । इस प्रकार किसान पर दो स पास का केस चलाया जाता है । यदि उसने डर से अमलों की पूजा-प्रतिष्ठा पहले ही कर ली और जमोंदार को भी कुछ नजर या सलामी दे दी तब तो सैरियत । नहीं तो लड़ते लड़ते तबाही की नींवत आती है । इस “टरेस” के करते मैंने किसानों में एक प्रकार का आतंक बहाँ देखा । पीछे तो भागलपुर, दरभंगा आदि में भी यही बात मिली ।

यो तो सैकड़ों प्रकार की गैर कानूनी बदूलियाँ समय समय पर चलती ही रहती हैं । मगर दो एक तो बहाँ की खास हैं । मवेशियों की खरीद-विक्री पर खुद किसानों से एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था और शायद अब भी हो । और गल्ले की विक्री पर भी और इस प्रकार उनके नाकों दम थी । मगर पुनाही खर्च के नाम से जो बदूली होती है वह वही ही दुरी है इसी प्रकार कोसी नदी के जंगलों में सूअर या दिरन का शिकार खेलने के लिये जब कभी महाराजा का, उनके दोतों का या उनके मैनेजर का कैन्य देहातों में जाता है तो किसानों से बकरी, बकरे, दूध, बी, मुर्गी, मुर्गों करौरद की शकल में सैकड़ों चीजें बदूल की जाती हैं । यो कहने के जिये शायद उन चीजों की कीमत हिंसाव में लिखी जाती है । मगर गरीब किसानों को मिलती तो है नहीं । और अगर कहीं कभी एकाध को मिली भी, तो नाम-मात्र को ही । बाकी तो अमलों के ही पेट में चली जाती है । यद भी होता है कि दो की जगह चार बकरे गेंगाये जाते हैं और उनमें कुछ कैन्य खर्च में लिखे जाते ही नहीं । उन्हें तो ऊपर ही ऊपर वे अमले उड़ा दी जाते हैं । फिर उनका खर्च मिले तो कैसे । कुण्डारों से मुक्त वर्तन और कृष्णों से बेगार में फाम करखाना तो आम बात है । दूसरे गरीब भी इसी प्रकार लड़ते रहते हैं ।

पुनाही की बात यो है कि साल में एक बार महाराजा के दर सर्किल औरिनिस में बहुत बड़ा उत्तम भनापा जाता है और एकन-दूजा होता है ।

खूब खान-पान भी चलता है । बहुत लोग जमा होते हैं । यह उत्सव प्रायः दशहरा (दुर्गापूजा) के समय ही या उसीके आस-पास होता है । विहार के अन्यान्य जिलों में जो तौजी की प्रथा है वह तो ठीक दशहरे के दिन ही होती है । यह पुनाही उसी तौजी का कुछ विस्तृत रूप है । असल में संस्कृत के पुण्याह शब्द का अर्थ है पवित्र दिन । इसी का अपर्णश पुनाह हो गया । पुनाही उसी पुनाह या पुण्याह का सूचक है । इसके मानी हैं पुण्याह बाला । जर्मीदार अगले साल के लगान की वसूली उसी दिन से शुरू करता है जैसा कि और जगह तौजी के दिन शुरू करता है । हिन्दी साल भी तो दशहरे के बाद ही शुरू कार्तिक से ही आरंभ होता है । इसीलिये अगले साल के लगान की वसूली का श्रीगणेश उस दिन ठीक ही है । और जर्मीदार के लिये इससे पवित्र दिन और क्या होगा कि उसने लगान की वसूली साल शुरू होने के पहले ही जारी कर दी । किसानों के लिये वह दिन भले ही बुरा हो । मगर जर्मीदार के लिये तो सोना है । इसीसे वह उत्सव पुनाही का उत्सव कहा जाता है ।

उसके खर्च का एक इस्टिमेट या अन्दाज (Budget) तैयार होता है । वह हर साल की ही तरह होता है । हाँ, कुछ घट-घट तो होती ही है । इसके बाद वह हर तहसीलदार के हिस्से में बाँट दिया जाता है कि कौन कितना वसूल करेगा किसानों से । अब तहसीलदार लोगों को मौका मिलता है कि इसी बहाने कुछ अपने लिये भी वसूल कर लें । इसलिये सर्किल से उनके जिम्मे जितना रुपया या धी वर्गेरह वसूलने को दिया गया था उसका छोड़ा-दूना करके उसे अपने पटवारी आदि मातहतों के जिम्मे बाँट देते हैं कि कौन कितना वसूल करेगा । फिर वे पटवारी वर्गेरह भी अपना हिस्सा उसी तरह छोड़ा-दूना करके अपने अधीनस्थ नोंकरों के हिस्से लगाते हैं जो कुछ बढ़ा-चढ़ा के हर किसान से वसूल करते हैं । इस तरह वसूली के समय असल खर्च कई गुना बन के वसूल होता है और गरीब किसान मारे जाते हैं । जो कुछ उन्हें धीदूध आदि के रूप में या नगद देना पड़ता है वह ऐसा टैक्स है कि कुछ कहिये मत । उसके बदले

में उन्हें मिलता कुछ भी , नहीं । वह तो लुट जाते हैं । शायद एकाध मिटाइ मिलती हो !

इस प्रकार के जुल्मों और धींगामुश्तियों को कहीं तक गिनाया जाय । सिर्फ़ नमूने के तीर पर कुछेक को दिखला दिया है । असल में जब जर्मींदार लोग किसानों को आदमी समझते ही नहीं, इन्सान मानते ही नहीं, तो मुसीबतों की गिनती क्या ? वे तो जितनी हैं सब मिज्जके थोड़ी ही हैं ! उनके भार से दबे किसानों का गिरोह उस सभा में हाजिर था । हमने जर्मींदार और उसके नौकरों की खिदमत सभा में की तो काफी । जले तो पहले से ही थे । किसानों के करण कन्दन, उनकी चीख-पुंकार ने उस पर नमक का काम कर दिया । फिर तो उबल पहना स्वाभाविक था । हमने जालिमों को ऐसा ललकारा और उनकी धजियाँ इस तरह उदाहृत कि एक बार मुद्रे किसानों में भी जान आ गई । उनने समझ लिया कि उनकी तकलीफों का स्वातंत्र्य हो सकता है । पहले तो समझते थे कि “कोड ट्रूप होइ हमैं का हानी । चेरि छाँड़ि न होउव रानी !” पर एक बार उनकी रगों में गर्मा आ गई ।

सभा के बाद टीकापटी आश्रम में गये जो कुछ दूर है । रात को वहीं ठहरे । सुबह धूम-धाम के आश्रम देखा । वह तो गान्धीबाद का अखादा है । चर्खे, करवे का कारनार खूब फैला नजर आया । बहीं के रहने वाले कभी जर्मींदारों के अत्याचारों के खिलाफ पहले आवाज डटाते थे । देहातों में धूम के भीड़ियों भी करते थे । भगर धीरे धीरे यह बात कम होती गई । अब तो यह बात शायद ही होती है । शायद प्रारम्भिक दिन में वर्दी जमना था । इसीलिये किसान जनता की नायकता जहरी थी । अब तो काफी जम गये । सभवतः अब वह प्रश्न देखने की जरूरत इन्हींलिये नहीं पड़ती ! किसान-सभा का यह जमना या भी शुल का ही । लोग समझते न सके थे कि वह किधर जावगी । वर्ग चेतना किसानी में दैदा करेगी और वर्ग संघर्ष को काफी प्रोत्तात्त्व देगी यह बात तब सच लोगों के द्विमाण में आई न थी । इसीलिये मुक्ते भी उच्च आश्रम में निरंपत्ति किया

न्याया । स्टेशन के पास की सभा का प्रबन्ध भी, उन लोगों ने ही किया था । मगर अब तो किसान-सभा से लोग भय खाते हैं । वर्ग विद्वेष की बात चहुत फैली है । ऐसी हालत में वैसे आश्रम यदि सतर्क हो जाँय तो कोई ताज्जुब नहीं । असल में ज्यों ज्यों किसानहित और जर्मीदारहित के बीच बाली चौड़ी एवं गहरी खाई साफ साफ दीखने लगी है त्यों त्यों दुभाषिये लोगों—दोनों तरफ की बातें मौके मौके से करने वाले लोगों के लिये इन बातों की गुंजाइश कम होती जाती है । अब तो गांधीवादी हमारे साथ बैठने से भी डरते हैं कि कहीं लीडर लोग जवाब न तलब करें । ऐसा हुआ भी है । चलो अच्छा ही हुआ । किसानों को सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं लोगों से है जो ऊपर से उनके हितू होते हुए भी भीतर से वर्ग सामज्जस्य के हामी हैं और चाहते हैं कि किसानों और जर्मीदारों में कोई समझौता हो जाय । नहीं तो अन्ततोगत्वा वे कहीं के न रह जाँयगे । क्योंकि आखिर अब तो किसानों के ही हाथों में अब देने के सिवाय बोट देने की भी शक्ति है ।

टीकापट्टी से हमें बनमनखी जाना था । यह रेलवे जंकशन मुरलीगंज और विहारीगंज स्टेशनों से, जो पूर्णियाँ और भागलपुर जिलों की सीमा पर पहुते हैं, आने वाली लाइनों का है । वहीं से पूर्णियाँ होती कटिहार को लाइन जाती है । हमें बढ़हरा स्टेशन पर ट्रेन सवेरे ही पकड़नी थी । अगले दिन खाना होने की बात तय पाई थी । बढ़हरा वहाँ से दूर है । सड़क-बढ़क तो कोई है नहीं । सवारी भी सिवाय वैलगाड़ी के दूसरी संभव न थी । अगर दोपहर के बाद खाना हुआ जाय और रातोंरात चलते जाँय तो ठीक समय पर शायद पहुँच जाँय । किसनगंज से जहानपुर वाली यात्रा से यह कठिन थी । वहाँ केवल दिन में ही चलना पड़ा । मगर वहाँ तो रात में बराबर चलना था । मगर करना भी क्या था । कोई उपाय न था आखिर किसान-आन्दोलन की बात ज्ञो ठहरी ।

यही हुआ भी । हमारी वैलगाड़ी खाना हो गई । बदकिस्मती से जो वैलगाड़ी मिली वह छोटी सी थी । उस पर पर्दा भी न था कि धूप या

पानी से बच सकें । अकसर उस ओर ऊपर से छाई हुई गाड़ियाँ मिलती हैं । मगर वह तो थी निरी सामान ढोने वाली । उसमें एक और भी कमी थी । गाड़ियों के दोनों तरफ बाँस की बङ्गियाँ लगी रहती हैं जिनमें मज़बूत रसी लगा के गाढ़ी के साथ बँधते हैं । किनारों पर लगे खूँटों पर वह बङ्गियाँ लगाई जाती हैं । इस प्रकार गाढ़ी में बैठने पर भूल-चूक से नीचे गिरने का खतरा नहीं रहता । सामान भी हिफाजत से रहता है । मगर हमारी गाढ़ी में यह एक भी न था । इससे खुद भी गिर पड़ने का डर था और सामान के भी लुढ़क जाने का अन्देशा था । गाढ़ीवान के अलावे हम तीन आदमी उस पर बैठे थे । सामान भी था ।

हालत यह हुई कि हम सभी दिन में तो पलथी मारे बैठे ही रहे । रात में भी वही करना पड़ा । सोने की बात तो छोड़िये । जरा सा लेटना या झुकना भी गैर सुमिकिन था । यह तकलीफ वर्णशत के बादर थी । जिन्दगी में मेरे लिये यह पहला ही मौका था जब सोलह धंटे से ज्यादा बैलगाढ़ी पर बैठे बैठे सारी रात गँवाई । बैलगाढ़ी की सवारी तो यो भी बहुत दुरी होती है । उसमें उठाव-पटक तो कदम कदम पर होता ही रहता है । धन्के ऐने लगते हैं कि कलेज दहल जाता है । यदि उस पर पुआल बरौद कोई नर्म चीज न हो तो काफी चोट लगती है । चूतढ़ जबभी हो जाते हैं । इतने पर भी यदि लेटने या सोने का जरा भी मौका न मिले तो मौत ही समझिये । मगर बर्द्दी ये सारे सामान मौजूद थे । मैं नन ही मम हँसता था कि लोग समझते होंगे कि क्रिसानन्नभा का काम बहुत ही आराम वाला है । मैं यदि एक दिन भी सारी रात जग जाऊँ तो अगले दिन जल्द ही चीमार पड़ जाऊँ, यह चात जान लेने पर उस रात की तरलाम का अन्दाज लगाया जा सकता है । तिस पर भी दूर या कि कहीं द्वेष न छूट जाय । इसलिये गाढ़ीवान को नारी रात लाञ्छिद करते रहे । इस प्रकार गाढ़ी श्राने के पहले ही जैसे तैसे बदूरा खेशन पहुँची तो गये ।

पूर्णियाँ जिले की ही घटना है। सो भी उसी सन् १६३५ ई० की। यह सन् १६३५ किसान-सभा के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी साल पहले पहल विहार प्रान्तीय किसान-सभा ने जर्मांदारी-प्रथा के मिटाने का निश्चय नवम्बर महीने के अन्त में हार्जीपुर में किया था। प्रान्तीय किसान कान्फ्रेंस का चौथा अधिवेशन वहाँ हुआ था। मैं ही उसका सभापति था। उसी साल उसी नवम्बर महीने में ही हार्जीपुर के अधिवेशन के पहले ही, जहाँ तक याद है, ११, १२ नवम्बर को धर्मपुर परगने के राजनीतिक-सम्मेलन और किसान-सम्मेलन बनमनखी में ही हुए थे। पहले सम्मेलन के अध्यक्ष बाबू अनुग्रह नारायण सिंह और दूसरे के बाबू श्रीकृष्ण सिंह थे। यही दोनों सज्जन पीछे कांग्रेसी-मंत्रिमंडल के जमाने में अर्थ-मंत्री और प्रधानमंत्री विहार प्रान्त में बने थे। इसी भविष्य की तैयारी में जो अनेक बातें होती रहीं उन्हीं में वे दोनों सम्मेलन भी थे। हमें भी वहाँ से निमंत्रण मिला था। यह भी आग्रह किया गया था कि यदि किसी अनिवार्य कारण से कदाचित् हम न आ सकें तो किसान-सभा के किसी नामी-गरामी लीडर को ही भेज दें।

मगर हमने जान-बूझ के दो में एक भी न किया। न खुद गये और न किसी को भेजा ही। इसके लिये वहाँ के साथियों से क्षमा माँग ली अपनी मजदूरी दिखा के। बात दरअसल यह थी कि अब किसान-सभा ने जड़ पकड़ ली थी। उसकी आवाज अब कुछ निढ़र सी होने लगी थी। वह अब किसानों की त्वतंत्र आवाज उठाने का न सिर्फ दावा रखती थी, बल्कि हिम्मत भी। इसलिये कांग्रेसी लीडरों में उसके खिलाफ़ कानाफ़सो होने लगी थी। भीतर भीतर से विरोध भी हो रहा था। लोग समझते थे कि हमारे जैसे कुछ इनें-गिने लोग ही यह तूफान खड़ा कर रहे हैं। नहीं

तो कांग्रेस के अलावे और किसी संस्था को किसान खुद प्रबन्ध नहीं करते। जन-आनंदालन के बारे में ऐसा ख्याल कोई नई बात न थी। यह सनातनधर्म है। आखिर कांग्रेस को भी तो सरकारी अधिकारी और दक्षियानृस दल के लोग पहले ऐसा ही कहते थे।

इसनिये हमने और हमारे साथियों ने सोचा कि यदि बनमनखी जावगे तो कांग्रेस के प्रमुख लीडरों से प्रत्यक्ष संवर्त हो सकता है। हम जानते थे कि स्वतंत्र किसान-सभा बनाने और जमींदारी मिटाने का नशाज बर्दाँ उठेगा। खातफ़र हमारे रहने पर। ऐसो शालत में संवर्त अनिवार्य है। हमारा गौजूदगों में भी यदि वे प्रश्न न उठे तो राजनीतिक-सम्मेलन से अलग किसान-सम्मेलन करने के कुछ मानी नहीं। और आनिवार्य में बर्दाँ के मजलूम किसान समझेंगे क्या? यही न कि हम भी जमींदारों से उत्तरे हैं, उनके दजाज्जल हैं और ऐसी इसीलिये किसान-सभा बना रखी है। यह तो हमारे लिये दूष मरने की बात होगी। इसलिये हर पद्धति से साचने पर यही तब पाग कि बर्दाँ न जाना ही अच्छा। हमने यह भी सोच लिया कि यदि हतने पर भी बर्दाँ जमींदारी मिटाने और विहार प्रान्तीय किसान-सभा की छत्र-छाता में उन बिलों में किसान संगठन करने के नशाल उठे तो वह हमारी सबसे बड़ी जात होगी। तब तो हमारे विरोधियों को यह कहने का मोका ही न मिलेगा कि किसान-सभा के नाम पर हमें लोग न्यायवादी दाँग ग्रहाते फिलते हैं—किसान यह सब नहीं चाहते। तब तो दुनिया की ओर से खुबने का मोका मिलेगा कि किसानों का जरूरत ने ही किसान-सभा के पैदा किया है। और यहां ये नशाज उठे और बहुमत ने इनके पक्ष में ही सार दी, जैसा कि हमारा दृढ़ विश्वास था, तब तो बैद्धा ही पार कमन्दिरे। तब तो हमारी दूनों जौत समझ जायगा। हम बर्दाँ रहने पर तो शायद लोगों को इन्हें और मुरब्बत से कान लें। मगरन रहने पर तो लोग दैनिकके लाभने किसारों से पूरा काम लेंगे। अनन्त में कभी कभी नेतृत्वी दी दृष्टिदृशी, उनका दबद्धरन बिसे वे लोग समझायी रहते हैं, उनसी उदासी—ये यां जनता का बहुत नुक़बान करते हैं। इनके चर्चे उनके दिन, दिनांग

वाहियात लगाम सी लग जाती है और जनता के विचार का निरावाध प्रबाहुरुक जाता है । हमने सोचा कि यह महा पाप हमें न करना चाहिये ।

जहाँ तक स्मरण है, हम पटने में बिहार प्रान्तीय किसान कौसिल (कार्य-कारिणी) की मीटिंग कर रहे थे । क्योंकि हाजीपुर के सग्नन्ध में सारी तैयारी करनी थी, सब बातें सोचनी थीं । बनमनखी के समेलनों के फौरन ही बाद यह मीटिंग थी । वहाँ पर जब हमने बनमनखी से लौटे किसी व्यक्ति के मुख से यह सुना कि वहाँ किसान-सम्मेलन में न सिर्फ बिहार प्रान्तीय किसान-सभा की मातहती में स्वतंत्र किसान-सभा बनाने का प्रस्ताव पास हुआ, बल्कि जमीदारी-प्रथा मिटाने का भी निश्चय हो गया, तो हम उछल पड़े । हमने यह भी सुना कि प्रायः पन्द्रह हजार किसान उपरिथत होंगे । क्योंकि बनमनखी तो घोर देहात है । और लीडरों के हजार कुङ्गवुड़ाने, सरतोड़ परिश्रम करके विरोध करने पर भी केवल तीन चार सौ लोगों ने विरोध में राय दी । बाकियों ने 'इन्किलाब जिन्दाबाद', 'जमीदारी-प्रथा नाश हो', 'किसान-राज्य कायम हो', 'किसान-सभा जिन्दाबाद' आदि नारों के बीच इन प्रस्तावों के पक्ष में राय दी । विरोध करने वाले न सिर्फ पूर्णियाँ जिले के बांड्रे सी लीडर थे, प्रत्युत बाहर वाले भी । किसीने खुल के विरोध किया और सारी ताकत लगा दी, तो किसी ने भीतर ही भीतर यही बाम किया । मगर विरोध में चूके एक भी नहीं । किसान-सभा-वादियों पर करारी ढाँट भी पढ़ी । मगर नतीजा कुछ न हुआ ।

इस निराली घटना ने, जो अपने ढंग की पहली ही थी, हममें बहुतों की आँखें खोल दीं, चाहे इससे कांग्रेसी लीडरों की आँखें भले ही न खुली हों । मेरे सामने तो इसके बहुत पहले कुछ ऐसी बातें हो गई थीं जिनसे मेरा विश्वास किसानों में, किसान-सभा में और उसके लक्ष्य में पक्षा हो गया था । मगर इस घटना ने हमारे दूसरे सार्थयों को भी ऐसा विश्वासी बनने का मौका दिया ।

ठीक याद नहीं, किस साल की बात है। शायद सन् १९३६ ई० की गर्मी के दिन थे। मगर कोसी नदी के इलाके में तो उस समय वरसात शुरू होई जाती है। भागलपुर के मधेपुरा शहर में, जिसे कोसी ने न सिर्फ़ चारों ओर से घेर रखा है, बल्कि ऊज़व़ सा बना दिया है, हमारी एक मीटिंग का प्रवन्ध किया गया था। भागलपुर ज़िले के उत्तरी भाग में सुपौल और मधेपुरा ये दो सब-डिविजन पड़ते हैं। सुपौल से दक्षिण मधेपुरा है। मगर कोसी का कोपभाजन होने से वह शहर तबाह, वर्दाद है। अब तो कोसी ने उसका बिंड छोड़ा है। इसलिये शायद पहले जैसा किर बन जाय।

हाँ, तो हमें उस दिन वहाँ किसानों की सभा करनी थी। उसके पहले दिन, जहाँ तक याद है, सुपौल से वैलगाड़ी में बैठ के खाना हुए थे। क्योंकि रात्ते में एक और मीटिंग करनी थी। उस स्थान का नाम शायद गम्हरिया है। एक बाजार है। जहाँ बनिये लोग भी काफ़ी बहते हैं। वहाँ भी काफ़ी उत्ताह था। मीटिंग भी अच्छी हुई थी। वहीं से एम मधेपुरा के लिये सबेरे ही खा-पी के खाना हुए थे, ताकि तीसरे पट्टर मीटिंग में पहुँच जाय। मगर वैलगाड़ी की चवारी थी। मालूम पढ़ता था, यत्ता सब द्यी न होगा। जब तीन चार दिनों तो हमारी बदराई का ठिकाना न रहा। गाढ़ी छोड़ के दौड़ना चाहते थे। पर, आखिर दीद के जाते कहाँ। अकेले तो रात्ता भी मालूम न था। नदी-नालों का प्रदेश दूर। वह दूसरी दिल्लत थी। रात्ते में मफ़्ली, अरहर चौराहे की फ़लत उसी थी और रात्ता उन्हीं लेतों से रोके था। कहाँ उसी जंगल में भटक जाय ले और भी बुरा थे। हमारे लाय में दर्द के प्रकृत्य कार्यकर्ता थी नहलाललाल यादव थे। वह हमारी दीद ने लाय दे न रखते थे। ऐसे उत्तन चित्ते की अर्कपुर वालों सभा से लौटने पर हमारे लायी दिल्लत याते मिले देवद

बूँदी यहाँ न थी । इसीलिये सिवाय गाड़ीवान को बारबार ललकारने कि जरा तेज हाँको भई, और कोई चारा न था ।

मगर देहात का ब्रसाती रास्ता धूम-धुमाव वाला था । वह गाड़ीवान बेचारा भी क्या करता ? उसने काफी मुस्तैदी दिखाई । बैल भी काफी परीशान हुए । फिर भी मधेपुरा दूर ही रहा । बड़ी दिक्कत और परीशानी के बाद शाम होते होते हम कोसी के किनारे पहुँचे । अब हमारे बीच में यह नदी ही खड़ी थी । नहीं तो मीटिंग में दौड़ जाते । मटपट पार होने की कोशिश करने लगे । यह नदी भी बड़ी बुरी है । धारा चौड़ी और तेज है । हमने वहाँ देखा कि किसान लोग निराश होके सभा-स्थान से लौट रहे हैं । कुछ तो नाव से इस पार आ गये हैं । कुछ उस पार किनारे नाव की आशा में खड़े हैं । दूर दूर से आये थे । अन्धेरा हो रहा था । घर न लौटें तो वहाँ पशु-मवेशियों की हिफाजत कौन करेगा, यह विकट प्रश्न था । खाना-वाना भी साथ न लाये थे । मगर जब उन्हें पता लगा कि हमी स्वामी जी हैं तो बहुतेरे तो 'दर्शन' से ही संतुष्ट होके चलते बने । लेकिन कुछ साथ ही नाव पर फिर वापस लौटे । पार होते होते काफी अन्धेरा हो गया । फिर भी हिम्मत थी कि सभा होगी ही । उस पार वाले भी साथ हो लिये । मैं था आगे आगे । पीछे किसानों का झुंड था । हम लोग बेतहाशा दौड़ रहे थे । खेतों से ही होके जाना था । फसल खड़ी थी । सभा-स्थान काफी दूर था । हालाँकि हम मधेपुरा में ही दौड़ रहे थे । लोगों ने 'स्वामी जी की जय', 'लौट चलो' आदि की आवाजें लगानी शुरू कीं । ताकि जो लोग दूसरे रास्तों से लौटते हों घर की तरफ, वे भी सभा में वापस आयें । अजीब सभा थी । एक बार तो कुछ देर तक दिशायें पुकार से गूँज गईं । जब तक हमारी दौड़ जारी रही पुकार भी होती ही रही । जो जहाँ था वहाँ से जय जय करता लौट पड़ा । सूखती फसल को गोया वारिश मिली । निराश लोगों में खुशी का ठिकाना न रहा । चाहे भूखे भले ही रहें, मगर स्वामी जी का व्याख्यान तो सुन लें, यदी खयाल उनके दिलों में उछालें मार रहा था ।

खैर, यह पहुँचे, वह पहुँचे, ऐसा करते-करते हम लोग वेतव्यागा देख रहे थे। लोग भी चारों ओर से आवाज सुनते ही दीड़ पड़े थे। जोई सुनता था वही आवाज लगाता था। उस दिन हमने दिखला दिया कि सभा करने और उसे चलाने में ही हम आगे आगे नहीं रहते, मीठा पढ़ने पर दीड़ने में भी आगे ही रहते हैं। उस दिन कहाँ से उत्तनी ताकत हममें आ गई, यह कौन बताये? मैं सब चीजें वर्दाश्त कर सकता हूँ। मगर एक भी मीठिंग से किसान निराश होके लांट जाय और मैं टांक समय पर मीठिंग में पहुँच न सकूँ, यह बात मेरे जिये वर्दाश्त के बाहर है, मीठ से भी बुरी है। उस समय मेरी मनोवृत्ति कैसी होती है इसे दूसरा समझी नहीं सकता। यदि हमारे कार्यकर्त्ता भी मेरी उस वेदना को समझ पाते तो भविष्य में ऐसी गलतियाँ न करते। उस मनोवृत्ति के फलस्वरूप मुझमें निराशा के बदले काफी बल आता है ताकि किसी भी प्रकार मीठिंग में पहुँच तो जाऊँ। यथोकि यदि कुछ भी किसान मुझे वर्दा देना लेंगे तो उनके द्वारा धीरे धीरे तब्दी में खबर कैन जायगी कि मैं मीठिंग में पहुँचा था जल्लर। देरी का कारण उचारी हो थी।

सभा-स्थान राष्ट्रीय स्कूल और काप्रिय श्रीफिल के पास का भैशान था। मैं भी पहुँचा और लोग भी आये, गोकि बहुतेरे चले गये थे। मैंने उन्हें उपदेश दिया और देरी के लिये मासी भागी। यह भी तय पाया कि अगले दिन फिर सभा होगी। रातों-रात खबर निर दी गई। लोग अगले दिन भी काफी आये। आये भी क्यों नहीं? कोषी ने तो उनकी कचूमर निकाल दी ली है। मगर बचे-बचाये रक्ष को जमीदारों ने चून लिया है। जल्ल कंकाल खड़ा है। यही है जमीदारी-प्रधा के भारे द्वारे कियान।

भागलपुर जिले के उत्तरी हिस्से में कोसी नदी और जमींदारों ने कुछ ऐसी गुटबन्दी की है कि किसान लोग पनाह माँगते हैं। दोनों ही निर्दय और किसानों की ओर से ऐसे लापर्वाह हैं कि कुछ कहिये मत। कोसी को तो खेर न समझ है और न चेतनता। इसलिये वह जो भी अनर्थ करे समझ में आ सकता है। वह तो अनधी ठहरी। मगर इन्सान और सभ्य कहे जाने वाले ये जमींदार ! इन्हें क्या कहा जाय ? जब कोसी से भी बाजी मार ले जाते हुए ये भलेमानस देखे जाते हैं तो आश्चर्य होता है। मालूम होता है, ये लोग नादिरशाह हैं। इन्हें मनुष्यता से कोई जाता ही नहीं। इनके लिये कोई आईन कानून भी नहीं है ! इन निराले जीवों को कुदरत ने क्यों पैदा किया यह पता ही नहीं चलता !

किसान-सभा के ही आन्दोलन के सिलसिले में मैं कई बार उस इलाके में गया जिसे कोसी ने उजाड़ दिया है। उसकी धारा का कोई ठिकाना नहीं है। रहती है रहती है, एकाएक पलट जाती है और आवाद भू-भाग को अपने पेट में बीसियों साल तक लगातार डाल लेती है। यह ठीक है कि जिस जमीन को छोड़ देती है वह पैदावार तो खूब ही हो जाती है। मगर कौश्रा, खरही, बगैरह का ऐसा घोर जंगल हो जाता है कि कुछ पूछिये मत। जंगली सूअर, हिरण और दूसरे जानवरों के अड्डे उस जंगल में बन जाते हैं। फिर तो वे लोग दूर तक धावा मारते हैं। किसानों की फसलें बचने पाती ही नहीं हैं। वे लोग पनाह माँगते फिरते हैं। यह भी नहीं कि वह जंगल कट जाय। किसानों की क्या ताकत कि उसे काट सकें ! इजारों, लाखों बीघे में लगातार जंगल ही जङ्गल होता है। यदि काटिये भी

तो फिर खड़ा हो जाता है । जब तक उसकी जड़ें न खोद डाली जायें तब तक कुछ होने जाने का नहीं । और यह काम मामूली नहीं है । इसीसे किसान तबाह रहते हैं ।

कोसी की धारा जिधर जाती है उधर एक तो लक्ष लक्ष ब्रीचा जमोन पानी के पेट में समा जाती है । दूसरे जङ्गल हो जाने से दिक्षित ढहती है । तीसरे मलेरिया का प्रकोप ऐसा होता है कि सबों के चेहरे पीले पढ़ जाते हैं । यह भी नहीं कि धारा सर्वव बनी रहे । लाखों करोड़ों बांधे में स्थिर पानी पढ़ा रहता है । इसीसे जङ्गल तैयार होता है और मच्छरों की फौज पैदा होती है । उस पानी में एक प्रकार का धान बोया जा सकता है । मगर उस पर यह आफत होती है कि जब धान में बाले लगती और पकती हैं तो रात में जल बाले पक्कियों का गिरोद लाखों की तादाद में आके खा डालता है । यह यम-सेना कर्दी से आती है कीन बताये । मगर आती है जल्लर । एक तो रात में राज रोज इनसे फसल की रखवाली आसान नहीं है—गैर सुमिन है । बिना नाव के काम चलता नहीं । चोंभी बहुत ज्यादा नावें हो और सैकड़ों हजारों आदमी छानी रात जगते तथा हूँ हूँ करते रहे, तब कही जाके शायद मिट छूटे । किन्तु आरन्वर्द तो यद है कि जमीदार उन्हें ऐसा करने भी नहीं देते । उस इलाके में नीनदिया के जमीदार है बा० भुपेन्द्र नारायण सिंह उर्फ लाल खाद्य । उन्हें निर्दियों के शिकार का दहा शीक है । खुद तो खुद, दूर दूर से अपने दोतों को भी बुलाते हैं इसी काम के लिये । सरकारी अफसर भी अवसर निर्भवित किये जाते हैं । रात में पानी में चाग डाला जाता है ताकि पांझियों के दल के दल उसी लोभ से श्यायें । अब यदि कर्दी किसान ने उन्हें उदाना शुरू किया अपनी फसल बचाने के लिये, तो जमीदार खाद्य और उनके शैल यिकार कैसे लेंगे । तब तो उन का चाग मज़ा ही किरकिरा ही जादगा । इसंसिये तो खात तीर से चार पेंडा जाता है, ताकि यदि धान के सोभ ने यदी न भी आये तो उन चारे के लोभ से ही आयेंगे ही । यही खाद्य है कि किसानों को सख्त मनारी है कि चिह्नियों को इनिज गुड में जा दिन में

उड़ायें न । कैसी नवाबी और तानाशाही है ! चाहे किसानों के प्राण-पंखेल इसके चलते अन्न बिना भले ही उड़ जाँय । मंगर चिड़ियाँ उड़ाई जा नहीं सकती हैं । उनका उड़ना जमींदार को वर्दाशत नहीं है ! खूबी यह है कि यही जमींदार साहब लीडरों की कोशिश से गत असेम्बली चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार क़रीब क़रीब बनाये जा चुके थे । वही भुश्कल से रोके जा सके ।

उसी इलाके में महाराजा दरभंगा की जमींदारी में दो बड़े गाँव हैं, जैसे शहर हों । उनका नाम है महिषी और बनगाँव । दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं, जो बीच में तीसरा गाँव है नहीं । फिर भी प्रायः दोनों साथ ही बोले जाते हैं । वहाँ मैथिल ब्राह्मणों की—महाराजा दरभंगा के खास भाई-बन्धुओं की—बड़ी आबादी है । मधेपुरा के लिये जिस सहरसा स्टेशन से एक छोटी सी लाइन जाती है उसीके पास ही वे दोनों गाँव पड़ते हैं । वहीं उतर के बहाँ जाना पड़ता है । बनगाँव के मजलूम किसानों ने हमारी मीटिंग का प्रवन्ध कर रखा था । मगर हमें यह भी पता था कि महिषी में भी बैसी ही मीटिंग है । वहाँ भी जाना होगा । जाना तो जरूर था, पर रास्ते में कोसी की जलराशि जो बाधक थी । इसलिये बहुत दूर पैदल जाके नाव पर चलना था । दूसरा रास्ता था ही नहीं । आखिरकार बनगाँव की शानदार सभा को पूरा करके हम लोग महिषी के लिये चल पड़े । यों तो पानी सर्वत्र खेतों में फैला था और बनगाँव वाले भी काफी तनाह थे । फिर भी कम पानी होने से छोटी से भी छोटी डोंगी उन खेतों में चल न सकती थी । इसलिये दूर तक कीचड़ और पांनी पार करके हमने डोंगी पकड़ी और चल पड़े ।

रास्ते में जो दृश्य देखा वह कभी भूलने का नहीं । जो कभी धान के हरे भरे खेत थे वही आज अपार जलराशि और जंगल देखा । जहाँ कभी धान लद्दाराते और किसानों के कलेजों को वाँसों उछालते थे वहीं आज कोसी हिलोरें मारती थी—वहीं आज जगल लद्दगता था । नाव पर चलते चलते बहुत देर हुई । मगर फिर भी यात्रा का अन्त नहीं । उन खेतों

वाले किसान कैसे जीते होंगे यह सबाल स्वाभाविक है । हमें पता लगा—किसानों ने खून के आँखुरोंके हमें अपनी दुःख-दर्द की गाथा सुनाई—कि गाँव की चौदह आना जमीन पानी के भीतर है । अच्छे से अच्छे विद्वान् और कुलीन ब्राह्मण गाँव में टौड़ के बाजे गाजे के साथ घुटने भर पानी में हमें लेने आये थे । उन्हें आज खुशी की बड़ी मालूम पहती थी । उन्हें किसान-सभा से आशा थी । इसीलिये चाइते थे कि मैं खुद अपनी आँखों उनकी दुर्दशा देख जाऊँ । उनने अपना किसान सुलभ निर्मल, एवं कांमल हृदय मेरे सामने बिछा दिया था । सच्ची बात तो यह है कि वह भयावनी द्वालत देख के मेरा खून खौलता था, मेरी आँखों से आग निकलती थी । जी चाहता था कि इस रात्रिकी जमींदारी को कैसे रसातल भेज दूँ—मटियामेट कर दूँ । मैंने दिल भर के बहाँ की सभा में जमींदारी-प्रधा को कोछा ! मीटिंग में बहाँ के ब्राह्मणों ने जो अभिनन्दन किया वह कभी भूलने वाला नहीं । उसने मेरा मंकल और भी दृढ़ कर दिया कि जमींदारी को ज़म्मुम में पहुँचा के ही टम लूँगा ।

वहीं सुझे पता लगा कि बीसियों साल से जमीन में बारहां मात्र गनी रहता है । खेती हो पाती नहीं । तिर भी जमींदार का लगान देना ही परम्परा है । बाहरे लगान और बाहरे कानून । न देने पर नरकारी नालिश करते हैं और माल भवेशी ले जाते हैं । उन्हें तो नालिश करने वी भी जरूरत नहीं है । सटिकिकेट का अधिकार जो प्राप्त है । जैसे नरकारी पावना दिना नालिश के ही बदल होता है । करोंकि जोई नीज मिली जबल, कुर्क कर ही जाती है । ठीक दैसे ही सटिकिकेट के दल पर नरकारीशिवाजी भी रहते हैं । केवल सरकारी माल-मुद्रकर्मे के अफसर यो धकायदा देने से ही उनका काम बन जाता है और नर्द नर्द दरमे बदल हो जाते हैं । नहीं तो एक रघदे में पचास दसाय की नीज नीलाम हो जाती है । इसीलिये लिलान जैवर, जमीन धैन के, रज लेके, यर्दि नह तरि नह दिल दृष्टि देने के भी खामत्ताह रघदा रही देते हैं ।

तबाज हो सकता है यहि जमीन ती दरी नीलाम हो लाने वाले देते वह

उसमें कुछ होता ही नहीं । वात तो ठीक है । मगर सर्टिफिकेट में जमीन तो एंछे नीलाम होती है । पहले तो और ही चीजें लुटती हैं । एक बात और । किसान को आशा बनी रहती है कि शायद कोसी की धारा यहाँ से चली जाय तो फिर खेन्हों में खेती हो मजेगी । तब तो कुछ साल तक वे काफी पैदावार भी रहेंगे । इसीलिये उन्हें नीलाम होने देना वह नहीं चाहता ! आशा में ही साल पर साल गुजरता जाता है । वह निराश नहीं होता । असल में उसमें जितनी हिम्मत है उतनी शायद ही किसी ऋणि-मुनियों और पैशांवर औलियों में भी पाई गई हो । एक ही दो साल या एक दो बार ही घाटा होने पर व्यापारियों का दिवाला बोल जाता है । मगर लगातार पाँच, सात या दस साल तक फसल मारी जाती है, मजदूरी, बीज और दूसरे खर्च भी जाया होते हैं । फिर भी मौसिम आने पर वह खेती किये जाता है । खूबी तो यह कि इतने पर भी, इस कदर लुट जाने पर भी, न तो सरकार को और न दूसरों को ही अपराधी ठहराता है ! केवल अपनी तकदीर और पूर्व जन्म की कमाई को ही कोष के सन्तोष कर लेता है ।

यह भी बताया गया कि जिनकी जमीनें और जगह हैं वे उन जमीनों से अन्न पैदा करके इन पानी वाली जमीनों का लगान चुकता करते हैं । ऐसे कई किसानों के नाम भी सुनें बताये गये । यह भी मैंने वहीं जाना कि यदि किसान उन जमीनों में भरे पानी में मछली मार के अपनी जीविका किसी प्रकार चलाना चाहें तो जर्मांदार को उसके लिये जल-कर जुदा देना पड़ता है । बपा खूब ! इसे जले पर ननक डालना कहें या क्या ? पैदावार होती नहीं । फिर भी लगान होता जा रहा है । और अगर उसी जमीन वाले पानी में पैदा होने वाली मछली किसान मार लेता है या उसमें मखाना पैदा कर लेता है तो उसके लिये अलग जल-कर वसून किया जाय । यह अन्धेरखाता कब तक चलता रहेगा ? उन मजलूमों का कोई पुरांहाल शाकिर कभी होगा या नहीं । जो लोग यह समझे बैठे हैं कि वे यो हीं इन अद्वदाता किसानों का शिकार करते रहेंगे वे भूलते हैं । वह

दिन दूर नहीं जब उनके पाप का पड़ा फूटेगा—उनका पार सर पर चढ़के नाचेगा ।

खैर, हमने किसानों को जहाँ तक हो सका आश्वासन दिया और वर्द्धा से फिर उसी ढोगी पर चढ़के स्वाना हो गये । अगले दिन हमारा प्रोग्राम कई और जगह था । शायद चौधरी बखतियारपुर की जमींदारी में मोटिंग करनी थी जहाँ हमारे ऊपर दफा १४४ की पावन्टी लगी थी । इन्हें एक के अखंचारों में हमने वर्द्धा का सारा कच्चा चिट्ठा छुरवा दिया ।

भागलपुर जिले की ही एक और दिलचस्प यात्रा है। वह भी उसी कोसी के इलाके में थी। कोसी की धारा के बराबर बदलते रहने के कारण बहुत सी जमीन भागलपुर और पूर्णियाँ जिलों के बीच में झंगल से घिरी है। मगर बीच बीच में खेती होती है। वही कोसी का दियारा कहा जाता है। राजपूताने के अपार रेगिस्तान की-सी उसकी हालत है। चलते जाइये, मगर खात्मा नहीं होता। उस दियारे में कदवा नाम का एक गाँव या गाँवों का समूह है। दस दस, बीस बीस या अधिक सौपड़ों के अनेक टोले बसते हैं। कोसों चले जाइये। पर, एक ही गाँव पाइयेगा। नदियों के हट जाने पर जो जमीनें नये सिरे से बनती हैं वही हीं दियारे की जमीनें। ऐसी जमीनों में आबादी की यही हालत सर्वत्र पाई जाती है। लगातार मीलों लंबे गाँव तो कहीं शायद ही मिलेंगे। खेती करने की आसानी के खयाल से दो चार सौपड़े पड़ गये और काम चालू हो गया। फिर कुछ दूर हट के कुछ छप्पर ढाल दिये गये और उन्हींके इर्द-गिर्द खेती होने लगी। इसी तरह गाँव बसते हैं। कदवा भी ऐसे ही गाँवों में एक है।

भागलपुर जिले के उत्तरी भाग में श्री नागेश्वर सेन जी एक गठीते युवक और लगन वाले किसान-सेवक हैं। कदवा उन्हीं दा कार्यक्षेत्र उस समय था। उनने ही वहाँ मीटिंग का प्रबन्ध किया था। उन्हींके अनुरोध और आश्रह से हमने भी वहाँ जाना स्वीकार कर लिया था। लेकिन हमें इस बात का पता न था कि कदवा है किधर और वहाँ पहुँचेंगे किस तरह किस रास्ते से? कोसी दियारे में कहीं है, सिर्फ इतनी ही जानकारी थी। जब तक वहाँ के लिये हम खाना न हो गये तब तक जानते थे कि कहीं वैलगाड़ी के रास्ते पर होगा। मगर जब मीटिंग के पहिले

दिन नौगच्छिया से खाना होने की तैयारी हुई और कहा गया कि नाव से रातों-रात चलना है, तब कही जाकर हमें अन्दाज लगा कि यात्रा विकट जल्लर होगी ।

शाम का वक्त था । बादल घिरे थे । बूँदा-चाँदी भी दी रही थीं । पर वही टिप्‌टिप्‌टिप् । नौगांध्या स्टेशन के पास ही जो नदी की धारा है उसीमें एक नाव तैयार खड़ी थीं । वह धारा चालू नहीं बताई जाती है । मगर बरसात में तो विकट रूप उसका होई गया था । नाव पर ऊपर से छावनी भी थी ताकि पानी पढ़ने पर करड़े-लत्ते बचाये जा सकें । ढाँची-सी डोंगी थी जिस पर ज्यादे से ज्यादे दस-पाँच आदमी ही चल सकते थे । उपादा लोग हो तो शायद ढूब ही जाय । उस धारा में घड़ियाल वर्षारद खतरनाक जानवरों का बहुल्य बताया जाता है । इसीलिये नाव पर भी लोग होशियार होके यात्रा करते हैं । कहीं वह फैस जाय तो खूँखार जलधर धावा ही बोल दें । तिस पर तुर्ह यह कि रात का लम्ब था । बरसात अलग ही थी । बूँदें भी उसके खतरे को और बढ़ा रही थीं । नारों यह कि सभी सामान इस बात के मांजूदे पे कि चलने वाले दिमत ही एर जाय ।

हुआ भी ऐसा ही । नारेश्वर सेन तो शायद थे नहीं । वे तो बटवा में ही सभा की तैयारी में लगे थे । मगर और जितने सार्थी वर्द्ध चलने वाले थे एक के अलावे सबने पस्त-दिमती दिलाई । मौत के मुंह में जान-दृक्क के कीम जाये । यदि रात में मूँहलाघर भरिया हो गई और नाव के ही दूबने की नींवत आ गई तो । उच्चमुन्ह ही ऐसा हुआ भी और राते में इने कई बार नाव किनारे लगा के रोकनी पसी । किन्तु सार्थी लोग तो दिनाव लगा रहे थे कि ठेठ घड़ियालों के मुंह में ही चला जाना होगा; एवं, यह बात सीधे कहते न थे । किन्तु दूरुरे दूरुरे पठाने पर रहे थे । 'नावच्‌रे, मीसिम बुग है, न जाने शल्ले में रखा हो जाय, बरसात के बहाते मीठिग भी शायद ही हो सके, यदि हो भी तो ज्यादा दिलान शायद ही जा सके' ज्ञादि दलीलें न चलने के दिलखिते में उन्होंन्होंने देव भी जाते थीं त्वयि त्वयि त्वयि त्वयि

मेरा खुन खौलता था और डर भी लगता था कि अगर इन्हें अन्ततोगत्वा
न जाने का ही फैसला कर लिया तो बात बुरी होगी। मेरा प्रोग्राम और
पूरा न हो ! मैं यह बात सोचने को भी तैयार न था इसीजिये साधियों की
इस नामदारी पर भीतर ही भीतर कुदड़ता था और तर्स भी खाता था। सब
के मध्य किसान-सेवक ही थे। सो भी पुराने। मगर सेवा की ऐन परीक्षा
में फेल हो रहे थे।

रेल, मोटर या दूसरी सवारियों ते शान से पहुँच के फूल-मालायें
पहनना, नेता बनना, पुजवाना और गर्मागर्म लेक्चर झाड़ना इसे किसान-
सेवा नहीं कहते। यह तो दूकानदारी भी हो सकती है और सेवा भी।
इससे तो किसानों को घोखा हो सकता है। दस-बीस मील पैदल चलके,
कीचड़-पानी के साथ कुश्ती करके, जान की बाजी लगाके, टौड़-धूप के
और भूखों रहके भी उब अपना प्रोग्राम पूरा किया जाय, किसानों का
उत्साह बढ़ाया जाय, उनका संघर्ष चलाया जाय और उन्हें रास्ता दिखाया
जाय तभी किसान-सेवा की बात उठ सकती है। यही है उस सेवा की
अग्रिम-परीक्षा। इसमें बार-बार उत्तीर्ण होने पर ही किसान-सेवक बनने
का हक किसी को हो सकता है। दूर-दूर के गाँवों से अपना काम-धाम
छोड़ के किसान लोग तो भीगते-भागते और धूप में जलते या जाड़े में
काँपते हुए मीटिंग में इस आशा से आये कि अपने काम की बातें सुनेंगे,
अन्धेरे में अपना रास्ता देखेंगे। मगर बातें सुनाने और रास्ता बताने
वाले नेता ही गैरदाजिर ! उन्हें अपने दिल में पक्की बज्जट बना ली कि
सवारी न मिली, मौसिम ही बुरा था बजौरह बजौरह। मगर किसान को बधा
मालूम ! उसे किसने कहा था कि मौसिम खराब होने पर सभा न होगी, वा
उसे ही (हर किसान को ही) सवारी का प्रबन्ध करना होगा ! ये बातें तो
जान-बूझ के उनसे कही जाती हैं नहीं। सिर्फ अन्ध-पानी या पैसे उनसे इस
काम के लिये माँगे जाते हैं और ये गरीब खुशी खुशी देते भी हैं। चाहे
खुद भूखे रह जाय भले ही ! ऐसी हालत में उन्हें निराशा करने या ऐन
मौके पर मीटिंग में न पहुँचने का हक किस किसान-नेता या किसान-सेवक

को रह जाता है । ऐसा करना न सिर्फ गैर जिमेदारी का काम है, वहाँ किसानों के हितों के साथ खिचवाह करना है । ऐसी दशा में तो किसान-आन्दोलन निर्भ दूकानदारों हां जाती है ।

मगर हमें इस विकात का सामना करना न पड़ा और अन्त में तथ याथ कि खामखाद चलना ही होगा, हमें इससे जितनी ही खुशी हुई वह कौन बतायेगा ? नाव चल पड़ी । बातें करते-करते और मोते-जागते हम लोग उस कोपले से भी काली रात में नदी की भयंकर धार में नाव लिये चले जा रहे थे । रात्ते में कई धार किनारे लगे वह तो कहीं चुके हैं । कोई बता नहीं सकता कि हमें कितने भी ल तथ करने पड़े । मगर जब सुधर हुई तो पता चला कि अभी दूर चलना है । दिक्षत यह थी कि रात्ते में धाराये कई भिन्नों और कौन कदवा जायगी यह तथ करने में दिक्षते पैदा आईं । तो भी जैसे-तैसे हम टीक रात्ते से चलते गये । जानवरों का सामना तो कभी हुआ नहीं । मगर रात्ते में कई धार ऐसा हुआ कि पानी विरकुल ही कम था और हमारी ढोयी-भी नाव भी जनीन से टकरा जाती थी । फिर आगे बढ़े तो कैसे ? तब एर धार हम लोग उससे उत्तर पश्चिम जिससे हृत्की होके ऊपर उठ आती । साथ ही आगे-नीछे लग के टेजते जाते भी थे । इस तरह इस यात्रा का मजा हमें मिला । हीठों दृश्यान्धारी ने नाव को ठिकाने लगाया ।

एक दिक्षत यह भी थी कि रात्ते में गाँव तो शायद ही कही मिले । सिर्फ भज्जे आदि के देज चारे ओर मध्ये थे । ही, कही-कही उनकी रणवाली करने वाले किसान कोरड़े दाले पड़े थे । उनसे ही गले दा पक्का हमें जलरत के बक्क लग जाता था । ही, उन्हें भी यह देख के ऐसा ही कि आचिर कैसे पानी की हमारी दोस्ती थी, जो मनी ने भूमनी नहीं जाती थी । वे तो समझते थे कि उपर तो उन दैसे समझते थे बांधा रखने वाले लोग ही जा सकते हैं और हमें वे समझते थे कोटे धार । और दाहुओं की गुजर उपर यो कहीं । इसके थे गाझुर में रहते थे । उन्हें यह मानून कि हम यादुद्वारों को टौह गस्ते न लाने दाले हैं । वे

क्या जानते गये कि हमसे बाबू भी खार खाते और डरते हैं । वे जानते न थे कि हम जन-सेवा के नाम पर होने वाली दूकानदारी को मिटाने वाले हैं । यदि उन्हें मालूम होता कि हम जर्मांदारी-प्रथा को उसी धारे में छुचा के घड़ियालों के हवाले करने वाले हैं तो वे बिचारे कितने खुश होते ! क्योंकि सभी के सभी जर्मांदारों के द्वारा बुरी तरह सताये गये थे ।

इस प्रकार चक्र काटते और घूमघुमाव करते-करते हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ नाव लगनी थी और पैदल चलना था । हमें खुशी हुई कि आ तो गये । मगर अभी कई मील पैदल खेतों से होके गुजरना था । उसी जगह नित्य कर्म, स्नानादि से फुर्सत पाके हम लोग 'किक् मार्च' चल पड़े । दौड़ते तो नहीं ही थे । हाँ, खूब तेज चलते थे । रात भर नाव में पड़े पड़े एक तरह की थकावट आ गई थी । उसे मिटाना और सवेरे ठहलना ये दोनों ही काम हमें करने थे । इसीलिये कुछ तेज चलना जरूरी था । रास्ते में पता लगना मुश्किल था कि किधर जा रहे थे । चारों ओर मक्की ही मक्की खड़ी थी । उस इलाके में यह फसल खूब होती है और वरसात शुरू होते ही तैयार भी हो जाती है । जब और जगह देहातों में मक्की का भुट्ठा देखने को भी नहीं मिलता तभी वहाँ उसकी फसल पक के तैयार हो जाती है ।

इस तरह नौ-दस बजे उस आश्रम पर पहुँचे जहाँ श्री नागेश्वर सेन ने सभा की तैयारी कर रखी थी । वहाँ देखा कि दूध-नदी का टाल लगा था । बहुत लोगों के खाने-नीने की तैयारी थी । दूर-दूर से आने वाले किसानों को भी खिलाने-पिलाने का इन्तजाम था । इसीलिये इतना सामान मौजूद था । किसान गाय-मैंसे पालते ही हैं । एक वक्त का दूध दे दिया और काफी हो गया । गरीब और पीड़ित होने पर भी किसान कितना उदार है इसका अनुभव मुझे बहुत ज्यादा है । मगर जो कोई अनजान आदमी भी वहाँ जाता वह यह देख के हैरत में पड़ जाता । या तो घनियों की ही सभा की तैयारी समझता, या किसानों की उदारता पर ही मुग्ध होता ।

तीसरे पहर वहाँ बहुत बड़ी मीटिंग हुई । जमींदारों के हाथों किसान वहाँ किस प्रकार सताये जाते हैं और उनकी खाल शिकायतें बवा हैं ये सब चाँते मुक्के मालूम हुईं । मैंने उनका उपाय लुकाया और किसान खुशी-खुशी सुनते रहे । इस प्रकार सभा का कार्य कर चुकने पर दूसरे दिन कहारों के कन्वे पर बैठ के मैं नारायणपुर स्टेशन तक गया । वहाँ गाड़ी पकड़ के बिद्या लौटा । साथ में आध्रम के लड़कों के लिये एक बोरा भुट्टा भी लेता गया ।

सन् १९३३ ई० वाला जुलाई का महीना था। जहाँ तक याद है, १५ वीं जूलाई की बात है। तारीख इसलिये याद है कि किसान-सभा की तरफ से गया के किसानों की जाँच का काम हमने पहले पहल शुरू किया था। सो भी ऐन वरसात में। उसकी लग्जी रिपोर्ट की दुहरी प्रति तैयार करने में हमें महीनों लग गये थे। असल में अमावास्या के जर्मीदार राजा हरिहरप्रसाद, नारायण सिंह की ही जर्मीदारी गया जिले में चारों ओर फैली है। इसलिये उनके साठ गाँवों में जाके हमें कच्चे चिट्ठे का पता लगाना जरूरी था। जिले भर के साठ गाँवों से सभी जर्मीदारी की कलई पूरी तरह खुल जाती थी। इसलिये उतने गाँवों में जाना पड़ा। जब राजा साहब ने हमारी रिपोर्ट माँगी, ताकि हालत जान के कुछ कर सकें, तो हमें मजबूरन दो प्रतियाँ तैयार करनी पड़ीं। वेशक, इस परीशानी का और बाद में बात-चीत बगैरह में जो वक्त बीता उसका कुछ भी नतीजा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस समूची घटना ने मेरे दिल पर यह अमिट छाप लगा दी कि जर्मीदारी मिटाने के सिवाय किसानों को अत्याचार और मुसीबतों से उदारने का और कोई रास्ता ही नहीं। मेरे दिल में जो यह ख्याल कभी कभी हो आता था कि शायद गाँधी जी की बातें सही हों और जर्मीदार सुधर जायें, वह इस घटना के बाद सदा के लिये मिट गया और मैंने टिल से मान लिया कि जर्मीदारी ला-इलाज मर्ज है। “गया के किसानों की करण कहानी” के नाम से उस रिपोर्ट की प्रधान बातें पुस्तक के रूप में पीछे छापी भी गईं। इन्हीं सब काग्यों से और आगे लिखी बजहों से भी वह वरसात की १५वीं जूलाई अभी तक भूली नहीं।

उसी दिन में, पं० यमुना कार्य, पं० यदुनन्दन शर्मा और दाक्तर युगलकिशोर सिंह किसानों की हालत जाँचने के लिये प्रान्तीय किसान-सभा की तरफ से जहानावाद पहुँचे थे । पं० यदुनन्दन शर्मा ने गवा जिले में एमारा रोज रोज का प्रोग्राम ठोक किया था । घंटे देहाती में कार्य के दिनों में जाँच का प्रोग्राम पूरा होना, जो अपने ढंग का पहला ही था, आसान न था । दस दस, पन्द्रह पन्द्रह मील और इससे भी ज्यादा दूरी पर हमें ठोक नमय पर पहुँचना था । नहीं तो जाँच असंभव हो जाती । फिर किसानों को जमा करना गैर मुमकिन जो हो जाता अगर हम एक दिन भी चूक जाते । जाँच के काम के बाद हमें उनकी बड़ी बड़ी सभाओं में उभदेश देना भी जरूरी था । इसलिये शर्मा जी ने ऐसा सुन्दर प्रबन्ध किया था कि एक दिन भी हमारे काम में गड़वड़ी न हो सकी । देहाती रास्तों के तय करके एम बराबर ही ठोक समय पर सभी जगह पहुँचते गये । एक जगह हमारा काम पूरा भी नहीं हो पाता कि दूसरी जगह से सबारी आ जाती । यह भी था कि सबारी की जर्दी कोई भी आशा न होती वर्दा हम पैदल ही जा भगवते । आखिर मूरुलाधार वृष्टि में सबारी रौन मिलती और कैसे । जो शाम बादुआनी ढंग से कांग्रेस की जाँच करेगी अभियांत्री और जाने में कर न जानी वही हमने मध्य घरसात में इस खूबी से पूछा किया कि हम खुड़ हैंत में ऐ कि यह देखे हो सका । दूसरे लोग तो हमसे छासंभव ही नमके रेठे रहे । यहके बड़ी बात यह हुई कि किसानों की मुस्तकी और तैयारी का हमें विश्वास हो गया, इसके कि पं० यदुनन्दन शर्मा जैसे कार्यकर्त्ता उन्हें मिल जाय । हमने नाम लिया कि क्षेत्र तैयार है । किंकर्ण धनी किसान-सेवकों और धर्म-शर्मी की उम्मत है । यह हमारा विश्वास, जो उस समय की किसानों के सारांशक मुद्दों ते हुआ था, तबसे बदल नहीं रहा था ।

यह मानो हुई थात है कि किसान-सभा के लाल धोर्द जैसे न था । अभी अभी तो वह पुनर्जीवन हुई पी । और वही बात हो नह है जिसभा में कोए कभी रहा ही नहीं है, तालाकी भीके पर उसके नाम से रहारी रखने लाने दोते रहे हैं । असत्त में जमला की संरक्षणी के बाहर स्पष्टी

कोप होना भी नहीं चाहिये । यह तो मध्यम वर्ग की संस्थाओं की ही चीज है कि रुपये जमा हों । उनका काम रुपयों के बिना चली नहीं सकता । मगर विपरीत इसके जनता की संस्थाओं का असली कोप है उन पर जनता का पूरा पूरा विश्वास और प्रेम । फिर तो अन्न-धन की कमी हो सकती नहीं । हाँ, वह मिलता रहता है उतना ही जितने की समय समय पर जरूरत हो । न ज्यादा मिलता है और न कम । सिर्फ काम चलाऊ मिलता है । इंमानदार संस्थायें ज्यादा बसूनी खुद ही नहीं करती हैं । अगर कहीं ज्यादा हो गई तो खामखाह उसका सदुपयोग होना असंभव हो जाता है । कुछ न कुछ ऐसा उपयोग होता ही है जिसकी कोई जरूरत न हो । नतों यह होता है कि यह पाप छिपता नहीं और संस्था में घुन लग जाता है । पैसा जमा हो जाने पर सेवा की जगह एक तरह की महन्थी ले लेती है और कोही लोगों का प्रवेश उन संस्थाओं में होने लगता है, जब कि पहले केवल धनी और परिश्रमी लोग ही आते थे ।

हमारी उस जाँच में किसानों ने न सिर्फ सबारी और हमारे खान-पान आदि का ही प्रबन्ध किया, बल्कि जाँच के हर केन्द्र में उनने यथा-शक्ति पैसे का भी पूरा प्रबन्ध किया जो चुपचाप शर्मा जी के हशाले कर दिया करते थे । हमें रेल से भी कभी कभी जाने का मौका मिला । पटने से तो रेल से ही गये थे । शहर में जाने पर सबारी और खान-पान का भी खर्च जरूरी था, इसीलिये उनने पैसे का प्रबन्ध किया था । जब एक जाँच खत्म करके रवाना होने लगते तो पैसे मिल जाते । हमें वह भी पता लगा कि वे पैसे सभी किसानों से थोड़ा थोड़ा करके ही बसूल किये गये थे । जाँच के केन्द्र में हमारे खान-पान या सबारी के खर्च का प्रबन्ध कर लेने पर जो बच जाता वही हमें मिलता । वही हमारी जरूरत के लिये काफी होता । जाँच का आखिरी काम हमने फतहपुर थाना, गया के सदर सब-डिविजन में किया था । वह निरा जङ्गली और पहाड़ी इलाका है । अमावाँ, महन्थ गया आदि की जर्मांदारियाँ हैं । महन्थ ने तो किसानों को पस्त और पांमाल कर दिया है । अमावाँ

के भी जुल्म कम नहीं हैं। पिछड़े हुए इलाके में जुन्म नामबाह जयदा होते ही हैं। मगर हमें वह जानकर ताजजुव हुआ कि वहीं भी हमारी खुर्च के लिये काफी पैसे बद्दल हो गये थे। अखल में वहीं हमें पता नला कि सभी जगह किसान जाँच के बाद शर्मा जी को पैसे देते रहे हैं। कोई जाँच-केन्द्र नागा नहीं गया है।

वाटरी दुनियाँ को शायद विश्वास न हो और ताजजुव हो कि किसान-समा की प्रारम्भिक हालत में ही यह बात कैसे हो सकी। नगर में विहार प्रान्तीय किसान-समा के बारे में पक्की पक्की बात कह सकता हूँ कि मुश्किल से सी दो सी रुपये आज तक हमें हमारे शुभनिन्तकों से मिले होंगे, सो भी दस-वीस के ही रूप में, न कि एक चार। उपर्युक्त से उग्राह पचास रुपये एक बार एक ने दिये, सो भी यूनाइटेड पार्टी के नक्सेत के ही समय सन् १९३३ ई० के शुरू में ही। लेकिन आज तक हमारी समा ने लाखों रुपये जल्द ही खर्च होंगे। केवल मेरी सफर में दी, जो महीने में पनीस दिन तो जल्द ही होते रहती है और कभी कभी उपर्युक्त दिन भी, भाज में कम से कम पाँच छे दबार रुपये खर्च होई जाते होंगे। यह मित्रिज्ञा प्रायः दस बाल से जारी है। होता है वही कि लहरी जिसे मुझे बुलाना दोता है वही ते मेरे सफर खर्च का प्रबन्ध जल्दी है। अन्याय से उत्तरे पैसे या तो पहले ही भेज दिये जाते हैं या वही जाने पर मिल जाते हैं। वही के लाग पूछ लेते हैं कि खर्च कितना चाहिये। मैं भी जितने से काम जले उतना बता देता हूँ। कभी दो चार रुपये उग्राह भी मिल जाते हैं लेकिं ये लाग खुद देते हैं पिना पूछे ही। दूसरे प्रान्तों में दीन करने पर भी वही होता है। कलतः “हृद्यां सोद्यां और पानो सिद्ये” वाला विद्वान्त ही मेरे काय चलता है। न तो उग्राह बनता है और न काम रुकता है। यदि बनता भी है तो भाज में दब दीन ही, जो भी एक दो के दिलास में हो। ठीक ही है, “धारा बचे न कुता जाय।” यदि तो नह मर्याजानते हैं तो मेरे दोरे का खर्च निषानों पर ही बरना रहता है। इन्हिं परसे ने ही उन पर रखते हैं। ही, जनोदारों और उनके दोनों दो शायद यह महत्व न हो।

किन्तु हमें उससे गर्ज ही क्या है ? वे मेरे खर्च के बारे में अन्दाज लंगते रहें कि कौन देता है । जो किसान उन्हें और दुनियों को देता है वही मुझे क्यों न दे यदि मैं उसीका काम करने जाऊँ ? उसे विश्वास होना चाहिये कि मैं उसके लिये मरता हूँ या उसके दुश्मनों के लिये, और यह विश्वास उसे है यह मेरा यकीन है । तब और चाहिये क्या ? और अगर मैं उस किसान की आशा छोड़ पैसे के लिये औरों का, जो प्रायः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके शत्रु ही हो सकते हैं, मुँह देखूँ तो मुझ-सा घोरखेबाज और पापी कौन होगा ? यदि किसान-सभा भी ऐसा करे तो वह किसानों की सभा हर्गज नहीं हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ ।

हाँ, तो जहानाचाद से पहले दिन अलगाना और दूसरे दिन धनगाँव जाना था । ये दोनों गाँव जहानाचाद से पूर्वोत्तर और पूर्व हैं । कभी इरे-भरे थे । मगर अब बीरान हैं । उन गाँवों में जाँच के सिलसिले में जो बातें मालूम हुईं उनका वर्णन हमें यहाँ नहीं करना है और न दूसरे गाँवों का ही । ‘करण कहानी’ में ये सभी बातें लिखी हैं । मगर दो एक घटनाएँ ऐसी हैं जिन्हें यहाँ लिख देना है । कहते हैं कि जीव एक दूसरे को खा के ही कायम रह सकते हैं ‘‘जीवो जीवस्य जीवनम् ।’’ अलगाना में टेकारी की जमीदारी के एक पटवारी हमें मिले । वह किसानों के साथ लगान की वसूली में खुब सख्ती करते थे । फिर भी कबूल करने को तैयार न थे । एक दिन बातों बात में वे बोल त्रैठे कि टेकारी की ही जमीदारी में किसी और मौजे में रहते हैं । बकाया लगान में जमीन नीलाम हो गई, तो यहाँ नौकरी करने लगे । पूछने पर यह बात भी उनने कबूल की कि लगान एक तो जशादा था । दूसरे फसल भी मारी गई लगातार । इसीलिये चुक्ता न कर सके जिससे खेत नीलाम हो गये । मगर अलगाना में वे खुद दूसरों की जमीन नीलाम करवाने में लगे थे और इस तरह अपनी जीविका चलाते थे । असल में जमीदारी की मैशीन के लिये तेल का काम ये उजड़े किसान ही करते हैं । वही इसे चलाते हैं । इसका प्रत्यक्ष दृष्टान्त हमें वे पटवारी-साहब मिले । इसीलिये जानन्वूम के किसानों को तबाह किया जाता है ।

नहीं तो जर्मीदार की नौकरी कीन करता, तो भी इस पाँच दरवे महीने की । जर्मीदारी का पौधा पनपता और फूलता फूलता है किसानों के खून से ही !

धनगाँवा में हमें पता चला कि एक तो साग तरकारी के खेतों को सीचने के लिये पुराने जमाने में जर्मीदार ने लो चार छड़े कुएँ बनवाये थे वे खगाव हो गये और उनकी मरम्मत न हुई । दूसरे चुनाव के जमाने में जर्मीदार के तहसीलदार या सकिल अफसर उम्रीदबार हीते और मुफ्त ही साग तरकारी बोटरों को खिलाने के लिये ले जाते हैं । यदोंकि धनगाँवा जहानाबाद से निकट है । इसलिये हार कर कोहनी लोगों ने साग तरकारी वी खेती ही दन्द कर दी । अब सभी केवल धान वी खेती करते हैं । वर भी सभी चौपट हीते और सभी कुछ रंभलती है । यदोंकि नदी का दूध खत्म हो जाने से पानी के बिना धान मर जाता है । जर्मीदार वीथी की मरम्मत करता नहीं और दस पाँच दिन दरवे लगाना किसानों के लिये गैर मुमकिन है ।

हमें मस्कियार्ड जाना था । रात में महमदपुर टड़रे थे—वही महमदपुर जहाँ के किसानों ने अपने संगठन और मुस्लिमों से पीछे चलके जर्मीदारों के नाकों चने चबवा दिये और आलिंकार पूरे घरेलूं वीथे नीलाम जर्मीन जर्मीदारों ने उन्हें ही जोतने-बोने दी । यदोंकि नीलामी के बाद लो लो काढ हुए उनमें जर्मीदारों ओ लेने के देने पड़े और पाली थाई दुआ । जब किसानों ने उनका गद अपनी मुस्लिमी के उत्तम दिया हो आखिर करते थे । इससे पूरा बाजान लो 'किसान देसे लहरे है' पुस्तक में भिलेगा । रात में नूद पानी पड़ा था और मुक्त भी जारी था । मस्कियार्ड खाट नी माल से पान न था, ऐ भी एकान में, यो तो देराही लोग नज़रीक ही बार रेते हैं । यत्यनी या प्रश्न या उत्तर या । पानी में दूला भी था । यदी यो नियो एकान का (यादी-रिहानी) है । पाँच फिलहाल देर नहीं, इकानी नहीं होती है । यहीं कही नहीं हो सकती है कि पाँच को छोड़ना ही नहीं चाहता । उसने तब या निरहानी है । यस्ते ने एक गहरा नाज्ञा भी है । मगर देसे ही ग्रोलाम इस दरम्मा

था । सो भी मक्खियावाँ बहुत ही मजलूम है । राजा अमावाँ ने उसे भून डाला है । अभी अभी बकाशत संघर्ष के बाद कुछ सँभलने लगा है । इसी गाँव ने पं० यदुनन्दन शर्मा को जन्म दिया है । उस समय लाखों रुपये लगान के बाकी थे ऐसा कहा जाता था ।

ऐसे गाँव में यदि न जाते तो सारा गुड़ गोब्र ही हो जाता । वहाँ जलदी कोई पहुँचता भी नहीं । वहाँ का रास्ता कुछ ऐसा है । इसलिये हम लोग हिम्मत करके चल पड़े । उछलते कूदते, गिरते पड़ते बढ़ते जाते थे । यात्रा वेशक बड़ी भयंकर थी । हमारी उस दिन आग्नि-परीक्षा थी । यदि फेल होते तो कहीं के न रहते । मक्खियावाँ ने सन् १६३६ ई० की वरसात के समय जो वहाटुरी बकाशत की लड़ाई में दिखाई और विशेषतः वहाँ की स्त्रियाँ जिस मुस्तैशी से लड़ के विजय पाने में समर्थ हुईं उसका बीज हमने सन् १६३३ ई० की वरसात में ही उसो जाँच वाली यात्रा में देया था । वही छे साल के बाद फल फूज के साथ तैयार हो गया । तब तो साफ ही है कि उस दिन चूरुने से काम खराब हो जाता । इसलिये हँसी खुशी चल पड़े थे । तारीफ की बात यही थी कि हममें कोई भी हिचकने वाला न दीखा । सभी ने उत्साह के साथ आगे चढ़ना ही पसन्द किया । नहीं तो मजा किरकिरा हो जाता । ऐसे समय में दुविधे से काम विगड़ता है ।

नतीजा यह हुआ कि हम दोपहर के पहले ही मक्खियावाँ ठाकुरबाज़ी पर जा पहुँचे । लोग तो निराश थे कि हम पहुँच न सकेंगे । मगर हमें देख किसानों में विजली दौड़ गई । जो काम हमारे हजार लेकर और उपदेशों से नहीं होता वही उस दिन की हमारी हिम्मत ने कर दिया । इसे ही कहते हैं मौन या अमली उपदेश । ‘कह सुनाऊँ या कर दिखाऊँ’ में “कर दिखाऊँ” इसी का नाम है ।

मक्खियावाँ के किसानों की जो धरिद्रता हमने पहले पहल देखी वह कभी भूलने की नहीं । जमींदार कितने निर्दय और बज्र हृदय हो सकते हैं । यह चित्र हमारी आँखों के सामने पहले पहल खिंचा वहीं पर । हमने घर घर घूम के उनकी दशा देखी, उस पर खून के आँसू बहाये और जर्मांदारी को पेट भर के कोसा ।

सन् १९३८ ई० की वर्सात गुजर जुकी थी। आश्विन या कार्तिक का महीना होगा। अभी तक देहाती उड़कों को मरम्मत न हो चकी थी। किसान रवी की फसल बोने में लगे थे। गत्तों में कीचट् और पानी की कमी न थी। ठीक उसी समय श्री विश्वनाथ प्रभाद मर्दाना ने बलिया जिले में हमारे द्वारे का प्रोग्राम बनाया। हमें युक्तप्राप्त के कई बिलों में दीय करना था। श्री ईर्पदेव मालवीय (इलाहाबाद) ने उनका प्रबन्ध किया था। बटकिस्मती से कहिये या खुश-किस्मती से, बलिया जिले के लिये केवल एक ही दिन का समय मिला था और मर्दाना ने एक ही दिन में एक छोर से दूसरे तक तीन चार भीड़ियों का प्रबन्ध किया था। मोटर से चलना था। पर सद्कों तो न मोटर के बस की थी और न मर्दाना के ही कल्पे थी। उन उड़कों के ही बल पर चार भीड़ियों का इन्तजाम करना सतरे को गोल लेना था। हुआ भी ऐसा थी। मगर मर्दाना तो मर्दाना ही थारे। उनमें जोश और इन्मत काही है। उस घोषणा होने ने सतरे का सोन-विनार जरा कम करते हैं। जो देखा जायगा, वही अचाल रहता है। इसीलिये सतरे के साथ जैलने में उन्हें मजा छाना है। एमरे कार्यकर्त्ताओं में आमतौर से जयावदेशी का डाना अचाल नहीं है। जिसना होना चाहिये और यह बात आन्दोलन के लिये दृढ़ा हुनी है। देश की सभाज्ञों के प्रबन्ध के निलम्बिते में दृढ़ा देशी जयावदेश कई बारे बातों की अवानाक गैर जयावदेशी देश के मुक्ते रेत में का जाना पड़ा है, को भी चार बार। यह एमारे चाहन बही कमी है जो कुक्ते रेत रेत के हुनी राह आगरती है।

ही, तो बलिया टेलम यह आर्ती गते रात ही रम लीग ढहरे दे और बेटिया रुम में ही दर रखे। लवेर ही आर्ती के मराना ही जामे की

तैशारी थी । एक ही मोटर थी । उसोंपर जितने लोग लद सके लद के रखाना हो गये । रेवती, सहतवार, बाँसडीह और मनियार इन चार स्थानों में समायें करके श्रगले दिन सुबह के पहले ही प्रायः दो ही बजे वेजथरा रोड स्टेशन पहुँच के बस्ती जाने की ट्रेन पकड़नी थी । जिले के पूर्वों सिरे के करीब पहुँच के पहली मीटिंग थी और उत्तर पञ्चमी किनारे पर पहुँच के रेलगाड़ी पकड़ना थी । सड़कें तो सब की सब कच्ची ही थीं । केवल शुरू में ही थोड़ी सी पक्की मिली । बरसात ने उनकी ऐसी फजीती कर डाली थी कि रास्ते भर मोटर उछाल मारती थीं । मुझे तो सबसे उद्यादा ताज्जुत उस मोटर की मजबूती पर था जो दूरी नहीं और अन्त तक काम करती ही गई ।

दोपहर के करीब हम लोग रेवती पहुँचे । एक बांग में मीटिंग का प्रवन्ध था । पास में ही एक डिप्टी साहब का खेमा था । शायद तकावी या इसी प्रकार का कर्ज वे बाँट रहे थे गरीब किसानों को । मगर उनने कृपा की और हमारी मीटिंग में बाबा नहीं हुई । हमने अपनी बात किसानों को कह मुनाई और बाँसडीह के लिये चल पड़े । रास्ते में ही सहतवार गाँव पड़ा । जाने के समय भी पड़ा था और वहाँ के लोगों ने हमें रोकने का तय कर लिया था । जब लौटे तो मजबूर होना पड़ा । देहात का यह एक अच्छा बाजार है । लोग जमा हो गये । दूसरे गाँवों के भी लोग थे । पेड़ों के बीच एक ऊँची पक्की जगह पर, जो शायद एक मन्दिर की है, हमने उन्हें अपना कर्तव्य समझाया और किसानों के लिये क्या करना जरूरी है यह बताया । फिर फौरन ही बाँसडीह का रास्ता लिया ।

बाँसडीह में बड़ी तैशारी थी । कोठे पर ठहरे । बहुत लोग वर्ही जमा हो गये । उनसे बातें होती रहीं । फिर नीचे काफी भीड़ हुई । हमें मजबूरन कोठे पर ही छूत के किनारे से उपदेश देना पड़ा ताकि नीचे और ऊर के सभी लोग अच्छी तरह सुन सकें । दूसरी जगह जाने में देर होती और हमें अभी मनियर जाना था, जो वहाँ से काफी दूर था । इसीलिये कोठे

पर से ही उपदेश देने का प्रबन्ध किया गया था । हमने वहाँ का काम भी जल्दी-जल्दी में खत्म किया और चटपट मनियर के लिये रवाना हो गये । असल में सबसे बड़ी और तैयारी वाली सभा मनियर में ही थी । खुशी यही थी कि वह सभा रात में होने को थी । यदि दिन में होती तो हम हर्गिंज वहाँ पहुँची न सकते । अन्वेरा तो हो गया पहुँचते ही पहुँचते । मर्दाना ने रात में उसका प्रबन्ध करके दूरंदेशी और जवाबदेही का परिचय जल्द दिया था ।

वेशक, जैसी आशा थी नहीं वैसी सभा वहाँ हुई । हमने स्थान की तैयारी बगैर ह देखी सो तो देखी ही । हमें उस चीज ने आकृष्ट नहीं किया । हाँ, जब देखा कि सैकड़ों किसान-सेवक (वालंटियर) बर्दां पहने और हाथ में लाठी लिये चारों तरफ तैनात थे और भीड़ को कब्जे में रख रहे थे तो हमें बड़ी ही खुशी हुई । मीटिंग का प्रबन्ध, बोलने आदि का तरीका ये सभी बातें सराहनीय थीं । वहाँ पर हम घंटों बोलते रहे और किसानों की समस्याओं को खोल के लोगों के सामने रख दिया । असल में उस दिन की चार मीटिंगों में पहली में हम अच्छी तरह बोल सके थे हालाँकि जल्दी में जल्द थे । मगर मनियर में तो निश्चिन्त होके बोलते रहे । लोग भी ऐसे शान्त थे कि गोया हमारी बातें मस्त होके पीते जाते थे । कांग्रेसी मंत्रिमंडल के युग में भी किसानों की तकलीफें पहले जैसे ही रह गईं यह देख के लोगों में बहुत ही क्षोभ था । लोग अब असलियत समझने लग गये थे । अब तो बातों से नहीं, किन्तु ज्ञामों से मंत्रों लोगों की जाँच कर रहे थे और साफ देख रहे थे कि उनकी बातें डपोरशंखी निकलीं । इसीलिये मुझसे इसका रइस्य सुनने और समझने में उन्हें मजा आ रहा था । किसान-सभा की जल्दत वे लोग अब समझने लगे थे ।

खैर, सभा तो खत्म हुई और हम लोग डेरे पर आये । मैंने दूध पिया और साथियों ने खाना खाया । इतने में रात के दस-बारह बज गये । हम चंजने की जल्दी में थे । वक्ती जिले का प्रोग्राम बड़ा ही महत्वपूर्ण था । असल में वहाँ की यह यात्रा पहली ही थी । बलिया में तो कई

बार आ चुके थे । सो भी एक जालिम जर्मांदारी के किसानों का जमाव था । इसीलिये मुझे बड़ी चिन्ता थी ट्रेन पकड़ने की । मगर मोटर के करते साथी जरा निश्चन्त थे । फलतः खा-पी के खाना हो गये । मोटर पच्छाम की ओर चल पड़ी । हाँ, यह कहना तो भूली गया कि सरयू नदी की बाढ़ ने लोगों के घरों और उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया था । सहकें भी उसने चौपट कर दी थीं । रास्ते में बर्बाद गाँवों और घरों को देखते चले जा रहे थे । लोग बाहर निकल-निकल के हमें अभिवादन करते थे । उन्हें हमारी खबर तो थी ही । कुछ लोग सभा से लौटे भी थे । इस प्रकार हम आगे जाई रहे थे कि पता लगा कि आगे सड़क दूरी है । मोटर 'पास' नहीं कर सकती । यदि बगल से जा सकें तो जायें । मगर पक्का रास्ता बताने वाला कोई न था । बस, मैं तो सज्ज हो गया और जान पड़ा कि कोई गड़बड़ी होने वाली है । कलेजा धक् धक् कर रहा था ।

मोटर रास्ता छोड़ के खेतों से चली । अन्दाज से ही ड्राइवर चला रहा था । एक तो रात, दूसरे अनजान रास्ता, तीसरे मोटर और खेतों से उसका चलना । यह गजब का बात थी ! हम लाग सचमुच ही मौत के साथ उस समय खेल रहे थे । खेतों से धूमती-धामती और बागों से होती मोटर धीरे धीरे इस ढंग से चल रही थी कि आगे फिर सड़क मिल जायगी, जो ठीक होगी । जल्दत होने पर हमें एकाध उत्तर के आगे रास्ता देख आते । तब मोटर बढ़ती । ऐसा होते-होते एक बार एकाएक हममें एक बोल उठा कि "कुआँ है, कुआँ है ।" ड्राइवर ने मोटर फॉर्स रोक दी । असल में बहुत ही धीमी चाल से चलती थी तभी हम बच सके । नहीं तो मोटर ही कुएँ में जा गिरती । कुआँ बरसात में बास से छिपा था । जब उसके ऐन किनारे में पहुँचे तभी वह नजर आया और हम लोग बाल बाल बचे ।

फिर आगे बढ़े । मगर सड़क लापता था । हालाँकि अपने खयाल से हम लोग उसके नजदीक से ही चल रहे थे । असल में तो हमें रास्ता ही नहीं मिला कि सड़क की ओर बढ़े । सर्वत्र कीचड़-मारी से ही भेट होती

रही । इसी तरह आगे बढ़ते और घूम-घुमाव करते जा रहे थे । नतीजा यह हुआ कि हम लोग सड़क से एक तो बहुत दूर हट गये । दूसरे पञ्चम और चलते-चलते पूर्व की ओर हो गये । मोटर के चक्र और घुमाव के करते ही ड्राइवर को भी और हमें भी पता ही न लगा कि किधर से किधर जा रहे हैं । यों ही चलते-चलाते द्यालत यह हुई कि जोते खेतों से हम गुजरने लगे । यह थी तो हमारी सरासर नादानी । मोटर की सवारी में अन्वेरी रात में ऐसा काम करने की हिम्मत भला कौन करेगा कि रास्ता छोड़ के खेतों से अनजान दिशा में अन्दाज के ही बल चले । मगर “आरत करहिं विचार न काऊ” वाली बात थी । हमें अगले दिन का प्रोग्राम पूरा करना था । और मर्दाना ने पक्का पता सड़क का न लगा के हमें जो यों ही कह दिया कि सड़क ठीक है वह उसी का प्रार्याश्चत्त हमें किसी प्रकार ठीक समय बेलथरा पहुँचा के करना चाहते थे । इसीलिये उस समय हमें मौत भी भूल गई थी । नहीं तो कुएं वाली घटना के बाद तो खामखाइ रुक जाते ।

इतने में एकाएक एक स्कौल के किनारे हमारी मोटर जा पहुँची । जोते हुए खेतों ने चलते-चलते हम समझी न सके कि किधर जा रहे हैं । तब तक पानी के किनारे जा पहुँचे । यह भी अन्दाज हुआ कि यह स्कौल-लम्ही है । अब हम निराश हो गये और घड़ी देखने लगे । पता चला कि दो से ज्यादा समय हो गया है । अब तक हम इस फिराग में थे कि रेल की सीधी सुनें या ट्रेन की आहट पायें । खयाल था कि टेशन निकट है । मगर अब निराश हो गये । जो तकलीफ उस समय हनें हुई कि आज का प्रोग्राम चौपट हुआ उसे कौन समझ सकता था । यदि समझने वाले होते तो अब तक किसान कहाँ से कहाँ चले गये होते । अब सोचा गया कि यही रुक जाय । क्योंकि पता ही न था कि किधर जा रहे हैं । आगे पानी भी तो था । सारी रात जगे थे । पहले दिन चार सभाओं में बोलते बोलते पस्त भी हो चुके थे । सोने का कोई सामान न था । चिन्ता अलग प्राण ले रही थी । इतने में फिर देखा कि तीन से भी ज्यादा बज चुके थे ।

लाचार, सोचा गया कि सुवह चलेंगे। मगर नींद कहाँ? वह भी तो तभी आती है। जब आराम और मौज के सामान मौजूद रहते हैं। अकेली तो आना जानती नहीं। लाचार किसी प्रकार कुछ धंटे काटे। फिर ख्याल आया कि सारे साज-सामान के साथ चलना है। इसनिये वैलगाड़ी तो जरूर ही चाहिये। उसके लिये दो एक साथी पास के गाँव में गये भी। मगर मेरे साथ तो एक और बला आ लगी। पहले दिन की दौड़-धूप और परीशानी के बाद भी रात में नींद हराम रही। इसलिये मेरी आवाज कर्तई बन्द हो गई। गला ऐसा रुँधा कि ताज्जुब होता था। मेरी जिन्दगी में गले की यह हालत पहली ही बार हुई और शायद आखिरी बार भी। जरा भी आवाज निकल न सकती थी। मेरी आवाज बड़ी तेज मानी जाती है। मगर वह एकाएक कहाँ—क्यों चली गई—यह कौन बताये सिवाय डाक्टरों और वैद्य-इकीमों के? बुखार भी हो आया।

फिर भी जैसेन्टैसे वैलगाड़ी पर बैठ के बेलथरा रोड पहुँचना तो था ही। पहुँच भी गये। उसी समय युक्तप्रान्त के श्री मोहनलाल सक्सेना कांग्रेसी मन्त्रिमंडल का दमामा बजाते बेलथरा पहुँचे थे। उनकी सभा थी। लोगों ने बोलने का हठ मुझसे भी किया। हालाँकि सक्सेना चौंकते थे। मगर यहाँ तो आवाज ही बन्द थी। इसलिये बला टली।

स्टेशन पर ही बस्ती वालों को अपनी लाचारी का तार देके सन्तोष करना पड़ा। दूसरा चारा था भी नहीं। फिर तय पाश कि बनारस चल के गला ठीक करें। तब दौरा करेंगे। सभी जगह खबर भेज के प्रोग्राम स्थगित किया गया और हम लोग काशी में बाबू बेनीप्रसाद सिंह के यहाँ पहुँचे। वहीं दो या तीन दिनों में गला ठीक करके फिर दौरा आरंभ किया गया।



ठीक तारीख और साल याद नहीं। विहार की ही घटना है। सो भी पट्टना जिले की ही, विहार से दक्षिण मसौढ़ा परगने के नामी जालिम जमींदारों की जमींदारी की। भरतपुरा, धरहरा के जमींदारों से कोई भी जमींशर इस बात की तालीम पा सकता है कि जुल्म कितने प्रकार के और कैसे किये जा सकते हैं। खूबी तो यह कि सरकार और उसके कानूनों की एक न चले और किसान की कचूपर भी निकल आये। अब तो किसान-सभा के प्रताप से जमाना बदल गया है और उन्हीं जमींदारों को वहीं के पस्त किसानों ने नाकों चने चबवा दिये हैं। जो जमींदार भावली लगान की नगदी करने में आकाश-पाताल एक कर ढालते थे, क्योंकि भावली (दानाबंदी) के चलते उन्हें पूरा फायदा था। उससे किसान तबाह भी हो जाते थे। वही आज मखमार के नगदी करने को उतारू हो गये। किसानों ने थोड़ी सी हिम्मत, समझदारी और दूरदेशी से काम लिया और वे जीत गये। किसानों की सचाई और ईमानदारी से वैज्ञा फायदा उठा के उन्हें ही तंग करने वाले जमींदारों के साथ कैसा सलूक करना ठीक है यह बात किसानों के समझ में आ गई और काम बन गया। उनने समझ लिया कि सबके साथ युधिष्ठिर और धर्मराज बनना भारी भूल है। इतने ही से पासा पलट गया।

हाँ, तो धरहरा के ही एक जमींदार की कोठी ऐन पक्की सड़क पर ही अछुता मौजे में बनी है। मौजा उन्हीं हजरत का है। वहाँ के किसान अधिकांश कोइरी हैं। यह एक पक्की किसान जाति है। कोइरी लोग सीधे-सादे, प्रायः अपढ़ और बड़े ही ईमानदार होते हैं। मगड़ा करना तो जानते ही नहीं, सो भी जमींदारों या उनके मामूली अमलों तक के साथ। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मनुष्यों में यद जाति गी।

है । इतनी परिश्रमी और खून को पानी बना के खेती करने वाली कि कुछ कहिये मत । जेठ की धूप की लपट और धू धू करती दुपहरी के समय मैदान में साग तरकारी के खेतों को ये दिन-रात सांचते रहते हैं । तब कहीं जर्मीदार का कड़े से कड़ा पावना चुका पाते हैं । धान या रबी की पैदावार से काम नहीं चलता । इसीलिये अपने आपको भुलस डालते हैं । फिर भी जर्मीदार ऐसा जल्लाद होता है कि हर घड़ी इनके खून का ही प्यासा रहता है । उसका पेट तो कभी भरता नहीं । वह तो कुम्पकर्ण ठहरा । फिर पेट भरे तो कैसे ? उसे जितना ही ज्यादा मिलता है उसकी माँगें उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती हैं । इसीलिये स्त्री-पुरुषों, बाल-बच्चों और बूढ़ों तक के बदन को भुलसा के भी जर्मीदार की माँगों को पूरा करना किसानों के लिये गैर मुमकिन है । इसीसे अछुवा के गरीब कोइरी किसान भी जर्मीदारी जुल्म के शिकार हो चुके थे ।

असल में वहाँ के जर्मीदार सभी किसानों से, खासकर पिछड़ी जाति वालों से, दिन भर मुफ़्त काम करवाते रहते थे । बहुत तड़के उनके दरवाजे पर किसानों का पहुँच जाना लाजिमी था । फिर रात होने पर घर जाते थे । और तो क्र्या मिलेगा, दिन में एक बार भोजन तक मुहाल था यदि खुद घर से खाने के लिये साग-सच्चू न लाते । यदि जर्मीदार ने भूखे और लावारिश कुत्तों के टुकड़ों की तरह कभी दो चार पैसे या पाव-आव सेर दे दिया तो ज्ञानीमत ! फिर भी हिम्मत न थी कि चूँ करें या दूसरी बार काम पर न आयें । चाहे हजार काम बिगड़े तो बिगड़े । मगर जर्मीदार के यहाँ वेगारी करने जाना ही होगा । एक बार मजबूरन एक किसान नहीं जा सका । इसीके फलस्वरूप न सिर्फ वह, वल्कि सारा गाँव तबाह किया गया । इसीलिये अछुवा वाले थर्द मारते रहते थे । जर्मीदार के नाम पर उनकी लह काँपती थी ।

जर्मीदार ने तरीका ऐसा निकाला था कि पारी पारी से हर किसान को उसके यहाँ पहुँचना ही पड़ता था । इसके लिये उसने एक बड़ा ही निराला ढंग निकाला था जिससे किसानों पर खौफ़ भी छा जाये और काम भी

चलता रहे। जमींदार का एक मोश्या और लम्बा डंडा एक के बाद दीगरे किसानों के दरवाजे पर शाम को ही पहुँच जाया करता था। जिस किसान के घर पर आज पहुँचा वही कल जमींदार के यहाँ जायेगा। फिर कल शाम को उसके घर वाले बगल के पड़ोसी के द्वार पर चुपके से ख आयेंगे जिससे अगले दिन उसे जाने की खबर मिल जाय। यही रवैया बराबर जारी था। जहाँ डंडा महाराज पधारे कि उसे हजार काम छोड़ के जाना ही होगा। एक बार अचानक किसी किसान के घर कोई बड़ा बूढ़ा डंडा जी के पदार्पण के बाद रात में मर गया। रिवाज के मुताबिक उस घर के सभी लोग मुर्दे को गंगा-किनारे ले गये। फलतः जमींदार के यहाँ कोई जा न सका। जब यह बात उसे मालूम हुई तो आगबनूला हो गया। किसान की पुकार हुई। वह आया। हाथ जोड़ के भरे हुए गले से उसने सारी कहानी सुनाई और लाचारी के लिये माफ़ी चाही। मगर माफ़ी कौन दे ? फिर तो जमींदार का भारी गुस्सा उसके सिर उतरा और गाँव के लोग उजाड़े गये। न जाने कितने जाल-फरेब करके किसानों पर तरह तरह के मुकदमें चलाये गये, मार-गोट कराई गई और इस प्रकार उन्हें रुला मारा गया। यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसे उस इलाके का बच्चा बच्चा जानता है।

असेम्बली के चुनाव में धरहरा के ही एक चलते-पुर्जे जमींदार, जो डिस्ट्रिक्टबोर्ड के चेयरमैन, पुरानी कौंसिल के लगातार मेम्बर और अन्त में प्रेसिडेन्ट भी रह चुके थे, बुरी तरह हारे। चुनाव में सभी किसानों ने दिल खोल के हमारा साथ दिया था। जिस जमींदार के खिलाफ़ खड़े होने की हिम्मत जल्दी कोई करता न था और करने पर भी बुरी तरह हारता था, यहाँ तक कि एक बार एक कौंग्रेसी उम्मीदवार भी स्वराज्य पार्टी के जमाने में अपनी जमानत जब्त करा चुके थे, वही हारा और उसी की जमानत जैसे-तैसे बचते बचते बची। यदि किसान दिल खोल के हमारा साथ न देते तो वह कब हो सकता था ? इसीलिये हमारा सिर उनकी इस हिम्मत के सामने झुक गया। जमींदार को सारी खुँसारी और धमकी की पर्वा न करके उनने नियाली हिम्मत दिखाई। जमींदार

के खिलाफ बोट देना चाया था गोया भ्याऊँ की ठौर पकड़नी थी चूहों को । मगर उनने ऐसा ही करके सबको हैरत में डाल दिया । जो लोग यह कहके किसान-संघर्ष से भागना चाहते हैं कि मौके पर वे साथ न देंगे उनके मुँह में करारा तमाचा वहाँ के किसानों ने लगाया और अमली तौर से यह बात सिद्ध कर दी कि यह इलजाम सरासर भूठा है । मुझे तो उसी विहटा के इलाके में ऐसे और भी कई मौके मिले हैं जब किसानों ने आशा से हजार गुना ज्यादा कर दिखाया है । इसीलिये मेरा उनमें श्रद्धालु विश्वास है । मैं मानता हूँ कि यदि वे कभी हमारा साथ नहीं देते, तो इसमें उनका कसूर न होके हमारा ही रहता है । जब हमीं में उनके बारे में विश्वास नहीं है, तो फिर हो बया ! हम खुद ही जब लड़ना नहीं चाहते और आगे पीछे करते रहते हैं तो किसान वया करें ? तब वे कैसे पूरा पूरा साथ दें ? और साथ न देने पर भी वे दोषी वयोकर बन सकते हैं ? और तो और—जिस महाशय को जमीदार के खिलाफ किसानों ने शान से जिताया, उन्हें खुद किसानों पर यकीन न हुआ । इसका सबूत हमें उसके बाद दो मौकों पर साफ़ साफ़ मिला । पीछे उनने स्वयं माना कि उन्हें विश्वास न था । जब मैं विश्वास रखता था । इसीलिये उनने मेरे खयाल को हार कर सही माना । खूबी तो यह कि वह किसानों के क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं, या अपने आपको कम से कम ऐसा समझते जरूर हैं । यही है हमारा किसान-नेतृत्व ! फिर भी घमंड रखते हैं कि क्रांति करेंगे और किसान-मजदूर राज्य लायेंगे ।

हाँ, तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल वन चुकने के बाद शायद सन् १९३८ या ३९ में उसी अछुवा का एक जवान कोइरी किसान विहटा आश्रम में मेरे पास एक दिन आया । अठारह, बीस साल की उम्र होगी । गठीला जवान, छुरहग, बदन, काला रंग और हँसता चेहरा । उस दिन की घटना कुछ ऐसी थी कि मुझे सारी जिन्दगी भूलेगी नहीं । इसीलिये उसका चित्र मेरी आँखों के सामने नाचता है । उसे मैं पहचानता भी न था । मगर वह तो मुझे पहचनता था ही ।

वह आया था मेरे पास अपनी दुख-गाथा सुनाने । शायद घर में कोई बड़े बूढ़े न होंगे । पढ़ा-लिखा भी न था । कांग्रेसी मंत्रियों ने लगान कम करवाने और बकाश्त जमीन की वापसी के नाम पर जो ब्रंटादार किया था और इस तरह कांग्रेस की लुटिया छुवा दी थी, उसीके फलस्वरूप उस गरीब की फर्याद मेरे सामने थी । सारी कोशिश करके वह थक चुका था । मगर जमीदार के ऐसे और कानून की पेचीदगी के सामने उसकी एक भी चल न सकी थी । फलतः उसकी आँखें खुल गई थीं । चुनाव के समय कांग्रेस के नाम से जो डंका पिटा था कि लगान काफी घटाया जायगा और बकाश्त जमीनें वापस डिलाई जायेंगी, उस पर सीधे सादे किसानों ने पूरा विश्वास किया था । मगर जब मौका पड़ने पर उन्हें असलियत का पता चला और मालूम हुआ कि वरसने वाले बादल तो और ही होते हैं; वे तो सिर्फ गर्जने वाले थे, तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा । एक तो कुछ हुआ भी नहीं ! दूसरे जमीदारों और उनके दलालों की धमकियाँ और तानाजनी उन्हें फिर मिलने लगी । इसलिये उनका क्षोभ और क्रोध उचित ही था । वह जवान भी इसी क्षोभ और क्रोध को उतारने के लिये मेरे पास आया था ।

सामने आते ही मैंने उससे पूछा कि ‘कहो भाई, क्या हुक्म है ?’ मैं हमेशा नये या आकस्मिक मिलने वालों से ‘क्या हुक्म है’ ही कहता हूँ । किसानों से सामख्य ही कहता हूँ । मैं मानता हूँ कि उन्हें मुझे हुक्म देने का पूरा हक है । जब मौके पर मेरी बातों पर विश्वास करके वे लोग मेरा कहना मान लेते हैं, तो दूसरे मौके पर मुझे वे हुक्म क्यों न दें ? यदि उन्हें यह अधिकार न हो तो फिर मेरी बातें वे क्यों मानने लगें ? कोई जोर-जुल्म या दबाव तो है नहीं । यहाँ तो परस्पर समझौता (understanding) ही हो सकता है । यही बात है भी । इसलिये तो मेरे काम में रक्कावट होती नहीं । मैं बराबर माने दैठा हूँ कि किसान मेरा साथ जल्द देगा । क्योंकि मैं उसका साथ जो देता हूँ ।

उसने अपनी लम्बी दास्तान सुनाई और कहा कि कैरी कैरी दौँड़-धूर

के बाद भी उसकी एक बात भी न चल सकी। जो खेत उसे मिलना चाहिये खामखाह, वह मिल न सका। उसने कई दृष्टान्त इस बात के सुनाये कि न तो ब्राकाश्त जमीनें लोगों को मिलीं और न लगान ही था। फिर बोला कि, “सुना था, सब कुछ हो जायगा। बोट भी इसी आशा पर जान पर खेलकर दिया था। मगर यह तो धोखा ही निकला,” आदि आदि। उसके मुँह से जो बातें धड़ाके से निकलती थीं मैं उन्हें गौर से सुनता था और उसकी भावभंगी भी देखता जाता था। मालूम होता था किसी बहुत बड़े धोखे से उसकी आँखें खुली हैं और झूठी प्रतिशृं करने वालों को—खासकर कांग्रेस मंत्रियों को—कहा ही खा जाना चाहता है। गोकि बाहर से उसके इस भयंकर क्रोध का पता नहीं चलता था। मगर भीतर ही भीतर यह आग जल रही थी यह मुझे साफ़ फ़लकता था। वह महान् विस्मय में गोते लगा रहा था कि ऐसे लोग भी झूठी बातें करते हैं। उस समय उसका चेहरा देखने ही लायक था। मुझे इसीलिये वह नहीं भूलता है।

उसकी बातें सुनने के बाद मैंने उससे साफ़ साफ़ कवूल कर लिया कि ‘हाँ भई, धोखा तो हुआ। यहाँ तो ऊँची दूकान के फ़ीके पकवान ही नजर आये।’ इसके बाद मैंने ब्योरे के साथ सारी बातें उसे सुनाईं और समझाया कि ब्राकाश्त की बापसी और लगान की कमी के नाम पर जो कानून अभी बने हैं वे कितने कर्जे हैं और केवल रूपये वाले जमीदार किस प्रकार बाजी मार ले जाते हैं। मैंने उसे खासा लेकचर ही सुना दिया। क्योंकि मेरा भी दिल जला ही था। उसके सामने मैंने इस बात की बहुतेरी मिसालें भी पेश कीं और कहा कि धोखा तो दिया ही जा रहा है।

इस पर उसने चट्टपट सुना दिया कि “आप ही ने तो कहा था कि कांग्रेस को बोट दीजिये। हम क्या जानते थे कि कौन क्या है। आपने जैसा कहा हमने बैठा हो किया।” इस पर मैं ठक्क सा हो गया। मेरे पास इस बात का तो कोई उत्तर था नहीं। वह बातें तो सरासर सच्ची कह रहा था। किसानों ने तो मेरे ही कहने से ग्रन्ती मर्जी के खिलाफ़ कांग्रेस

के नाम पर उन नर-पिशाच जर्मीदारों तक को बोट दिया था जिनके हाथों किसानों की एक भी गत वाकी न रही थी । मुझे याद है कि बोट देने के पहले उसी घरहरा के इलाके के एक किसान ने एक सभा में लेकचर सुनने के बाद ही मुझसे धीरे से कहा था कि आपकी बातें तो हम मान लेंगे और बोट देंगे जल्लर । मगर जिन्हें बोट देने को आप कहते हैं वह भी जर्मीदार ही तो नहीं है ? इस पर मैंने उसे समझा-बुझा के ठीक किया था । आज उस कोइरी नौजवान की बातें सुनके वह घटना भी आँखों के सामने नाच गई ।

मैंने उससे साफ़ साफ़ स्वीकार किया कि ‘हाँ जी, यह तो बात सही है । तुम्हारा इलजाम मैं मानता हूँ । असल में मैं भी धोखे में था । देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था की ओर से डंके की चोट लो बाते’ कही जा रही थीं और जिन्हें बड़े बड़े महात्मा और लीडर बार बार लाखों लोगों के सामने दुहरा रहे थे मैं उन पर विश्वास करता कैसे नहीं ? इसीसे तो धोखा हुआ । मैं किसानों के सामने अपने आपको इस दृष्टि से अपराधी कबूल करता हूँ । मगर इतना कहे देता हूँ कि इस घटना से मैंने बहुत कुछ सीखा है और किसानों को भी सीखना चाहिये । हाँ, आगे के लिये यही कह सकता हूँ कि फिर ऐसी बात होने न दूँगा ।’

मैंने देखा कि मेरी इन साफ़ बातों से उसे संतोष हो गया । यदि मैं दलीलें देके अपनी वकालत करने लगता तो उसे शायद हो यह संतोष होता । मगर ईमानदारी से अपनी भूल कबूल कर लेने पर उसने समझ लिया कि गलती तो सभी से होती ही है । स्वामी जी को भी धोखा हो गया था । इनने जान-बूझ के कुछ नहीं किया । वह कोई बड़ा राजनीतिश तो या नहीं कि मैं उसे राजनीति की पेचीदगियाँ समझाने लगता और कहता कि यदि तुम ऐसा न करते और कांग्रेस को बोट न देते तो जर्मीदार जीत जाते । फिर तो और भी बुरा होता आदि आदि । इन बारेकियों को भला वह अपढ़ और सीधा सादा किसान क्या समझते लगा । मेरा तो यह भी ख्याल है कि उन लोगों से ये बातें कहने से वे इन्हें समझ तो

पाते नहीं। उल्टे नेताओं को तौलने की जो उनकी सीधी सी कसौटी है कि जो कहें उसे खामखाह पूरा करें उसका भी इस्तेमाल करना वे लोग भूल जा सकते हैं। फलतः इसी राजनीति की ओट में धोखेबाज़ लोग उन्हें बराबर चकमा दे सकते हैं। इसीलिये मैंने सीधी बात की और अपनी गलती मान ली।

मगर इस घटना से मेरे दिल पर इस बात की गहरी छाप पड़ गई कि किसानों ने अपने हित अहित को पहचानना शुरू कर दिया। वे लोग बड़ी बड़ी बातें बनाने वाले नेताओं और बोट के भिखारियों के चकमे में आसानी से नहीं आ सकते, यदि उनका नेतृत्व ठीक ठीक किया जाय। वे भविष्य में बोट माँगने वालों के नाकों दम कर दे सकते हैं यदि किसान-सभा उस मौके से मुनासिब फायदा उठाके उन्हें पहले ही से आगाह कर दे। जो लोग कहा करते हैं कि किसान बुद्ध हैं और वे आसानी से फाँसे जा सकते हैं वे कितने धोखे में हैं यह बात मैंने उस दिन आँखों देख ली। अत्यन्त पिछड़ी भोजी भाली जाति का एक अपढ़ युवक अगर यह बात बेखबर के बोल सकता है और मुझे भी मीठे मीठे सुना दे सकता है तो आँरों का बया कहना! अस्तु में जनता की मनोवृत्ति का ठीक पता लगाना सबका काम नहीं है। यह बड़ा ही मुश्किल मसला है। इसका थाह बिरले ही पाते हैं जिन्होंने अपने आपको जनता के बीच खपा दिया है, दिन रात उसके हँवाले कर दिया है और जो उसी की नींद जागते और सोते हैं। रुसी किसानों की इसीं सम्बन्ध की घटना मुझे याद आ गई।

श्री लांसलाट ऑयन (Launcelot A. Owen) ने अपनी अंग्रेजी किताब 'दी रशियन पेड़ोन्ट मूवमेन्ट १८०६-१८१७' में रूस के किसानों की सबसे पहली संगठित मीटिंग का जिक्र किया है जो ता० ३१०७-१८०५ को एलेजेंडर बैकुनिन नामक जर्मीनार की जर्मीनारी में तोरजोक जिले में हुई थी। उस मीटिंग की कार्यवाही पूरी होने के बाद जो आपस में बातचीत जारी हुई थी उसमें किसानों ने भाग लिया था। सिर्फ

सत्रह गाँवों के किसान जमा थे । जिले के सरकारी बोर्ड के मेम्बरों को जो यह शक था कि अभी तक किसान उत्तरदायी शासन के लिये तैयार नहीं हैं, अतः उसकी माँग वेकार है, उसका मुँहतोड़ उत्तर वहीं एक किसान ने चट दे दिया कि “नहीं नहीं, यह बात नहीं है । असल बात तो यह है कि किसान उसके लिये जरूरत से ज्यादा योग्य और तैयार हैं । इसीसे सरकार ढरती है” “Another (peasant) confuting the Zemstoomen's doubts as to peasant ripeness for responsibility, asserted that the trouble was that they were over ripe.”

सन् १९३८-३९ की घटना है। हरिपुर कांग्रेस के पहले और उसके चाद भी मुझे गुजरात में दौरा करने का मौका किसान-आन्दोलन के सिलसिले में लगा था। हरिपुर के पहले गुजरात के हमारे प्रमुख किसान कर्मी श्री हन्तुलाल याज्ञिक ने अपने सहकर्मियों की सम्मति से तय किया था कि कांग्रेस के अवसर पर किसानों का एक विराट् जुलूस निकाला जाय और मीटिंग भी हो। फैजपुर के समय से ही यह प्रथा हमने चलाई थी जो अब तक लगातार जारी रही है। हमने भी उनकी राय मानी थी। इसीलिये निश्चय किया गया था कि उसके पहले मेरा दोरा हो जाय। क्योंकि वहाँ तो अभी किसान-आन्दोलन को जन्म देना था। अब तक तो वह वहाँ पनप पाया न था। गांधी जी का वह प्रान्त जो ठहरा। सो भी टेठ चारदौली के पड़ोस में ही कांग्रेस हो जाने जा रही थी। सरदार वल्लभ भाई का तो हम पर प्रचंड कोप भी था। यह भी खबर अखबारों में छप चुकी थी कि कांग्रेस के अवसर पर ही अखिल भारतीय खेत मजदूर सम्मेलन श्री वल्लभ भाई की अध्यक्षता में होगा। यह खेत मजदूर आन्दोलन किसान-सभा का विरोधी बनाया जा रहा था। विहार तथा आनंद आदि प्रान्तों में इस बात की खुली कोशिश पहले ही की जा रही थी कि खेत मजदूरों को उभाड़ कर या कम से कम उनके नाम पर ही कोई आन्दोलन खड़ा करके बढ़ते हुए किसान-आन्दोलन को दबाया जाय। खुले आम जर्मीदारों के आदमियों और पैसे के द्वारा यह बात की जा रही थी। हमें इसका पता था।

मगर हमें इसकी पर्वा जरा भी न थी। हम खबूली जानते थे कि ये बातें टिक नहीं सकती हैं। किर भी सजग होके किसानों का खासा जमावड़ा हरिपुर में करना जरूरी हो गया। इसीलिये दौरे की जल्दत

विशेष रूप से थी । आखिर किसानों को यह पैगाम तो सुनाना ही था कि किसान-सभा की क्यों जरूरत है जब कि कांग्रेस मौजूद ही है । साधारण पढ़े-लिखों से लेकर ऊपर के प्रायः सभी लोग वहाँ किसान-सभा को देख भी न सकते थे । ऐसी ऐसी दलीलें करते थे कि सुनके दंग हो जाना पहला था । बारदौली वाली जो किसानों के नाम की लड़ाई पहले लड़ी जा चुकी थी उसके करते यह गलतफ़हमी और भी ज्यादा बढ़ गई थी कि कांग्रेस ही किसान-सभा है और श्री बलभ भाई किसानों के असली नेता है । श्री इन्दुलाल जी की बातों से हमें तो कुछ पता चल गया कि वह लड़ाई असली किसानों की न होके उनके शोपकों की ही थी जो असली किसानों को हटा के उनकी जगह जा वैठे हैं और जिनकी संख्या मुट्ठी भर ही है । मगर इस बात की पूरी जानकारी तभी हो सकती थी जब वहाँ खुद घूमा जाय । इसीलिये हम बड़े चाव के साथ उस दौरे के लिये खाना हुए थे । वहाँ जाके हमने खुद अनुभव किया । किसानों की जमीनें करीब करीब मुफ़्त में ही हथिया लेने वाले जो दस-पन्द्रह फीसदी बनिये पारसी या पटेल वडौरह हैं वही किसान कहे जाते हैं । वे काफी मालदार हैं और उनके पास बहुत जमीनें हैं । पहले के किसान उन्हींके इलावाए हैं और गुलाम होके नर्क की जिन्दगी गुजारते हैं । उन्हीं दस-पन्द्रह फीसदी लोगों की मालगुजारी घटाने के लिये बारदौली में लड़ाई लड़ी गई थी, ताकि असली किसानों की छिनी जमीनें उन्हें वापस दिलाने या कम से कम उनकी गुलामी मिटाने के लिये ।

भुसावल से हमने तासी बैली रेलवे को पकड़ी और खाना हो गये । यह रेलवे बहुत ही धीमी और दुःखद है । पर, मजबूरी थी । मढ़ी स्टेशन, जहाँ से हरिपुरा जाना था, के बहुत पहले ही सोनगढ़ के इलाके में हमें पहली मोटिंग करनी थी और यह सोनगढ़ उसी तासी बैली रेलवे में पहता है । बड़ौदा का राज्य है । किसान बहुत ही मजत्तूम और दुखिया हैं । वहाँ से श्रीगणेश करने का विचार था । मगर बड़ौदा राज्य के हार्किमों को यह बात बदृशत न हो सकी और वे लोग इस किंक में लगे कि किसी प्रकार हमारी

सभा होने न दी जाय । उनने इस बारे में अपना काफी दिमाग लगाया । साफ साफ नोटिस देके हमारी सभा रोकने में उन्हें शायद खतरा नजर आया । इसलिये एक चाल चली गई । ठीक सभा के दिन बहुत ही सवेरे उस इलाके के सभी गाँवों के पटेलों और मुखियों को राज्य की कचहरी पर पहुँच जाने की खबर ऐन मौके पर दी गई जब हमारे आदमी सभा की तारीख बदल न सकते थे । पटेल और मुखिया लोग होते हैं एक तरह के राज्य के नौकर । इसलिये उसका कचहरी में पहुँच जाना ज़रूरी हो गया, और जब सभी गाँवों के मुखिया ही चले गये तो फिर सभा में आता कौन ? अभी तक किसान-सभा वहाँ जमी तो थी नहीं । सीधे-सादे खेड़ूत (किसान) उसका महत्व क्या जानने गये ? और अगर इतने पर भी गाँव के प्रमुख लोग सभा में चलते, तो दूसरे भी आते । मगर वह तो कचहरी चले गये । फलतः सभा की कोई संभावना रही न गई । इस प्रकार बड़ौदा राज्य का यत्न सफल हो गया ।

जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो इन्दुलाल जी ने सब बातें कहीं । फिर तय पाया कि रात में पास के ही एक गाँव में ठहरना होगा । ठहरने का प्रबन्ध पहले से ही था । उस इलाके में रानीपरज के नाम से प्रसिद्ध जाति के लोग उग्रादातर बसते हैं । वही वहाँ के असली किसान हैं । उनके नेता श्री जीवनभाई हमारे साथ थे । वे अब कहीं बाहर कारबार करके गुजर करते हैं । मगर हमारी सहायता के लिये आ गये थे । उन्हींके साथ हम सभी उस गाँव में गये । जब हमने रानीपरज की दशा पूछी तो उनने सारी दास्तान कह सुनाई । यह भी बताया कि “रानीपरज प्रगति-मंडल” के नाम से एक संस्था खुली है जो उन लोगों की उन्नति का यत्न करती है । स्कूल आदि के जरिये उन्हें कुछ पढ़ाया लिखाया जाता है । चरखा भी सिखाया जाता है । सरदार बज्जम भाई बड़ौरह उसमें मदद करते हैं । ‘रानी परज’ या किसी ऐसे ही नाम का कोई पत्र भी निकलता है । सारांश, वह “प्रगति-मंडल” समाज-सुधार की संस्था है । इसीलिये शराब बड़ौरह पीने से लोगों को रोकती है ।

मुझे आश्चर्य जरूर हुआ कि यहाँ पास में वारदौला में किसानों की लड़ाई हुई ऐसा सभी जानते सुनते हैं। फिर भी रानीपरज के लोग आज त्रिना जमीन के हैं और दूसरों की गुलामी करते हैं। दुबला के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें जमीन दिलाने या उनकी गुलामी मियाने की लड़ाई लड़ी न जाकर यह समाज-सुधार (Social reform) का काम एक निराली बात है। गोया ये लोग जरायम पेशा कौम हैं, जो Criminal Tribes हैं। जैसे जरायम पेशा लोगों को धर्म के नाम पर सुधारने की कोशिश की जाती है और शराब बन्दी का प्रचार होता है ठीक वही हालत यहाँ है। मैंने समझ लिया कि असली काम न करके यह बाहर मरहमपट्टी लोगों की आँख में धूल भोकने के ही लिये की जा रही है। जंगल में रहने वाली बहादुर कौम पेड़ के लिये मुफ्तखोरों और लुटेरों की गुलामी करे और नेता लोग इसके भीतर समाज-सुधार का प्रचार करें! यह निराली बात निकली। व्याह-शादी बगैरह के समय घनिये साहुकार या शराब बैंचने वाले इन सीधे किसानों को चढ़ाके कर्ज देते दिलाते और शराब पिलवाते हैं, और पीछे उसी कर्ज में न सिर्फ इनकी जमीनें ले लेते बल्कि पुश्त दरपुश्त इन्हें गुलाम बना डालते हैं। इस लूट और धोखेबाजी के खिलाफ इनमें बगावत का प्रचार किया जाता चाहता था। इन्हें बताना था कि उस बनावटी कर्ज को साफ कर दें और सुना दें कि अब हम गुलाम किसा के भी नहीं हैं। यही तो इस मर्ज की असली दवा है। मगर नकली नेता लोग दूसरी ही बात करते हैं। असल में इसी बात में उनका भी स्वार्थ है। वह भी या तो सहुकार आदि हैं, या उनके दोत्त और दलाज।

वहाँ से हम अगले दिन सूरत जाना था। रेल पकड़ के सूरत पहुँचे भी और वहाँ शाम को एक भीयिंग भी की। फिर सीधे पंचमश्ल जिले के दादोद शहर के लिये फ्रांटियर मेल से रवाना होके अगले दिन सबेरे रात रहते ही पहुँचे। वहाँ एक तो म्युनिसिपैलिटी की ओर से हमें मान-पत्र मिलना था। दूसरे एक सार्वजनिक सभा में भाषण करना था। बाये चहौदां और सेन्ट्रल इन्डिया रेलवे का वहाँ एक बड़ा कारखाना होने से

मजदूरों की सभा में बोलना था । मगर सबसे सुन्दर चीज थी दाहोद से दूर देहात में भीलों की एक बही सभा । युनिसपैलिटी के अध्यक्ष थे एक बहोरा मुसलमान सज्जन । मगर जो अभिनन्दन पत्र उनने गुजराती में पढ़ा और जो संक्षिप्त भाषण दिया वह मार्कें का था । मैंने भी उचित उत्तर दिया । संन्यासी होके किसानों के काम में मैं क्यों पड़ा इस बात का स्पष्टीकरण वहाँ मैंने निराले ढंग से किया । असल में शहरों के लोगों का पेट जैसे तैसे भरी जाता है । इसलिये उन्हें धर्म की पर्वा ज्यादा रहती है । मैंने भी धर्म की ही दृष्टि से उन्हें समझाया । मैंने कहा कि यद्यपि भगवान् सभी जगह है, फिर भी उसे विशेषरूप से शोकियों में ही पाता हूँ और वहाँ ढूँढ़ने से वह मिलता है । जिस प्रकार फोड़े वाले के सारे शरीर में दवा न लगाके दर्द की ही जगह दवा लगाने से उसे विशेष आनन्द मिलता है, क्योंकि उसका मन वहाँ केन्द्रीभूत है । उसका मन, उसकी आत्मा वहाँ मिलती है, पकड़ी जाती है हालाँकि वह है दर असल सारे शरीर में । वही हालत भगवान् की है ।

जब हम लोग दूसरे दिन भीलों की मीटिंग में गये तो हमें बड़ा मजा आया । स्थान का नाम भूलता हूँ । मैदान में सभा थी । खासी भोइ थी । चारों ओर आदमी ही आदमी थे । मर्द भी थे, औरतें भी थीं । ये तो दूसरे लोग भी । मगर भीलों की ही प्रधानता वहाँ थी । बचपन में सुना करता था कि द्वारका की यात्रा करने वाले यात्री लोग जब डाकोर की ओर चलते हैं तो दाउद गुहरा (दाहोद-गोधा) की माड़ियाँ मिलती हैं । यानी दाहोद और गोधा के बीच में लगातार माड़ियाँ हैं, जंगल हैं जहाँ भील लोग तीर चलाते हैं और यात्री को मार के लूट लेते हैं । मैं समझता था कि वडे ही खुँखार और भयंकर होंगे । मगर जब उन्हें देखा कि भले आदमियों की सी सूत-शकल वाले हैं तो आश्चर्य हुआ । हाँ, अधिकांश के हाथ में घनुप और तीरों के गुच्छे जस्ते देखे । इनसे उन्हें अपार प्रेम है । इसीलिये साथ में रखते हैं । उनने कहा कि रास्ते में कहीं चोर-बदमाशों या जंगली जानवरों का खतरा हो तो यहीं तीर घनुप काम आते-

हैं । जंगली प्रदेश तो हर्दै । यह दृश्य मैंने पहले पहल देखा । मगर यह भी देखा कि वे मेरी चार्टें मस्त होके सुनते और भूमते थे । मेरी भाषा तो उनकी न थी । फिर भी मैं इस तरह बोलता था कि वे समझ जावें । बातें तो उन्हींके दिल की बोलता था । फिर भूमें क्यों नहीं ?

इमें वहीं पर यह भी पता चला कि उसी इलाके में बहुत पहले से “भील सेवा-मंडल” काम कर रहा है । वहाँ जाने का तो हमें मौका न लग सका । क्योंकि शाम तक दाहोद वापस आना जल्दी था । रेलवे मजदूरों की सभा में बोलना जो था । मगर लौटते समय रस्ते में ही हमें दूर से “सेवा-मंडल” के मकान दिखाये गये । सेवा-मंडल का काम भीलों के विकास से ताल्लुक रखता था । मंडल के कार्यकर्त्ताओं में अच्छे से अच्छे त्यागी-लोग रहे हैं । हमारे साथी श्री इन्दुलाल जी का भी उसमें हाथ रहा है । यह काम उस समय शुरू हुआ जब हमारे देश में राजनीतिक चेतना नाम-मात्र को ही थी । इसीलिये समाज सेवा के नाम पर यह मंडल खुजा । मगर आज जब राजनीतिक चेतना की एक बड़ी बाढ़ हमारे देश में आ गई है और उसीके साथ उसका आर्थिक पहलू स्पष्ट हो गया है, तब ऐसे संस्थाओं का खास महत्व है या नहीं, यही प्रश्न पैदा होता है । यदि महत्व हो भी तो क्या उनके काम का तरीका वही रहे या बदला जाय, यह दूसरा सवाल भी खड़ा होता है । भीलों की वह असम्भवता तो जाती रही । समय ने पलटा खाया और वह सम्भवता की बायु में साँस लेने को बाध्य है । इस झकोरे से वे बच नहीं सकते, यदि हजार चाहें । ऐसी हालत में आर्थिक प्रोग्राम के आधार पर ही उनमें अब काम क्यों न किया जाय ? मेरा तो विश्वास है कि असम्भव और जरायम पैशा कही जाने वाली जातियों में अब भी मर्दानगी औरों से कहीं ज्यादा है । फिर तो आर्थिक प्रोग्राम की बिना पर ज्योंही उनमें काम शुरू हुआ और इसका महत्व उनने समझ लिया कि हक की लड़ाई में जूझने के लिये सबसे आगे वही लोग मिलेंगे ।

खैर, शाम तक उस सभा से हम लोग लौटे और मनदूरों की मीटिंग में गये । मीटिंग खासी अच्छी थी । उफेद पोश दावुओं की एक अच्छी

तादाद वहाँ हाजिर थी । मैले और काले कपड़े वाले भी थे ही । श्रमिकों के क्या हक हैं और उनकी प्राप्ति के लिये उन्हें क्या करना होगा यही बात मैंने उन्हें बताई । सभा के बाद हम अपने स्थान पर बापिस आये ।

दूसरे दिन गोध्रा के नजदीक, उसके बाद वाले वैजलपुर स्टेशन से उत्तर जीतपुरा में हमारी मीटिंग थी । यह खासी देहात की सभा थी ! दूर दूर के किसान उसमें हाजिर थे । बहुत ही उत्साह और उमंग से हमें वे लोग वहाँ ले गये । बाजे गाजे और तैयारी की कमी न थी । सभा भी पूर्ण सफल हुई । जिस जमीन में सभा हुई उसे किसान ने किसान-आश्रम बनाने के लिये दे दिया । आगे के स्थायी काम के लिये इस प्रकार वहाँ नींव डाली गई, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी । मुझे इस बात से अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि मेरी हिन्दी भाषा वहाँ के खेड़त भी बखूबी समझ लेते थे । वेशक मेरी कुछ ऐसी आदत हो गई है कि किसानों के ही समझने योग्य भाषा बोलता हूँ, सो भी धीरे धीरे । असल में बातें तो उनके दिल की ही बोलता हूँ । इसीलिये उन्हें समझने में आसानी होती है । हाँ, तो जीतपुरा से लौट के हमने रात में गाढ़ी पकड़ी और मढ़ी चल पड़े । मढ़ी से ही हरिपुरा जाना था ।

मढ़ी और हरिपुरा के बीच में ही हमारी एक और भी सभा थी खासी देहात में । हमने वह सभा की तीसरे पहर । कांग्रेसी मंत्रिमंडल तो बनी चुका था । पहले पहल हमने उसी सभा में एक बात कही जिसे हम पीछे चल के कई जगह दुहराते रहे । दरअसल गुजरात और महाराष्ट्र में कर्ज और साहुकारों के जुल्म का ही प्रश्न सबसे पेचीदा और महत्वपूर्ण है । कहा जाता है कि वहाँ जर्मिंदारी-प्रथा नहीं है । वहाँ के किसानों का सरकार के साथ सीधा सम्बन्ध है । इसे रैयतवारी कहते हैं । मगर बनियों और साहुकारों ने सूद दर सूद के जाल में फँस के किसानों की प्रायः सारी जमीनें ले ली हैं और वे खुद जर्मिंदार बन बैठे हैं । अर्द्धभाग या बँद्याई पर किर उन्हीं किसानों को वही जमीनें येतु साहुकार जोतने को देते हैं । और अगर कसल मारी जाय तो खामखाह नगद मालगुजारी ही बस्ल कर लेते हैं ।

डरा और दबा किसान चूँ भी नहीं करता है। बँगर्ड की हालत यह है कि मँगफली जैसी कीमती और किराना चीजों की पैदावार का भी आधा हिस्सा ले लेते हैं। किसानों की गुलामी भी इसीके करते हैं।

इसीलिये उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता अगर इस कर्ज के असह्य भार को उनके सिर से उठा फेंकने की बात की जाय। यदि उनकी छाती से यह चट्टान हटे तो जरा साँस लें। मुझे यह बात मालूम तो थी ही। इसीलिये मैंने कहा कि पड़ोस में ही कांग्रेस हो रही है। उसका दावा भी है कि वह गरीबों और सताये गये लोगों की ही संस्था है। श्री बहाम भाई अपने को किसानों का नेता कहते भी हैं। और आज तो इस बम्बई प्रान्त में कांग्रेस के ही मंत्री शासन चला रहे हैं, ऐसा माना जाता है। उन्हीं की मर्जा से कानून बनते हैं। इसलिये हरिपुरा में लाखों की तादाद में किसान जमा होके साफ साफ कह दें कि इस मनहूस कर्ज ने हमारी रीढ़ तोड़ डाली। हमने एक के दस अटा किये। फिर भी साहुकार की बही (चौपड़ी) में बीस बाकी पड़े हैं। हमारी जमीन और इज्जत इसीके चलते चली गई। हम गुलाम भी बन गये। यहाँ एक नये प्रकार के “साहुकार जर्मीदार” पैश हो गये। इसलिये कांग्रेस के मंत्री लोग कृपा करके इन साहुकारों के सभी कागज-पत्र अपने पास मँगवा लें। फिर या तो उन्हें बम्बई के पास के ही समुद्र में डुबा दें, या नहीं तो होली जला दें। और अगर हुक्म दें तो हमें लोग उन्हें लेके ताती नदी में ही डुबा दें। नहीं तो हमारा जो जीवन भार बन गया है वह खत्म हो जायगा।

हमने देखा कि इन शब्दों के सुनते ही किसानों के चेहरे खिल उठे। उसके बाद सभा का काम पूरा करके हमने हरिपुरा पहुँचने की झोंची। खयाल आया कि मोटर लारियों तो बराबर दौड़ रही हैं। हम लोग पल मारते पहुँच जायगे। फिर वहाँ से सड़क पर आये और लारियों की इन्तजार करने लगे। बटों योही बीता। बीच में बीसियों लारियों आईं और चली गईं। हमने हजार कोरिश की कि रक्कें, मगर एक भी न

स्की । लाचार जीवन भाई के साथ पैदल ही आगे बढ़े । उनने कहा कि आगे कुछ दूरी पर जो गाँव पक्की सड़क से हट के पड़ता है वहाँ से एक बैलगाही लेके उसी पर हरिपुर चलेंगे । बस, गाँव की ओर चल पड़े । दो-तीन मील चलने पर गाँव आया ।

गाँव पहुँचने के पहले ही हमने जीवन भाई से रानीपरज तथा और किसानों की हालत पूछी । वे भी रानीपरज विरादरी के ही थे । इसीलिये उनकी दशा ठीक ठीक बता सकते थे । ऊपर से जान पड़ता था कि गांधी जी और सुरदार बलभ भाई के बड़े भक्त थे । पहले कांग्रेस में उनने काफी काम भी किया था, मगर उनने जो हृदय विद्रावक वर्णन अपने भाइयों के कष्टों का किया उससे हमारा तो खून उचल पड़ा । उनकी भी मावभंगी अजीब हो गई थी । उनने कहा कि यदि किसी रानीपरज के के पास काफी जमीन हो और अपने गरीब भाई से खेती का काम वह कराये तो काम करने वाले के परिवार को अपने ही मकान के एक भाग में रखके अपने ही परिवार में उस परिवार को शामिल कर लेगा । मगर, अगर साहुकार, पारसी या पटेल वही काम गरीब रानीपरज से कराये तो दिन में ज्वार की रोटी और कोई साग उसे खाने को देगा जिसमें मसाले के नाम पर सिर्फ लाल मिर्च के ढींज पड़े होंगे, न कि लाल मिर्च । असल में गुजरात में उन बांजों को निकाल के फेंक देते हैं । खाते नहीं । इसीलिये साहुकार उन वेकार चीजों को उन गरीबों के साग में डाल देते हैं । शाम को दो सेर ज्वार या एक डेढ़ आने पैसे दे देते हैं ।

इसके बाद जो कुछ उनने कहा या कहना चाहा वह बहु ही वीभत्सु था । उनकी आँखें डबडबा आईं । आखिर अपनी ही विरादरी की प्रतिष्ठा की बात जो ठहरी । उनने कहा कि हमारे जो भाई साहुकारों के मृण में फँसे हैं उनकी जबान लड़कियों और पुनर-वधुओं को भी ये रात्रि कभी कभी ज़बर्दस्ती काम करवाने के लिये बुलवा लेते हैं । अब आप ही, सोच सकते हैं कि उनका धर्म कैसे बचने पाता होगा, आदि आदि । उनने इस बात

पर बहुत ही जोर दिया और कहा कि दुवला के नाम से प्रसिद्ध गरीब किसानों और उनकी बहू-वेटियों की इज्जत की खैरियत नहीं है ।

इस पर हमने कहा कि “लेकिन हम जो यह किसान-सभा कर रहे हैं उसे सरदार बज्जभ भाईं तो पसन्द नहीं करते । हालाँकि उन्हें चाहिये तो यह था कि वह खुद दुवला लोगों के लिये यह काम करते और गांधी जी भी उन्हें इस बात का आदेश देते । यह क्या बात है कि गांधी जी इस बात पर मौन हैं ! क्या उन्हें भी यह बात पसन्द है ?” तब उनने कहा कि “इसमें गांधी जी का दोष नहीं है । असल में लीडर लोग गङ्गवङ्गी करते हैं ।” हमने फिर कहा कि “मगर गांधी जी भी हमारी किसान-सभा को पसन्द नहीं करते, यह पक्की बात है । तब हम कैसे मानें कि केवल लीडरों की ही भूल है, उनकी नहीं ! और अगर ऐसी हालत में आप किसान-सभा में पहुँचे, तो गांधी जी जरूर आप पर रंज होगे ।” अब क्या था, अब तो वे साफ खुल गये और कहने लगे कि “गांधी जी अपना काम करते हैं और हम अपना । हमें किसान-सभा में ही किसानों का उद्धार दीखता है । कॉमेस से कुछ होने जाने का नहीं । इसलिये यदि गांधी जी हम पर बिगड़ें तो हम क्या करें ? हम तो यह काम करेंगे ही ।” बस, मैंने समझ लिया कि किसान-सभा गुजरात में भी जीती-जागती संस्था बनके ही रहेगी, जब कि शुरू में ही नीचन भाई जैसे किसान इसकी जरूरत और महत्ता को यों ही समझने लगे हैं । क्योंकि सभा का काम तो उनने अभी देखा भी नहीं । इससे स्पष्ट है कि परिस्थिति (Objective conditions) उसके अनुकूल है । उर्फ पर्यावरण का और सचे कार्यकर्त्ता (Subjective conditions) की कमी है ।

इतने ही में हम उस गाँव में जा पहुँचे और एक किसान के दरवाजे पर ठहरे । बैज्जगाड़ी का प्रवन्ध होने लगा । शाम भी होई रही थी । थोड़ी देर में गाड़ी तैयार होके आ गई और हम लोग उस पर बैठ के रखाना हो गये । रास्ते में हमने गाड़ी हाँकने वाले किसान से हरिपुर की बात चलाई और पूछा कि वर्द्धा चिट्ठा नगर में काम करने के लिये

यहाँ के लोग जाते हैं या नहीं, और अगर जाते हैं तो क्या मजदूरी उन्हें प्रतिदिन मिलती है । इस पर उसने कहा कि रेलवे या सड़क वगैरह में काम करने वालों को दस आने पैसे मिलते हैं । कांग्रेस में भी पहले कुछी कम पैसे मिलते थे । मगर पीछे जब ज्यादा तादाद में काम करने वाले जाने लगे तो छे आने ही दिये जाने लगे । इसके लिये हो । हल्ला भी हुआ । मगर सुनता कौन है ? शायद तूफान भचने पर सुनवाई हो । मगर मजदूर तो भूखे हैं । इसलिये जोई मिलता है उसी पर सत्ताप कर लेते हैं । उसने इसी तरह की और भी बातें सुनाईं । मुझे यह सुनके ताज्जुब तो हुआ नहीं । क्योंकि मैं तो कांग्रेसी लोडरों की मनोवृत्ति जानता था । मगर उनकी इस हिम्मत, वेशमार्ग और हृदयहीनता पर क्रोध जल्द हुआ । मैंने दिल में सोचा कि यही लोग गरीबों को त्वरण्य दिलायेंगे । यही देहात की कांग्रेस है जिसमें देहातियों को उतनी भी मजदूरी नहीं मिलती जितनी सरकारी ठेकेदार देते हैं । इसी बूते पर यह दावा गांधी जी तक कर डालते हैं कि किसानों की सबसे अच्छी संथा कांग्रेस ही है—“The Congress is the Kisan organisation par excellence !” मुझे खुशी इस बात की थी कि न सिर्फ वह गाढ़ी हाँकने वाला, वर्त्तक उस देहात के सभी लोग इस पोल को खेलते समझ रहे थे जैसा कि उसकी बातों से साफ़ फ्लकता था ।

रात में हम बिछल नगर पहुँचे और वहीं ठहरे । पूरे अठारह रुपयों में हमने एक क्षोपड़ा लिया जिसमें सिर्फ तीन चारपाईयाँ पड़ सकती थीं । यही है गरीबों की कांग्रेस ! वहाँ एक रुपये से कम में तो एक दिन में एक आदमी का पेट भरी नहीं सकता था । चीजें इतनी महँगी कि कुछ कहिये मत । ज्ञानदारों से तो दूकानदारों से सख्त किया जाता है । देहात में होने वाली सभी कांग्रेसी की यही हालत होती है । दिन-ब-दिन चीजें महँगी ही मिलती हैं ।

खैर, हरिपुरा में हमें तो अपना काम करना था । वहाँ किसानों का लग्जरी जुलूस निकालना था । मीटिंग भी करनी थी । मगर पता चला कि

किसान-नैकी, इंधिया, गुजरात



सरदार बल्लभ भाई का सख्त हुकम है कि बिना उनकी आशा के बिछल नगर के भीतर कोई भी मीटिंग या प्रदर्शन होने न पाये । हमें यह चीज दुरी लगी । हमने कहा कि सरदार साहब या उनकी स्वागत समिति को यह हक हर्गिज नहीं है कि आम सङ्केत पर जल्स रोक दें । जब तक पुलिस या मजिस्ट्रेट की ऐसी मुनाफी न हो तब तक तो हमें कोई रोक सकता नहीं । हाँ, मुनाफी हो जाने पर कानून तोड़ने की नौजवान आयेगी । मगर सरदार या उनके साथियों को न तो पुलिस का अधिकार प्राप्त है और न मजिस्ट्रेट का ही । फिर उनकी नादिरशाही के सामने हम क्यों सिर मुकायें ?

नतीजा यह हुआ कि हम और हमारे साथी श्री इन्दुलाल याक्षिक वशीरह किसी से भी पूछने न गये और जल्स निकला खूब ठाठ के साथ । पचोस लीस हजार से कम लोगों का जल्स नहीं था । साहुकारों से त्राण दिलाने और हालो प्रथा मिटाने आदि के नारे मुख्य थे । हाली और दुबला या गुलाम ये सब एक ही हैं । मीटिंग भी बहुत ही जम के हुई । मैं ही अध्यक्ष था । मेरे सिवाय याक्षिक, डाक्टर सुमन्त मेहता आदि अनेक सज्जन थे ।

सरदार बल्लभ भाई यह बात देख के भीतर ही भीतर आगवृला हो गये सदी । मगर मजबूर थे । इसीलिये किसी न किसी बहाने से अपने दिल का बुखार निकालते रहे । रह रह के बिना मौके के ही हम लोगों पर तानाजनी करते रहे । एक बार तो वहाँ पली गायों के बारे में यों ही लेक्चर देते हुए बोल थे कि हम तो इन गायों को पसन्द करते हैं जो न तो प्रस्ताव करती हैं और न उनमें सुधार पेश करती हैं । ये तो कान्ति और जर्मांदारी या पूँजीवाद मिटाने की भी वातें नहीं करती हैं । किन्तु दूध दिये चली जाती हैं । जिससे हमारा काम चलता है । इसी तरह के अनेक मौके आये ।

एक बार तो खास विश्य समिति में ही बिना बजह और बिना किसी प्रसंग के ही विशेषतः मुझे और सांघारणतः सभी वामपक्षियों को लखर करके न जाने वह क्या क्या बक गये । यहाँ तक ही गया कि सर्वांग

जल के खाक हो गये। फलत; हमने बहुत ही शोर किया और सभापति श्री सुभाष वानू पर जोर दिया कि उन्हें रोकें। पहले तो सभापति जी हिचकते रहे और सरदार साहब भी लापर्वाह होके बकते जाते थे। मगर जब परिस्थिति बेढब हो गई और शोर बहुत बढ़ा तो उनने रोका, जिससे वे एकाएक अपना सा मुँह लेके बैठ गये। इस प्रकार बारदौली की भूमि में ही उनकी नाक कट गई सिंह अपनी माँद में ही सर हो गया।

हरिपुरा के पीछे कुछ महीने गुजर जाने पर फिर गुजरात में दौरा करने का मौका आया। इस बार श्री इन्दुलाल यश्चिक और उनके साथियों ने संगठित किसानों की सभायें प्रायः गुजरात के हर जिले में की। अहमदाबाद शहर में ही नहीं, किन्तु देहात में भी एक सभा हुई। हरिपुरा के बाद किसानों की कई संगठित लड़ाइयाँ भी हो चुकी थीं और विशेष रूप से बड़ौदा राज्य के घोर दमन का शिकार उन्हें तथा हमारे प्रमुख किसान सेवकों को होना पड़ा था। उनकी कितनी ही मीटिंगे दफ्त १४४ की नोटिस और पुलिस की मुस्तैदी के करते रोकी गई। फिर भी लड़ाई चलती रही। यद्यपि बड़ौदा सरकार का कानून है कि किसान से नगद लगान ही लेना होगा, न कि बँटाई। फिर भी साहुकार जमीदार यह बात मानते न थे। खूबी तो यह कि यदि साल में दो फसलें हों तो दोनों में ही आधा हिस्सा लेते थे। फलतः किसानों ने बँटाई देने से इनकार कर दिया। सरकार को इस पर उनका और किसान-सभा का कृतज्ञ होना चाहता था। मगर उलटे दमन चक चालू हो गया। असल में सरकारें तो मालदारों की ही होती हैं। इसलिये उनका फर्ज हर हालत में यही होता है कि धनियों की रक्षा करें। वे कानून तोड़ते हैं तो बला से। शोषित जनता को सिर उठाने नहीं देते। असली चीज कानून नहीं है, किन्तु कमाने वाली, पर लुटी जाने वाली, जनता को चाहे जैसे ही सके दबा रखना ही असल चीज है। कानून भी इसी गर्ज से बनाये जाते हैं। मगर अगर कहीं कानून की पावनी के चलते ही जनता सिर उठा ले तो उसकी पावनी से घढ़के भूल और व्या हो सकती है। यही कारण है कि जमीदारों और मालदारों

के कानून तोड़ने पर भी सरकार तरह दे जाती है । उनके रुपये और प्रभाव के चलते इसके लिये बहाने तो सरकार को मिज्जी जाते हैं । पुलिस उसकी रिपोर्ट करती ही नहीं । फिर सरकार कश करे ! और अगर कहीं एक दो जगह किसान सिर उठाने पाये तो फिर गजब हो जाने का डर जो रहता है । योंकि “बुढ़िया के मरने का उतना डर नहीं, जितना यम का रास्ता खुज़ जाने का रहता है !” बड़ौदा राज्य में किशनों की उन लड़ाइयों ने यह बात साफ़ कर दी ।

अहमदाबाद की सभा के बाद हमारा दौरा था खेड़ा जिले में—उसी खेड़ा जिले में जो न सिर्फ़ श्री इन्दुलाल जी का जिजा है, वहाँकि सद्यार वज्ञाम भाई का भी जन्म उसी जिले में हुआ है । हमारी मीटिंगें ठेठ देशतों में थीं । स्टेशन से उतर के हमें कई दिन देहात देहात ही घूमते रहने और इस तरह डाकोर के पास रेलवे लाइन पकड़ने का मौका मिना । कुछ दूर लारी से और वाकी जगदा जगहें वैजगाड़ी से ही तय करनी पड़ीं । इस बार हम ऐसे इलाके में गये जहाँ आज तक कांप्रेस का कोई खास असर होई न पाया है । इसलिये हमें इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई । अनुभव भी बहुत ही मजेदार हुए ।

असज में खेड़ा जिले के बहुत बड़े हित्ते में जन्मियों की एक बहादुर कौम बसती है जिसे धाराजा कहते हैं । ये लोग अहमदाबाद जिले में भी खासी तादाद में पाये जाते हैं । हमें इस बात से बड़ी तकलीफ़ हुई कि सरकार ने इस दिलेर कौम को जरायम पेरा करार दे रखा है । असज में विदेशी सरकारी तो सश से यही नीति रही है कि लोगों में मर्शनगो का माहा रहने ही न दिया जाए । पर अनुचेत है कि कांप्रेसी जन्मियों ने भी इस कर्ज़े को मिशन की कोशिश न की, जिससे धारला लोग अब भी बैते ही माने जाते हैं । पहले गांधी जी के ‘नवजीवन’ और ‘यंग इंडिया’ में पढ़ के हमें भी इनके बारे में यही गज़त धारणा थी । परन्तु दौरा करने पर हमें पता चला कि सारो बाँते गज़त है । ये लोग अगले पास लम्बे लम्बे दाव लाठी में लगाके रखते हैं जिसे धारिया कहते हैं । धारला नाम इसी

चारिया के रखने से पड़ा है । जंगल में लकड़ी वडौरह काटने में इससे बड़ी आसानी होती है । हमें इस बात से खुशी हुई कि इन लोगों ने, जो सदा कांग्रेस के विरोधी रहे, न सिर्फ हमारी किसान-सभा को अपनाया, बल्कि इस काम में बड़ी मुस्तैदी दिखाई । उनने इसे अपनी चीज मान ली । इसका प्रमाण हमें उसी यात्रा में प्रत्यक्ष मिला । साहुकारों ने जो उन्हें आज तक बेखटके लूटा था उससे बचने का रास्ता उन्हें किसान-सभा में ही दीखा । क्योंकि सभा की नीति इस मामले में साफ है । यही कारण है कि वे इस ओर भुके, गो कांग्रेस से अलग रहे । उसकी नीति गोल-मोल जो ठहरी ।

खेड़ा जिले के गाँवों में घूमते-धामते हम डाकोर से सात ही आठ मील के फासले वाले रेलवे स्टेशन कालोल पहुँचे । यह एक अच्छा शहर है । यहाँ व्यापारी और साहुकार बहुत ज्यादा बसते हैं । हमारे दौरे से इनके भीतर एक प्रकार की हङ्काग मच चुकी थी, गोकि हमें इसका पूरा पता न था । सरदार बल्लभ भाई के गण लोग भी चुपचाप बैठे न थे । हम उनके गढ़ पर ही धावा जो बोल रहे थे । जो गुजरात आज तक गांधीवाद का किला माना जाता था वहीं किसान-सभा की प्रखर प्रगति उन नेताओं को बुरी तरह खल रही थी । इसीलिये हमारे खिलाफ अंट-संट प्रचार करके और हमें कांग्रेस-विरोधी करार देके उनके गण मध्यम वर्गीय लोगों को हमारे विरुद्ध खूब ही उभाइ रहे थे । और कालोल शहर तो मध्य वर्गीय लोगों का अड्डा ही ठहरा ।

एक बात और भी हो गई थी । उसके पूर्व देहातों में जो हमारे कई लेक्चर हो चुके थे उनमें साहुकारों और सूखोरों की लूट का हमने ग्वासा भंडाफोड़ किया था । हमने कहा था कि किसानों के सभी कर्ज मंसूख कर दिये जायें । इससे साहुकारों में खलबली मचना स्वाभाविक था । उनने समझा कि यह तो हमारा भारी दुश्मन खड़ा हो गया । वे मानते थे कि यदि ऐसे लेक्चर किसानों में होने लग जाय तो वे हमारी एक न सुनेंगे, निढ़र हो जायेंगे और हमारा दिवाला ही बुलवा देंगे । पंचमहाल जिले के गुसर मौजे में पीछे चलके श्री जवेर भाई नामक किसान ने ऐसा किया भी ।

और जगह भी ऐसी घटनायें हुईं। इसलिये उनका डरना और सतर्क होना जरूरी था।

जिस दिन हम कालोल पहुँचे उसके ठीक पहले दिन एक गाँव में एक साहुकार से कुछ बातें भी ऐसी हो गईं कि वह चौंक पड़ा, और बहुत संभव है कि उसने भी कालोल में सनसनी पैदा की हो। बात यों हुई कि उसने किसानों की फजूलखचों की शिकायत करते हुए यह कह डाला कि ये लोग शहरों जाके सैलूनों में बाल कटवाया करते हैं। सैलून अंग्रेजी ढंग की जगह होती है जहाँ बाबुआनी ढंग से नाऊ लोग हजामत बनाते और ज्यादा पैसे मजदूरी में लेते हैं। साहुकार को खटकता था कि ये लोग मेरा कर्ज और सूद छुकता न करके फिजूल पैसे खर्च डालते हैं। इसीसे उसने मुझसे उनकी शिकायत की।

मगर मैंने मूल्लाके कहा कि वया ऐसा बराबर होता है या कभी कभी ? उसने उत्तर दिया कि केवल कभी कभी। इस पर मैंने उसे हाँटा कि यही चीज तुम्हें चुभ गई । आखिर किसान लोग पत्थर तो हैं नहीं। ये भी मनुष्य हैं। इन्हें भी अभिलापायें और बासनायें हैं। इसलिये कभी कभी उन्हें पूरा कर लेते हैं। जो लोग इन्हीं की कमाई के पैसे सूद, कर्ज, लगान आदि के रूप में लूट के बराबर ही सैलूनों में जाते और गुलदरें उड़ाते हैं उन्हें शर्म होनी चाहिये, न कि इन किसानों को। ये तो अपने ही कमाई के पैसे से कभी कभी ऐसा करते हैं और यह अनिवार्य है। मगर आपको श्रमीरों की बात नहीं खटक के इनकी ही वयों खटकती है ? ये किसे लूट के सैलून में जाते हैं ? इस पर वह साहुकार हक्का-हक्का हो गया। उसे यह आशा न थी कि, मैं ऐसा कहूँगा। वह तो मुझे गांधीवादियों की तरह समाज-सुधारक समझता था। फलतः मेरी बात सुनके उसे अचन्भा हुआ। शायद उसीने कालोल में ज्यादा सनसनी फैलाई।

हाँ, तो कालोल में पहुँचने पर शहर से बाहर एक बाग में जो रेलवे स्टेशन के पास ही है, हम जा ठहरे। हमारे ठहरने का प्रबन्ध पहले से ही वहीं था। बाग में पहले एक कारखाना था जो तदर-नदर की दालत में

की हालत में पड़ा रो रहा था । शहर के दो एक प्रतिष्ठित और पढ़े-लिखे लोग हमसे वहाँ मिलने आये । यह भी पता चला कि उन्हीं लोगों ने हमारी सभा का भी प्रवन्ध किया है । श्री इन्दुलाल जी से उनका पुराना परिचय था । हमें खुशी इस बात की थी कि मध्यम वर्गीय पढ़े-लिखे लोग हमारे भी साथ हैं । उन्हींके नाम से सभा की नोटिसें भी बँटी थीं । सभा का समय शाम होने पर था जब कि चिराग ज़ज़ जाँय । हम भी निश्चित थे । क्योंकि भीतरी सनसनी और हमारे खिलाफ की गई तैयारी का हमें पता न था । दूसरों को भी शायद न था । नहीं तो हमें बता तो देते ताकि हम पहले से ही सजग हो जायें । मगर विरोधियों ने गुरुत्व अपनी तैयारी कर ली थी जरूर ।

जब शाम होने के बाद हम सभा में चले तो शहर के बीच में जाना पड़ा । हमें ताज्जुब हुआ कि यह क्या बात है ! घने मकानों के बीच कहाँ जा रहे हैं यह समझना असंभव था । इतने में हम ऐसी जगह जा पहुँचे जो चारों ओर ऊँचे मकानों से घिरी थी । बीच में जो जगह खाली थी वहाँ देखा कि बहुत से सफेद-ग्रेश लोग जमा हैं । सब के सब खड़े थे । बैठने के लिये कोई दरी-वरी या बिछावन भी वहाँ न दीखा । हमने समझा कि यो ही किसी काम से ये लोग खड़े हैं और आगे चनने लगे । लेकिन हमें बताया गया कि यही सभा स्थान है । हमें ताज्जुब हुआ कि शहर की सभा और उसकी ऐसी तैयारी ! हम समझी न सके कि क्या बात है । इतने में किसीने इशारा कर दिया कि यही स्वामी जी है । इशारे का पता हमें तो न लगा । मगर विरोधियों की तैयारी ऐसी थी कि वे किसी के इशारे से समझ जा सकते थे ।

बस, फिर कुछ कहिये भत । हमें कोई बैठने को भी कहने वाला न दीखा । यहाँ तक कि किसी ने बात भी न की और चारों ओर से एक अजीब 'सी सी' की आवाज आने लगी । वह आवाज हमें पहले ही पहल सुनने को मिली । हमने द्वारों किसान-सभाएँ कों । विरोधियों के मजमे में हमने व्याख्यान दिये यहाँ तक कि हरिपुरा के पहले द्वार जिन्हें में निलिमोड़ा स्टेशन

से एक दूर बसे शहर में भी हमारी सभा हुई जिसमें गांधीवादी भरे पड़े थे । मगर ऐसी हालत वहाँ न देखी । उनने सम्यता से आदरपूर्वक हमसे सवाल जल्द किये जिनके उत्तर हमने दिये । मगर ऐसा न किया । यहाँ तो कोई सुनने वाला ही न था । मालूम होता था कि यों ही 'सी सी' और 'हू हू' करके याताने मार के हमें ये लोग भगा देने पर तुले बैठे थे । तानेजनी की बातें भी बोली जा रही थीं । कोई कोई हमें संन्यासी का धर्म सिखा रहे थे । मगर अप्रत्यक्ष रूप से जैसा कि हुआ करता है ।

पहले तो हम और याजिक दोनों ही अकचका गये । मगर पीछे खाल किया कि यहाँ तो जैसे हो निपटना ही होगा । हम मार भले ही खा जायँ । मगर सभा तो करके ही हटेंगे । इतने में एक दीवार के बगल बाले चबूतरे पर हम दोनों जा खड़े हुए और याजिक ने बोलने की कोशिश की । पहले तो वे लोग सुनने को खादार थे ही नहीं । इसलिये उनकी सिसकारी चलती रही । मगर हम या याजिक भी बच्चे या थकने बाले तो थे नहीं । इसलिये याजिक ने बोलने की कोशिश बराबर जारी रखी । नतीजा यह हुआ कि बाधा ढालने बाले थक के सुनने को बाध्य हुए । आखिर कब तक ऐसा करते रहते ? उनका थकना जल्दी था । हमारा तो एक पवित्र लक्ष्य है जिसमें मस्त होने से हम थकना क्या जानें ? वह लक्ष्य भी महान है । शोषितों एवं पीड़ितों का उद्धार ही हमारा लक्ष्य है । उसमें हमारा अटल विश्वास भी है । फिर हम क्यों थकते ? बल्कि ऐसी बाधाओं से तो उल्टे हमारी हिम्मत और भी बढ़ती है । मगर उन लोगों का तो कोई महान् और पवित्र लक्ष्य था नहीं । फिर थकते क्यों नहीं ?

जब वे चुप हो गये तो हमें और भी हिम्मत हुई । फिर तो भी इन्दुलाल ने अपना लेक्चर तेज किया और धीरे धीरे उन लोगों को ऐसा बनाया कि कुछ कहिये मत । आखिर वह भी उसी खेड़ा जिले के ही रहने बाले ठहरे । कालोल के बहुतेरे लोग उनके ल्याग और उनकी जन-सेवा को खूब ही जानते हैं । वे गांधीजी के प्राइवेट सेकेटरी बहुत दिनों तक रहे हैं । उन्होंने उन्हें जन-सेवा के लिये उन्हें जन-सेवा के लिये

की सेवा के लिये समर्पित किया । यहाँ तक कि शादी भी न की । यह बात खेड़ा वालों से ही छिपी रहे यह कव्र संभव था ! यही बजह थी कि उनने विरोधियों की भीठे मीठे खूब ही मरम्मत की ।

फिर मेरा मौका आया । मैं खड़ा हुआ और भाषण का प्रवाह चला । मैंने देखा कि इन्हें कांग्रेस के ही मन्त्रियों और प्रस्तावों के द्वारा पानी पानी करना ठीक होगा । इसलिये कांग्रेस की चुनाव धोषणा, फैजपुर के प्रस्ताव और लखनऊ के प्रस्ताव का उल्लेख करके मैंने उन्हें बताया कि यदि वे कांग्रेस के भक्त हैं तो फौरन ही किसानों को कर्ज से और जमीदारों के जुल्मों तथा बढ़े हुए लगान के बोझ से मुक्त करना होगा । वे बेचारे क्या जानने गये कि प्रस्ताव क्या हैं और लीडर लोग कांग्रेस के मन्त्रियों के ही विशद् काम कर रहे हैं । उन्हें तो जैसा समझाया गया वैसा ही उनने मान के मुझे कांग्रेस का गांगी करार दे दिया ! मैंने उनसे कहा कि गुनाह कोई करे और अपराधी कोई बने । मैंने उन्हें ललकारा कि मेरी एक बात का भी उत्तर दे दें तो मैं हार जाने को तैयार हूँ । मैं तो धंटों बोलता रहा और वहाँ ऐसी शांति रही कि कुछ पूछिये मत । अब तो कोई चूँ भी नहीं करता था । मेरे बाद स्थानीय एक सज्जन भी बोले और सभा वर्खास्त की गई ।

पीछे तो 'सी सी' करने वालों को खूब ही पता चला कि वे धोखे में थे । जब मैंने न सिर्फ उनकी बल्कि उनके बड़े से बड़े लीडरों की भी खासी खबर ली तो आखिर वे करते भी क्या । दरअसल मध्यम वर्गीय लोगों को तो यों ही भटका के गुरुर्घंटाल लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं । वहीं मैंने प्रत्यक्ष देखा कि मध्यम वर्गीय लोग कितने खतरनाक और किस तरह वे पेंदी के लोटे की तरह इधर से उधर छुलकते हैं । पहले तो मेरे दुश्मन थे । मगर पीछे ऐसे सरके कि कुछ कहिये मत । चाहे जो हो पर उनके करते हमारी किसान-सभा की धाक खूब ही जमी ।

लखनऊ की कांग्रेस के बाद ही सन् १९३६ ई० में विहार प्रान्तीय वर्किंग कमिटी की मीटिंग थी। मैं भी मौजूद था। लखनऊ में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव किसानों की हालत की जाँच के लिये पाष किया था और प्रान्तीय कमिटियों से जाँच की यह रिपोर्ट माँगी थी कि विभिन्न प्रान्तों में किसानों के लिये किन किन सुधारों की जरूरत है जिससे उनकी तकलीफ घटें और उन्हें आराम मिले, उसी सम्बन्ध में यह खास मीटिंग हुई थी। उसी मीटिंग में किसान जाँच कमिटी बनानी थी। वह बनाई भी गई। बहुत देर तक विचार और वहस-मुवाहसा होता रहा। समझा ठढ़ी पेचीदा। इसीलिये कमिटी का काम आसान न था। अन्त में तथ पाया कि नौ मेम्बरों की कमिटी बने और जाँच का काम फौरन शुरू कर दे। तभी फैजपुर कांग्रेस के पहले ही दिसंबर आते आते रिपोर्ट तैयार हो सकेगी।

अब सवाल पैदा हुआ कि मेम्बर हों कौन कौन से ? यह तो जरूरी था कि विहार के सभी प्रमुख लीडर जो वर्किंग कमिटी में थे उसके मेम्बर बन जाते। हुआ भी ऐसा ही। मगर एक दिक्षित पेश हुई। मैं भी वर्किंग कमिटी का सदस्य था। साथ ही, किसानों के सम्बन्ध में मुक्ते ज्यादा जानकारी किसी और को थी भी नहीं। जाँच कमिटी में रहके किसानों से ऐसी बातें तो मैं ही पूछ सकता था जिनसे जमीदारों के ऐसे अत्याचारों पर भी प्रकाश पड़ता जो अब तक छिपे थे। कहीं क्या सवाल किया जाय और कब किया जाय इस बात की जानकारी सबसे ज्यादा मुक्ती यो थी। इतना ही नहीं। रिपोर्ट तैयार करने के उम्य में उसे किसानों के पहले में प्रभावित कर सकता था। मेरे न रहने पर तो शेष लोग वा तो जमीदारों के ही तरफदार होते, वा उदादे से ज्यादा दो भागिये हो सकते थे। मगर

किसानों की यदि कुछ भी भर्लाई करनी थी तो कुल नौ मेंवरों में एक का ऐसा होना अनिवार्य था जो किसानों की बातें ठीक ठीक जानता और उनकी सभी समस्याएँ समझता हो । कोई वजह भी न थी कि मैं जाँच कमिटी में न रहूँ । यह हिम्मत भी किसे हो सकती थी कि मुझे रहने से रोके । आखिर चुनाव में जो अगले साल शुरू में ही होने को था, किसान-सभा की सहायता भी तो कांग्रेस के लिये जरूरी थी । इसलिये भी मुझे रखना ही पड़ता ।

मगर मुझे क्या मालूम कि खुद बांध राजेन्द्र प्रसाद धर्मसंकट में पढ़े हूँबते उत्तराते थे । मैं तो समझता था, और दूसरे भी समझते थे, कि मुझे जाँच कमिटी में रहना ही है । दूसरी बात होई न सकती थी । लेकिन जब राजेन्द्र बाबू ने दबी जवान से कहा कि स्वामी जी के रहने पर जर्मीदार और सरकार दोनों ही कहेंगे कि जाँच कमिटी की रिपोर्ट तो दरअसल किसान-सभा की रिपोर्ट है, न कि कांग्रेस की । कहने के लिये भले ही उसकी हो, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि यह बया बोल रहे हैं । मगर उनने और भी कह डाला कि हम नहीं चाहते कि किसी को ऐसा कहने का मौका मिले । हम चाहते हैं कि सभी की नजरों में हमारी रिपोर्ट की कीमत और अहमियत हो । अब तो मैं और भी हैरान हुआ और उनसे पूछा कि आप वंया दलील दे रहे हैं । नौ में मैं ही अवेला किसान-सभा का ठहरा । बाकी तो खांटी कांग्रेसी हैं, जर्मीदार और जर्मीदारों के दोस्त हैं । फिर यह कैसे होगा कि उनकी कीमत न हो और अकेले मेरे ही करते आपकी रिपोर्ट किसान-सभा की बन जाय । खुद राजेन्द्र बाबू भी उसमें होंगे । तो क्या मेरे सामने उनकी भी कोई कीमत न होगी । क्या किसान-सभा का या मेरा इतना महत्व सरकार और जर्मीदारों की नजरों में बढ़ गया । मैं तो यह झुन के हैरान हूँ ।

मेरी इन बातों का उत्तर वे लोग क्या देते । आखिर कोई बात भी तो हो । और अगर किसान-सभा की या मेरी अहमियत इतनी मान लें, तो फिर कांग्रेस को क्या कहें । उसे तो उन्हें सबके ऊपर रखना था । फिर

दलीलों का जवाब देते हो क्या ? इसलिये यह कहना शुरू किया कि आपके रहने से रिपोर्ट सर्व सम्मत (punctaneous) न होगी और उसकी कीमत पूरी पूरी होने के लिये उसका सर्व सम्मत होना जरूरी है । इस पर मैं बोल बैठा कि आपने अभी से यह कैसे मान लिया कि रिपोर्ट ऐसी न होगी और उसमें मेरा मतभेद खामखाह होगा । मैं तो बहुत दिनों से वर्किंग कमिटी का मेम्बर हूँ और उसके सामने बहुत से पेचीदा प्रश्न आते ही रहे हैं । किसानों के भी कितने ही सवाल जब न तब आये हैं । मगर आप लोग क्या एक भी ऐसा मौका बता सकते हैं जब मेरा मतभेद रहा हो ? या जब मैंने अन्त में अलग राय दी हो ? यह दूसरी बात है कि बहस मुत्राहसे होते रहे हैं । तो भी अन्त में फैसला तो हमने एक राय से ही किया है । फिर भी यदि आप लोग अभी से यह माने बैठे हैं कि जाँच कमिटी की रिपोर्ट में मेरा रिपोर्ट खामखाह होगा, तो माफ़ कीजिये, मुझे कुछ दूसरी ही बात दीखती है । मैं हैरत में हूँ कि यह क्या बातें सुन रहा हूँ ।

एक बात और है । मान लीजिये कि मेरा मतभेद बाकी मेम्बरों से होगा ही । तो इससे क्या ? यह तो वरावर होता ही है । क्या सभी कमिटियों की रिपोर्टें एक राय से ही लिखी जाती हैं ? शायद निजानवे फीसदी तो कभी एक मत नहीं होती है । मुश्किल से बौ में एक रिपोर्ट ऐसी होती होगी । तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि शुरू में ही ऐसे लोग मेम्बर बनाये जायं जिनके विचार एक से ही हों ? उलटे हमने देखा है, हम वरावर देखते हैं कि ऐसी कमिटियों में खासकर अनेक खयाल के लोग ही रखे जाते हैं । बल्कि उनकी रिपोर्टें की ज्यादा कीमत, ज्यादा अहमियत इसीसे होती है कि अनेक मत के लोग उनमें थे । फिर भी आप लोग उल्टी ही बात बोल रहे हैं । आखिर आपकी यह जाँच कमिटी कोई निराली चीज़ तो है नहीं । फिर मैं यह क्या सुनता हूँ कि रिपोर्ट एक मत न होगी ?

अब तो किसी के बोलने के लिये और भी गुंजाइश न थी । सभी चुप थे । और लोगों की भवाभंगी से और खासकर राजेन्द्र बाबू के चेहरे से मुझे साफ साफ़ कलका कि उन लोगों पर कोई भारी आफत आ गई है ।

चे नहीं चाहते कि मैं जाँच कमिटी में रहूँ । मगर उसीके साथ उनकी दिक्षित यह है कि मुझे रखने के लिये मजबूर हो रहे हैं, जब तक कि मैं खुद रहने से इनकार न कर दूँ । मैं समझने में लाचार था कि ऐसा क्यों हो रहा है । मुझे क्या पता था कि उन लोगों के भीतर पाप भरा था कि न रिपोर्ट तैयार होगी और न छपेगी । सिर्फ चुनाव के पहले जाँच का ढकोसला खड़ा करके वे लोग किसानों को केवल ठगना चाहते थे कि बोट दें । यह भंडाफोड़ पीछे हुआ जब कि उनने रिपोर्ट का नाम ही लेना बन्द कर दिया । बल्कि जब मैंने पीछे उनकी यह हालत देख के फैजपुर में आल इंडिया कांग्रेस कमिटी में यह सवाल उठाया तो वे लोग बुरी तरह बिगड़ बैठे । मैंने वहाँ भी उन्हें फटकारा और ऐसा सुनाया कि बोलती ही बन्द थी ।

हाँ, तो यह हालत देखके मैंने खुद कहा कि यादि आप लोगों की यही मर्जी है तो लीजिये मैं खुद रहने से इनकार करता हूँ । क्योंकि देखता हूँ कि यदि ऐसा नहीं करता तो जाँच कमिटी ही न बनेगी और पीछे सब लोग मुझी को इसके लिये कसूरवार ठहराके खुद पाक बनने की कोशिश करेंगे । मगर मैं ऐसा नहीं होने दूँगा । इसलिये खुद हट जाता हूँ । लेकिन यह कैसे होगा कि आप लोग जोई रिपोर्ट चाहेंगे छाप देंगे और मैं मान लूँगा ? मुझे रिपोर्ट की तैयारी के पहले और छपने के पहले भी पूरा मौका तो मिलना ही चाहिये कि बहस करके सम्भव हो तो उसे कुछ दूसरा रूप दिला सकूँ । इस पर सभी एकाएक बोल बैठे कि यह तो होगा ही । जाँच के समय भी आप रह सकते हैं । मगर जाँच का काम पूरा होने और रिपोर्ट लिखने के पहले एक बार कमिटी आपसे सभी बातों पर काफी विचार कर लेगी और आपको पूरा मौका देगी कि उसे प्रभावित करें । फिर जब रिपोर्ट तैयार होगी तो छपने के पहले आपके पास उसकी एक कापी जल्द भेजी जायगी और यदि आप चाहेंगे तो कमिटी से फिर बहस करके उसमें रह-बदल करवा सकेंगे । इस पर मैंने कह दिया कि धन्यवाद ! मैं इतने से ही संतोष कर लेता हूँ । तब कहीं जाकर रजेन्ड्र बाबू और दूसरों का धर्म संकट उला ।

अब एक दूसरा सवाल पैदा हुआ । जितने मेम्बर नुने गये उनमें पटना और शाहबाद जिलों के एक भी न थे और किसानों के प्रश्नों के ख्याल से ये जिले बहुत ही महत्व रखते हैं । सच बात तो यह है कि मैं इस सवाल को न तो उसी समय समझ सका और न अब तक समझ पाया हूँ । यदि सभी जिलों के मेम्बर न होंगे तो उससे क्या ! मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ कि अपने जिले की किसान समस्याओं की पूरी जानकारी शायद किसी को आज तक भी हो । जानकारी तो उन्हें हो जो उसमें दिलचस्पी रखते हों और उसकी टटोल में बराबर रहते हों । इधर किसी को न तो इसकी पर्वा है और न इसके लिये फुर्सत । फिर इस सवाल से क्या भलब १ विहार के कुल सोलह जिलों को मिलाकर जब सिर्फ नौ मेम्बरों की ही जाँच कमिटी बनी तो यह सवाल उठता ही कैसे कि फला जिले का कोई नहीं है ? हाँ, किसी का नाम कमिटी के मेम्बरों में होने से अखबारों में छपे और वह इस प्रकर नामवरी हासिल करे यह बात जुदा है और अगर इस दृष्टि से पटना शाहबाद से किसी को देना हो तो हो ।

खैर, कुछ देर के बाद किसी ने कहा कि बाबू गंगाशरण सिंह पट्टने के ही हैं । उन्हें क्यों न दिया जाय १ इस पर प्रायः सभी बोल बैठे कि ठीक है, ठीक है । अन्त में तथ भी पा गया कि वह भी एक मेम्बर रहें और वह तथा बाबू कृष्णबल्लभ सहाय—दोनों ही—जाँच कमिटी के संत्री हों । मैं चुपचाप बैठा आश्चर्य में ढूब रहा था । बाबू गंगाशरण सिंह न सिर्फ विहार प्रान्तीय किसान कौंसिल के मेम्बर थे, बल्कि विहार प्रान्तीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की कौंसिल ऑफ ऐक्सेन के भी सदस्य और पक्ष सोशलिस्ट माने जाते हैं । मैं तो जाँचे कमिटी में इसलिये खतरनाक माना गया कि किसान सभावादी हूँ । मगर सोशलिस्ट लोग तो ठेठ कांति तक पहुँच जाने वाले माने जाते हैं । वह तो कांति से नीचे की बात करते ही नहीं । फिर भी गंगा बाबू, बाबू राजेन्द्र प्रसाद और उनके साथियों को न सिर्फ कबूल थे, बल्कि उन लोगों ने खुद उनका नाम पेश किया । यह एक निराली बात थी

कि सोशलिस्ट तो कबूल हो, मगर मेरे जैसा आदमी, जो सोशलिस्ट बनने का दावा कभी नहीं करता, कबूल न हो। यह मेरा आश्चर्य आज तक बराबर बना है। इतना ही नहीं जब मैंने सोशलिस्ट नेता जयप्रकाश बाबू से यह चर्चा की तो उनने खुद कहा कि गंगा बाबू तो सोशलिस्ट भी हैं, तब कैसे कबूल हो गये ? इसीलिये यह सावल आज भी ज्यों का त्यों बना है और कौन कहे कि कब तक बना रहेगा ?

हजारीबाग जेज़ में इस बार हमें जो वर्णनायें मिलीं वह भी काफी मजेशार हैं। हमें कुछ ऐसे गांवीवादी यहाँ मिले जो हिटलर की जीत से केवल इसलिये खुश होते थे कि वह हिन्दुस्तान पर चला आयेगा और इस प्रकार किसान-सभा और मजदूर-सभा का गला धोंड देगा। सोवियत लुस पर होने वाले उसके आक्रमण से तो वे लोग और भी ज्यादा खुश थे। वह यहाँ तक बढ़ गये थे कि सोवियत की हार अब हुई, तब हुई ऐसा कहने लगे थे। भारत में हिटलर के पदार्पण से उनकी वया हालत होगी यह बात भी शायद वह सोचते हों, मगर वया सोचते थे यह हमने न जाना। किसान आन्दोलन खत्म हो जायगा। उन्हें इसी की खुशी थी। यदि वे खुद भी उसीके साथ खत्म हो जायं तो भी उन्हें पर्वा न थी। फिक उन्हें शर्गर कोई दिखी तो यही कि किसान-सभा कैसे मिटेगी। वेराक उनमें कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो स्वराज्य लेना नहीं चाहते थे, किन्तु उन्हें चिन्ता थी उसके बचाने की। उनके जानते उनका अपना स्वराज्य तो हर्दै। जर्मीनीय बड़ी है और रुपये वैसे भी काफी जमा हैं। ठाठ-बाट और शान-बान भी पूरी हैं। किसानों पर रोब भी खूब ढाँडते हैं। फिर और स्वराज्य कहते हैं किसे। उनने तो स्वराज्य का यही मतलब समझा है। उन्हें भय है कि उनका यह स्वराज्य कहीं किसान और पीड़ित लोग छीन न लें, इसीलिये कांग्रेस और गांवी जी की दुम पकड़ के वे इस बला से पार होने के लिये यहाँ पधारे थे। क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यहाँ आ जाने पर उनके स्वराज्य की रक्षा गांवी जी और कांग्रेस—शैनों ही—डीक वैसे हो करेंगे जैसे हिन्दुओं की गाय की दुम उन्हें वैतरणी में छूकने से बचाती है।

मगर उनमें जो जर्मीनीय या मालदार न थे उनको इस मनोवृत्ति पर इसें तर्स आया और हँसी भी आई। हिटलर के पदार्पण से उन्हें अपना

स्वराज्य कैसे मिलेगा यह समझ में न आया । शायद उन्हें अपने स्वराज्य की पर्वा कर्तव्य थी नहीं । कदाचित् जेल आये थे वे इसीलिये कि उनकी लीडरी खतरे में थी—छिन जाती । अगर उसे उनने बचा लिया तो यही क्या कम है ? उसीसे कमा खायेंगे । आज लीडरी भी एक पेशा जो बन गई है । मगर, अगर हिटलर के आ जाने से वह लीडरी भी छिन जाय, तो छिन जाय बला से । उसीके साथ विस्तार-सभा भी तो खत्म होगी । बस, इतने से ही उन्हें सन्तोष था । इसे ही कहते हैं “आप गये और धालहिं आन्हिं” या “दुश्मन की दोनों ओर से फोड़ने के लिये अपनी एक फोड़ लेना !” हमें तो साफ ही मालूम हुआ कि बांग्रेस एक अजायबघर या चिरांदियाखाना । (Museum or Zoo) है जिसमें रंग-विरंगे जीव पाये जाते हैं ! गुलाम भारत की विक्रट परिस्थिति के चलते ही उसकी स्थिति है । क्योंकि राष्ट्रीय संस्था के अलावे और कोई भी संस्था अंग्रेजों का मुँहतोड़ दे नहीं सकती, उनसे सफलतापूर्वक लोहा ले नहीं सकती । इसीलिये बांग्रेस को हर हालत में मजबूत बनाना हर विचारशील माननीय का फर्ज हो जाता है । अंग्रेजों सरकार की मनोवृत्ति और सलूक उसे लड़ने को विवश भी करते हैं । यही है परिस्थिति वश कांग्रेस की विलक्षणता और मान्यता । मगर उसमें रंग-विरंगे जीव तो हैं ।

हजारीबाग जेल में रोनाना दस आना मिलता है खुराक के लिये । कपड़े-लत्ते दूध-ब्रश, पाउडर, साबुन वरौंह श्रलग ही मिलते हैं । इतने पर भी एक ‘टुट्पुँजिये’ जर्मीदार महोदय को तमक के कहते पाया कि “वष मोगने के लिये तो हम जर्मीदार लोग हैं और स्वराज्य लेने या जर्मीदारी मिटाने की बात किसान करते हैं । देखिये न, यह कितनी अन्वेर है !” क्या खूब ! वे हजरत इतने कष में थे कि कुछ कहिये मत । दस आने हजम करने में वया कम कष है ? और ये पाउडर, ब्रश आदि ? इनका प्रयोग तो उन्हें बाहर शायद ही कभी मुश्तक पर हुआ हो । इसलिये इसके भी उन्हें कफी कष था । प्रतिदिन दस आना खामखाह हजम करना यह तो आफूत ही थी । यदि कभी कम-बेश होता तो एक बात थी । मगर रोज़

ही पूरे दस आने ! यही तो गजब था ! पता नहीं, छूटने के दिन वे ३०—४० पौंड वजन में बढ़े हुए गये था कि कुछ कम ! उनके बारे में हमें केवल इतना ही कहना है कि किसानों ने उन्हें कभी नहीं कहा था कि जेल के ये कष्ट वे भोगें । वे तो खुद आये थे । फिर किसान उनके साथ क्यों रिआयत करेंगे, यही समझ में न आया । दरअसल बात तो कुछ दूसरी ही थी । वह तो पहले समझते थे कि स्वराज्य होगा किसानों और जर्मांदारों के साझे का, और बैंटवारे के समय हम किसानों को खाले के छोटे भाई की तरह ठग लेंगे । मगर किसान-सभा ने इस बात का पर्दाफ़ाश कर दिया और कह दिया है कि साझे का स्वराज्य होई नहीं सकता । बस, इसीसे उन्हें क्रोध था ।

कहते हैं कि किसी गाँव में दो भाई खाले साथ ही रहते और कमाते खाते थे । वड़ा भाई था काफी चालाक । कमाता वह था नहीं । कमाते कमाते मरता था छोटा भाई ही । मगर खान-पान में वड़ा आगे ही रहता था । फिर भी छोटे को पर्वा न थी । मगर यह बात आखिर चलती कब तक ? अन्ततोगत्वा एक दिन छोटे को भी गुस्सा आया और उसने कहा कि हमें जुदा कर दो, साथ न रहेंगे । बड़े ने पहले तो काफी कौशिश की कि यह बात न हो । मगर छोटे को जिद्द थी । इसलिये लाचार सभी चीजों का बैंटवारा करना ही पड़ा । और चीजों में तो कोई दिक्षत न थी । मगर दस-पन्द्रह सेर दूध देने वाली ताजी व्याई एक भैंस थी । उसका बैंटवारा कैसे हो, यह बात उठी । लोटा-थाली हो तो एक एक बाँट लें । अब और पैसे आदि में भी यही बात थी । मगर भैंस तो एक ही थी । दो होतीं तो और बात थी । अब क्या हो ? दोनों को कुछ सूझता न था । अक्षु के पूरे तो वे ही बड़े हजरत । उनने रास्ता सुझाया । भैंस का आधा भाग तुम्हारा और आधा हमारा रहे, जैसे घर में आधा आधा दोनों ने लिया है । छोटे ने मान लिया । अब सबाल उठा कि भैंस का कौन हिस्सा किसे मिले ?

यहाँ पर बड़े भाई ने चालाकी की और छोटे से कहा कि देखो भाई, द्वारें मैं बहुत मानता हूँ । इसीलिये चाहता हूँ कि यहाँ भी तुम्हें अच्छा

ही हित्ता दूँ । यह तो जानते ही हो कि मैंर का मुँह कितना चुन्द्र है, इकिर प्रकार पगुरी करती है । उसकी सींगें कितनी चमकीली और नुड़ी हुई हैं, कान, आँख वडौरह भी देखते ही बनते हैं । विररीत इसके चूदड़ का हित्ता कितना गल्ला है । उस पर बराबर गोवर-मूत लगा रहता है जिसे रोज बोना पड़ता है । मैंर तार बार गोवर-मूत निकालती ही रहती है । अबर एक दिन उसे उठाके न फैक्टे तो रहने की लगइ नर्क ही हो जाय ! लेकिन दुर्घारे करते मैं लाचार होके उसका मिछला हित्ता ही लूँगा और गोवर-मूत फेकूँगा । तुम्हें अगला भाग देता हूँ । बर, बँटवारा हो गया । खुश हो न । छोटे ने हाथी भर दी ।

अब तो ऐसा हुआ कि छोटा भाई रोज मैंर को खूब खिलाता मिलाता और बड़ा धीरे से दोनों समय उसका दूध निकालता और मजा करता । वह चात कुछ दिन चलती रही । छोटे को इस बीच दही, दूध कुछ भी देखते तक को न मिला । कभी कभी वह बढ़ता था जल्लर । मगर सीधा तो था ही । अतः संतोष कर लेता कि क्या किया जाय । बँटवारा जो हो गया है । उस, फिर काम में लग जाता था । इस प्रकार मिहनत करते करते मरता था वह और मजा मारता था बड़ा । कितना चुन्द्र न्याय या ! कैसा चुन्द्र प्रेम वडे ने छोटे भाई के प्रति दिखाया । उसके सीधे मन से उसने कैचा बेजा नफा उठाया । मगर वह अन्वेर दिक न उकी । डिकती भी न्यो ।

एक दिन छोटे भाई का परिचित कोई चवाना आदमी उसके घर आया । छोटे ने उसका आदर-चत्कार किया । भोजन भी अच्छा खिलाया । मगर दही-दूध नदाद ! आगन्तुक को ताजहुब हुआ कि हाल की व्याई चुन्द्र मैंर दरबाजे पर बँधी है । दूध भी काफी देती होगी । यह शुरु होग चचा दोत भी है । फिर भी नुक्के इचने न दूध दिया और न दही । मैंने गौर करके देखा तो इसके घर में ये चैक्जे नजर भी न आईं । यह क्या चात है ? उसने छोटे से यही सवाल किया भी । उसने उच्चर दिया कि चों तो चंहीं है । मैंर तो है । नगर बँटवारे में नेरे पहले उसका अगला

हिस्सा जो पड़ा है पिछला तो मैशा का है । फिर मैं दूध पाता तो कैसे ? हाँ, सोंग वरौरह की सुन्दरता से सन्तोष करता हूँ । गोवर-मून से भी ब्रह्मता हूँ । यही क्या कम है ? मैशा ने बड़ी कृपा करके मुझे अगला भाग ही दिया है । भाई हो तो ऐसा हो । इतने से ही आगन्तुक ने समझ लिया कि इसमें चाल क्या है ।

उसने छोटे भाई से कहा कि तो फिर बड़ा भाई भी दूध क्यों निकाल लेगा है ? यदि तुम अगले हिस्से को खिजाते-पिलाते हो तो वह भी पिछले हिस्से का गोवर-मूत फेंके । यह क्या बात है कि तुम तो कमाते और खिजाते खिलाते मरो और वह मजा चखे । जब एक काम तुम करते हो तो वह भी एक ही करे । मैंस के दुह लेने का दूसरा काम वह क्यों करता है ? उसे जाके रोकते क्यों नहीं हो ? आखिर दोनों को पूरा पूरा काम करना होगा । क्योंकि हिस्सा तो ब्राह्म ही है न । उसका यह कहना या कि उस सीधे भाई के समझ में बात आ गई । आगन्तुक ने इसके पहले जो दूध के बैठवारे आदि की बातें कही थीं वह उसके दिमाग में नहीं धूँसी और नहीं धर्सां । हालाँकि बातें थो सही । हमने देखा है कि कितान ही जोत-बो के फसल पैदा करते हैं । मगर जब तक जमीदार हुड्डम न दे एक दाना भी नहीं छूते और गुण्डों को तथा बाज़-बच्चों को भी भूखों मारते हैं । यदि उनसे कहिये कि ऐसा क्यों करते हो ? खाते-नोते वहों नहीं हो ? तो बोल बैठते हैं कि राम राम, ऐसा कैसे होगा ? ऐसा करने से पाप होगा । जमीदार का उसमें हिस्सा जा है । चाहे हजार माघापञ्ची कोजिये कि जमीदार तो कुछ करता-धरता नहीं । जमीन भी उसकी ब्राह्म न होके भगवान या प्रकृति की है । इस पर न जाने कितने मालिक बने और गये । जोई बली होता है वही जमीन पर दखल करता है—“वीर भोग्या बसुन्धरा ।” मगर उनके दिमाग में एक भी बात बुझती नहीं और यह धर्म, पाप और हिस्से का भूत उन्हें सताता ही रहता है । यही हालत छोटे भाई की भी थी । और जैसे सीधी बात उसके दिल में धूँस गई उसी तरह सीधी बात किसानों को भी ज़ँच जाती है ।

फिर तो वह दौड़ा दौड़ाया बड़े भाई के पास फौरन गया और ऐन मैंच दुहने के समय उससे कहने लगा कि आप यह ज्यादा काम करते हैं। एक काम मेरा है मैंस के खिलाने का। एक ही आपका होना चाहिये उसके गोवर्नर-मूर्त को चाफ करने का। फिर यह दूसरा काम आप क्यों कर रहे हैं? पहले मैं यह समझ न सका था। अभी अभी यह बात मैंने जानी है। इसलिये आपको यह काम करने न दूँगा। नहीं तो सुन्ने एक काम इसके बदले में दीजिये।

इस पर बड़ा भाई घबराया सही। लेकिन चोच के बोला कि पिछला आधा मार भेरा है और अगला आधा तुम्हारा। अपने अपने मार में जिसे लो करना है करे। इसमें रोक-टोक का शब्द सबाल । काम का बँटवारा तो नहीं है। यहाँ तो मैंच का बँटवारा है और उसके दो हिस्से किये हैं। यदि तुम खामखाह काम ही चाहते हो तो मैंच के मुँह और आँखों पर तेल-बैल लगाया करो और सींगों पर भी। या जब मैं इसे दृष्टा हूँ तो इसके मुँह पर से मनिखर्याँ और मच्छर बगैरह हाँका करो। इस, और ज्यादा चाहिये ज्या?

इस पर छोटा भाई निश्चर होके चला गया और आगन्तुक ते सारी बात उसने कह सुनाई। इस पर आगन्तुक ने कहा कि घबराओ मत। अभी काम हुआ लाता है। अगले हिस्से के लिये जो काम उसने बताया है वह तो उसीके फायदे का है। इससे तो दूब निकालने में उसे और भी आसानी होगी। लेकिन जब उसने मैंस को दुहने का काम शुरू किया था तो तुमने पूछा तो या नहीं कि यह काम करूँ या न करूँ। पिछला मार उसी की होने के कारण उसने उस पर जो काम चाहा किया। दुहने से उसे फायदा होता है। इसलिये वही काम करता है। ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने फायदे का काम अगे के मार में करो। उससे पूछने की क्या बात?

इस पर छोटे ने पूछा कि अच्छा आप ही बताइये कि किस काम के करने से मेरा फायदा होगा? उसने उत्तर दिया कि ज्योही वह हजरत दूर्दृढ़े ल्योही मैंस के मुँह पर बड़ाबड़ा लाठियाँ लगाने होंगी। इससे मैंड

भड़क के भाग जायगी और वे हजरत दूध निकला न सवेंगे । यह बात छोटे को पसन्द आई और उसने फौरन 'अच्छा' कह दिया । इसके बाद भैंस दूहने के समय घर लाठी लिये तैयार बैठा रहा और ज्योंही बड़े भैया दूहने की तैयारी करने लगे कि उसने दौड़ के उसके मुँह पर तड़ातड़ लाठियाँ बरसानी शुरू की । बड़े साहब हैरत में थे और जब तक "हैं, हैं" करके उसे रोकने की कोशिश करें तब तक भैंस जाने कहाँ भाग गई । बड़े भैया को इसके रहस्य का प्रता न लगा । उनने छोटे से पूछा तो उत्तर मिला कि मुँह तो मेरे हिस्से का है न ? फिर उस पर मैंने जो चाहा किया, जैसा आपने अपने हिस्से पर मन चाहा अब तक किया है । फिर 'हैं हैं' करने या बिगड़ने का क्या सवाल ? बड़े भाई ने समझा कि यह सनक तो नहीं गया है । उसने छोटे को समझा खुभा के तथा हिंसा करने और भैंस को कष्ट देने को अनुचित बता के उसे टंडा किया । उसने समझा कि अब आगे ऐसा न करेगा । मगर दूसरे समय ज्योंही दुहना शुरू हुआ कि उसने फिर जहाँ लाठीकांड शुरू किया । पूछने पर जबाब भी वही दिया ।

अब तो बड़े भैया की पिलही चमकी । उनने सोचा कि हो न हो दाल में काला अवश्य है । इसे कोई गहरा गुरु मिल गया है । नहीं तो यह तो भोला-भाला आदमी है । खुद ऐसा कभी नहीं करता । और जब उसने अच्छी तरह पता लगाया तो मालूम हो गया कि छोटे भाई का कोई काइयाँ दोस्त आया है जिसने उसे यह बात सुझा दी है । अब वह बिना आधा दूध लिये नहीं मानने का । अब मेरी दाल हर्गिज न गलेगी । इसलिये हार कर उसने छोटे भाई से कहा कि क्यों तूफान करते हो ? भैंस भी खराब हो रही है और दूध भी किसी को मिल नहीं रहा है—न तुम्हें और न मुझे । जाओ आज से जितना दूध होगा उसका आधा तुम्हें जरूर बाँट दिया करूँगा । तुमने मुझसे यही बात पहले ही क्यों न कह दी कि आधा दूध चहते हो ? मैं उसी समय तुम्हारी बात मान लेता ।

इस पर छोटा भाई खुशी खुशी अपने मित्र के पास गया और उससे उसने कह सुनाया कि आपका बताया उपाय सही निकला । अब हमें रोज

आधा दूध दुहने के बाद ही मिल जाया करेगा । आपका उपाय तो बहुत ही सुन्दर और आसान निकला । यह सुन के मित्र को भी खुशी हुई कि उस बैचारे का लुटा-लुटाया हक मिल गया ।

किसान-सभा ने भी ठीक इसी तरह आसान उपाय किसानों को बता दिया है जिससे अपनी कमाई को पा सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें । जर्मीदार इसीलिये सभा से घबराते हैं और उसे कोसा करते हैं । वह तो साफे वाली भैंस की तरह "साफे का स्वराज्य चाहते थे, जिसमें पीछे चल के किसानों को वैसे ही ठग सकें जैसे छोटे भाई को बड़े ने मीठी मीठी बातों से ठग लिया था । किसान-सभा ने इसी ठगी से किसानों को पहले ही से आगाह कर दिया है । उसने कह दिया है साफ साफ, कि साफे का स्वराज्य धोखे की चीज होगी । खबरदार, किसान और जर्मीदार का स्वराज्य साफे का या एक नहीं हो सकता है । वह तो जुदा जुदा होगा । जो किसान का होगा वह जर्मीदार का नहीं और ज जर्मीदार का होगा उससे किसान कत्ल हो जायेगे, जैसा कि भैंस के बारे में साफ देखा गया है ।

जर्मीदारों और उनके दोस्तों को इस बात का मलाल है कि किसान अब चेत गये हैं । वे यह बात मानने को तैयार नहीं कि जर्मीदारों और उनके दोस्तों की मद्द से किसानों को स्वराज्य मिलेगा । वह तो मानते हैं कि अपने ही त्याग और परिश्रम से किसान-राज्य कायम होगा । यही कारण है कि जेल में पढ़े पढ़े वह दुर्घट्याजिये जर्मीदार साहब उन पर कुद्रते थे ।

जेल में हमें और भी कई मजेदार बातें देखने को मिलीं। किसान-सभा-वादियों को तो यह पक्षी धारणा है कि किसानों की आर्थिक लड़ाई के जरिये ही उनके हक उन्हें दिलाये जा सकते हैं। उनका स्वराज्य भी इसी तरह आयेगा। वह यह भी मानते हैं कि किसानों के बीच जहाँ धर्म-वर्म का नाम लिया कि सारा गुड़ गोब्र हो गया। धर्म के मामले में जिसे जो करना होगा करेगा, या नहीं करेगा। यह तो हरेक आदमी की व्यक्तिगत बात है कि धर्म माने या न माने और मानेतो कौन सा धर्म और किस प्रकार माने। मन्दिर, मस्जिद या गिर्जे में जायगा या कि न जायगा यह फैसला हरेक आदमी को अपने लिये खुद करना होगा। किसान-सभा इस मामले में हगिंज न पड़ेगी। वह इससे कोसों दूर रहेगी। नहीं तो सारा गुड़ गोब्र हो जायगा। हम किसनों और मजदूरों या दूसरे शोषितों की लड़ाई में पंडित, मौलवी और पादरी की गुंजाइश रहने देना नहीं चाहते। हमें ऐसा मौका देना ही नहीं है जिसमें वे लोग किसानों की बातों में “दाल-भात में मूसरचन्द” बनें। नहीं तो बना बनाया काम विगड़ जायगा। क्योंकि धर्म की बात आते ही किसान-सभा वालों को बोलने का हक रही न जायगा और पंडित, मौलवी आ टपकेंगे। धर्म उन्हीं के अधिकार की चीज जो है। वहाँ दूसरों की सुनेगा भी कौन?

इस बात का करारा अनुभव हमें इस बार जेल में हुआ। जो लोग गांधी जी के नाम पर ही जेल आये थे और अपने आप को पक्के गांधीवादी मानते थे उन्हीं की हरकतों ने हमें साफ सुझा दिया कि आजादी के मामले में लड़ाई लड़ने वाले लोगों के सामने हर बात को धर्म के रूप में बार लाके गांधी जी मुल्क का कितना बड़ा अद्वित कर रहे हैं। राजनीति में धर्म का चाहे किसी भी ऊँचे से ऊँचे और आदर्श रूप में भी मिला देने से कितना अनर्थ हो

संकेत हैं यह हमने चाफ़ देखा । राजनीति वा रेवी के प्रश्न का कोरी दुनियावी चीज़ मानना कितनी अच्छी चीज़ है यह हम बखूबी देख पाये ।

चन्द्रार्थ जिले के नेइसी धाने के एक चुरलानान सजन सत्याग्रही के लिये मैं ही जैल पधारे थे । नीचे से ऊर तक खाद्यमय दिखे । तीव्रे चादे आदनी थे देखने से मालूम होता था कोई पक्का देहती है । बोतो और कुर्ते के साथ गांधी दोगे बराबर ही नजर आती थीं । हनने राँच छे नहींने के दर्दनान उनका ऊर गांधी दोनी से दूता कभी न देखा । एक बार तो यहाँ तक झुना कि उनने जैल के कपड़े लेने से इनकार कर दिया । तिर्फ़ इतीलिये कि वे खादी के न थे । हालाँकि गांधी जी का हुआ है कि जैल में खादी का आग्रह न करके जो कपड़े निलें उन्हीं कों कटूल करना होगा । जब चन्द्रार्थ के प्रसुख गांधी खादी नेता ने उन्हें यह बात समझाई ही तो उनने उत्तर दिया कि आप और गांधी जी चर्नर्थ हैं । इतीलिये चाहे जो कपड़े बहने नगर मैं तो ना चौंक़ूँ । किर मुक्ते कैरी ऐरी उम्मीद करते हैं । पछे उनने जैल के कपड़े भजबून लिये दिये । नगर वे कितने पक्के गांधी भक्त हैं इसना पूरा उद्घृत इससे मिल जाता है । नमाजी तो वे रक्ते हैं यह उनने देखा है । गांधी जी तो धर्म पर जोर देते ही हैं । किर वे ऐसे हाते बढ़ों नहीं । मगर धर्म की बात कैसी अच्छी है इसका भी प्रमाण इन्हींने मिल जाता है कि जब उनने धर्म दुष्टी से एक द्वार खादी पहन ली, तो किर गांधी जी का हजार दुहाई देने पर भी वे दूसरा कपड़ा लेने को तब तक राजी न हुए जब तक मजबूर न हो गये । राजनीति में धर्म को छुतेड़ने वाले गांधी जी का भी इससे सीखना चाहिये कि वह उनकी बात भी मानने को तैयार न थे । उनने एक ऐसा अल्प धर्म के नाम पर अपने अनुयायियों को दे दिया है कि खुद उनकी बातें भी वे लोग नहीं मानते और दलील देते हैं धर्म की ही । यह दुष्टारी तजवार देनों और चलती है यह गांधी जी याद रखें । उन हजरत की तो मोर्य दलील यही थी कि जब एक चार खादी की पहनना धर्म हो गया तो किर उसका त्याग कैसे उचित होगा । गांधी जी को यह भी न भूलना चाहिये कि आप लोग ऐसे ही होते हैं गांधी जी की बुद्धि चब को तो होती नहीं कि धर्म की पैचीदगिर्य

समझ सकें । इसलिये यह बड़ी खितानक की चीज हैं, खासकर दुनियावाली और राजनीतिक मामलों में ।

अच्छा आगे चलिये । वे हजरत ज्योही हजारीबाग जेल में आये उसके एकी दो दिनों बाद एक मुसलमान सजने ने उनके बारे में मुझसे आके कहा कि एक मुसलमान आये हैं । उनने गोदाम में मुझे देखते ही आत्मर भाव से कहा है कि भई, मुझे भी मुसलमान के हाथ का पकाया खाना खिलाओ । इतने दिनों तक तो मैं फज फून खाते खाते घबरा गया हूँ । सभी लोग तो हिन्दू ही मिले । फिर उनके हाथ की पकाई चीजें खाता तो कैसे खाता ? तुम मुसलमान हो और अपना खाना अलग पकवाते हो । इसलिये मुझे भी उसी में शामिल करलो तो मैं बहुत ही उपकार मानूँगा, आदि आदि । जिस मुसलमान ने मुझसे ये बातें कहीं वह भी उनकी बातें सुनके हैरत में था । हैरत की बात भी थी । यह बात आमतौर से यहाँ देखी गई है कि कुछेक को छोड़ सभी हिन्दुओं को मुसलमानों के हाथों पकी चीजें खाने में कोई उज्ज्वल नहीं हुआ । कहियों ने तो खामखाह मुसलमान पकाने वाले रखे हैं । इसलिये उनकी बातों से चौकने का पूरा मका था । मगर मैं सुनके हँसा और फैरन समझ गया कि हो न हो वह धर्म महाराज की महिमा है । खैर, वह मुसलिम सजन उस मुसलमान के चौके में ही कई साथियों के साथ बहुत दिनों तक खाते रहे वह मैंने अपनी आँखों देखा ।

अब एक दूसरी ऐसी ही घटना सुनिये । वही असेम्बली के एक हिन्दू जर्मनीदार मेम्ब्र भी इसी जेज में थे । पहले तो मुझे कुछ पता न चला । मगर पीछे कई बातों के सिलसिले में पता चला कि यदि मुसलमान उनकी खाने पीने की चीजों के पास चला जाय या छू दे तो वह उन्हें खाते नहीं थे । वे अपना खाना एक आदमी के साथ अलग ही पकवाते थे । कहने के लिये कट्टर गांधीजीदी । गांधी जी के विरुद्ध एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं । किसान-सभा या समाजवाद के भी ऐसे दुश्मन कि कुछ कहिये मत । नगर धर्म के भक्त ऐसे कि मुसलमान के स्तर से हिचक ! मुसलमान की छाया

से उनका खाना अपवित्र हो गया । मेरे लिये यह समझना गैरसुमिक्षिया । मैं भी खुद बना के खाता हूँ और छूआ-छूत से परहेज करता हूँ खाने पीने में । मगर इसका यह अर्थ नहीं कि किसी मुसलमान, ईसाई या अस्पृश्य कहे जाने वाले के स्पर्श से 'खाद्य पदार्थों' को अखाद्य मान लेता हूँ । मेरी छूआ-छूत का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है । यदि कभी कोई मुसलिम या अछूत मेरी रोटी, मेरा भात छूदे तो भी मैं उसे खा लूँगा । मगर सदा ऐसा नहीं करता । वह इसलिये कि आमतौर से लोगों की भीतरी और बाहरी शुद्धि के बारे में कहाँ ज्ञान रहता कि कौन कैसा है । किसने धृणितम काम किया है या नहीं कौन कैसी संक्रामक बीमारी में फैसा है या नहीं यह जाना नहीं जा सकता । इसीलिये साधारणतः मैं किसी का छूआ हुआ नहीं खाता हूँ, जिसे बखूबी नहीं जानता । यही मेरी छूआ-छूत का रहस्य है ।

मगर उन गांधीवादी महोदय को मैं खूब जानता हूँ । वह इस तरह की छूआ-छूत नहीं मानते हैं । उनके लिये ऐसा मानना असंभव भी है । उनकी छूआ-छूत तो वैसी ही है जैसी आम हिन्दुओं की । जब एक मुसलिम सजन ने मौलवी ने जो मेरी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं उन्हें पकड़ा तो वे हजरत मेरा दृष्टांत देके ही पार हो जाना चाहते थे । मगर मौलवी ने उनकी एक न चलने दी और आखिर निरक्तर कर दिया ।

एक तीसरी घटना भी सुनने योग्य ही है । जोल में कुछ प्रमुख लोग श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को धार्मिक ढंग से मनाने की तैयारी कर रहे थे । उसमें शामिल तो सभी थे एक मुक्को छोड़ के । क्योंकि मैं कृष्ण को धर्म की कट्टरता से कहीं परे और बाहर मानता हूँ । मेरे जानते वह एक बड़े भारी जन-सुधारक और नायक थे । उन्हें या उनकी गीता को धार्मिक जामा पहनाना उनकी महत्ता को कम करना है । वह और उनकी गीता सार्वभौम पदार्थ है । इसीलिये मैं उन्हें धार्मिक रूप देने में साथी बनना नहीं चाहता । इसीसे उस उत्सव से अलग रहा । कोई दूसरा कारण न था । मगर और लोग तो शरीक थे ही ।

जिन मौलवी साहब का ज़िक्र अभी किया है उन्हीं को दो एक प्रमुख

लोगों ने उस उत्सव में निर्मनित किया कि कृष्ण के बारे में उनका कुछ प्रवचन हो । मौलवी साहब ने कबूल भी कर लिया । कुछ दिन पहले जब हजरत मुहम्मद साहब का जन्मोत्सव मुसलमानों ने मनाया था तो उनने सभी हिन्दुओं को बुलाया था । कइयों ने उनके जीवन पर कुछ प्रवचन किया भी था । इसलिये इस बार मौलवी साहब का बुलाया जाना और उनका कबूल करना इस खयाल से भी मुनासिब ही था । लोग कहते हैं कि दोनों के धार्मिक उत्सवों में अगर दोनों ही योग दें या दिल से शरीक हों तो धार्मिक झगड़े खुद मिट जायें । वात चाहे कुछ भी हो । लेकिन कांग्रेसी लोग ऐसा जरूर मानते हैं । इसलिये तो जन्माष्टमी में मौलवी साहब का शामिल होना गौरव की बात थी, खुशी की चीज थी ।

मगर इस बात में कई सत्याग्रही हिन्दू सख्त विरोधी हो गये । उनमें एकाध तो निहायत सीधे और अनजान थे । मगर दो एक तो ऐसे थे कि दिन रात गांधी जी की ही दुश्माई देते रहते हैं । सबसे मजे की बात यह थी कि जिन जर्मांदार गांधीवादी की बात खाने-पीने के बारे में अभी कह चुके हैं वह इस बात के सख्त विरोधी थे कि मौलवी साहब उसमें शामिल हों या कुछ भी बोलें । कृष्ण के बारे में मौलवी साहब को बोलने देना वे हर्गिज नहीं चाहते थे और इस बात पर उनने घुमा-फिरा के चालाकी से बहुत जोर दिया । साफ तो बोलते न थे कि धर्म की बात है । क्योंकि इसमें बदनाम जो हो जाते । इसलिये घुमा-फिरा के बराबर कहते फिरते थे । उन्हें बड़ी तकलीफ हुई । जब उन्हें पता लगा कि मौलवी गये और बोले भी । उनने पीछे उलाहने के तौर पर कहा कि आखिर आप गये और बोले भी ? माना नहीं ! एकाध को तो यहाँ तक साफ ही कहते चुना कि धर्म ही चौपट हो गया ।

मगर ये सभी घटनायें बाजिब हुईं, इस मानी में कि जब धर्म की ही छाप हमारे सारे राजनीतिक और आर्थिक कामों पर लगी हुई हैं तो दूसरी बात होई कैसे सकती है ? गांधी जी चाहे धर्म की हजार व्याख्या करें और उसे बिल्कुल ही नया जामा पहना डालें जो राजनीति में आके

भी उसे आदर्श बनाये रखें, उसे विकृत होने न दें, जैसा कि ऊपर की घटनाओं से स्पष्ट होता है। फिर भी जन-साधारण के दिल में हजारों वर्षों से धर्म के सम्बन्ध में जो धारणा है वह बदल नहीं सकती। उसका बदलना करीब करीब गैर सुमिकिन है। धर्म के नाम पर होने वाली खराचियों और बुराइयों को दूर करने के लिये कितने ही धर्म-सुधारक आये और चले गये। मगर वे ज्यों की त्यों पड़ी हैं। नहीं, नहीं, वह तो और भी बढ़ती गई हैं। सुधारकों ने सुधार के बदले एक और भी नया सम्प्रदाय पैदा कर दिया जो गुत्थियों को और ज्यादा उलझाने का ही काम करने लगा। गांधी जी के नाम पर तो एक ऐसा ही सम्प्रदाय पैदा हो चुका है जो दूसरों की बातें सुनने तक को रखादार नहीं। असल में धर्म की तो खासियत ही है अन्धपरम्परा पैदा करना और उसे प्रश्रय देना। तर्क दलील की गुंजाइश वहाँ हर्छ नहीं। और अगर कोई यह बात न माने तो उसे मान लेना होगा कि जहाँ तर्क दलील और अङ्ग की गुंजाइश हो वह यदि धर्म हो भी तो किसी खास व्यक्ति या कुछ चुने लोगों के ही लिए हो सकता है। ज्योंही उसे आपने सार्वजनिक रूप देने की कोशिश की कि अङ्ग के लिये मनाही का सख्त आर्डर जारी हुआ और अन्धपरम्परा आ बुसी। धर्मों और धार्मिक आनंदोलनों के इतिहास से यह बात साफ-साफ जाहिर है। गांधी जी इस बात को न मान कर और राजनीति पर धर्म की छाप लगाकर यह बड़ी भारी भूल कर रहे हैं, जिसका नतीजा आने वाली पीढ़ियों को सूद के साथ भुगतना नहीं होगा।

इस तरह हम देखते हैं कि ज्योंही किसी बात में धर्म का नाम आया कि धर्म के नाम पर ही गुजर करने वाले और उसके सर्व जन-सम्मत ठेकेदार पंडित और मौलवी आ बुसे। उस बात में टाँग अद्वाने का मौका तो उन्हें तभी तक नहीं मिलता जब तक वे बातें शुद्ध राजनीतिक या आर्थिक हैं और उन पर धर्म मजहब की मुहर नहीं लगी है। जब तक ये लोग मजबूरन दूर रहते हैं और ताक में रहते हैं कि हमारे बुसने का मौका कब आयेगा। इसलिये धर्म का नाम लेते ही कूद पहते हैं। उन्हें इस बात

से क्या गर्ज कि आपने धर्म का नाम किस मानी में लिया है ? उनके लिये धर्म का ज़िक्र ही काफी है । उसका अर्थ तो वे खुद लगाते हैं और उनका यह भी दावा है कि उनके सिवाय दूसरा न तो धर्म का मतलब समझ सकता है और न समझने का हक ही रखता है । खूबी तो यह कि उनके इस दावे का समर्थन, इसकी ताईद, जन-साधारण भी करते हैं, इसीलिये उन्हीं की बात मानी जाती है और दूसरों की हवा में मिल जाती है चाहे वे कितने ही बड़े महात्मा और पैगम्बर क्यों न कहे जायें ।

और जब परिडत और मौलवी उस मामले में आ घुसे तो फिर लोगों को अपने ही रास्ते पर ले जायेंगे । वे जो कहेंगे आमतौर से वही बात मान्य होगी । यही कारण है कि खान-गान आदि के मामले में उन्हीं की बात चलती है और ऊपर लिखी घटनायें होती हैं, होती रहेंगी । लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते तो यह स्पष्ट है कि गांधी जी के हजार चिज्जाने पर भी उनके दिल में धार्मिक भाव है नहीं, उनने धर्म को कभी समझा या माना है नहीं । तब आज क्यों मानने लगे ? यदि धर्म की बात बोलते हैं तो तिर्फ जबान से हो । चाहे गांधी जो इसे मानें या न मानें । मगर यह कदु सत्य है ।

हमने जो कुछ पूर्व प्रसंग के अन्त में कहा है उसका स्थानकरण एक दूसरी घटना से हो जाता है। एक दिन जेल के भीतर ही हमें आश्चर्य में छूटने के साथ ही बहुत तकलीफ हुई जब हमने कुछ हिन्दुओं को एक मौलवी साहब की आलोचना करते सुना। उनके बोलते बोलते कृष्ण जी को 'हजरत' कह दिया था। यही उनका महान् अपराध था। हम तो समझी न सके कि माजरा क्या है। मगर पीछे बहुत सी बातें याद आईं। उसके पहले एक सजन ने बोलने में जब 'दृष्टिकोण' शब्द का प्रयोग किया था तो एक मुसलमान साहब ने पूछा कि इसका मतलब क्या है? जब उनने मतलब समझाया तो मुसलमान बोले कि बोलने में भी ऐसा ही क्यों नहीं बोलते ताकि सभी लोग समझ सकें। उनका इतना कहना था कि वह हिन्दू सजन आपे से बाहर हो गये और तमके के कहने लगे कि हम आपके लिये या हिन्दू-मुसलिम मेल के, हिन्दुओं की संस्कृत और उनके साहित्य को चौपट न करेंगे। इस पर मामला बढ़ गया। मगर हमें उससे यहाँ मतलब नहीं है। हमें इतना कह देना है कि सचमुच ही 'दृष्टिकोण' का अर्थ आसानी से न तो आम हिन्दू जनता ही समझ सकती है और न मुसलिम लोग ही जान सकते हैं। और अगर कोई इस पर इतराज करता है तो गांधीवाद की भाला जपने वाले साहित्य और हिन्दू संस्कृति के नाश का हौसा खड़ा करते हैं। हालाँकि किसानों और गरीबों की भलाई के ही लिये वे जेल आये हैं ऐसी दुर्धारा देते रहते हैं। मगर जरा भी नहीं सोचते कि उनकी यह भाषा कितने प्रतिशत किसान समझ सकते हैं। और जब वात ही न समझेंगे तो साथ कहीं तक देंगे।

लेकिन अगर 'हजरत' शब्द को देखा जाय तो उस पर इसलिये उज्ज नहीं हुआ कि लोग समझ न सके। हम तो देखते हैं कि बराबर ही

‘आहये हजरत, हजरत की हरकत तो देखिये’ आदि बोला करते हैं। यह तो मामूली बोल-चाल का शब्द हिन्दी भाषा में हो गया है। हसलिये अगर उस पर इतराज हुआ तो सिर्फ इसलिये कि कृष्ण को उनने हजरत कह दिया। यह तो गजब हो गया। वही मुसलमान अपने बड़े से बड़े नेता को, पैगम्बर साहब को हजरत कहता है और हम लोग सुनते रहते हैं। फिर भी जिन्हें हिन्दू अवतार मानते हैं उन्हें वही मुसलमान हजरत कहे तो आफूत हो गई। इस बात का इससे सबूत मिलता है कि हम लोग असल में कितने गहरे पानी में हैं। इसी प्रकार ‘सीता को वेगम और राम को बादशाह’ कहने का भी विरोध करते हमने जेल में सुना। बाहर तो सुनते ही थे। अगर अंग्रेजी में क्वीन (Queen) और किंग (King) कहा जाय तो हमें जरा भी दर्द नहीं होता। हालाँकि इन शब्दों का मतलब वही है जो वेगम और बादशाह का। हमने यह नजारा देखा और अफसोस किया।

आजकल हिन्दी पढ़ने का शौक बढ़ गया है। इसीलिये जो जेल में भी यह बात देखने को मिली ज्यादातर गांधीवादी लोग ही ऐसे दिखे। यों तो तथाकथित वामपक्षी और कांतिकारी लोग भी इस तरह के पाये गये। हिन्दी और हिन्दुस्तानी पर विचार विमर्श भी होता रहा। कुछ लोगों ने जो अपने को राजनीतिक नेता मानते हैं, यह तय किया कि मिडिल क्लास के ऊपर तो हिन्दुस्तानी की कितावें पढ़ाई जायें। मगर नीचे की कक्षाओं में वही ‘दण्डिकोण’ वाली हिन्दी ही पढ़ाई जाय। शायद इसमें उनने एक ही तीर से दोनों शिकार मारे। हिन्दी साहित्य और हिन्दू संस्कृति भी चचा ली गई और हिन्दू-मुसलिम एकता के जरिये राजनीति की भी रक्षा हो गई। मगर वे यह समझी न सके कि यह रक्षा नकली है। इससे काम नहीं चलने का।

मैंने ऐसे एकाध दोस्तों से पूछा कि जो लोग मिडिल से आगे नहीं जा सकते उनकी राजनीति कैसे बचेगी? उनका हिन्दू-मुसलिम मेल क्यों-कर हो सकेगा? और भी तो चोचने की बात है कि अधिकांश तो मिडिल

तक ही रुक जाते हैं। बहुतेरे तो लोअर और अपर तक ही इति श्री कर लेते हैं। प्रायः नव्वे फीसदी तो पढ़ने का नाम ही नहीं जानते हैं। एक बात यह भी है कि जो जवान और बूढ़े हो चुके हैं वह यों ही रह जायेगे। उन्हें तो “काला अक्षर भैस बराबर” है। तो फिर उनके लिये आपकी हिन्दी या हिन्दुस्तानी किस काम की ? वे लोग संस्कृति और साहित्य की रक्षा कैसे कर पायेंगे ? मगर वे चुप्प रहे। उत्तर देई न सके। विचारे देते भी क्या ?

असल बात दूसरी ही है। जहाँ मैं या मेरे जैसे कुछ लोग हर बात को ‘जनता’ (mass) की नजर से देखते और सोचते हैं, न कि संस्कृति और साहित्य की दृष्टि से। क्योंकि जनता को तो सबसे पहले रोटी, कपड़े, दवा आदि से मतलब है। हाँ, जब पेट भरेगा तो ये बातें सूरक्षित मगर अभी तो उनका मौका ही नहीं है। तहाँ साधारण कायेसवादी—फिर चाहे वह गान्धीवादी हों या तथाकथित क्रांतिकारी और वामपक्षी—सबसे पहले साहित्य और संस्कृति की ही ओर नजर ढौँढ़ते हैं। और याद रहे कि इन दोनों के पीछे धर्म छिपा हुआ है। खुल के आने की या उसे लाने की हिमत नहीं है। इसीलिये साहित्य और संस्कृति का ढकोसला खड़ा किया जाता है। असल में न सिर्फ वे लोग मध्यम वर्गीय हैं, किन्तु उनकी मनोवृत्ति भी वैसी ही है। इसलिये मध्यम वर्ग की ही नजर से हर बात को वे लोग स्वभावतः देखते और तौलते हैं। मध्यम वर्ग का पेट तो भरता ही है। कपड़ा और दवा-दारू भी अप्राप्य नहीं हैं। फिर उन्हें साहित्य और संस्कृति न सूझे तो सूझे क्या खाक !

मगर वे यह नहीं सोचते कि साहित्य की अगर कोई जरूरत है तो जनसमूह के लिये ही। आम लोगों को जगाना और तैयार करना ही साहित्य का काम होना चाहिये, खासकर गुलाम देश में। बिना जगे और पूरी तरह तैयार हुए जन-साधारण आजादी की लड़ाई में भाग लेकर ले सकते हैं ! और आजाद हो जाने पर भी उन्हें ही ऊपर उठाना और आगे ले चलना जरूरी है। नहीं तो दुनिया की घुङ्डौड़ में हमारा मुल्क पीछे

पढ़ जायगा । जब तक समूचे देश के बाशिन्दों की शारीरिक और मानसिक उन्नति नहीं हो जाय तब तक देश पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जायगा । इसलिये उस समय भी साहित्य का निर्माण आम लोगों की ही दृष्टि से होना चाहिये । मुझी भर मध्यवर्गीय लोग साहित्य पढ़-पढ़ाके व्या कर लेंगे ? उनसे तो कुछ होने जाने का नहीं, जब तक किसान, मजदूर और अन्य श्रमजीवी उनका साथ न दें । इसलिये हर हालत में साहित्य की असली उपयोगिता शोषित जनता के ही लिये है । मगर “दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला । तरुशिखा पर थी तब राजती, कमलिनी कुल बहाम की प्रभा”, या “पूर्वजों की चरित चिंता की तरंगों में बहो” जैसे साहित्य को, जिस पर मध्यम वर्गीय बाबुओं को नाज है और जिसके ही लिये हिन्दी हिन्दुस्तानी की कलह खड़ा करके आकाश-पाताल एक कर रहे हैं, कितने किसान या मजदूर समझ सकते हैं ? यही हालत है “नहीं मिन्नतक्षे तावे शुनीदन दास्ताँ मेरी । खमोशी गुफ्तगू है वे ज़बानी है ज़बां मेरी” की भी । दोनों ही साहित्य, जिनके लिये हिन्दू और मुसलिम के नाम पर माथाफुड़ौवल हो रही है, किसानों और मजदूरों से, कमाने वालों से, आम जनता से लाख कोस दूर हैं ।

मगर इससे क्या ? मुझी भर मध्यवर्गीय लोग तो इन्हें समझते ही हैं । बाकियों की फिक्र उन्हें हर्दै कहाँ ? असल में साहित्य की ओट में संस्कृति छिपी है और उसकी आङ़ में धर्म बैठा है, जिनका उपयोग आम जनता को उभाइने में किया जाकर मुझी भर बाबुओं और सफेदपोशों का उल्लू सीधा किया जाता है । जब तक संस्कृति और धर्म, तमहुत और मजहब के नाश का हैवा ये मध्यम वर्गीय लोग खड़ा न करें किसान मजदूर उनके चक्रमें आ नहीं सकते और विना इसके काम बनने का नहीं । आखिर आम हिन्दुओं और मुसलमानों के नाम पर ही तो इन्हें नौकरियाँ लेना, सीटों का बँटवारा करना और पैकट या समझौता करना है । सीधे लोगों की धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करके, उन्हें उभाइ कर ही ये काहर्यों लोग अपना काम बना लेते हैं, हालाँकि ऊपर से पवके बगुला भगत बने-

रहते हैं । गरीबों के नाम पर ऐसा अँसू बहाते हैं कि कुछ पूछिये मत ।

जैसा कि कह चुके हैं, साहित्य का काम है आम लोगों को जागृत करना, तैयार करना और उनकी मानसिक उन्नति करना, जिससे सच्चे नागरिक बन सकें । साहित्य का दूसरा काम है नहीं । योड़े से लोगों का ननोरंजन करना या उन्हें काल्पनिक संसार में विचरण करने का मौका देना वह काम साहित्य का नहीं है । पुराने साहित्यकारों ने उसका लक्षण करते हुए साफ ही कहा है कि दिमाग पर ज्यादा दबाव न डाल कर और इसीलिये उक्खमार मत्तिष्क वालों के लिये भी बातें सुगम बनाने वाला ही ठीक साहित्य है । इसीलिये पढ़ते या सुनते जाइये और बिना दिक्कत मतलब समझते जाइये । नहाँ समझने में विशेष दिक्कत हुई कि वह दूषित साहित्य हो गया । बातें जो सरस बना के कही जाती हैं उसका मतलब यही है कि वे आसानी से हृदयंगम हो जायें ।

इस दृष्टि से तो जन-साधारण के लिये सुलभ और सुगम साहित्य तैयार करने के दो ही रास्ते हैं । या तो वह ऐसी भाषा में लिखा जाय जो चर्चन से हम बोलते और सुनते हैं, जिसे मातायें और बहनें बोलती आ रही हैं । या अगर वह न हो सके या इसमें बड़ी कठिनाई हो तो ऐसी खड़ी चरेली बाली भाषा तैयार की जाय जिसे सभी देहाती—हिन्दू-मुसलमान-वेखटके समझ सकें । “इस दृष्टि विन्दु को समुख रखके यदि हम पर्यावेक्षण करते हैं तो सर्वान्तक वेदना होती है”, या “पद्माङ्कों की चोटियाँ गोशे सहावत से सरगोशियाँ कर रही हैं”, को कौन सी आम जनता सुनकरी है, समझ सकती है ? हिन्दी और उर्दू के नामी लिखाइ चाहे खुद कुछ समझें । मगर उनकी बातें आम लोगों के लिये वैसी ही हैं जैसा बन में पका बेज़ बन्दरों के लिये । न तो उनकी हिन्दी समझ उकती है हिन्दू जनता और न उर्दू मुसलिम जनता । फिर हिन्दी को मुसलिम या उर्दू को हिन्दू जन समूह क्योंकर समझ पायेगा ? या तो सिर्फ़ “लिखें ईसा, पढ़ें मूसा” जैसी कुछ बात है । वे लोग खुद लिखते और खुद ही समझते हैं, या ज्यादे से ज्यादा उन्होंने जैसे कुछ इनें-गिने लोग । मगर वह लोग

जनता नहीं है। वह तो निराले ही हैं यह याद रहे।

इसीलिये अगर विहार में हम ऐसा साहित्य बनाना चाहते हैं, तो या तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, बंगाली, संथाली और उरांव आदि भाषाओं में ही जुड़े जुड़े इलाकों के लिये अलग अलग साहित्य रचें या हिन्दी और उदू' मिलाके एक ऐसी सरल भाषा बना दें जो सभी समझ सकें। हिन्दी-उदू' मिलाने से हमारा मतलब है संस्कृत शब्दों की भरमार वाली हिन्दी और अरवी-फारसी के शब्दों से लदी उदू' की जगह सरल और सबके समझने लायक भाषा तैयार करने से। हषान्त के लिये 'अज्ञीज्ञम्' या 'अज्ञीज्ञमन' और 'प्रियवर' या 'प्रिय मित्र' की जगह "मेरे प्यारे दोस्त" या "मेरे प्यारे भाई" वजौरह लिखें तो कितना सुन्दर हो और काम चले। जरूरत होने से नये नये शब्दों को भी या तो गढ़ के या दूसरी तरह से प्रचार करते जायेंगे।

जो लोग 'हजरत' आदि शब्दों को देखें-मुन के चिहुँकते हैं उन्हें याद रखना चाहिये कि हमने, हमारी हिन्दी ने और हमारी जनता ने अरवी-फारसी के हजारों शब्दों को हजम करके अपने को मजबूत बनाया है। इतने पर भी अभी वह भाषा अधूरी सी लगती है। अगर हजारों शब्दों को अपने में मिलाये न होती तो न जानें इसकी क्या हालत होती। हाजिरी, मतलब, हिफाजत, हाल, हालत, फुर्सत, क़स्त, दावा, मुद्दई, अर्ज़, गर्ज़, तकदीर, असर, ज़ल्लत, फसल, खी, खरीफ, क़ायदा, कानून, अदालत, हन्साफ़, तरह, सदर, दिमाग़, ज़मीन, वजौरह शब्दों को नमूने की तरह देखें तो पता चलेगा कि ये और इनके जैसे हजारों शब्द ठेठ अरवी और फ़ारसी के हैं। मगर इन्हें बोलते और समझते हैं न सिर्फ़ हिन्दी साहित्य वाले, बल्कि विल्कुल देहात में रहने और पलने वाले ग़वार किसान और मज़दूर भी। समय समय पर इन्हें और हमने इन्हें हजम करके अपने को मजबूत और बड़ा बनाया है। इससे हमारी संस्कृति निर्गढ़ने के बजाय सुधरी है, चनी है। वह कोई छुईमुई नहीं है कि हजरत, वेगम और ज़ादरांह वजौरह बोलने से ही खत्म हो जायगी। यह भी हमारी

नादानी है कि सीता को वेगम और राम को वादशाह कहने से नाक-भौं
सकोड़ते हैं। तजम्हीदाल नो श्रीराम जी को अवतार मानते थे। वह
उनके और जानको जी के शरनभैय भक्त है। मगर अपनी रामायण में
उनने “राजा राम जाननी रानी” लिखा है। ये हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्यकार
माने जाते हैं। उन्हें राजा और रानी कहने में तो जरा भी इच्छक न हुई।
आज तक हमारे हिन्दी-साहित्य-सेवियों ने भी इस बारे में अपनी जवान न
हिलाई। मगर राजा की जगह वादशाह और रानी की जगह वेगम कहते
ही तृष्णुन सा आ गया। यथा इसका यह मतलब है कि अब हिन्दी की भी
शुद्धि होगी। उसमें से पूर्व ब्रताये हजारों शब्दों को गर्दनियाँ देके निकाला
जायगा यथा । अगर ऐसा है तो “खुदा धाप्तिज ।”

बात तो साफ साफ कहना चाहिये। असल में राष्ट्रवादी लोग अधिकांश
मध्यम थेणी के ही हैं। उनमें भी जो आज खांटी कग्रेसी या गांधीवादी
कर्दे जाते हैं वह तो गिन गिन के मध्यम वर्गीय हैं, भिड़िल फ़्रास के हैं।
वे चाहे अपने को हजार बार कहें कि वे न तो हिन्दू हैं और न मुसलमान,
किन्तु हिन्दुस्थानी, पहले हिन्दुस्थानी और पीछे हिन्दू या मुसलमान।
मगर दरअसल हैं वे पहले हिन्दू या मुरुलिम और पीछे हिन्दुस्थानी या
राष्ट्रवादी। इसका प्रमाण उनकी ख़म्ली स़म्लाई बातों से न मिलके उनके
कामों और अचानक की बातों से मिल जाता है। यह हिन्दी, उर्दू या
हिन्दुस्थानी का कगड़ा इस। बात का जर्दरंरत सवूत है। जब वह लेक्चर
देने वैठते हैं तो उनकी तकरीर इस बात की गवाही देती है कि वे क्या हैं।
उनकी बातें आम लोग समझते हैं या नहीं इसकी उन्हें जरा भी फ़िक
नहीं रहती है। वे तो घड़ल्ले से बोलते चले जाते हैं, गोया उनकी बातें
सुनने वाले सभी लोग या तो परिडत या मौलवी हैं। उनने आलिम-
फ़ाजिल या साहित्य-सम्मेलन की परीक्षायें पास कर ली हैं। यदि वे
ऐसा नहीं मानते तो लच्छेदार संस्कृत या फ़ारसी के शब्दों को क्यों
उगलते जाते ?

अगर हिन्दुस्थानी कामटी अपनी किताबों में कुछ उर्दू ‘फ़ारसी के

शब्द नये सिरे से डालती है या पंजाब के हिन्दू लोग उदू में संस्कृत के शब्द छुसेहते हैं तो उनका कलेजा कहने लगता है कि हाय हिन्दी चौपट हुई, उदू वर्वाद हुई ! साहित्य चौपट हुआ ! संस्कृति मठियामेट हो गई ! मालूम होता है अब हिन्दी को अजीर्ण हो गया है, या उसकी पाचन-शक्ति ही जाती रही है। यही हालत उदू की भी है। हमें आश्चर्य तो इस बात का है कि यही लोग मुल्क को आजाद करने का बीड़ा उठाये हुए हैं। हिन्दू-मुसलिम मेल की हाय-तोवा भी यही सजन वरावर मचाते रहते हैं। अगर कहीं हिन्दू-मुसलिम दंगा हो गया तो हिन्दू-मुसलिम जनता को भर पेट को संनें में थकते भी नहीं। लेकिन कभी भी नहीं सोचते, सोचने का कष्ट उठाते कि इन सब अनर्थों की जड़ उनकी ही दूषित मनोवृत्ति है। 'मुख पर आन, मन में आन' वाला जो उनका रवैया है उसीके चलते ये सारी चीज़ें होती हैं। सभी बातों में भीतरी दिल से हिन्दूपन और मुसलिमपन की छाप लगाने की जो उनकी वाहियात आदत है उसीके चलते ये सारी बातें होती हैं। अपने को चाहे वह हजार छिपायें। फिर भी उनका जो यह हिन्दी, उदू और हिन्दुस्थानी का समेला है वही उनकी असलियत को जाहिर कर देने के लिये काफी है।

इस कहने से मेरा वह मतलब हर्गिज नहीं कि मैं हिन्दुस्थानी कमिटी की या दूसरों की सारी बातों का समर्थन करता हूँ। मैं कृत्रिम या बनावटी भाषा का सख्त दुश्मन हूँ और मुझे डर है कि हिन्दुस्थानी कमेंी कहीं ऐसी ही भाषा न गढ़ डाले। असलियत तो यह है कि मुझे उनकी कितावें बगैरह पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, कभी कभी कुछ बातें सामने खामखाह आई जाती हैं। इसलिये उनकी जानकारी निवायत जल्दी ही जाती है। मगर अखबारों में जो बातें इस सिलचिले में वरावर निकलती रहती हैं और कुछ दोस्तों से भी जो कुछ सुनता रहता हूँ उसीके आधार पर मैंने यह निश्चय किया है। मैंने देखा है कि इन कगड़ों के पीछे दूसरी ही मनोवृत्ति काम कर रही है। इसलिये हमें सभी जगह और ही चीज़ें दीखती हैं। अगर मनोवृत्ति ठीक हो जाय तो हिन्दी हिन्दुस्थानी के

झगड़े फौरन मिट जायें या कम से कम उनके मिटने का रास्ता तो जरूर ही साफ़ हो जाय ।

मगर इस हिन्दी और हिन्दुस्थानी के झगड़े में हमें वड़ा खतरा नजर आ रहा है । अभी तो यह सिर्फ़ सफेदपोश बाबुओं के ही चीज़ होने के कारण उन्हीं की चीज़ है । मगर अन्देशा है कि वे लोग किसानों और मज़दूरों के भीतर इसे फैलायेंगे । शिक्षा का सम्बन्ध बयादातर इन्हीं के हाथ में है । फलतः वे इसी साँचे में सबों को ढालना चाहेंगे ही । वैसी ही किताबें, वैसे ही लेख, वैसे ही अखबार तैयार होने जनता को पढ़ाने के लिये । अधिक कोशिश इस चात की होगी कि यह जहर देहातों में और मज़दूरों के इलाकों में फैले । जो जिस नीज को परन्द करता है वह उसे ही सर्वप्रिय बनाना चाहता है । इचलिये इसका नतीजा नीषे धार्मिक झगड़ों के मुकाबिले में और भी बुरा होगा । क्योंकि यह जहर राजनीति की गोली के साथ लोगों के भीतर छुसेगा । आज तो राजनीति हमारे जीवन का प्रधान अंग बन गई है । और अगर उसीके साथ यह झगड़ा हमारे कियानों तथा मज़दूरों के भीतर छुसा, तो गङ्गा हो जायगा । क्योंकि धार्मिक अन्धता को छुसाने का नया तरीका और नया रूप यही हो जायगा । पिर तो हम हमेशा कट मरेंगे । अतएव हमें अभी से इसके लिये सजग हो जाना होगा, ताकि इस साँचे में हमारी जनता का भावी जीवन ढलने न पाये ।

हमें ताज्जुब है कि यह बात क्यों हो रही है । भाषा का विकाश तो नहीं के विस्तार की तरह होता है । जैसे नदी खुद ही आगे बढ़ती जाती है । वह अपना रास्ता खुद बना लेती है । हम हजार चाहें, मगर वह हमारी मर्जी के मुताबिक कभी नहीं चलती । तभी उसका फैलाव काफी होता है । भाषा की भी यही हालत होती है । आज अंग्रेजों के संसर्ग से हम अपनी भाषा में कितने ही शब्दों को छुसाते जा रहे हैं । प्रोग्राम, कमिटी, कान्फ्रेंस आदि शब्द हमने अपना लिये हैं । कांग्रेस और मिनिस्ट्री शब्द हमारी जब्तान पर हमेशा ही मौके व मौके पाये जाते हैं । देहाती लोग भी

इन्हें समझते और बोलते हैं। लालटेन और रेल शब्द गोया हिन्दी भाषा के ही हों ऐसे मालूम पड़ते हैं। हमें पता ही न चला कि हम इन्हें हजम कर रहे हैं। सभा की जगह मीटिंग कहना हमें अच्छा लगता है। ठीक इसी प्रकार मुसलमानों के जमाने में हमने फ़ारसी और अरबी शब्दों से अपनी भाषा का खोजाना भरा है। तब आज हिचक कैसी ?

आज जिस खड़ी बोली में साहित्य तैयार करने पर हम तुले बैठे हैं आखिर वह भी तो यों ही धीरे धीरे बनी है, बनती जा रही है। संस्कृत, पाली या प्रकृत को यह रूप धीरे धीरे मिला है हजारों साल के बाद। इसी तरह अरबी या फ़ारसी को उदूँ की शक्ल मिली है। विकास तो संसार का नियम ही है। हिन्दी और उदूँ के सम्मिश्रण से जो नई भाषा तैयार होगी वही हमारी जरूरत को पूरा कर सकेगी। उसीके सहारे यह मुल्क आगे बढ़ेगा। हम हजार चिल्हायें और छाती पीटें। मगर यह बात होके रहेगी। फिर समय रहते ही हम क्यों न चेत जाँय और इसी काम में मददगार बन जाय। यह जो नाहक का बवन्डर हम खड़ा कर रहे हैं उससे हाथ तो खिच जाय। भाषा हमारे लिये है, न कि हमीं भाषा के लिये हैं। लेकिन हमारी आपसी तू तू, मैं मैं, मैं कहीं हमीं पिछड़ न जायঁ, मिट न जायঁ, यह सोचने की बात है।

आज तो पशु-पक्षियों और पेड़-पौदों में सम्मिश्रण के जरिये नई नई नस्लें पैदा की जा रही हैं जो हमारी बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा कर रही हैं। पुराने पशु-पक्षी और पेड़-पौदे इस बात के लिये नाकाशिल सिद्ध हो चुके हैं कि अब हमारी जरूरतों को पूरा कर सकें। इसीलिये इस युग को 'क्रासब्रीड्स' (cross-breeds) का युग कहते हैं। यही बात हमारी भाषा के बारे में क्यों न लागू हो ? आज हजार वर्ष करके भी लैटिन को प्रचलित नहीं कर सकते हैं। वह पुरानी पड़ गई है। इसी प्रकार संस्कृत, अरबी और फ़ारसी की माया आम जनता के लिये हमें छोड़ देना होगा। सो भी आधे मन से नहीं, सच्चे दिल से। खामखाह संस्कृत और अरबी-फ़ारसी के नये नये शब्दों को ढूँढ़ या गढ़ के सार्वजनिक भाषा की

तोद पूजाना उसके जिये बलगम का काम करेगा । हमारा दिमाग उसके बजाय ऐसे शब्दों के दृढ़ने में और जनाने में लगना चाहिये जिन्हें सभी जाति और धर्म के जन-आधारण आवानी से समझ सकें । इस प्रकार जो साधित्य तैयार होगा वही हमारा उद्दार करेगा, वही हमारे असली काम का होगा । नहीं तो गम्भीर वर्णोंय मनोवृत्ति इमें जानें कहीं उठा कंकेगी । भगवान् इसीके साथ हमें याद रखना होगा कि भासा का स्वाभाविक विकास। हो और उसमें कुशित्वा आने न पावे । नदी के प्रवाद का दृष्टान्त देही चुके हैं । जैसे शरीर में मानवृद्धि होती है वैसे ही वाहरी शब्द भाषा में लटके रहे तुरा है । अन्न-पानी को जैसे शरीर हजम करता है वैसे ही शब्दों को भाषा खुद हजम कर ले तभी ठीक होगा ।

कांग्रेसी मंत्रि-मंडल के जमाने की बात है। भरसक सन् १९३८-३९ की दास्तान है। युक्तप्रान्त में पन्त जी की मिनिस्ट्री थी। गांधी जी अहिंसा की बात बार बार कहते हैं। अब तो और भी ज्यादा जोर देने लगे हैं। कांग्रेस ने अहिंसा को ही अपना सिद्धान्त रखा है यह बात भी वह कहते ही जाते हैं। मगर कांग्रेसी बजारतों के जमाने में वर्गई और कानपुर में मजदूरों पर जो गोलियाँ चली, लाठोचार्ज हुए और वर्गई में तो आँख बहाने वाले वम भी चलाये गये, न जाने अहिंसा की परिभाषा के भीतर ये बातें कैसे समा जाती हैं। नागपुर में जब श्री मंचेरशाह अवारी अन्न ग्रहण के लिये सत्याग्रह कर रहे थे तो गांधी जी ने यह कहके उसका विरोध किया था कि सशस्त्र सत्याग्रह कैसा। जब शस्त्र लेके चलियेगा तो अहिंसा मूलक सत्याग्रह संभव नहीं। सत्याग्रह और शस्त्र ग्रहण ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। इसलिये यह चीज बन्द होनी चाहिये। हमारे दिमाग में तो उनकी यह दलील उस समय भी समा न सकी थी। इस समय तो और भी नहीं समाती। सिर्फ शस्त्र लेकर चलने से हिंसा कैसे होगी। जब उसे नहीं चलाने का प्रयत्न कर लिया तो फिर हिंसा का क्यां सबाल। नहीं तो फिर अकाली सिख कभी सत्याग्रही होई नहीं सकते। क्योंकि वे तो कृपाण के बिना एक मिनट रही नहीं सकते। मगर गांधी जी ने उन्हें भी बार बार सत्याग्रह में भर्ती किया है। लेकिन जब यह बात है तो फिर लाठी, गोली और वम चलवाके भी कांग्रेसी मंत्रिगण अहिंसक कैसे रह गये। और अगर नहीं रहे तो गांधी जी ने उनका विरोध न करके समर्थन क्यों किया। उनके इन कामों पर उनने मुहर क्यों लगा दी। इसीलिये हमें तो उनकी अहिंसा अजीव घपला मालूम होती है।

यही कारण है कि उनके अहिंसक अनुयायी उन्हें खूब ही ठगते हैं।

मजा तो यह है कि गांधी जी यह बात न तो समझते और न मानते हैं। मुझे तो उनके और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी श्री महादेव देसाई के क्रोध और ढाट-फटकार का धिकार केवल इसीलिये बनना पड़ा है कि मैं यह बातें साफ बोलता हूँ और काम भी बढ़ी करता हूँ जो बाहर-भीतर एक रस हो। किसानों को भी यही निवाता हूँ कि जान्मा पौजदारी के अनुसार अपनी और अपनी जायदाद बगैरह की दिःपात्र के लिये उतनी हिंसा भा कर सकते हो जितनी जल्दी हो जाय। मैं किसानों या आप लोगों को पहले से ही मिला यह कानूनी हक छोड़ने और छुड़वाने के लिये किसी भी हालत में तैयार नहीं हूँ। इसीलिये सन् १९३८ वाली हरिपुरा की कांग्रेस से पहले हरिजन में श्री महादेव देसाई ने मेरे खिलाफ लभ्वा लेख भी लिखा था जिसका उत्तर मुझे देना पड़ा। मगर यह जान के मुझे निशायत ताजुब दुआ जब कि ठीक उसी समय हरिपुरा जाते हुए मध्य प्रान्त में दौरे के लिये बर्धा जाने पर और अदिसा के अवतार श्री बिनोवा भावे से बातें करने पर पता चला कि किसान-सभा के बारे में हिंसा का निश्चय करने के पहले उन लोगों ने नारी बातें जानने की कोशिश तक न की थी।

उन्हीं के श्राश्रम में श्री बिनोवा जी से मेरी घंटों बातें होती रहीं। हरिजन में यह लेख ताजा ही निकला था। इसलिये बातचीत का विषय वही बात थी। वे लोग वास्तविक दुनिया से कितने कोरे हैं इसकी जानकारी मुझे वही हुई। किसान-सभा के किसी कार्य-कर्त्ता ने कोई बात हिंसा-अदिसा के बारे में कही या न कही। मगर गांधी जी के भक्तों ने उनके पास रिपोर्ट पहुँचा दी और उनने उसे श्रुत सत्य मान लिया। दूसरों को तो हजार बार कहते हैं कि पूरी जांच के बाद ही बातें मानो। सचाई का पता लगाओ। मगर मेरे बारे में यह इलजाम लगाने के पहले उनने मुझसे एक बार पूछ्ना तक उचित न समझा। किसान-सभा पर भी यही दोपारोपण किया गया। लेकिन सभा को सफाई देने का मौका तक न दिया गया। यह है गांधी जी का न्याय! यह है उनका सत्य! न सिर्फ उनने निश्चय कर लिया बल्कि अपने संगी-साथियों के दिमाग में इसे भर दिया।

जब मुझसे श्री विनोदा जी ने ये बातें पूछीं तो मैंने ऐसा जवाब दिया कि वे अवाक् हो गये । मैंने सबूत में पक्षा प्रमाण पेश करने को भी कह दिया कि इलजाम निराधार हैं । मैंने कहा, कि मैंने जिस हिसा का आश्रय लिया है वह न सिर्फ़ कानून के भीतर है, प्रत्युत गांधी जी ने भी वैसी हिंसा का उपदेश चरावर किया है । फिर मैंने देसाई के आचेप का लिखित उत्तर भी उन्हें दिखाया । और भी बातें होती रहीं । अन्त में उनने यही कहा कि इस बारे में व्या गांधी जी से आपकी बातें हुई हैं । मैंने उत्तर दिया कि नहीं । तब उनने कहा कि बातें जल्द करें । मगर मैंने यही कहके टाल दिया कि मौका मिलेगा तो देखँगा । मैंने वह भी कह दिया कि जो लोग यों ही एकतरफा बातों से निश्चय कर लेते हैं उनसे बातें करके होगा ही क्या ? फिर भी बातें करने पर उनने बहुत जोर दिया । मगर मुझे मौका ही कहाँ था ? मुझे तो शाम को वर्धा के सोशलिस्ट चौक में एक अच्छी मीटिंग करके आगे बढ़ना था ।

लेकिन यहाँ पर मुझे गांधीवादी नेताओं की अहिंसा के दो सुन्दर नमूने पेश करने हैं । पन्त मिनिस्ट्री के समय इलाहाबाद में बड़ा सा दंगा हो गया था । बड़ी सनसनी थी । तूफान भी काफी मचा था । उस समय गांधी जी के सिद्धान्त के अनुसार कांग्रेस के प्रमुख लोगों का यह फर्ज था कि अपनी जान को जोखिम में डाल के भी दंगे को शान्त कर, ठीक उसी तरह जिस तरह सन् १९३१ ई० वाले कानपुर के दंगे में स्वर्गीय श्री गणेशशंकर विद्यार्थी ने किया था । ऐसे ही मौके गांधी जी और कांग्रेस की अहिंसा की परीक्षा करते हैं । गांधी जी का जोर भी यही रहता है कि ऐसे समय कांग्रेसी नेता निःडर होके हिन्दू-मुसलिम महजों में जावं और उन्हें ठंडा करें । नियमानुसार इलाहाबाद का दंगा उन नेताओं की बाट देख रहा था । खुशकिस्मती से वहीं पर स्वराज्यभवन में आलैंडिया कांग्रेस कमिटी का आफिस भी था । श्रव भी है । उसके जेनरल स्टेफ़ोर्डी आचार्य कृपलानी वहीं मौजूद थे, दूसरे वडे लोग भी ।

मगर उनने क्या किया ? मेरे दो मुसलिम साथी नो किचान-उभा-

और मजदूर आनंदोलन में लाती दिलचस्पी लेते हैं और जो अच्छे पढ़े-निरो हैं, वहाँ थे। जब ठंडा घूम हो गया तो वे स्वराज्य-भवन में फैलन गये और वहे नेताओं से कहने लगे कि आइये चलें और शहर में घूम के लोगों को समझायें बुक्सायें, उन्हें ठंडा करें। चाहे वे ठंडा हों या न हो। मगर हम लोग कोशिश तो करें। एमारे एक मुसलिम ट्रॉल याउन कांग्रेस कमिटी के सभारति थे। इसलिये उन्हें अपना फर्ज भी अदा करना था। मगर उन नेताओं में एक सबते वडे नेता ने, जिनका नाम लेना मैं उनित नहीं समझता, मगर जो अखिल भारतीय नेता है और गांधी जी का ढोका आज भी मुल्क में घूम घूम के पीछते है, चट्टान यह कह डाला कि ‘ऐ, घूमने चलो। यह क्या बात है? यह नायानी कौन करे? क्या यिगड़े दिमाग लोग हमें पाने पर सोचेंगे कि नेता है? हमें वहीं खत्म न कर देंगे। मैं तो एर्गिज नहीं जाता। अब लोग भी मत जायें।’’ और फौरन पन्त जी के पास लखनऊ फौन करने लगे कि मिलिट्री मेजे। नहीं तो स्वैरियत नहीं। एमारे मुसलिम जवान साथी को उनकी इड बात पर ताज़ज़ुब हुआ। ऐसत भी हुई। मगर वे तो अपना फर्ज अदा करने चली पड़े। भला वे नेता की बात क्यों सुनते। जो कुछ उनसे बन सका घूम-घूम के किया भी। हिन्दू-मुसलिम सभी मद्दों में निढ़र होके घूमते रहे।

पीछे मुलाकात होने पर उनने अहिंसा की ही चर्चा के सिलसिले में यह अर्जान आस्तान मुझे सुनाई। वे गांधीवादियों की अहिंसा पर हँतते थे। मैं भाँ हँसता था। हम किसान-सभा वाले तो गांधी जी के दर्जार में काफी बदनाम है कि कांग्रेस के बदूलों की पावनी नहीं करते। साथ ही, जो नेता साहब और उनके साथी न सिर्फ दुम दबा के ऐन मौके पर सटक रहे, वल्कि इथियारबन्द पुरालस और फौज की गोलियों और संगीनों से दंगे को शान्त करने के लिये श्री पन्त जी पर बार बार जोर देते रहे, उन्हें गांधी जी का ऐसा दवासी सर्टिफिकेट अहिंसा के बारे में मिल चुका है कि कुछ पूछिये मत। अगर ऐसो ही दृटी नाब पर चढ़के न सिर्फ गांधी जी खुद पार होना चाहते हैं, वल्कि सारे मुल्क को भी पार ले जाना चाहते हैं तो उन्हें

मुवारक हो । किसान-सभा वाले अगर गांधी जी को अद्विता को नहीं मानते तो उन्हें साफ़ कह तो देते हैं । मौके पर अमली तौर से धोखा तो नहीं देते । बल्कि ईमानदारी से जहाँ तक होता है उसके अनुसार काम करते हैं ।

इसी सम्बन्ध की एक दूसरी घटना विहार की है । विहार पर और खासकर उसकी अद्विता पर गांधी जी को नाज़ है । अकसर वे इस बात को लिखते और कहते रहते हैं । मगर विहार के नामी-गरामी नेता लोग कहाँ तक अद्विता को मानते और गांधी जी को कितना धोखा देते हैं इसका ताजा नमूना हाल के विहार शरीफ़ वाले दंगे में मिला है । इसका पता हमें जेल में ही लगा है जब कि पटना जिले के एक कांग्रेसी साथी जेल में हाल में ही आये हैं । उनने आप बीती हमें एक दिन सुनाई । उनका और जिन नेताओं से उन्हें सांवका पढ़ा उनका नाम लेना ठीक नहीं ।

विहार शरीफ़ में हिन्दू-मुसलिम दंगा शुरू हो जाने के बाद सदाकत आश्रम के दो बड़े नेता, जो न सिर्फ़ प्रान्तीय कांग्रेस के औफिस के चलाने के लिये बहुत पुराने जवाबदेह आदमी माने जाते हैं, बल्कि खांडी गांधी-वादी भी हैं, मोटर पर चढ़के विहार शरीफ़ जाने के लिये तैयार हुए । उनमें एक हिन्दू है और एक मुसलमान । उनने सोचा कि पटना जिले के किसी हिन्दू कार्यकर्ता को भी साथ ले लें तो ठीक हो । संयोग से हमारे वे कांग्रेसी साथी वहीं थे । वह, हम सुन्ना कि साथ चलना होगा । साथी को सारी बातें मालूम थीं । उनने कहा कि मेरे पास रिवाल्वर तो है नहीं । मैं कैसे चलूँगा ? याद रहे कि हमारे साथो सत्याग्रह करके जेल आये हैं । उनने किर कहा कि अगर मुझे भी आप लोग एक रिवाल्वर दें तो साथ चलने को तैयार हूँ । इस पर लीडरों ने कहा कि आप हम दोनों के बीच में हमारी ही मोटर पर बैठ के चलिये । हम जो अलग मोटर पर पीछे पीछे चलने को कहते थे वह इसीलिये कि आपके पास रिवाल्वर है नहीं । मगर अगर आप इसके लिये तैयार नहीं हैं तो हमारे बीच में बैठ के हमारी ही मोटर पर चलिये । मगर इस पर भी साथी तैयार न हुए । तब उनसे कड़ा गया

कि आपके घरवालों के पास बन्दूक तो हर्दै । उसे ही लेकर चलिये । इस पर साथी ने उत्तर दिया कि बन्दूक लेके चलना तो और भी बुरा है । मैं ऐसा न करूँगा ।

इस पर दूसर मान के दोनों नेता रवाना हो गये । साथी ने कहा कि मुझे तो मालूम या ही कि उन दोनों के पास एक एक रिवाल्वर या । दोनों रिवाल्वर किसी नवाच साहब के यद्दी से उनने मँगाये थे । मैं उनमें से एक माँगता था । मगर वे लोग इसके लिये तैयार न थे । उनने साफ कह भी दिया कि दोई तो रिवाल्वर हैं और इस दो खुदी जा रही हैं । फिर आपको कैसे दें । खुदी यह कि रिवाल्वर लेके जाने पर भी वे लोग विहार शरीक में घूम न सके । जहाँ कांग्रेसियों का गिरोह था वहीं गये और टल के साथ ही इधर-उधर आये गये ।

कितना बुन्दर नमूना गांधी जी की अहिंसा का है । आज तो जगह जगह कांग्रेसी नेता शान्तिदल बना रहे हैं जिसका काम ही है कि हिंसा करने वालों के बीच जाके उन्हें समझाना और शान्त करना । उन्हें न तो हथियार रखना होगा और न जान की पर्वा करनी होगी । इस बात की प्रतिशा शान्तिदल वाले करते हैं । मगर जब उनके नेताओं की यही दशा है तो वाकियों का क्या कहना । पाकेट में रिवाल्वर लेके शान्तिदल का काम करना अजीब चीज है । फिर भी इस पांखेंड को गांधी जी समर्झे तब न । यदि मैं रहता तो जरूर बन्दूक लेके चलता और धीरे से लोगों को इशारा कर देता कि देखिये हमारी अहिंसा ।

सन् १९३७ ई० की जनवरी का महीना था। फैजपुर कांग्रेस से हम ताजे ताजे वापिस आये थे। असेम्बली-चुनाव की तारीखें सर पर थीं। जल्दी जल्दी एक बार पटना जिले का दौरा ऐन चुनाव से पहले कर लेना था। मेरे साथ कांग्रेस के दूसरे भी नेता उस दौरे में शारीक थे। ब्रह्मतियारपुर में एक मिटिंग करके विहार शरीफ जाना था। शाम को वहाँ मिटिंग थी। इस दर्थान हरनौत थाने वालों का हठ था कि रास्ते में ही यह जंगह है और ऐन सङ्क पर ही। इसलिये यहाँ भी एक सभा जखर हो ले। हमने इसकी मंजूरी दे दी थी। लोगों ने मीटिंग की तैयारी खासी कर ली थी। मगर हमारे विरोधी भी चुप न थे। वह इलाका ज्यादातर उन लोगों का है जिन्हें कुर्मा, कुर्मवंशी आदि कहते हैं। और जातियों की अपेक्षा कुर्मा लोग उधर ज्यादा बसते हैं। चुनाव के जमाने में बदकिस्मती से जातिपांति की बातें खूब चलती हैं। मगर वहाँ तो एक और भी बजह थी जिससे ये बातें तेज हो गईं।

ब्रह्मतियारपुर बाड़ सब्र-डिविजन में पड़ता है और उससे दक्षिण विहार सब्र-डिविजन है। कांग्रेस के भीतर ही बाड़ और विहार की सीटों को लेकर तनातनी चलती रही। बाड़ के ही एक कुर्मा सज्जन, जो बकील है, चुने जाने के लिये बहुत ही लालायित थे। मगर कांग्रेसी नेताओं ने जब किसी कारण से उन्हें विहार के लिये नामजद करना चाहा था तो, वे तैयार न हुए और भीतर ही भीतर उनने गुणवन्दी ऐसी कर ली थी कि विहार से एक गैर कांग्रेसी कुर्मा चुन लिये जायें। तैयारी ऐसी थी कि ऐन मौके पर कोई गलती जान-बूझ के कर दी जाय और दूसरा हीने न पाये। इसीलिये उनने पीछे कबूल कर लिया था कि अच्छा, मैं विहार की ही सीट से तैयार हो जाता हूँ। फिर भी भीतर ही भीतर तैयारी कुछ और ही

थी । उनकी बद्रखंडी से टीक नामिनेशन के ही समय उस तैयारी का पता चल जाने के कारण उनका नामिनेशन कांग्रेस की तरफ से दाखिल न किया जाके एक और कुमाँ सज्जन का ही दाखिल किया गया । इससे कुमाँ समाज में कुछ खलबली नहीं । क्योंकि जुनाव को लेके उस जाति के भीतर ही दो दल हीं जुके थे । कांग्रेस विरोधी कुमाँ सज्जन का भी नामिनेशन दाखिल हुआ था । उनका असर उस इलाके में उद्यादा था ।

जिला कांग्रेस कमिटी का सभापति भी मैं ही था । किसान-सम्भाकी तो बात थी ही । दिरंधी लोग जीत जाते अगर मैं जरा भी उदासीन हो जाता । इसकी कोशिश भी वीं गई । कांग्रेसी उमीदवार एक जालिम जर्मीदार हैं । इसलिये भी वे लोग सोचते थे कि अगर मैं उनकी मदद में न जाऊँ तो वे हारेंगे जरूर । मैंने उनकी जर्मीदारी में उन्होंकी जाति के किसानों का पक्ष लेके काफी आनंदोलन भी बढ़ाया किया था । इससे भी विरोधियों को आशा थी कि मैं जुनाव के मामले में दोला पड़ जाऊँगा । मगर मेरी तो मजबूरी थी । जिला कांग्रेस कमिटी की तरफ से मुक्ते काम करना ही था । जवाबदेही भी मेरे ऊपर कियर के सम्बन्ध थी थी ही । फिर वैदेशी दैसे कर सकता था । यदि ऐन सौके पर जिला के सभापतित्व से हटता तो भी टीक न होता । हाँ, मैं चाहता तो था कि वे जालिम हजरत नामजद न हो । मगर कांग्रेसी नेता लोगों को इसकी पर्वा कहाँ थी । वे तो सभी लोगों को उस समय असेम्बली में मेड रहे थे—ऐसों को भी जो न रिफ्फ जालिम जर्मीदार थे, वर्त्तक दरअसल कांग्रेस से अब तक जिनका कोई ताल्लुक न था । इस बांधली के विद्वद प्रान्तीय वर्किंग कमिटी में मैं चरावर लड़ता था । मगर अकेला ही था । बाकियों ने तो बैठा ही तय कर लिया था । अजीब हालत थी । पर करता ही आस्तिर क्या ।

ऐसी दशा में मेरे ही ऊपर वहाँ के कांग्रेस विरोधियों का क्रोध था । वे जानते थे कि अगर मैं वहाँ न जाऊँ तो कांग्रेसी उमीदवार को जुटकी मार के वे हरा देंगे । कुमाँ जाति में भी दोनों उमीदवार दो अलग विरादरियों के थे और अपनी अपनी विरादरी को लेके लोग परीशान थे । इसलिये

बख्तियारपुर में ही मुझे पता चला कि हरनौत की मिटिंग में कुछ गङ्गद्वी होगी और विरोधी लोग ऊधम मचायेंगे। यही कारण था कि मैं पहले से ही तैयार होके गया था। गाँव के नजदीक पहुँचते ही देखा कि जहाँ एक दल लाल और तिरंगे झंडे के साथ बाजे-गाजे से हमारा स्वागत करने को तैयार है, तहाँ उसके बाद ही काले झंडे वाला दूसरा दल “स्वामी जी, लौट जाय” आदि के साथ हमारा विरोध कर रहा है। हम हँसते थे। हमारी मोटर विरोधियों के बीच से आगे बढ़ गई। हम लोग सड़क से कुछ हट के एक बाग में गये जहाँ सभा की तैयारी थी। लोग तो पहले से थे ही। अब और भी जम गये।

सभा-स्थान में कई चौकियाँ, एक साथ मिलके पड़ी थीं और उन पर दरी, कालीन बगैरह पड़े थे। हम लोग उन्हीं पर उत्तर रख देठे थे। स्पीच हो रही थीं। और लोग बोल चुके थे। मगर मैं अभी बोल चुका था नहीं। अभी बोलने का सिलसिला जारी ही था। सभी का ध्यान उसी ओर था। इतने में एकाएक मुझे पता लगा कि मेरे दाएँ कंधे पर जैसे तेज जलन सी हो गई। मालूम पहा कि कोई जलता अंगार गिर गया। मेरा हाथ उस पर पहुँचा। तेज दर्द था। मगर लोगों ने देखा कि कोई आदमी अपनी लाटी मुक्क पर चलाके बेतहाशा भाग जा रहा है। दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो वी आवाज हुई। कुछ लोग दौड़ भी पड़े। मगर मैंने हठ बरके सबों को लौटा लिया। मारने वाला निश्चिन्त निकल गया। असल में लाटी तो उसने मेरे माथे पर ही चलाई थी। मगर माथा बच गया बाल बाल और वह जा लगी बँधे पर। उससे पहले मैंने लाटी की चोट खाई न थी। इसीसे मालूम पहा कि जैसे जलता अंगार गिर गया।

मैंने मारने वाले को पकड़ने से लोगों को इसालिये रोका कि उसमें खतरा था। अगर वह पंकड़ा जाता, जैसा कि निश्चय था, तो लोग क्रोध में उतावले होके जानें उससे कैसे पेश आते। भीड़ तो थी ही। अन्देशा या कि उठकी जान ही चली जाती। कम से कम इसका खतरा तो या ही।

उसके बाद उसके दलवाले जानें क्या करते । ही सकता था कि वहाँ करारी मार-पीट हो जाती । यही सोच के मैंने लोगों को रोका । परिणाम हमारे लिये सुन्दर हुआ । मीटिंग वेखटके होती रही । मेरी चोट पर लोगों को दबा की सूझी । पर, मैंने रोक दिया । चोट की जगह सूज गई जल्ल, वह काली भी हो आई । मगर मैं ठेंडा रहा और सभा में खड़ा होके बोला भी । लोग ताज्जुब में थे । पर मुझे पर्वा न थी । हाय हाय करना या चिल्हाना तो मैंने आज तक जाना ही नहीं । फिर वहाँ कैसे हाय हाय करता । मीटिंग के बाद विहार शरीफ जाने पर चोट को धीरे धीरे गर्म पानी से धोया गया ताकि दर्द शान्त हो । वहाँ भी सनसनी थी । मगर मैं तो वहाँ की सभा में भी बराबर बैठा रहा । बोला भी । इस प्रकार वह दौरा पूरा हुआ । कांग्रेसी उमीदवार तो जीते और अच्छी तरह जीते ।

मगर दो साल गुजरने के बाद हालत कुछ और ही हो गई । मुझे निमंत्रण मिला कि हरनौत में किसान-सभा होगी । खूबी तो यह कि जो लोग पहली बार मेरे सख्त दुश्मन थे वही इस बार मेरी सभा करा रहे थे । उनने मेरे स्वागत की तैयारी भी सुन्दर की थी । मैंने निमंत्रण स्वीकार किया खुशी खुशी । वहाँ जाके देखा तो सचमुच सर्वाँ ही कुछ और थी । मीटिंग भी ठाठ-बाट से हुई । उनने प्रेम से मेरा अभिनन्दन भी किया । स्वागताध्यक्ष ने जो भाषण दिया वह दूसरे हंग का था । लोग हैरत में थे । मैं भी चकित था । इतना तो सबने माना कि दो साल के भीतर किसान-सभा की ताकत बढ़ी है काफी । इसीलिये पहले के दुश्मनों को भी लोहा मानना पड़ा है, चाहे उनका मतलब इस बार कुछ भी बयों न हो । हम्मरे लिये यही क्या कम गौरव की बात थी कि हमारे दुश्मन भी हमारे ही झड़े के नीचे आके मतलब साधने की कोशिश करें ? हाँ, हमें सजग रहना जल्ली था कि कहीं किसान-सभा बदनाम न हो जाय । सो तो हम थे ही और आज भी हैं । उस बदली हालत को देख के हमने यह समझने की भूल कभी न की कि वे लोग किसान-सभा के पक्के भक्त बन गये । ऐसा मानने में ही तो खतरा था और हमने ऐसा किया नहीं । लेकिन उन्हें मजबूरन्

बकाशत-संघर्ष, उत्तीर्णान, महादम्पुर, गया



किसान-सभा का नारा बुलन्द करना पड़ा है यह हमने माना । वह उनकी मजबूरी किसान-सभा के महत्व को समझ कर हुई और उनने समझ कि इसी का पल्ला पकड़ो तो काम चलेगा, या सचमुच किसान-सभा की सच्ची भक्ति के करते हुई, यह निराला प्रश्न है । इसका उत्तर उस समय दिया जा सकता भी न था । यह तो समय ही बता सकता था कि असल बात क्या है ।

लेकिन वहाँ जो आशाजनक असली बात दिखी वह कुछ और ही थी । हमें वहाँ कुछ नौजवान और विद्यार्थी मिले जो कुर्मा समाज के ही थे । हमने उनमें जो कुछ पाया वही दरअसल हमारे काम की चीज थी । उसी पर हम सुध 'भी हुए । अपनी उस यात्रा की सफलता भी हमने प्रधानतया उसी जानकारी से मानी । उन छात्रों और युवकों में हमने किसान-सभा और किसान-आन्दोलन की मनोवृत्ति पाई । हमने यह देखा कि वह लोग इसे अपनी चीज समझने लगे हैं । वह यह मानते नजर आये कि हम किसान हैं और हमारी अधिज संत्था किसान-सभा ही हो सकती है । इसमें वह अपने किसान समाज का उद्धार देखने लगे थे । यह मेरे लिए काले बादलों में सुनहली रेखा नजर आई ।

एक और चीज भी थी । उनने मुझे हस्तलिखित एक मासिक पत्र दिखाया । मैं उसका नाम भूलता हूँ । उनने कहा कि प्रतिमास लिख के वे लोग उसे खुद तैयार करते हैं । लेख और चित्र दोनों ही दिखे । दोनों ही हस्तलिखित—हस्तनिर्मित थे । उनने मुझसे आग्रह किया कि मैं उसे आयो-पान्त पढ़ के अपनी सम्मति लिख दूँ । समय मेरे पास न था । मगर मैंने उनकी हच्छापूर्ति जल्दी समझ उस 'पत्र' को शुरू से आखोर तक पढ़ा । लेखक नये नये छात्र और जवान लोग ही थे जिन्हें उसकी शिक्षा कभी नहीं मिली थी । व्याकरण वगैरह का ज्ञान भी उन्हें उतना न था । फिर भी जिन भावों को मैंने उन लेखों में पाया उनने मुझे सुध कर दिया । लेखों की गलतियाँ तो मैं भूल ही गया । मेरे सामने तो भाव ही खड़े थे । देश के और कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं के बारे में निर्भीक समझोचना उन मासिक पत्र के लेखों में थी, सो भी अनेक ने । समझोचना भी ऐसी

सुन्दर कि तबीश्रित खुश हो जाय । चुभने वाली बात बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाइं गई थी ।

इतना ही नहीं । मुझे ताज्जुव तो तब हुआ । जब मैंने देखा कि लेखों में मेरा और अन्य कई किसान-नेताओं का भी जिक्र है, उनकी बड़ाई है, उनके कामों की तारीफ है । साथ ही यह भी पाया कि कांग्रेसी नेताओं के मुकाबिले में हमारे को जन-हित की दृष्टि से अच्छा और महत्वपूर्ण बताया गया था । बातें कहने और लिखने का तरीका उनका अपना था और यही ठीक भी था । बनावटी ढंग से बातें लिखना या लिखने में दूसरों की नकल करना कभी ठीक नहीं होता । हर बात में मौलिकता का मूल्य होता है । चाहे शैली कुछ भी हो—और मैंने तो निराली शैली को हृदय से पंसन्द किया—मगर बातें तो मार्कें की थीं, दुरुस्त थीं । यह भी नहीं कि हमसे उनकी कोई धनिष्ठता थी । हम तो उनमें किसी को जानते-पहचानते भी न थे । इसीलिये उनने जो कुछ लिखा वह उनके हृदयों का उद्गार था । कहाँ ने लिखा था, न कि एक दो ने ही । कांग्रेसी नेताओं पर कुछ चुटकियाँ भी थीं, जो भवी न थीं । किन्तु अच्छी थीं ।

लोग कहते हैं कि हमारे देश में जातीयता का अभिशाप कुछ करने न देंगा । मैं तो निराशावादी हूँ नहीं, किन्तु पक्का आशावादी हूँ । मैंने वहाँ निराशावाद से उल्टी बातें पाईं । हालाँकि घोर जाति पक्षपात का इलाका वह है । हरनौत इसका अड्डा माना जाता है । मेरे खिलाफ तो वहाँ बवंडर खड़ा हो चुका था । फिर भी युवकों के वे स्वाभाविक उद्गार हंवा का रख कुछ दूसरा ही बताते थे । मैं मानता हूँ कि सयाने होने पर उनके दिमाग में जहर भरने की कोशिश होगी, होती है । मगर मैंने वहाँ जो कुछ पाया वह बताता था कि वह जहर मिटेगा जल्लर ही ।

सन् १९३८ ई० के गर्मियों का मौसम था । मेरा दौरा किसान-आन्दोलन के सिलसिले में ही बाढ़ और विहार सब-डिविजनों में हो रहा था । बाढ़ शहर के पास के ही एक बड़े गाँव में सभा करने के बाद मैं घोर देहात में गया । वह देहात बाढ़ से दक्षिण है जिसे टाल का इलाका कहते हैं । मिट्टी निहायत ही चिकनी और काली है । वरसात में तो पाँव में चिपक जाती है ऐसी, कि जल्द छूटना जानती ही नहीं । मगर गर्मियों में सूख के ऐसी सख्त बन जाती है कि कंकड़ों की तरह पाँवों में चुभती है और काट खाती है । दूर दूर तक पेह-वेड़ नजर आते नहीं । कहीं कहीं गाँव होते हैं । वरसात में पचासों मील लम्बी और बीसियों मील चौड़ी उस जमीन पर केवल जल ही नजर आता है । बीच बीच में गाँव ऐसे ही दीखते हैं जैसे समुद्र में टापू । लगातार तीन-चार महीने यही नजारा दीखता है । चिर्फ़ किश्तियों पर चढ़के ही उन गाँवों में जा सकते हैं । उसी टाल के इलाके का एक भाग, जो बाढ़ से बहुत ज्यादा पूर्व और टाल के आखिरी हिस्से पर पड़ता है, बड़हिया टाल कहा जाता है । बड़हिया एक बड़ा सा गाँव जमीदारों का टाल के उत्तरी सिरे पर रेलवे का स्टेशन है, जैसे बाढ़, मुकामा बगैरह । इन बड़े बड़े गाँवों की जमीदारियाँ उस टाल में हैं । इसलिये उस टाल के बनावटी टुकड़े बन गये हैं चिर्फ़ जमीदारियों को जनाने के लिये । उन्हें ही बड़हिया टाल, मुकामा टाल बगैरह कहा करते हैं । उसी टाल की जमीनों को लेकर बड़हिया इलाके के किसानों, जो अधिकांश केवल खेत-मजदूर और तथाकथित छोटी जाति के ही हैं, की लड़ाई हमारी किसान-सभा लगातार कई साल तक लड़ती रही है । इस लड़ाई में किसानों पर धोड़े दौड़ाये गये, लाठियाँ पही, भाले-बछें लगे, सैकड़ों केस चले, कई सौ जेल गये और क्या न छुआ । हमारे दर्य-

कर्त्ता और नेता भी जेल गये । वहीं लालकुत्ता वाले किसान-सेवकों के दल पहले पहल तैयार किये गये । उनके बारे में तो उस टाल में तैनात अफसरों तक ने कह दिया कि सचमुच ही ये लोग शांतिदल (Peace Brigade) के आदमी हैं । जमींदारों के द्वारा लाठीराज और गुंडाराज कायम कर देने पर भी उन्हीं ने वहाँ किसानों को हर तरह से शान्त रखा । वे भी उन्हीं किसानों के बचे थे । यहीं तो उस दल की खूबी रही है । हमने लड़ाई के नेतृत्व के लिये भी उन्हीं पिछड़े किसानों को स्वावलम्बी बनाया । पैसे बगैरह का काम भी उनने जैसे-तैसे उदाहारण खुद ही चलाया ।

हाँ, तो उसी टाल के दो गाँवों में हमने मीटिंगें की । पहले से ही उन मीटिंगों की तैयारी थी । उसके बाद फिर बाढ़ लौटने के बजाय बाहर ही बाहर बिहार के इलाके में हमें नूरसराय जाना था । रास्ता विकट था । वैलगाड़ी बगैरह से जैसे-तैसे हमें हरनौत जाना था । वहाँ से टमटम से नूरसराय आसानी से जा सकते थे । ठीक याद नहीं कि हमें टमटम को सवारी हरनौत में ही मिली, या उससे पहले ही पहुँची थी । मगर हरनौत के बाद तो हम जल्द ही टमटम से गये यह बखूबी याद है । असल में हरनौत के बाद की ही यात्रा महत्वपूर्ण थी । इसीलिये वह अच्छी तरह याद है ।

हरनौत से बहुत दूर तक हम पक्की सड़क से ही गये । मगर आगे हमें पक्की सड़क छोड़ देना पड़ा । टमटम कच्ची सड़क से चलने लगा । हम कई साथी उस पर बैठे थे । शायद तीन थे । कुछ दूर जाने के बाद हमें एक अजीब लड़ाई देखने को मिली । जिस गाँव के पास यह हो रही थी उसका नाम धाम तो हमें याद नहीं । हमने बहुत दूर से देखा कि तीन-चार छोटे छोटे जानवरों की आपस में ही कुछ खण्टप चल रही है । कभी एक खदेड़ता है बाकियों को, जो तीन की तादाक्ष में थे, तो कभी वे तीन उस पर हमला करते हैं । बहुत देर तक मैं यह चीज देखता रहा । जब तक टमटम नजदीक न पहुँचा तब तक तो मुझे पता भी न चल सका कि ये कौन से जानवर आगस में लड़ रहे हैं । मगर धीरे धीरे चक्कर काटता हुआ टमटम जब कुछ नजदीक आया तो मालूम हुआ कि एक छोटी सी बकरी अपने

तीन नन्हे बच्चों के साथ एक और है, और तीन कुत्ते दूसरी और। इन्हें दोनों के बीच वह कुश्तमकुश्ता चालू है। वह घंटों चलता रहा, यह मैंने खुद देखा। पहले कब से था कौन बताये। मगर जबसे मेरी नजर उस पर गई मैं बरबर वह निराली समां देखता था।

लड़ाई यों चलती थी। तीनों कुत्ते उस बक्री पर हमला करके चाहते थे कि बच्चों के साथ उसे मार के खा जायें। मगर उनके जवाब में उन बच्चों को अपने पेट के पास जमा करके वह बकरी मारे गुस्से के अपना माथा और सींगें मुक्काती और उन पर धावा बोलती थी जिससे वे तीनों ही भाग जाते थे। असल में जान पर खेल के जब वह उन पर टूट पड़ती थी तो वे हिम्मत हार के भाग जाते थे। मगर जब वह रुक जाती थी तो फिर उस पर टूट पड़ते थे। यही तरीका वरावर घंटों चलता रहा। मेरी नजर एकटक उसी पर ठिकी थी। ज्यों ज्यों मैं नजदीक आता जाता था, त्यों त्यों वह दृश्य-देख देख के मग्न होता था। मेरे शरीर के अंग अंग और रोम रोम खिलते जाते थे। नजदीक आने पर देखा कि बकरी छोटी सी ही थी। मगर गुस्से के मारे मौत की सूरत बनी थी, रणचंडी बनी वह भा काफी परीशान थी। कुत्ते तो थे ही। उसकी अब तक जीत रही, इसलिये हिम्मत बनी था। मगर कुत्तों का इरादा पूरा हो न रका था। वे तो उसका ही और श्रगर वह न हो तो कम से कम उसके तीनों बच्चों का ही गर्मागर्म खून पीना चाहते थे जो मिल न सका। इसलिये स्वभावतः उनमें पत्ती थी। फिर भी वह कुश्ती चालू थी। इतने में मेरे सामने ही बकरी का मालिक आ पहुँचा। उसने कुत्तों को मार भगाया और बकरी को घर पहुँचाया।

मेरे लिये वह दृश्य क्यों रोमांचकारी था और मैं उस पर क्यों मुग्ध था, इसकी बजह है। मेरे सामने हमेशा ही यह प्रश्न आया करता था कि किसान सब तरह से पत्त और पामाल हीने के कारण जर्नांटारों से हैंट के मुक्काबिला कर नहीं सकते और जिना मुक्काबिला किये जाते तो जुल्मों से ही उन्हें छुटकारा मिल सकेगा और न उन्हें अपना अधिकार ही

झासिल हो सकेगा । मैं जहाँ जाता वहाँ यह सवाल उठता था । मैं भी परीशान था । जवाब तो मैं देइ देता । पूछने वालों को और आम किसानों को भी समझा देता कि वे कैसे विजयी हो सकते हैं, हो जायेंगे । संसार में किसान कहाँ, कैसे विजयी हो चुके हैं यह बातें उन्हें कहके समझाता था । मगर आखिर यह सब कुछ परोक्ष और दिमागी दुनियाँ की ही बात होती थी । न तो मैंने ही कहाँ किसानों की विजय देखी थी और न किसानों ने ही । सारी की सारी मुनी सुनाई बातें ही थीं । इसलिये मुझे खुद अपने जवाब से सन्तोष न होता था । मैं तो प्रत्यक्ष मिसाल चाहता था कि किस प्रकार अत्यन्त कमज़ोर भी जनर्दस्तों को हरा देते हैं । बराबर इसी उघेङ्ग-बुन में रहता था कि बकरी की यह अनोखी और ऐतिहासिक लड़ाई देखने को मिल गई ! इससे मेरा काम बन गया । फिर तो यह भी देखा कि अकेली विज्ञी कैसे किसी आदमी पर विजय प्राप्त करती है ।

मैंने आँखों देखा कि मामूली सी बकरी अपने तीन बच्चों को और अपने श्रापको भी, घंटों दिलोजान से तीन कुत्तों के साथ करारी भिड़न्त करने के बाद भी, बचा सकी । यह तो प्रत्यक्ष चीज थी । अगर एक ही कुत्ता चाहता तो डरपोक और पस्त हिम्मत बकरी की हड्डियाँ चबा जाता । और वहाँ तो बकरी के तीन बच्चे भी थे । बकरी को ऐसी हालत में चबा जाना और भी आसान था । क्योंकि उसकी ताकत न सिर्फ अपने बचाने में खर्च हो रही थी, बल्कि उन तीन बच्चों के बचाने की परीशानी में भी बहुत कुछ खर्च होई जाती थी । फिर भी वह सफल रही और अच्छी तरह रही । क्यों ? क्या बजह थी कि वह ऐसा कर सकी ? इसका जवाब बातों से क्या दिया जाय ? जिसने उस समय उस बकरी की सूरत और चेहरा-मुहरा नहीं देखा है और जिसने यह अपनी आँखों नहीं देखा कि वह किस तरह लड़ती थी, उसके दिमाग में इस सवाल का जवाब कैसे समायेगा, बैठ जायगा यह मुश्किल बात है । इसे ठीक ठीक समझने के लिये वैसी घटनाओं को खुद देख लेना निःशयत जरूरी है । वह एक घटना इजार लेक्चरों का काम करती है । क्योंकि वह तो “कह सुनाऊँ” नहीं है ।

किन्तु “कर दिखाऊँ” है। और बिना “कर दिखाऊँ” के कोई वात दिल पर नक्श हो सकती नहीं।

असल में जब कोई पंक्ता मंसूवा और दृढ़ संकल्प करके जान पर खेल जाता है तो उसके भीतर छिपी अपार शक्ति बाहर आ जाती है। यही दुनिया का कायदा है। ताकत बाहर से नहीं आती। वह हरेक के भीतर ही छिपी पड़ी रहती है, जैसे दूध में मक्खन। जिस प्रकार मथन से मक्खन बाहर आ जाता है, ठीक उसी तरह जान पर खेल के लड़ जाने, भिड़ जाने पर वही भिड़न्त मथानी का काम करती है। फलतः छिपी हुई ताकत को बाहर ला खड़ा करती है। बकरी की लड़ाई से यह साफ हो जाता है। कहते भी हैं कि “मरता क्या न करता !” अगर मामूली बकरी हॉट जाने पर सपरिवार अपने को तीन कुत्तों से बचा सकती है, तो किसान हॉट जाने पर अपने हक की रक्षा क्यों न कर सकेगा ?

जब जवाबदेह कार्य और लीडर ऐसा काम कर ढालते हैं जिसे व्यवहार-मुद्दि (Common-Sense) मना करती है तो वही दिक्षित पैदा हो जाती है। जनता में काम करना एक चीज़ है और केवल राजनीतिक चालचाजी दूसरी चीज़। अखबारों में खबर छपवा देना कि फलाँ फलाँ जगह मीटिंगों हुईं और अमुक अमुक सजन बोले, यह एक ऐसी बात है जिसे हमारे कार्यकर्ता और लीडर आमतौर से पसन्द करते हैं। मीटिंग कैसी थी, उसमें ठोस काम क्या हुआ, या नहीं हुआ, इस बात की उन्हें शायद ही पर्वा होती है। मैं इसे न सिर्फ़ गैर जवाबदेही मानता हूँ, बल्कि उसी समझता हूँ। बाहरी दुनियाँ पर चन्द लोगों के प्रभाव और नेतृत्व का असर इससे भले ही जमे। मगर धोखा होता है। जनता का काम इससे कुछ भी होता नहीं। किर भी हम इस प्रवाह में बहे चले जाते हैं। अखबारों की रिपोर्टें इसी तरह की अवसर हुआ करती हैं। हम इतने से ही सन्तोष करते हैं। अपनी सालाना रिपोर्टों की तोदें भी इन्हीं बलगमों रिपोर्टों से भर ढालते हैं। बाहरी दुनियाँ हमारी बड़ाई करती है कि हम बहुत काम करते हैं। यदि एक ही दिन में हमारी कई मीटिंगों की खबरें छप जाय तब तो कहना ही क्या ? तब तो हमारी महत्ता और लीडरी आसमान छू लेती है।

जब अपनी सफलता का हिसाब हम खुद इन्हीं भूठी रिपोर्टों से लगाते हैं तब तो किसानों और मंजदूरों का भला भगवान ही करे। तब पता लग जाता है कि हम कैसे सच्चे जन-सेवक हैं। हमारे दिलों में पीड़ित जनता की वास्तविक सेवा की आग कैसी जल रही है इसका सञ्चूत हमें मिल जाता है। मगर असलियत तो यह है कि इन हरकतों से गरीबों का उद्धार सत जन्म में भी नहीं हो सकता। वे तो बाबजूद इन मीटिंगों के भेड़-बकरियों की तरह कभी एक दल के श्रीं और कभी दूसरे के हाथों मँड़ते ही रहेंगे।

इस तरह हम उनके नेता बनके अपने तुच्छ स्वार्थ के लिये उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बराबर बैंचते ही रहेंगे । उनके उद्धार का रास्ता यह हर्गिज है नहीं । मगर वदकिस्मती से इस बात के कड़वे अनुभव मुझे किसान-आन्दोलन के सिलसिले में इतने उद्यादा हुए हैं कि गिनाना बेकार है ।

एक बात और है । जवाबदेही का मतलब भी हम ठीक समझ पाते नहीं । किसी काम के पूरा करने में क्या क्या करना होगा, कौन कौन दिक्कतें आयेंगी, उनका सामना कैसे किया जायगा, उस सम्बन्ध में किस पर विश्वास करें, किस पर न करें, विश्वास करें भी तो कहाँ तक करें, बगैरह बगैरह पहलुओं पर पूरा विचार करना भी जवाबदेही के भीतर ही आता है और यही उसके अधिली पहलू है । इन पर पूरा गौर किये बिना हम जवाब-देही को पूरा कर नहीं सकते और अगर हम इसमें चूकते हैं तो इसकी बजह या तो यही है कि हमने जवाबदेही को अभी तक जाना नहीं, या हमें इस बात का अनुभव नहीं कि कौन क्या कर सकता है, किसकी कौन सी दिक्कतें और अड़चने हैं जिन्हें पहले समझ लेना जल्दी है । जब देहात के किसान या कार्यकर्त्ता किसी मीटिंग के प्रबन्ध की पूरी जवाबदेही ले लेते हैं तो हम निश्चिन्त हो जाते हैं कि अब हमें कुछ करना है नहीं । हम तो मजे से चलेंगे और मीटिंग करके लौट आयेंगे ।

मगर यह भारी भूल है । देहात के लोगों के लिये यह समझ लेना और सब बातों का पूरा पूरा हिसाब लगा लेना आसान नहीं है । सब बातों के तौलने की जवाबदेही उन पर ढालना ही भूल है । उस तौल का उनका तराजू भी देहाती ही होता है जो पूरा नहीं पड़ता । इसीलिये हमें खुद सारी चीजों की देख-भाल करना जहरी है । मैंने देखा है कि हर मीटिंग के करने करने वाले आमतौर से यही समझते हैं कि टुनियाँ में वर यही एक मीटिंग है । इसीसे सब का काम चल जायगा । इसके बाद आज ही कहीं और भी मीटिंग हमारे लांडर को करना है या नहीं इसकी पर्वा ठन्हें होती ही नहीं । कल, परसों भी उन्हें कहीं इसी तरह जाना है या नहीं, और अगर वे नहीं जा सके तो लोगों को दैसी ही निराशा होगी या नहीं,

लोग वैसे ही चुरा मानेंगे या नहीं, जैसा कि तैयारी हो जाने पर हमारे यहाँ नेताओं के न आ सकने पर हम मानते हैं, यह बात भी वे लोग साधारणतया सोचते ही नहीं। फिर ठीक समय मीटिंग को पूरा करने की सारी तैयारी वे करें तो कैसे करें ? लेकिन यह तो हमारे जवाबदेह कार्यकर्त्ताओं का ही काम है कि ये सारी बातें सोचें और उसी हिसाब से ऐसा प्रबन्ध करें कि ठीक समय पर सारा काम पूरा हो जाय। देहात के लोगों के कह देने पर ही सारी बात का विश्वास कर लेना बड़ी भारी गलती है। हमें उन लोगों की कमजोरियों को बिना कहे ही अपने ही अनुभव के आधार समझ लेना और तदनुसार ही काम करना चाहिये।

इस सम्बन्ध के कट्टु अनुभव मुझे यों तो हजारों हुए हैं और उनसे काफी तकलीफ भी हुई है। मगर कभी कभी भीतर ही भीतर जल जाना पड़ा है। खासकर जब बड़े लीडर कहे जाने वालों ने ऐसी नादानी की है। इस बात की चर्चा एकाघ बार पहले ही की जा चुकी है। मगर एक घटना बहुत ही मार्कें की है। सन् १९३६ ई० की वरसात गुजर चुकी थी। किसान लोग खींचोने की तैयारी में खेतों को ठीक कर रहे थे। धान की फसल अभी तैयार न हुई थी। खेतों में ही खड़ी थी। मगर वरसात का पानी रास्तों से आमतौर से सूख चुका था। जहाँ तक अन्दाज है कार्तिक महीने की पूर्णमासी अभी बीती न थी। ठीक उसी समय घटना जिले के बाढ़ सब-डिविजन के हमारे एक किसान-नेता ने मेरे दौरे का प्रोग्राम तय किया। और मीटिंगों के अलावे उनने एक ही दिन दो मीटिंगों का प्रबन्ध किया। एक फतुहा थाने के उसका गाँव में और दूसरी हिलसा थाने में हिलसा में ही। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि देहात की मीटिंग के साथ दूसरी मीटिंग भी हो यह शायद ही सोचा जा सकता है जब तक कि मोटर का रास्ता न हो। लेकिन उनने न माना।

जब मीटिंग के दिन हम फतुहा स्टेशन पर आये तो मैंने उसका के जारे में बार बार पूछा कि कितनी दूर है, रास्ता कैसा है, आदि आदि। उत्तर मिला कि बहुत दूर तक तो छमठम जायगा। फिर नदी के बाद तीन-चार

मीन हाथी से जाना होगा । मगर मेरे दिल ने यह बात नहीं कवूल की । खूबी तो यह थी कि मीटिंग के बाद हाथी से ही ४५५ मील चलके लाइट-रेलवे की गाड़ी पकड़ना और शाम तक हिलसा भी पहुँचना जरूरी था । मैंने उनसे साफ कहा कि यह बात गैर सुमकिन है । मुझे जो देहातों का अनुभव है उसके बल पर मैंने उन्हें साथ चलने से रोका और हिलसा जाने को कहा । उनसे यह भी साफ कह दिया कि हिलसा आने की मेरी उम्मीद छोड़ के आप खुद मीटिंग कर लेंगे । हाँ, अगर सुमकिन हुआ तो मैं भी आ जाऊँगा । मगर मेरी इन्तजार में आप कहीं बैठे ही न रह जायें । इसी समझौते के अनुसार मैं टमटम पर बैठ के एक कार्यकर्ता के साथ उसफा की ओर चला, इस आशा ने कि जहाँ हाथी खड़ा रहने का इन्तजाम है वहाँ तक जल्दी पहुँच जाऊँ ।

मगर गैर जवाबदेही का एक नमूना फतुहा में ही मिला, जब हमारा टमटम सदर सड़क छोड़ के गली से चलने लगा । कुछ देर के बाद गली बन्द थी और उसकी भरमत के लिये पत्थर की गिहियाँ पड़ी थीं । बड़ी दिक्कत हुई । टमटम जाने की उमीद न थी । बहुत ही परीशानी के बाद जैसे-तैसे टमटम पार किया गया । वह परीशानी हर्मो जानते हैं । फिर टमटम बढ़ा कुछ दूर—कुछ ज्यादा दूर—जाने के बाद साइकिल से दौड़ा हुआ एक आदमी हमारे पीछे आता था और हमें पुकारता था । मगर देर तक हम उसकी आवाज सुन न सके और बढ़ते गये । जब वह नजदीक आ गया तो उसकी पुकार हमने सुनी । उसने कहा कि हाथी तो स्टेशन पर आ गया है, आप वहीं लौट चलें । हम घबराये और सोचा कि यदि दूसरा संकट आया । लौटेंगे तो फिर उसी गली में टमटम निकालने की बला आयेगी । इसलिये साइकिल वाले से कह दिया कि जाओ और हाथी वहीं भेजो जहाँ पहले भेजने का तय पाया था । वयोंकि तुम भी तो कहते ही थे कि भूल से हाथीवान उसे स्टेशन ले गया हैं । इस पर कबैचारा लौट गया । हम आगे बढ़े । मगर कुछी दूर और चलके टमटम वाले ने कह दिया कि “बस, चालू ली, अब आने टमटम ला न सकेगा ।

यहीं तक की बात तय पाई थी ।”

हम लोग उत्तर पड़े और पैदल चल पड़े । कुछ दूर चलने के बाद मालूम हुआ कि इधर नदी-बदी कोई है नहीं । उसका का रास्ता आगे से खेतों से होके जायगा, यह कच्ची सड़क छूट जायगी । हम लोग कुछ दूर और चल के धान के खेतों के बीच एक पीपल के नीचे जा ठहरे । वहीं इन्तजार करने लगे कि हाथी आये तो चलें । पेड़ की छाया में कुछ लेटे भी । मगर नहीं । मीठिंग में पहुँचने की फिक्र जो थी । इसीलिये रह रह के हाथी का रास्ता देखते । कभी खड़े होते, कभी बैठ जाते । देखते देखते एक घंटा बीता, दो बीते । मगर हाथी लापता ही रहा । ताकते ताकते आँखें पथरा गईं । हम परीशान हो गये । मगर फिर भी हाथी नदारद ! इधर दिन के दस-न्यारह बज भी रहे थे । हमने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि हाथी की इन्तजार में बैठे बैठे उसका की भी मीठिंग चौपट हो । हिलसा जाने का तो श्रव सबाल ही नहीं । हमारे सामने यह तीसरी दिक्कत आई । मगर हमने तय किया कि पैदल ही आगे बढ़ना होगा । रास्ता भी तो देखा था नहीं । फिर भी हिम्मत की कि पूछते-पालते चले जायेंगे । हमने पहले से ही होशियारी की थी कि साथ में कोई सामान नहीं लिया था । नहीं तो कहीं बैठे रह जाते । उसका जाना तो दूर रहा । फुहा लौटना भी दूभर हो जाता । सामान कौन ले चलता ? उस धोर देहात में कुली कहाँ मिलता ? मुझे तो ऐसे मौके कई पड़े थे । इसीलिये तैयार होके आया था कि पैदल भी चलूँगा यदि जरूरत होगी । फिर सामान साथ लाता क्यों कर ?

हाँ, तो हम चल पड़े । रास्ते की बात पूछिये मत । केवाल की काली मिट्टी सूखी थी । वह पाँवों को कतरे जाती थी । जूता पहनने में दिक्कत यह थी कि रह रह के कीचड़-पानी पार करना पड़ता था । इसलिये जूता महाराज हाथों की ही शोभा बढ़ा रहे थे । कभी कभी पाँवों में भी जा पहुँचते थे । रास्ता भी कोई बना बनाया था नहीं । कहीं खेत और कहीं दो खेतों की मेंड (आर) से ही चलना पड़ता था । पूछने पर लोगों ने यही चताया कि फलाँ कोने में उसका है । बस, वही दिशा देख के चल रहे

थे । फिर भी काफी भटके । दूर दूर तक कहीं गाँव नजर आते न थे कि किसी से रास्ता पूछें । सूनी जगह में पेह भी थे नहीं कि रामचन्द्र की तरह सीता का हाल उन्हीं से पूछते । पशु भी नदारद ही थे । यही हालत पक्षियों की थी । बहुत चलने पर कहीं कहीं एकाथ हल चलाने वाले किसान मिलते तो उन्हीं से पूछ लेते कि उसका का रास्ता कौन है । फिर उसी अन्दाज से आगे बढ़ते । कातिक की धूम भी ऐसी तेज थी कि चमड़ा जला जाता था । प्यास भी लगी थी । मगर रास्ते में पानी पीना आसान न था । कहीं गाँव में कुओं मिले तभी तो पिया जाय । मगर कुओं की हालत यह थी कि उनमें मुँह तक पानी भरा था । ऐसी हालत में उनका पानी पीना बीमारी बुलाना था । इसलिये प्यासे बढ़ते जाते थे । रास्ते में एक दो गाँव भी मिले । वहाँ हमने उसका की राह पूछ ली और बढ़ते गये ।

चार या छः मील की तो ब्रात ही मत पूछिये । आठ नो मील से कम हमें चलना न पड़ा । बराबर चलते ही रहे । फिर भी तीन घंटे से उद्यादा ही वक्त वहाँ पहुँचने में लगा । हम परीशान थे । मगर चारा भी दूसरा था नहीं । मीटिंग में तो पहुँचना ही था, जाहे जो हो जाय । अन्त में एक गाँव मिला । हमने समझा यही उसका है । किन्तु हमारा ख्याल गलत निकला । आगे बढ़े । पता चला कि आगे वाला उसका है । मगर नदी नाले और पानी कीनड़ के करते रास्ता चक्र काढ़ता था । अन्त में कुछ लोग मिले जो सभा में जा रहे थे । तब हमें हिम्मत हुई कि अब नज़रीक आ गये । अन्त में बाजे-गाजे वालों की भीड़ भिजी । ये लोग स्वागतार्प जमा थे । हमें इनके भोले-भाले पन पर दया आई । हम पहुँचेने भी या नहीं इसका ख्याल तो इनने किया नहीं और स्वागतार्प बाजे-गाजे के साथ जम गये । हमने उसका कि अब सभा-स्थान पाल में ही होगा । मगर सो ब्रात तो थी नहीं । अभी नोलां चलना था । बहुत देर के बद गाँव में पहुँचे तो सारे गाँव में जुलूस धूमता रिया । हमें क्या मालूम कि जुलूस धुमाया जा रहा है । गाँव भी शैतान की ओर तरद लग्या है ।

हम तो प्यासे मरे जा रहे थे और लोगों को जुलूस की पड़ी थी । पर, किया क्या जाय ? देहात के लोग तो सीधे होते हैं । वे अगर सारी बातें समझ जाँच तो फिर जर्मीदारी कैसे रहने पायेगी ? महाजनों की लूट चालू क्योंकर रहेगी ? उनकी नासमझी और उनका भोलापन यही तो लूटने वालों की—शोषकों की—पैँजी है, यही उनका हथियार है ।

जैसे-तैसे जुलूस का काम पूरा हुआ और हम लोग गाँव से बाहर बाग में पहुँचे जहाँ सभा का प्रबन्ध था । मगर मेरा तो गला सूख रहा था । इसलिये कुएँ से पानी मँगवा के भरपूर स्नान किया तब कहीं कुछ ठड़क आई । फिर पानी पिया । जरा लेटा । इतने में लोग भी जमा होते रहे । मुझे पता चला कि वहाँ शायद ही कोई पहुँच पाता है । बरसात में फतुहा से लेकर वहाँ तक केवल जलमय रहता है । जाड़े में भी आना गैरमुमकिन ही है । हाँ, गर्मी में शायद ही कोई आ जाते हैं । आमतौर से यही होता है कि मीटिंगों की नोटिसें बँट जाती हैं, लोग जमा भी होई जाते हैं । मगर नेता लोग ही नहीं पहुँच पाते । फलतः लोग निराश लौटते हैं । इस बात की आदत सी वहाँ के लोगों में हो गई है । मोटर वजैरह का आना तो असंभव है । वैलगाड़ी की भी यही हालत है । हाथीया घोड़े से आ सकते हैं । नहीं तो पैदल । मगर नेता और पैदल ! मेरे बारे में भी लोग समझते थे कि शायद ही पहुँचूँ । इसलिये मरता-जीता, थका-प्यासा जब मैं पहुँच गया तो लोगों को ताज्जुत हुआ ।

यों तो उसका मैं मिडिल स्कूल है । लोहब्रेरी भी है । फुटबाल वजैरह की खेल भी होती है । कांग्रेस की लड़ाई में वहाँ के कुछ लोग कई बार जेल भी गये हैं । फिर भी वह समूचा इलाका ही पिछड़ा हुआ है । सभाएँ शायद ही होती हैं । छोटे मोटे जर्मीदार, जो उस इलाके में हैं, खूब जुल्म करते हैं । पुलिस का भी वहाँ पहुँचना आसान नहीं है । इसलिये जालिम लोग स्वच्छन्द विचरते हैं । लगातार कई साल के बीच मेरी वही एक भीटिंग थी जहाँ पुलिस पहुँच न सकी, सी० आई० डी० रिपोर्टरों का पहुँचना तो और असंभव था । वे लोग हिलसा की मीटिंग में चले

गये । यह भी एक अंजीव बात थी । तमाशा तो यह हुआ कि मुझे लेने के लिये मेजा गया हाथी मीटिंग खत्म होते न होते वहाँ लौटा ।

सभापति उस सभा में बनाये गये इलाके एक छोटे से जर्मीदार । मुझे यह बात पीछे मालूम हुई । नहीं तो शायद ही ऐसा होने पाता । मगर मैंने लेवचर जो दिया वह तो जर्मीदारी-प्रथा और जर्मीदारों के जुल्मों के खिलाफ़ ही था । फिर भी न जानें सभापति जी कैसे पत्थर का कलेजा बनाके सुनते रहे । मुझे उनके चेहरे से मालूम ही न पड़ा कि वे मेरे भाषण से घबरा रहे हैं । यदि घबराते भी तो मुझे पर्वा क्या थी ? मैं तो अपना काम करता ही । मैंने यह जरूर देखा कि लोग मरत होके मेरी एक बातें सुनते थे । मालूम पड़ता था, उन्हें पीते जाते हैं । उनका चेहरा खिलता जाता था, ज्यों ज्यों सुनते जाते थे । मुझे यह भी पता चला कि उसफा के किसान जर्मीदारों के जुल्मों के खिलाफ़ लड़ने में जरा भी नहीं हिचकते । औरों की तरह पुलिस से भी वे भयभीत नहीं होते । यदि पुलिस जर्मीदारों या महाजनों का पक्ष अन्यायपूर्वक ले, तो उससे भी उनकी दो दो हाथ हो जाती है । भविष्य के ख्याल से यह सुन्दर बात है । एक के लिये मर मिटने की लगन के बिना किसानों के निरतार का दूसरा गत्ता हई नहीं ।

हाँ, सभा के अन्त में एक मजेदार घटना हो गई । कुछ नीजवान लोग स्कूलों या कालिजों के पढ़ने वाले से प्रतीत हुए । उनने यह कहा कि बिना स्वराज्य मिले ही यह आप जर्मीदार-किसान कलह क्यों लगा रहे हैं । ये वे जर्मीदारों के ही लड़के । मगर चालाकी से उनने आजादी की दर्लिल की शरण ली और कमिसी बन दीठे । मैंने उत्तर दिया कि नगड़े के लगाने की क्या बात ? यह तो पहले से मौजूद ही है । अगर आपकी जायदाद कोई लूटने लगे तो क्या स्वराज्य की फिल में उससे लपट न पड़ेगा ? वयोंकि सुगड़ने पर तो आपकी ही दर्लिल से स्वराज्य की प्राप्ति में घाघ होगी । इस तो किसानों को यही बताते हैं कि वो स्वराज्य उन्हें लाना है वह कैसा होगा, वयोंकि जर्मीदारों और किसानों का स्वराज्य एक न होगा—

अलग अलग होगा । जो एक का स्वराज्य होगा, वह दूसरे के लिये बला बन जायगा ।

वे फिर बोले कि आप तो मिस्टर जिन्ना की सी बात कर रहे हैं । जैसे वह स्वराज्य मिलने के पहले उसका बँटवारा कर रहे हैं आप भी वैसा ही कर रहे हैं । इस पर मैंने उन्हें चताया कि आप मेरी स्थिति को ठीक समझी न सके । मैं तो किसानों को सिर्फ यही चताता हूँ कि सजग होके स्वराज्य के लिये लड़ो ताकि वह उनका स्वराज्य हो, न कि जर्मीदारों और सूदखोरों का । मगर वह लड़ें जरूर । जर्मीदार बगैरह न भी लड़ें, तो भी वे अकेले ही लड़ें । अगर वे लोग भी लड़ें तो साथ मिलके ही लड़ें । मगर चौकन्ने रहें ताकि मौके पर जर्मीदार लोग उन्हें चकमा देके स्वराज्य को सोलहों श्राने हथिया न लें । लेकिन मिस्टर जिन्ना तो मुसलमानों को लड़ने से ही रोकते हैं । वे तो नौकरियों और असेम्बली की सीढ़ों का बँटवारा चाहते हैं । उसके लिये हिन्दुओं से मिलके लड़ना नहीं चाहते । बल्कि बारन्बार मुसलमानों को लड़ने से रोकते हैं । फिर मेरी उनके साथ तुलना कैसी । क्या कोई कह सकता है कि मैंने, किसान-सभा ने या किसानों ने कांग्रेस की लड़ाई में साथ नहीं दिया है । क्या मैंने कभी किसानों को रोका है ।

इसके बाद वे लोग चुप हो गये । मगर किसानों ने सभी बातें समझ लीं । मैंने उनसे पूछ दिया कि तुम्हारे गाँव के जर्मीदार जो नवाब साहब हैं उनके स्वराज्य के लिये लड़ेंगे या अपने स्वराज्य के लिये । उनने एक स्वर से सुना दिया कि अपने स्वराज्य के लिये । तेव मैंने कहा कि ये सवाल करने वाले तो नवाब साहब का ही स्वराज्य चाहते हैं, गोकि साफ साफ चोलते नहीं । मगर गोलमोल स्वराज्य का तो यही मतलब ही है । इन्हें डर है कि गोलमोल न कह के अगर स्वराज्य का स्वरूप बनाने लगेंगे तो किसान हिचक जायेंगे । जिस स्वराज्य में जमीन के मालिक किसान न हों, अपनी कमाई को पहले स्वयं सपरिवार भोगें नहीं, उन्हें काफी जमीन मिले नहीं, सूदखोरों से उनका पिंड छूटे नहीं, जर्मीदारों के जुल्म से उनका

पत्ता छूटे नहीं और भूखों मर के भी लगान, कर्ज वजौरह चुकाना ही पड़े वह उनका स्वराज्य कैसा ! और अगर यह बातें न हों तो फिर जर्मीदार मालदारों का स्वराज्य कैसा ! इसीलिये कहता हूँ कि किसान और जर्मीदार मालदार का स्वराज्य एक हो नहीं सकता । इस पर जय-जयकार के साथ सभा विसर्जित हुई । सभी अपने-अपने गाँव घर गये ।

अब सबाल आया वापिस जाने और फतुहा में ठीक समय पर गाड़ी पकड़ने का । क्योंकि प्रायः शाम हो चली थी । हिलसा पहुँचने का तो प्रश्न ही न था । खतरा यह था कि फतुहा में भी विहटा जाने वाली ट्रेन मिल सकेगी नहीं । यदि तेज सबारी मिलती तो मुमकिन था उसका मिलना । इसलिये मैंने इस बात पर जोर दिया कि अच्छी सबारी जल्द लाई जाय । मैंने सभा के पहले भी बहाँ पहुँचते हो कह दिया था कि सबारी का इन्तजाम ठीक रहे । आने में जो हुआ सो तो हुआ ही, जाने का तो ठीक रहे । नहीं तो कल का प्रोग्राम भी चौपट होगा । हिला तो रही गया । लोगों ने हाँ हाँ कर दिया और सब ठीक है मुनाया । लेकिन मुझे तो शक था ही । क्योंकि “सब ठीक है” बाला जवाब जो फौरन मिल जाता है, बड़ा ही खतरनाक होता है । ऐसा मेरा अनुभव है सेकड़ों जगहों का । फिर भी करता ही आखिर क्या ! इसलिये मीठिग खम होते ही सबारी की चिल्हाहट मैंने मचाई । जवाब मिला, आ रही है । कुछ देर बाद फिर पूछा, तो वही ‘आ रही है’ का उत्तर मिला । कई बार वही सुनते सुनते ऊब गया । आने के समय की पत्ती होने के कारण ही सबारी के लिये परीशानी थी । नहीं तो पैदल ही चल पड़ता । मगर जब देखा कि कुछ होता जाता नहीं, तो आखिर चल देना ही पढ़ा पैदल ही । लोग रोकने लगे कि रुकिये, सबारी आती है । मगर मुझे अब यकीन न रहा । अतः रवाना हो गया । पीछे देखा कि वही पुराना हाथी चीटी की चाल से चला आ रहा है । मुझे रंज तो बहुत हुआ कि ये लोग धोखा देते हैं । भला इस नुर्दा सबारी से फतुहा कब पहुँचेंगा । ऐसी नीर जवाबदेही ! इसके पीछे से लोग पुकारते जाते थे कि मैं रुकूँ । मगर मैं बढ़ता ही चला जाता

या । सबारी की यह आखिरी दिक्षत ऐन मौके पर चहुत ही अखरी । किन्तु लाचार था । एक दो मील चला गया । शाम हो रही थी । दूध भी न पी सका था । अतएव आगे के गाँव वालों ने रोका । वे भी सभा में गये थे । एक वैष्णव ब्राह्मण ने चाहर ही कुएँ पर कम्बल डाल के मुझे चिठाया और फौरन ही गाय का दूध दुहवा के मुझे पीने को दिया । इतने में कुछ देर हो गई और बूढ़ा हाथी भी आ पहुँचा । मैं उस पर चढ़ने में हिचकता था । इसके लिये तैयार न था । मगर लोगों ने हठ किया । रात का समय और अनजान रास्ता । कीचड़ी पानी से होके गुजरना, सो भी आठ दस मील । टेढ़ी समस्या थी । दिन रहता तो पैदल ही चल देता खामखाह । मगर अन्धेरी रात जो थी । इसलिये मजनूरन हाथी पर बैठना ही पड़ा । एक लालटेन भी आई रास्ता दिखाने के लिये, मगर वह ऐसी मनहृस थी कि रोशनी मालूम ही न होती थी । फिर भी दूसरी थी नहीं । इसलिये वही साथ ली गई । लेकिन वह फौरन ही बुझ गई । अतएव पुकार के उसके मालिक के हवाले उसे हमने कर दिया और अन्धेरे में ही अन्दाज से चल पड़े । आखिर करते ही क्या । हाथी एक तो बूढ़ा और कमज़ोर था । दूसरे यका भी था हमारी ही तरह । क्योंकि अभी अभी स्टेशन से वापिस आया था । तीसरे भूखा था । भलेमानसों ने उसके खाने का कोई प्रबन्ध किया ही नहीं और मेरे साथ उसे फिर चला दिया । यह अजीब बात थी । और अगर रात न होती तो वह भूखों ही मरता । एक कदम बढ़ता भी नहीं, लेकिन रात होने से उसका काम चालू था । हाथी तो रास्ते के खेतों में खड़ी फसल को नोचता-खाता ही चलता है । यही तो उसकी गुजर है । दिन में खेतवाले सजग रहते और चिज्जाते हैं, तूफान करते हैं । इसलिये फीलवान हाथी को रोकता-डाँटता चलता है जिससे उसका घात शायद ही लगता है । मगर रात में तो यह खतरा था नहीं । इसलिये हाथी का स्वराज्य था । धान के हरे हरे खेत खड़े थे । उन्हीं से होके हम गुजर रहे थे । हाथी खाता चलता था । किसानों की फसल की इस तरह तबाही हमें खलती जरूर थी । इसीलिये आमतौर से हम हाथी पर चढ़ते नहीं । मगर

हाथी की भूख को देख के हम भी मजबूर थे और हाथीवान से उसे रोकने की बात कहने की हिम्मत हमें न थी ।

इस प्रकार चलते चलाते एक नदी के किनारे चलने लगे । मालूम हुआ कि यह आम रास्ता फतुहा जाने का है । अब हमें यकीन हुआ कि गत्ता भूले नहीं हैं । ठीक ही जा रहे हैं । कुछ दूर यों ही चलते रहे फिर वह नदी हमें छोड़ के जाने कहाँ भाग निकलो । नदियों की तो चाल ही टेढ़ी-मेढ़ी होती है । फिर उनकी किससे पटे । जो बैसी ही चाल के अभ्यासी हों वही उनके साथ निभ सकते हैं । हमें तो जल्दी यी फतुहा पचहुँने की । घड़ी पास ही थी । रह रहके बक्क देखते जाते थे । अब हमें ढर हो गया कि ट्रेन पकड़ न सकेंगे । क्योंकि अन्दाजा या कि फतुहा अभी दूर है । इतने में ही ट्रेन की रोशनी नजर आई । हमने देखा कि पूरब से पञ्चम धक्खक्-चक्रमक करती रेलगाड़ी चली जा रही है । उसे हमारी क्या पर्वा थी । अगर उसके भीतर दिल नाम की कोई चीज होती और हमारा पता उसे होता तो शायद हमारे भीतर मचने वाले महाभारत को वह महसूस कर पाती । फिर भी हमारे लिये रुकती थोड़े ही । जो लोग समय के पावन्द हैं और उसकी पुकार सुनते हैं वह किसी की पर्वा न करके आगे बढ़ चलते हैं, बढ़ते ही जाते हैं । यद्यु खशाल उस समय हमारे माथे में घूम गया । अपनी विफलता में भी इतनी सफलता, यह शिद्धा हमें मिली । हमने इसी से सन्तोष किया ।

हाथी चलता रहा । इतने में लाइट रेलवे की ट्रेन भी दक्षिण ते आई और चली गई । हम टुक-टुक देखते ही रह गये । आखिर चलते चलाते हम भी फतुहा के नजदीक पहुँचे । जब हम पक्की सड़क पर आये तो हमें दो साल पहले की एक घटना याद आई । हमें ऐसा लगा कि फतुहा के पास हमें बराबर दिक्कते होती हैं, खालकर हिलाके प्रोग्राम में । दो साल पहले भी ऐसा ही हुआ था कि हिला में मीटिंग फरक्के हम लोग टमटम से ही फतुहा चले थे ट्रेन पकड़ने । ट्रेन तो हमें मिली थी । मगर पास में पहुँचने पर उसी पक्की सड़क पर मरते भरते बचे थे । चार दो दुरं

कि रात हो गई थी और जिस टमटम से हम लोग आ रहे थे वह था हिलसा का ही । ज्यों ही वह उस स्थान पर पहुँचा जहाँ एक पुल है और दो सड़कें मिलती हैं त्यों ही एक बैलगाड़ी आगे मिली । टमटम वाले ने चाहा कि टमटम को बगल से निकाल दें । मगर उसके ऐसा करते ही घोड़ा पटरी के नीचे उतर गया और अँखें मुँह गिर पड़ा । असल में वहाँ सड़क के बगल में बहुत गहराई है । अगर टमटम उलटा तो हमें एक की भी जान न बच पाती । सभी खत्म हो जाते । मगर घोड़े के गिर जाने पर भी टमटम कैसे रुक गया यह अजीब बात है । हमारे साथी नीचे गिर पड़े । टमटम लटक के ही रह गया । उलटा नहीं । मगर मैं उसी पर बैठा ही रह गया । मेरे सिवाय उचों को चोट भी थोड़ी बहुत आई । घोड़ा तो मरी जाता अगर मफ्टपट हम लोग टमटम से अलग उसे न कर देते और उठा न देते । खैर, वह उठाया गया और जैसे तैसे स्टेशन के नजदीक पहुँचा । उस दिन की घटना हमें कभी नहीं भूलती । ऐसी ही घटनायें किसान-न्याय के दौरे में दो एक बार और भी हुई हैं । मगर इस बार की थी सबसे भयानक । हम तो बाल-बाल बचे । सो भी मुझे कुछ भी न हुआ । वही घटना हमें उस दिन स्टेशन पर फिर याद आ गई कि हम उसी मनहूस स्थान पर पहुँच गये ।

हाथी बहाँ से आगे बढ़ा और हम स्टेशन के दक्षिण रेलवे लाइन की गुमटी पर ही हाथी से उतर पड़े । हमें ऐसा मालूम हुआ कि किसी बीरान से आ रहे हैं जहाँ न रास्ता हो और न कोई सवारी शिकारी । गाड़ी तो कभी की छूट चुकी थी । अब हमें उसकी फिक न थी । बल्कि इस बात की खुशी थी कि खैरियत से हम इस भयंकर यात्रा से लौट के स्टेशन तो पहुँचे । असल में एक चिन्ता के रहते ही अगर उससे भी खतरनाक बात सामने आ जाय तो चिन्ता खुद काफ़ूर हो जाती है और नया खतरा अँखों के सामने नाचने लगता है । हमारी यही दालत हो गई थी । हम स्टेशन पहुँचेंगे या नहीं, पहुँचेंगे भी तो कब और किस स्थान में, हाथ पाँव ढूटे होंगे, या खैरियत से होंगे, आदि बातें हमारे दिमाग में भर रही थीं । हमें

फिक यही थी कि किसी सूरत से स्टेशन पर सकुशल पहुँच जायें । यही वजह है कि पहुँच जाने पर हमारी खुशी का ठिकाना न रहा ।

स्टेशन पर जाने के बाद दिक्षत हुई सोने की । सोने का सामान तो पास था नहीं । वह तो ट्रेन से चला गया था । यहाँ तक कि हाथ पर्व धोने के लिये पानी लाने का लोटा भी नहीं था । इसलिये वेडिंग, रूम में चुपके से अन्वेरे में ही जा पड़े । मगर थोड़ी देर बाद स्थानीय कवीर-पंथी मठ के कुछ विद्यार्थी हमें हूँढ़ते आये । वे महन्त के जुल्म से ऊचे थे और हमारी प्रतीक्षा में थे । ट्रेन के समय खोज के लौट गये थे । वे फिर आये और हमें अपनी जगह लिवा ले गये । उस समय हम उनकी कुछ खास मदद कर न सके । फिर भी रास्ता बता दिया । बुवह की ट्रेन से इस बिहार चले गये ।

किसान-सभा की स्मृतियाँ हैं तो इतनी कि पोथे लिखे जा सकते हैं। यह भी नहीं कि केवल कहानियों जैसी हैं। हरेक स्मृति मजेदार है। घटनाओं से पता चलता है कि किन किन संकटों को, कब्र कब्र, कैसे पार करके सभा की नींव मजबूत की गई है। कई बार तीन तीन, चार चार मील लगातार दौड़ते रहके ही किसी प्रकार सभा-स्थान में पहुँच सका, जैसा कि एक बार पट्टा जिले के दान्तपुर इलाके मगर पाल दियारे की रामपुर वाली सभा में हुआ था। सवारी का प्रबन्ध वे लोग न कर सके और जब देर से हम शेषपुर पहुँचे तो शाम हो चली थी। यदि कसके चार मील दौड़ते नहीं तो लोग निराश होके चले जाते।

इसी प्रकार एक बार खटांगी में, गया जिले में, सभा करनी थी। गया से मोटर से चले। पानी पहुँचुका था। सड़क पर नई मिट्टी पढ़ी थी—कच्ची सड़क नई नई बनी थी। मोटर धूंस जाती थी। छे मील में छे धंटे लग गये। रात हो गई। अन्त में मोटर छोड़ के कई मील पैदल रात में ही अन्दाज से गये। तब तक सभा से लोग चले गये थे। मगर चारों ओर पुकारते हुए लोग दौड़े और मीटिंग की तैयारी में लगे। नतीजा यह हुआ कि रास्ते से ही लोग लौट पड़े। देर से तो खटांगी से लोग चले ही थे। इसीलिये रास्ते में ही थे। सभा भी दस ब्यारह बजे रात में जम के हुई और खूब हुई।

सबसे मजेदार बात तो मस्कियावाँ बकाशत संघर्ष के बक्त हुई। मस्कियावाँ खटांगी से उत्तर दो तीन मील है। दोपहर को टेकारी पहुँचे थे। वहाँ से मस्कियावाँ चौदह मील है। बरसात का दिन, कच्ची सड़क, सवारी आने में देर। बस, पैदल ही चल पड़े। छे-सात¹ मील चल चुकने पर सवारी मिली। बड़ी दिक्कत से अन्धेरा होते होते मस्कियावाँ पहुँचे। संघर्ष

चालू था । चटपट लोगोंको जमा किया । मीटिंग की, और सबों को समझाके चल पड़े । आधी रात को गया में गाड़ी पकड़नी थी । अगले दिन का प्रोग्राम फेल न हो इसीलिये ऐसा करना पड़ा । सबारी उतनी जल्दी कहाँ मिलती । पैदल ही चल पड़े । वह मामूली रस्ता नहीं है । केवाल की मिट्टी थी । पानी खूब पड़ा था । रात का बक्क था । ट्रेन पकड़ने की फिर थी । साथ में कुछ लोग थे । यही अच्छा था । एक ट्यू भी साथ कर दिया गया । ताकि थकने पर उस पर चढ़ लूँ । मेरी तो आदत ट्यू पर चढ़ने की नहीं । जब एक बार चढ़ा तो थोड़ी देर बाद मारे तकलीफ के उतर पड़ा । एक बजे के करीब जैसे तैसे टेकारी पहुँचा । मोटर खड़ी थी । चढ़के मोटर दौड़ाई । ट्रेन खुलते न खुलते दो बजे के करीब गया पहुँच के गाड़ी पकड़ी और पटना आया । खुशी इस बात से हुई कि इस परी-शानी ने काम किया और मक्कियावाँ के किसानों ने—मर्दों से ज्यादा औरतों ने—लड़के अमावाँ राज्य को अपनी माँगें स्वीकार करने की मजबूर किया । लाखों रुपये बकाया लगान के छूट गये और चल्ते लगान पर नीलाम जमीन वापिस मिली । मक्कियावाँ श्री यदुनन्दन शर्मा की जन्म-भूमि है ।

लेकिन जितनी स्मृतिर्याँ अब तक लिपिबद्ध की जा चुकी है, उनमें हमारे आन्दोलन की प्रगति पर काफी प्रकाश पड़ता है और जानने वालों को मालूम हो जाता है कि यह किसान-सभा किस ढंग से बनी है । आसाम, बंगाल, पंजाब और खानदेश आदि की यात्राओं से इन्हीं बातों पर प्रकाश पड़ता है । उनका वर्णन स्थानान्तर में है भी । इसीलिये यदों लिखना आवश्यक समझा नहीं गया है । जिन खास घरूरत के पुनर्वर्ति ठीक नहीं । इसीलिये चलते चलाते एक भजेदार और महल्पूर्ण घटना का जिकरके इसे समाप्त करना चाहता हूँ । वह घटना बहुत पुरानी नहीं है । बल्कि यूरोपीय युद्ध छिड़ जाने के बाद की है । अब तक ने भाग मिल के जिन लोगों ने? किसान-सभा और किसान-आनंदोलन के बीच से की खास तौर से विद्यार्थी में और दूसरी जगह भी जिम्मेदारी ली थी उनमें

मनोवृत्ति पर इस घटना से काफी प्रकाश पड़ता है। किसान-आन्दोलन को आगे ठीक रस्ते पर चलाने वालों के लिये इस बात का जान लेना निद्यावत ही जल्दी है। नहीं तो वे लोग धोखे में पड़ सकते हैं, युमराह हो सकते हैं। असल में मुझे खुद इन बातों को समझने में कम से कम आधे दर्जन साल लग गये हैं। तब कहीं इन्हें बखूबी समझ पाया हूँ। इसीलिये दूसरों के सामने इन्हें रख देना मुनाविव समझता हूँ। ताकि उन्हें भी आधे या एक दर्जन साल इनकी जानकारी के लिये गुजारने न पड़े। यह पहले ही कह देना चाहता हूँ कि किसी का नाम न लूँगा। मुझे यह बात लाभकारी नहीं ज़िंचती है।

जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने अपनी अहिंसा का जामा उत्तार फेंका और गांधी जी को सलाम करके यह फैसला सन् १९४० के मध्य में कर लिया कि यदि अंग्रेजी सरकार भारत में भी राष्ट्रीय सरकार (National Government) बना दे और यह धोषित कर दे कि भारत को पूर्ण आजादी का हक है तो कांग्रेस इस यूरोपीय लड़ाई की सफलता के लिये मदद करेगी। गोकिं प्रस्ताव के शब्द कुछ गोल-मटोल और बकालती थे। फिर भी राष्ट्रपति और दूसरे जिम्मेदार नेताओं के वक्तव्यों से उनका आशय यही निकला। ठीक उस समय जेल में हमारे साथ ही रहने वाले कुछ सोशलिस्ट नेताओं को एक नई पार्टी बनाने की सूझी। इसके लिये उनने लम्बी चौड़ी दलीलें दीं और उनके आधार पर एक कार्य-पद्धति भी तैयार की। उनने यह भी साफ साफ स्वीकार किया कि अब कांग्रेस एक प्रकार से खत्म हो गई। अब वह आजादी के लिये नहीं लड़ेगी। वह हमारे काम की अब रह नहीं गई। गो सरकार ने फिल-हाल वर्किंग कमेटी की माँग कबूल नहीं की जिससे वह दफना दी गई है। मगर किसी भी समय वह कब्र से खोद निकाली जाकर जिलाई जा सकती है। अब कांग्रेसी नेता अंग्रेजी साम्राज्य शाही से गंठ जोड़ा करके उसी के हथियारों से उठती हुई जनता को दबाना चाहते हैं। क्योंकि अब उन्हें इस मुल्क की आम जनता (Masses) से भय होने लगा है। इसलिये

उनके साथ संयुक्त मोर्चे का सवाल अब रही नहीं गया ।

ऐसी हालत में अब हमें क्या करना चाहिये, इसके बारे में उनने अपना निश्चित मत प्रकट किया कि अब हमें किसान-सभा को ही किसानों की राजनीतिक संस्था के रूप में संगठित करना होगा । इसी बात पर हमें पूरा जोर देना जरूरी है । साथ ही, मजदूरों के भी तंगठन पर काफी जोर देंगे और समय पाके इन दोनों संस्थाओं को एक सूत्र में बाँधेंगे । इस तरह जो एक समिलित संस्था बनेगी वही भारत की पूर्ण आजादी के जिये लड़ेगी और उसे लायेगी भी । इसलिये अब हम लोगों की सारी शक्ति उसी ओर लगनी चाहिये । इसलिये उनने यह भी निश्चय किया कि एकाध को छोड़ वाकी सभी वामपक्षी दलों का भी एक समिलित दल बनना चाहिये । वही दल इस नये कार्य-कम को अच्छी तरह पूरा करने में सफल होगा । सब दलों के मिल जाने से हमारी ताकत बढ़ जायगी । उन्हें इस बात का विश्वास भी था कि एक को छोड़ सभी दल मिल जायेंगे ।

उनने अपना यह मन्तव्य मुझसे भी प्रकट किया । मैंने भी उस पर पूरा गौर किया । लेकिन वामपक्षी कमिटी (Left consolidation committee) के इतिहास को देखकर मुझे विश्वास न था कि सबको मिलाके कोई ऐसा एक दल बन सकेगा । वामपक्ष कमिटी का जितना दर्दनाक और कटु अनुभव मुझे है उतना शायद ही किसी को होगा । मैंने उसके सिलसिले में वामपक्षियों की दृकतों से ऊब के कभी कभी रो तक दिया था । किसी का दिल उसमें लगता न था । मालूम होता था जद॑दस्ती फँसाये गये हैं । सभी भागना चाहते थे । यदि एक दल उसमें दिलचस्पी लेता तो दूसरा और भी दूर भागता था । अजीब हालत थी । पहले तो मुझे उसमें लोगों ने फँसा दिया । मगर पीछे पाँचियों के नेता इधर-उधर करने लगे । सभी भाग निकलने का मौका देखते थे । भला कैंचा के भी कोई संयुक्त दल बन जकता है ।

जब मुझसे उनने राय पूछी, तो मैंने अपना पण्डि लगाल कर दूनाया ।

मैंने कहा कि बामपक्षी दलों को एक दूसरे पर विश्वास हुई नहीं। और जब तक यह बात न हो मेल मुवाफ़िकत कैसी ? वह तो परस्पर विश्वास के आधार पर ही बन सकती और टिक सकती है। लेफ्टकंसोलिडेशन की बात मैंने उन्हें याद दिलाई और कहा कि मेरे जानते उसके विफल होने की बजह यही थी उम समय एक दल उसकी जल्लत समझता था तो दूसरा नहीं। अगर दोनों जल्लत समझी तो वाकियों ने नहीं। यही ढालत आज है। आज आप लोग उसकी जल्लत समझते हैं सही। मगर दूसरे नहीं समझते। और जब तक सभी दल इस बात को महसूस न करेंगे कि एक पार्टी सबों को मिलाकर बनाये त्रिना गुजर नहीं, तब तक कुछ होने जाने का नहीं। तब तक आपकी यह नई पार्टी बनी नहीं सकती। मैंने यह भी कह दिया कि मैं तो अब किसी पार्टी में शामिल हो नहीं सकता। मैंने तो यही तय कर लिया है कि किसान-सभा के अलावे और किसी पार्टी-वार्टी से नाता न रखूँगा। मैं पार्टियों की इरकतें देखके ऊब सा गया हूँ। इसलिये मैं पार्टी से अलग ही अच्छा। मिहर्वानी करके मुझे बख्शा दें। इसके बाद उस समय तो मुझ पर इसके लिये जोर न दिया गया और दूसरी दूसरी बातें होती रहीं। मगर पीछे जब एक बार कहाँयों ने मिलाके फिर दबाव डालने की कोशिश भी, तो मैंने धीरे से उत्तर दे दिया कि पहले और पार्टियाँ मिल लें तो देखा जायगा। अगर मैं अभी उस नई पार्टी में शामिल हो जाऊँ तो किसान-सभा भी मजबूती में बाधा होगी। क्योंकि आप लोग पार्टी की ओर से मुझ पर दबाव डालेंगे ही कि जिम्मेदार जगहों पर उसी गर्भी के आदमी किसान-सभा में रखे जायें, और पार्टी-मेम्बर की हैसियत से मुझे यह मानना ही पड़ेगा। नतीजा यह होगा कि दूसरी पार्टियों के अच्छे से अच्छे कार्यकर्त्ताओं के साथ मैं न्याय न कर सकूँगा और वे ऊब के हमारी सभा से खामखाह हट जायेंगे। फिर सभा मजबूत हो कैसे सकेगी ? इसलिये मैं इस-समेले में नहीं पड़ता।

मगर इस आखिरी बात के पहले ही कुछ और भी बते हुईं। नई पार्टी के बारे में उनके दो महत्वपूर्ण निश्चय थे और वे थे भी कुछ ऐसे कि

मैं घबराया । मुझे पता चला कि उनके वे दोनों ही निश्चय अटल से हैं । इसीलिये मुझे ज्यादा घबराहट हुई । फिर भी उन पर मैंने इसे प्रकट न किया । मैं भी चाहता था कि जरा उनके हृदय को ट्योल देखूँ । उन दोनों में एक बात यह थी कि बहुत ही विश्वासपूर्वक तीन ही महीने के भीतर वे कम से कम पचीस हजार पक्के क्रांतिकारियों का सुसंगठित दत्त तैयार करने का मंसूबा बाँध चुके थे । उनकी बातों से साफ नलकता था कि वह कोई बड़ी बात न थी । इस बारे में उनने औरों को कितनी ही दलीलें दी थीं । वह इस मामले में इतने विश्वस्त और निश्चिन्त मालूम पड़ते थे कि मुझे आश्चर्य होता था ।

इसीलिये मैंने उससे दलीलें शुरू कीं । कहा कि मैं तो जिन्होंने मैं अभी पहली ही बार सुनता हूँ कि तीन ही महीने में अब्बल टर्जे के क्रांतिकारियों की पचीस हजार की संख्या में तैयारी आसानी से की जा सकती है । क्या आप इतिहास में ऐसी एक भाँविसाल पेश कर सकते हैं । कांग्रेस के चबनियाँ में भी अगर हम किसानों और मजदूरों के भीतर बनाने लगें तो तीन महीने में पचीस हजार सदस्य बनाना आसान न होगा । मगर उसी मुद्दत में उन्हें संगठित भी कर देना जिससे जवाबदेही का कोई काम कर सकें, यह असम्भव सी बात है । क्रांतिकारियों का संगठन और भेड़ बकरियों का जमावड़ा क्या दोनों एक ही बातें हैं । मुझे तो दैरेत मालूम पड़ती है । किसी भी क्रांतिकारी पार्टी में आने के लिये वरसों परीक्षा करना ही चाहिये । तभी हम मेंबरों की असलियत और उनकी कमजोरियाँ समझ सकते हैं, उन्हें हमें वरसों सख्ती से जांचना होगा । तब कहीं कुछी लोग खरे उत्तर सकते हैं । यह कोई लोगों की भक्ति नहीं है कि जिसे ही पाया भक्ति कर लिया ।

उनसे दलीलें करने के साथ ही नेरे द्विल में यह लौक पैदा हो गया कि क्रांति और रेवोल्यूशन के नाम पर यह एक निरायत ही अत्यन्ताक पार्टी बनेगी अगर उसके मेंदर इसी ढंग से बनाये गये । मापदंश और काम-धाम से खाली लोगों में जोई बहुत डैंडे मनोरथ रखता होगा,

जिसे ही लीडरी का नशा होगा, जोईं देश-सेवा और क्रांति के नाम पर न सिर्फ अपनी पूँजा कखाना चाहेगा, बल्कि मौज उड़ाने की फिक्र रखेगा, जोईं लम्बी लम्बी बातें हाँक के लोगों को धोखा देना चाहेगा, जिसी के भीतर कोई मजबूती न होगी, किन्तु सिर्फ देखावटी और बाहरी वेश-भूषा ही जिसकी सारी सम्पत्ति होगी ऐसे ही भयंकर और खतरनाक लोग इसमें आसानी से आ घमकेंगे, यदि उनके आराम का सामान मुहैया हो जाय। मैंने सोचा कि किसानों और मजदूरों की सेवा के नाम पर ये लोग उनके लिये लेग बन जायेंगे। जो लोग कहीं चोरी ढकैती बगैरह की शरण लेते उनके लिये यह बहुत ही सुन्दर प्रेशा हो जायगा। हाँ, पैसे की आसानी होना जरूरी है।

मेरी दलीलों का उन पर कुछ ज्यादा असर होता न दिखा। ऊपर से उनने सर हिलाया जरूर और कबूल किया कि यह दिक्षित है। फिर बोले कि अच्छा देखा जायगा। उतने नहीं तो कम लोग ही मेम्ब्रर होंगे। यह कोई जरूरी नहीं कि पचीस ही हजार खामखाह बनें। मैंने देखा कि मेरे विचारों का उन पर कोई असर न पड़ा। उनने केवल संख्या को ही पकड़ा है। मैं इस प्रकार की मेम्ब्ररी की बुनियाद को ही बुरा और खतरनाक मान कर उनसे बातें करता था। मगर उनने इतना ही माना कि इतनी बड़ी तादाद शायद आसानी से मिल न सके। उनने यह गलती महसूस ही न की कि मेम्ब्ररी वाला उनका सारा खयाल और रस्ता ही गलत है, धोखे का है। हम दोनों इस मामले में, उतनी बात-चीत के बाद भी दोनों श्रुतों पर रहे। हम दोनों की नजरें एक दूसरे के खिलाफ थीं। उनका मेल न था। फिर भी मैं उन्हें याद दिलाया कि ऐसे ही कब्जे मेम्ब्ररों को लेके तो आप ही लोग अब तक कहगड़ते रहे हैं। ऐसे लोग तो बराबर वे पैंदी के लोटे की तरह, कभी इधर कभी उधर लुढ़कते ही रहते हैं। कभी इस पार्टी में तो कभी उसमें जाते रहते हैं। इसी से झगड़े होते हैं कि दूसरे दल आपके मेम्ब्ररों को फोड़ते हैं। हालाँकि इसमें भूल आप ही की है कि कब्जे लोगों को सदस्य बनाते हैं। आप खुद “रहे वाँस न

वाजे ब्रांसरी” क्यों नहीं करते ? उनने कहा कि “हाँ, यह तो ठीक है ।”

फिर उनके एक दूसरे खयाल पर भी मैंने उत्तर किया । नई पार्टी के लिये पैसे का प्रश्न था । बिना आर्थिक संकट पार किये कोई भी पार्टी चल नहीं सकती । इसीलिये उनने इस मसले का भी हल सुझाया था । मगर मैं उससे और भी चौंका । मुझे साफ मालूम हो गया कि ऐसा होने पर ऐरेंजैर मनचले लोगों की भर्ती आसानी से हो सकेगी । आर्थिक समेले हल हुए और पैसे की दिक्कत नहीं कि मेन्हर वनने वालों का तांता बँधेगा । वह तो यही मजा चाहेंगे—“जो रोगी को भाये सोई वैद्य व्रताये” वाली चात यहाँ सोलहीं आने ठीक उतरेगो ।

असल में पैसा जमा करने का जो उपाय उनने सुझाया वह यह न था कि हम किसान मजदूर जनता से थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे । इस बात का तो उनने नाम ही न लिया । बँड बँड करके तालाब भरने का खयाल उन्हें रहा ही नहीं । उनके सामने लघ्वे लघ्वे प्रोग्राम और खर्च के मद्देधे । गर्ग का प्रेस, अखबार, औफिस, साहित्य, दौरा वजौरह ऐसी चारें थीं जो उनके दिमाग में चक्कर काट रही थीं । और इनके लिये तो काफी पैसा चाहिये ही । मेन्हरों को भी तो आराम से रखना ही होगा । नहीं तो उनके ढण्डने में दिक्कत का खयाल था । और पचीस हजार की तादाद भी काफी बढ़ी होती । वर्तमान समय के मुताबिक उनका खर्च-बर्च भी कम नहीं ही चाहिये । चबैनी और सत्तू या सूत्री रोटी खा के तो कांति ही नहीं सकती । इस प्रकार तो कांतिकारी लोग गुजर कर सकते नहीं । इसलिये महीने में कई लाख रुपये उनके खर्च के ही लिये चाहिये ।

यह साफ ही है कि इतना रुपया गरीब लोग दे सकते नहीं । पैसे-पैसे करके उनसे इतनी लम्बी रकम वसूल करना गैर मुमकिन ही है । कांतिकारी लोग ऐसा मामूली काम करने के लिये होते भी नहीं । उनका काम बहुत बड़ा होता है । यह तो छोटे लोगों का—मामूली चर्करों का काम होता है । इसलिये पैसा जमा करने का कोई दूसरा ही रास्ता होना चाहिये, उनने यही सोचा । बताया भी ऐसा ही । खाती रकम हाथ लगने का रास्ता ही उनने

‘हुँडू त्रिकाली’ था और उसी का जिक्र मुझसे भी किया था । मैं सुनता था । ‘साथ ही हँसता भी और घबराता भी । उनके लिये वह क्रांति का चाहे सुगम से भी सुगम मार्ग वयों न हो, मगर मेरे लिये तो वह बहुत ही खतरनाक दीखा । वैसे पैसे से उनकी नई पार्टी मठ भले ही बन जाय जहाँ मौज उड़ाने वाले ही रहते हैं । मगर मेरे जानते वह किसानों और मजदूरों की पार्टी हर्गिज नहीं बन सकती थी ।

मैंने उनसे बातें शुरू कीं । मैंने कहा कि यह भी निशाली सी बात है कि आपकी पार्टी के लिये वैसे का मुख्य जरिया किसान मजदूर या शोषित जनता हो नहीं, किन्तु कुछ दूसरा ही हो । आरने मेघरों की भर्ती की जो बात बताई है उससे तो स्पष्ट ही है कि केवल मध्यम वर्गीय लोग ही उसमें आयेंगे । किसान मजदूर तो आयेंगे नहीं, शायद ही एकाध आयें तो आयें । इस प्रकार जितने नेता होंगे वह तो उनमें से आयेंगे नहीं । वह तो बाहरी ही होंगे । और वैसे की दिक्षत जब पूरी हो जाती है तब तो खामखाह बाहरी ही लोग रहेंगे ही । इसे कोई रोक नहीं सकता ।

अब रही वैसे की बात । सो भी उस दुखिया जनता से आने वाला है नहीं जैसा कि आप ही बताते हैं । वह भी तो बाहर से ही आयेगा—बाहरी ही होगा । उसी वैसे से काम का सारा सामान मुहैया किया जायगा—पेपर, लिफ्टरेचर, औफिस बग्रेड । इस प्रकार आदमी, वैसा और सामान ये तीनों चीजें बाहर की ही होंगी । किसानों और मजदूरों के भीतर से तीन में एक भी चीज न होगी । हरेक लड़ाई के लिये जल्दी भी यही तीन हैं—आदमी, वैसा और समान । और ये तीनों ही बाहर से ही मिल गये । इन्हीं से क्रांतिकारी लड़ाई चलाई जायगी ऐसा आप कहते हैं । चलाई जा सकती है और संभव है उसे सफलता भी मिले और क्रांति भी आ जाय । मगर वह क्रांति किसानों और मजदूरों की होगी यह समझना मेरे लिये गैर सुमिकिन है । यह तो उसी की होगी जिसके आदमी, वैसे और सामान से वह आयेंगी । दूसरे के सामान से दूसरे के लिये कोई भी चीज आये यह देखा नहीं गया । किर क्रांति जैसी चीज के बारे में ऐसा सोचना निरी नादानी होगी ।

मैं तो यही जानता हूँ और पढ़ा भी ऐसा ही है कि अगर मजदूरों और मजदूरों के हाथ में हुक्मत की बागड़ोर लानी है जिसे क्रांति कहिये या कुछ और ही कहिये, तो उन्हीं को इससे लड़ना और कट मरना होगा । जब तक उन्हीं के बीच से नेता और योद्धा पैदा न होगे, पैदा न किये जाएंगे तब तक उनका निस्तार नहीं । लड़ते तो वे हर्दैं । जेज जाते हैं, लाठी खाते हैं, गोलियों के शिकार होते हैं । मगर उनके नेता बाहरी होते हैं — उनके बीच से नहीं आते । अब तक एकाध जगह को छोड़ सर्वत्र ऐसा ही होता रहा है । नतीजा यह हुआ है कि क्रांति होने पर भी उन्हें कुछ हासि न नहीं हुआ है । उनकी गरीबी, लूट, परीशानी, भूख, चामारी, निरक्षणता ज्यों की त्यों बनी रह गई है । दुनियाँ की क्रांतियाँ इस बात का सबूत हैं । फ्रांस, इंगलैंड, जर्मनी, अमेरिका, इग्लो वर्गैरह देशों में क्रांतियाँ तो हुईं । मगर कमाने वाले सुखी होने के बजाय और भी तकलीफ में पड़ गये । गोकिं लड़ने और मरने में वही आगे थे । यह क्यों हुया ? इसीनिये न, कि उन लड़ाइयों और क्रांतियों का नेतृत्व, उसकी बागड़ोर दूसरे के हाथ में थी । इसलिये मैं यही मानता हूँ कि जो बाहरी नेता है उनका काम यही होना चाहिये कि किसानों और मजदूरों के भीतर से ही नेता पैदा कर दें । उसके बाद क्रांति वही खुड़ लायेंगे । हमारा प्रधान काम क्रांति लाना न होकर उसके लिये किसानों और मजदूरों के भीतर से ही नेता पैदा कर देना मात्र है । इतना कर देने के बाद उन्हीं के नेतृत्व में जो क्रांति होगी उसमें हम जो भी सहायता कर सकें वह उचित ही होगी । मगर अपने ही नेतृत्व में क्रांति लाने के मर्ज से हमें सबसे पहले बी होना होगा । यह दूसरी बात है कि किसानों और मजदूरों के भीतर से ही पैदा होने वाले नेताओं के नेतृत्व और हमारे नेतृत्व में कोई अन्तर हो—दोनों एक ही हो । यह खुशी की बात होगी । मगर नेतृत्व की जाँच की कसीटी हमारा नेतृत्व न होकर उन्हीं वाला होगा यह याद रहे । हमारे नेतृत्व से उनका नेतृत्व मिलने के बजाय उनके ही नेतृत्व से हमारा नेतृत्व मिलना चाहिये ।

यही बात पैसे स्पर्ये की भी है । जिसे विजयी होना है उच्चो अपने ही

‘पुस्तकये स—उसी के बल पर—लड़ना होगा । तभी सफलता मिल सकती है । उधार या मँगनी की रकम से लड़ने में धोखा होगा—अगर वीच में नहीं तो जीत के बाद तो जरूर ही होगा । कहने के लिये वह जीत किसान मजदूरों की होगी । मगर होगी वह दरअसल उन्हीं की जिनके पैसे लड़ाई में खर्च हुए हैं । पैसे वाले आदमियों को, उनके ईमान को, उनकी आत्मा को ही खरीदने की कोशिश करते हैं और आमतौर से खरीद भी लेते हैं । ऊपर से चाहे यह भले ही न मालूम हो । मगर भीतर से तो हमारी आत्मा ब्रिक जाती ही है अगर हम दूसरों के पैसों का भरोसा करें । जबान से हम हजार इनक्लिलाच और किसान मजदूर राज्य की बातें बोलें । मगर इनमें जान नहीं होती । ये बातें कुछ कर नहीं सकती । दिल से हम पैसे वालों की ही जय बोलते हैं, उन्हीं का राय से, उन्हीं के इशारे पर चलते हैं । जैसे मोटर का हाँकने वाला उसे अपने कब्जे में रखता है, नहीं तो वह कहीं की कहीं जा गिरेगी, किसी से लड़ जायगी । ठीक वैसे ही पैसे वाला हमें और हमारी लड़ाई को अपने काबू में ही सोलहों आने रखता है । यही बजह है कि हमारी राय में किसानों और मजदूरों की लड़ाई उन्हीं के पैसे से चलाई जानी चाहिये । उस लड़ाई के लिये असली और खास भरोसा किसान मजदूरों के ही पैसे पर होना चाहिये । दूसरों की पर्वा हाँगिज नहीं चाहिये । इतने पर भी अगर कहीं से कुछ आ जाय तो उसे खामखाह फेंक देने से हमारा मतलब नहीं है । मगर उस पर दार-मदार होने में ही खतरा है । उधर से लापर्वाही चाहिये ।

सामान की भी यही बात है । खाना, कपड़ा, अखबार, साहित्य, औफिस बगैरह सभी चीजें जिसके हाथ में रहेंगा वही लड़ाई को चाहे जैसे चलायेगा । ये सामान लड़ाई के मूलाधार है, बुनियाद हैं, प्राण हैं । इसीलिये हम इनके लिये गैरों पर निर्भर कर नहीं सकते । नहीं तो ऐन मौके पर खतरा होगा, रह रहके खतरे खड़े होते रहेंगे । जब न तेब् इन सामानों के जुटाने वाले नाक में सिकोड़ते रहेंगे और हमसे मनमानी शर्तें करवाना खामखाह चाहेंगे । यही दुनियाँ का कायदा है—यही मानव-स्वभाव है ।

आँखर कोई दूसरा आपको पैसा क्यों देगा ? वा कहीं और जगह से पैसा लाने में हजार खतरे का सामना करने के बाद पैसा मिलने पर उसे हमें क्यों देगा ? अपने लिये, अपने बाल-बच्चों के लिये उसी पैसे से जमीन-जायदाद क्यों न खरीद लेगा ? कोई रोजगार, व्यापार वयों न चलायेगा ? धर्म और परोपकार का नाम इस सम्बन्ध में, इस स्वार्थी और व्यवहारातः जड़वादी (materialist in practice) संघार में, लेना अपने आपको धोखा देना है, व्यवहारिकता से आँख मोड़ लेना है। भूठी कसमें खाइ जाती है और कच्छियों में गंगा तुलसी, कुरान पुरान तक की शपथें जो आये दिन ली जाती हैं वह क्या धर्म और परोपकार के ही लिये ? वह काम दुनियावी फायदे और जमीन-जायदाद के ही लिये किया जाता है यह कौन नहीं जानता ? इसी प्रकार धर्म और परोपकार के नाम पर देने वाले धर्मी और चतुर श्रामिकौर से हजार गुना फायदे को सोचकर ही देते हैं। चारि कहीं चुनाव में बोट मिलने में आसानी हो, काखार में आसानी हो वा भौंके पर बढ़ी जमा और बड़ा अधिकार मिल जाने में ही उससे मदद मिले। मगर यही बात होती है जरूर। वे लोग पहले से ही हिसाब-किताब लगाके और दूर तक सोच के ही इस धर्म और उपकार के काम में पढ़ते हैं, यह एमें इर्गिंज भूलना न चाहिये ।

इसीलिये हमारा तो पक्षा मंत्र होना चाहिये कि अपने इकों के शाखिल करने के लिये जो लड़ाई किसान मजदूर लड़ना चाहते हैं उसके लिये आदमी, रुपया और सामान (Men, Money and Material) खुद जुटायें, अपने पास से ही मुहर्या करें। खुद भूखे नंगे रहके यह काम उन्हें करना ही होगा। दूसरा रास्ता है नहीं। एमें उनके दो दूसरे यह देना चाहिये कि अगर वे ऐसा नहीं करदे, इसके लिये तंयार नहीं है तो एम उनकी लड़ाई से बाजी दाढ़ा देते हैं— एम उनमें इर्गिंज न पड़ेंगे। एन उनसे साफ़ साफ़ कह दें कि इस तरह उनमें पढ़ने पर तो एम उन्हें नगमजार धोखा देंगे, गो इमें सत्ती लीटरी जरूर ही निल जायगा। दूसरा है नहीं, जिना किसानों के घन, जन के नैतों की आशा पर उनकी लड़ाई है।

पढ़ो । अनन्जान आदमी के रास्ते में तो पग पग पर रोड़े अटकते हैं । सो भी किसान-आन्दोलन जैसी विकट चीज की कोशिश में । हमारे चारों ओर विरोधियों का गुह्य था । सभी कमरबन्द खड़े थे कि कब्र मौका पाये और सारी चीज खत्म कर दें । हम तो पहले पहल सन् १९२० ई० में कांग्रेसी राजनीति में ही आये थे । वहाँ से सन् १९२७ ई० में किसान-सभा बनाने की ओर झुके । मगर हमारे इस काम में कांग्रेसी साथियों ने और नेताओं ने भी, पहले तो कम पीछे ज्यादा, विरोध किया । पहले वे लोग समझी न सके कि वथा हो रहा है । इसलिये यदि किसी का विरोध भी था तो वह दबा था । पीछे तो जैसे जैसे किसान-सभा मजबूत होती गई वैसे वैसे विरोध भी प्रवर्त्त होता गया । यहाँ तक कि इधर कुछ दिनों से कांग्रेस की सारी ताकत सभा के खिलाफ हो गई । हमारे पुराने साथियों में भी बहुतेरे छूट के पानी पीने लगे । वे भी इस आन्दोलन से भयभीत हो गये । मगर हम बढ़ते ही रहे हैं और बढ़ते ही जायेंगे यही विश्वास है ।

अब तक जो कुछ संस्मरण लिखे गये हैं वे तो मधुर तो हैं । साथ ही पढ़ने वालों के लिये आन्दोलन के भीतर झाँकों का काम देते हैं । जिन्हें कुछ भी किसान-सभा में चसका है उन्हें इनसे काफी हिम्मत और सहायता मिलेगी जिससे काम बढ़ा सकें । वे देखेंगे कि किसान-आन्दोलन कोई फूलों का ताज नहीं है । इसलिये कमज़ोर लोग शुरू में ही हिचक जायेंगे । यह ठीक ही है । इसमें कितना धोखा है इसकी भी जानकारी पढ़ने वालों को हुए बिना न रहेगी । इससे सच्चे और ईमानदार किसान-सेवकों को खुशी होग और खतरे की जानकारी भी । तभी तो उससे मौके पर बच सकेंगे । अब तक तो सभा की जड़ कायम करनी थी । मगर अब उसे आगे बढ़के असली काम करना है । इसलिये बहुत ढंग के खतरों से खामखाह बचना होगा । इस बात में संस्मरणों से मद्द मिलेगी । गरम बातें और नरम काम का खतरा हमें अब ज्यादा है । इसलिये श्रमी से सजग हो जाना होगा । हमें मन भर बातें नहीं चाहिये । बल्कि बिना उन बातों के यदि केवल काम ही हो और रक्ती भर भी हो तो कोई हर्ज नहीं । उसमें धोखा नहीं होगा । बातें

ता घोखा देती हैं। किसान-सभा का पूरा इतिहास और उस सिलसिले को सारी मुसीबतें मैंने अपनी जीवनी में लिखी हैं।

अन्त में एक बात कह देनी है। हमारी आदत है तारीखे भूल जाने की। ठीक साल और तारीख याद रखी नहीं सकते। इसी तरह स्थानों के नाम भी भूल जाते हैं। ये संस्मरण इस भूल से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिये क्षमा चाहते हैं। हमें इस बात से योद्धा ढाढ़स मिला जब हमने चीन के महान् कम्यूनिस्ट नेता के बारे में पढ़ा कि वे तारीखें याद रख नहीं सकते हैं। मगर क्षमा तो फिर भी हम चाहते ही हैं।

